इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

कार्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवाएं कक्ष
254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा
चेन्नै 600 014

Corporate Office, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah
Chennai 600 014.

आठवीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस
Notice of Eighth Annual General Meeting

चेन्नै में
शुक्रवार, 27 जून, 2014 को सुबह 10.00 बजे
आयोजित

Friday, the June 27, 2014 at 10.00 a.m.
at Chennai

विषयवस्तु

	पृष्ठ संख्या
सूचना	4
टिप्पणियाँ	4
स्पष्टीकरण विवरण	12
निदेशकों का चुनाव – संबंधित अधिनियमों, योजना तथा विनियमों आदि के उद्धरण	22
नामांकन फॉर्म	39
घोषणा फॉर्म	41
उम्मीदवार के वैयक्तिक विवरण प्रस्तुत करने का प्रारूप	43
एनईसीएस अधिदेश / बैंक खाता विवरण हेतु फॉर्म	47
प्राक्सी फार्म	49
उपस्थिति पर्ची / एंट्री पास / बैलट पेपर पास	51

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2013–14, अलग रूप से भेजी जा रही है।

ई–वोटिंग के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग शृंखला संख्या (ईवीएसएन) : 140526004

CONTENTS

	Page No
Notice	5
Notes	5
Explanatory Statement	13
Election of Directors – Extracts of relevant Acts, Scheme and Regulations, etc.	23
Nomination Form	40
Declaration Form	42
Format for providing personal information of the candidate	44
Form for NECS Mandate/Bank Account Details	48
Proxy Form	50
Attendance Slip/Entry Pass/Ballot Paper Pass	52

The Annual Report of the Bank for the year 2013-14 is being sent separately.

Electronic Voting Sequence Number (EVSN) for e-voting is 140526004

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

प्रधान कार्यालय : 66 राजाजी सालै, चेन्नै 600 001

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, चेन्नै 600 014

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **इंडियन बैंक** के शेयरधारकों की **आठवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार दिनांक 27 जून 2014 को पूर्वाह्न 10.00 बजे इमेज ऑडिटोरियम,** एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देष्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. बैंक के 31 मार्च 2014 को समाप्त वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे व लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों व कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र व लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदित करना एवं अपनाना।

2. 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभांश, यदि कोई हो, तो घोषित करना।

3. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके पश्चात् 'योजना' शब्द से जाना जाएगा) और इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1999 (इसके पश्चात् ''विनियमन'' शब्द से जाना जाएगा) जोकि अधिनियम की धारा 19 के अनुपालन में बनाया गया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीबीओडी.बीसी.बीओ.95 / 29.39.001 / 2010–11 दिनांक मई 23, 2011 के साथ पठित उनकी अधिसूचना (इसके पश्चात् भारिबैंक की अधिसूचना कहा जाएगा) सं. डीबीओडी सं.बीसी सं. 46 / 29.39.001 / 2007–08 दिनांक नवंबर 01, 2007 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) की शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों में से (केन्द्रीय सरकार के अलावा) दो निदेशकों को निर्वाचित करना, जोकि निम्नलिखित संकल्प पारित करने के जरिए किया जाएगाः–

   ''संकल्प किया जाता है कि योजना, विनियमन और उसके अंतर्गत की जानेवाली अधिसूचनाओं के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुपालन में शेयरधारकों में से केन्द्रीय सरकार से अन्य दो निदेशकों को निर्वाचित किया जाए तथा किया जाता है, जो जुलाई 01,2014 से कार्यभार ग्रहण करेंगे और ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि पूरी होने के समय तक इस पद पर रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै
दिनांक : मई 23, 2014

टी एम भसीन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणियाँ

i. स्पष्टीकरण विवरण

इस बैठक के कारोबार से संबंधित भौतिक तथ्यों को देनेवाला स्पष्टीकरण विवरण इस के साथ संलग्न है।

ii. मतदान करने के अधिकारः

अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2 ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्संबंधित नए बैंक का किसी भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक पडनेवाले, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

उपर्युक्त के अध्यधीन कट–ऑफ की तारीख, अर्थात् शुक्रवार, मई 23,2014 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक, बैंक के दो शेयरधारक–निदेशकों (चुनाव) को निर्वाचित करने की प्रक्रिया में भाग लेने (नामित करना, चुनाव लडना और मतदान देना) के लिए हकदार होंगे और उनको अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत (वोट) प्राप्त होगा तथा कंपनी (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित सूचीबद्ध करने के करार के खण्ड 35बी के अन्तर्गत आम वार्षिक बैठक में करने के लिए अपेक्षित कारोबार के संबंध में कार्यसूची मदों (निर्वाचन से अन्य) के लिए ई–वोटिंग में भाग लेने का हकदार होगा।

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

Head Office : 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Eighth Annual General Meeting** of the Shareholders of **Indian Bank** will be held on **Friday,** the **June 27, 2014 at 10.00 a.m. at IMAGE Auditorium, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028** to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2014, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividends for the year ended March 31, 2014, if any.
3. To elect two Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No.DBOD No.BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with No.DBOD.BC.Bo.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") by passing the following resolution:-

   "RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and Notifications made there under, be and are hereby elected as the Directors of the Bank to assume office from July 01, 2014 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : May 23, 2014

T M Bhasin
Chairman and Managing Director

NOTES

i. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

ii. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off date i.e, on Friday, the May 23, 2014 will be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the Election of two Shareholder Directors of

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है, तो मतदान के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को एकल धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त शेयरधारकों के नाम में है, तो सिर्फ प्रथम नामित व्यक्ति बैठक में भाग लेने का हकदार है और बैठक में नामित करने, चुनाव लडने और मतदान करने का हकदार है।

iii. प्राक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखने वाले शेयरधारक को अपने बदले बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक है और ऐसे प्रतिनिधि का, बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रतिनिधि फॉर्म के प्रभावी होने के लिए, वह बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले, अर्थात् शनिवार, दिनांक जून 21, 2014 को बैंक के बन्द होने के समय पर या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

iv. एक प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्पोरेट निकाय, जोकि बैंक का शेयरधारक है, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने या मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसको विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की, जिस बैठक में वह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि, कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, विंग–2–सी, दूसरा तल, सं.254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014, के पास बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार जून 21, 2014 को या उससे पहले बैंक बंद होने के समय के पूर्व जमा नहीं करायी जाती है।

v. उपस्थिति पर्ची – सह – प्रविष्टि पास– सह– बैलट पेपर पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची – सह प्रविष्टि पास – सह– बैलट पेपर पास को इस सूचना के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व उपस्थिति पर्ची–सह प्रविष्टि पास को बैठक के स्थान पर सौंप दें । किसी शेयरधारक के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची–सह प्रविष्टि पास पर ''प्रतिनिधि'' या ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करेंगे। पोल के समय बैलट पेपर प्राप्त करने हेतु ऐसे प्रवेशपत्रों को अभ्यर्पित किया जाए।

vi. बुक क्लोजर

शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक की शेयर हस्तांतरण बहियाँ, बुधवार, जून 25, 2014 से शुक्रवार जून 27, 2014 तक (दोनों दिन सम्मिलित है), वार्षिक आम सामान्य बैठक के प्रयोजनार्थ एवं लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उसकी अदायगी हेतु शेयरधारकों की पात्रता को निर्धारित करने के लिए बन्द रहेंगी।

vii. लाभांश का भुगतान :

शेयरधारकों द्वारा यथानुमोदित रूप से शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान, इस तारीख तक प्राप्त शेयर अंतरण अनुरोधों पर विचार करने के बाद ऐसे शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में मंगलवार, जून 24, 2014 को उपलब्ध हैं और ऐसे शेयरधारकों के संबंध में जो निक्षेपागारों द्वारा बैंक को उपलब्ध कराई गई मंगलवार, जून 24, 2014 तक की सूची के अनुसार डीमेटीरियालायज़ड रूप से अपने शेयर धारित किए हुए हैं, किया जाएगा तथा वार्षिक आम सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के अन्दर लाभांश अधिपत्र डाक से भेज दिए जाएंगे / लाभांश की राशि जमा कर दी जाएगी।

viii. ट्रान्स्फर्स :

बैंक के शेयरों के अंतरण के लिए अंतरण विलेखों के साथ शेयर प्रमाण पत्रों को नीचे पैरा (x) में दिए गए पते में प्रेषित करना चाहिए।

ix. लाभांश पत्रों / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा सुविधा (एनईएफटी) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा सुविधा (एनईसीएस) में बैंक खाते के विवरण :

बैंक, जहाँ भी संभव हो, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा सुविधा (एनईएफटी) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा सुविधा (एनईसीएस) के जरिए शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश की राशि को जमा करने के लिए प्रयास करता है। जो शेयर होल्डर इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयरों को धारित कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार प्रतिभागी को अपने पते में अद्यतन परिवर्तन और बैंक अधिदेश विवरणों को (नया खाता संख्या यदि हो, बैंक एमआईसीआर और आईएफएस कोड नं. सहित) तत्काल प्रस्तुत करें ताकि एनईएफटी / एनईसीएस के ज़रिए लाभांश की राशियों को जमा की जा सके। जिन शेयरधारकों ने डीमैट रूप से शेयरों को धारित किया हुआ है, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए सिर्फ अपने निक्षेपागार प्रतिभागी से संपर्क करें।

the Bank (Election) and shall have one vote for each share held by him/her and to participate in e-voting on the agenda items (other than Elections) to be transacted at the Annual General Meeting as required under Clause 35B of the listing agreement read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.**

iii. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Corporate Office of the Bank not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the June 21, 2014.

iv. APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, No.254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014, not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the June 21, 2014.

v. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM - BALLOT PAPER PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be. Such Entry Passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

vi. BOOK CLOSURE :

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Wednesday, the June 25, 2014 to Friday, the June 27, 2014 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of shareholders for payment of final dividend declared, if any, at the Annual General Meeting.

vii. PAYMENT OF DIVIDEND:

Payment of dividend as approved by the shareholders shall be paid to those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on Tuesday, the June 24, 2014 after considering share transfer requests received till that date and in respect of shareholders holding their shares in dematerialized form as per the list provided to the Bank by the Depositories as on Tuesday, the June 24, 2014 and the dividend warrants shall be mailed / credited within 30 days from the date of the Annual General Meeting.

viii. TRANSFERS:

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Share Transfer Agent at the address given in Para (x) below for the transfer of shares of the Bank.

ix. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANTS / NATIONAL ELECTRONIC FUNDS TRANSFER FACILITY (NEFT) / NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS):

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The shareholders, who are

ऐसे शेयरधारक जो अपने शेयर भौतिक रूप से रखे हुए हैं, वे, अपने रिकार्डों को अद्यतन बनाने के लिए बैंक अधिदेश विवरण, बैंक के निवेशक सेवा कक्ष को या रजिस्ट्रार को और नीचे पैरा (X) में दिए गए पते पर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को मंगलवार, जून 24, 2014 को या उससे पूर्व भेजें।

बैंक मात्र ऐसी परिस्थिति में लाभांश वारंट जारी करेगा जब इलेक्ट्रानिक रूप से भुगतान करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है या भुगतान के अनुदेश विफल हो गए हैं या बैंकर ने उसे अस्वीकृत कर दिया है। ऐसे मामलों में बैंक अनिवार्य रूप से ऐसे लाभांश वारंटों पर निवेशकों के बैंक खाते के विवरण मुद्रित करेगा। यदि कोई बैंक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो बैंक द्वारा शेयरधारक को लाभांश वारंट नहीं भेजने के लिए बाध्य होना पडेगा।

ईसीएस अधिदेश / बैंक अधिदेश का एक प्रारूप संलग्न है।

x. पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना, बैंक के शेयर अन्तरण एजेन्ट को निम्नांकित पते पर दें :

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
(यूनिट : इंडियन बैंक)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, नं.1, क्लब हाउस रोड,
चेन्नै 600 002

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन और ईसीएस अधिदेश के विवरण की सूचना सिर्फ अपने निक्षेपागार प्रतिभागी(गियों) को दें।

xi. शेयरधारकों से अनुरोध

ए) शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक सामान्य बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी।

बी) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के स्थान पर कोई भेंट / कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

जो शेयरधारक लेखों पर कोई सूचना पाना चाहते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में निवेशक सेवा कक्ष को लिखें, जो वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले बैंक को प्राप्त हो सके, ताकि प्रबंधन जानकारी को तैयार रख सकें। शेयरधारक यह नोट करें कि सूचना / स्पष्टीकरण सिर्फ वार्षिक सामान्य बैठक में ही दिए जाएंगे।

xii. ई–वोटिंग

बैंक के सभी सदस्यों को केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएँ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के जरिए विकल्प के रूप में कार्यसूची मद 1 और 2 के संबंध में ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को हर्ष हो रहा है ताकि दिनांक मई 23, 2014 की बैंक की आठवीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस (एजीएम नोटिस) में उल्लिखित संकल्पों के संबंध में वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट दे सकें। ई–वोटिंग की प्रक्रिया को न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से संयोजित करने हेतु बैंक ने श्री एस एन अनन्तसुब्रमणियन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव या उनसे न होने पर सुश्री मालती कुमार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को संवीक्षक के स्थान पर नियुक्त किया है। ई–वोटिंग वैकल्पिक है।

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैंः–

इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन) 140526004 है

(ए) ई–मेल प्राप्त करनेवाले सदस्यों के मामले में :

i. यदि आप डीमेट रूप से शेयर धारित करते हैं और किसी कंपनी के ईवीएसएन में मतदान देने के लिए आपने कभी www.evotingindia.com में लॉग–आन किया है तो आपके वर्तमान लॉग–इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जाए।

holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their **Depository Participants** about their latest change of address and bank mandate details **(including new account number, if any, bank's MICR and IFS Code numbers)** immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT/NECS. **The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.**

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Investor Services Cell of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in Para (x) below on or before, Tuesday, the June 24, 2014.

The Bank will issue dividend warrants if and only if, necessary information required for making payment in electronic form is not available or payment instructions have failed or have been rejected by the Bankers. In such cases, the Bank will mandatorily print the bank account details of the investors on such dividend warrants. In case no bank details are available, the Bank may be constrained not to dispatch the dividend warrant to the shareholders.

A proforma of ECS Mandate/Bank Mandate is enclosed.

x. CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s Cameo Corporate Services Limited
(Unit : Indian Bank)
Subramanian Building
No.1, Club House Road
Chennai - 600 002.

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details **only to their respective Depository Participant(s).**

xi. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

a) Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of Annual Report to the Meeting. Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.

b) Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the Meeting.

Shareholders who wish to seek any information on the accounts are kindly requested to write to the Investor Services Cell of the Bank at its Corporate Office, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Shareholders may note that information / clarification shall be provided only at the Annual General Meeting.

xii. E-voting

The Bank is pleased to provide e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an alternative in respect of Agenda Items 1 and 2, for all members of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the notice of 8th Annual General Meeting of the Bank dated May 23, 2014 (the AGM Notice). The Bank has appointed Mr. S. N. Ananthasubramanian, Practicing Company Secretary or failing him Ms. Malati Kumar, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) is 140526004

(A) In case of members receiving e-mail:

i) If you are holding shares in Demat form and had logged on to www.evotingindia.com and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used.

ii) ई–वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लागऑन करें।

iii) अपने वोट डालने के लिए ''शेयरहोल्डर'' टैब पर क्लिक करें।

iv) अब ड्राप डाउन मेनु से ''कंपनी नाम'' के साथ इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला नंबर – ''ईवीएसएन'' का चयन करें और ''सब्मिट'' पर क्लिक करें।

v) अब उपयुक्त बक्सों में निम्नलिखित विवरण भरें :–

	डीमेट रूप से शेयर धारित करनेवाले सदस्यों के लिए	**भौतिक रूप से शेयर धारित करनेवाले सदस्यों के लिए**
यूसर आईडी	एनएसडीएल हेतु : 8 कैरक्टर डीपीआईडी तथा उसके बाद 8 अंकोंवाला ग्राहक आईडी सीडीएसएल हेतु : 16 अंकोवाला हिताधिकारी आईडी	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर
पीएएन *	ई–वोटिंग करते समय जब आपका सिस्टम मांगता है, तब आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा–न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना पीएएन' दर्ज करें (डीमेट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक, दोनों के लिए लागू)	
डीओबी #	आपके डीमेट खाते में रिकार्ड किए अनुसार या कथित डीमेट खाते या फोलियो में कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए अनुसार जन्म की तारीख को प्रविष्ट करें।	
लाभांश बैंक विवरण #	आपके डीमेट खाते में या कथित डीमेट खाते या फोलियो के लिए कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक विवरण दर्ज करें।	

* जिन सदस्यों ने निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपना पीएएन अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे डिफाल्ट नंबर <Default number> का प्रयोगए, पीएएन फील्ड में करें।

लॉगइन करने हेतु कृपया किसी एक विवरण दर्ज करें।

vi इन विवरणों को उपयुक्त ढंग से प्रविष्ट करने के बाद ''सब्मिट'' टैब को क्लिक करें।

vii) भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य इसके बाद सीधे वोटिंग स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब ''पासवर्ड बदलने'' के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागइन पासवर्ड को बदलें। नये पासवर्ड में कम से कम 8 कैरक्टर हों जिसमें से एक ऊपरी केस (बडे अक्षर A से Z) में हो, एक निचले केस (छोटे अक्षर a से z) हों, एक अंक (0–9) हो और एक विशेष कैरक्टर हो (@#$%&*)। हमारी सख्त सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड शेयर न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें। कृपया नोट करें कि इस परिवर्तित पासवर्ड का प्रयोग, डीमैट धारकों द्वारा इस कंपनी के या अन्य किसी कंपनी के, जहाँ वे मतदान देने के लिए पात्र हैं, संकल्पों के लिए मतदान देने में किया जाएगा, बशर्तें कि कंपनी सीडीएमएल प्लैटफार्म के जरिए ई–वोटिंग का विकल्प देती है।

viii) संबंधित ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिसमें मतदान देने का विकल्प आप रखते हैं।

ix) वोटिंग के पृष्ठ पर आप संकल्प का वर्णन पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु ''हाँ / नहीं'' का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं का चयन करें। हाँ विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नहीं विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

x) आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो ''संकल्प फाइल लिंक'' पर क्लिक करें।

xi) आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद ''सब्मिट'' पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ''ओके'' (OK) पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो ''कैन्सल'' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।

xii) आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट ''पुष्टिकृत'' (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।

(B) एजीएम की नोटिस की भौतिक प्रति प्राप्त करनेवाले सदस्यों के मामले में (ऐसे सदस्य जिनके ई–मेल आईडी, कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है / निक्षेपागार प्रतिभागी या भौतिक प्रति के लिए अनुरोध करनेवाले):–

कृपया मतदान देने हेतु ऊपर क्रमांक (ii) से क्रमांक (xii)का अनुकरण करें।

ii) Log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

iii) Click on "Shareholders" tab to cast your votes.

iv) Now, select the Electronic Voting Sequence Number - "EVSN" along with "COMPANY NAME" from the drop down menu and click on "SUBMIT"

v) Now, fill up the following details in the appropriate boxes:

	For Members holding shares in Demat Form	**For Members holding shares in Physical Form**
User ID	For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID For CDSL: 16 digits beneficiary ID	Folio Number registered with the Company
PAN*	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department when prompted by the system while e-voting (applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)	
DOB#	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.	
Dividend Bank Details#	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.	

* Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the default number: <Default Number> in the PAN field.

Please enter any one of the details in order to login.

vi After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

vii) Members holding shares in physical form will then reach directly to the voting screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Change' menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character(@ # $ %& *). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Kindly note that this changed password is to be also used by the Demat holders for voting for resolutions for the Company or any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for e-voting through CDSL platform.

viii) Click on the relevant EVSN on which you choose to vote.

ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

x) Click on the "Resolutions File Link" if you wish to view the entire Resolutions.

xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(B) In case of members receiving the physical copy of Notice of AGM [for members whose e-mail IDs are not registered with the company/ depository participant(s) or requesting physical copy]:

Please follow all steps from sl. no. (ii) to sl. no. (xii) above, to cast vote.

(सी) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) से अपेक्षा की जाती है कि वे https//www.evotingindia.co.in में लाग ऑन करें और अपने को पंजीकृत करा लें, जिस खाते में वे नोट करना चाहते हैं, उसमें लिंक कर लें और अपना वोट दें। संवीक्षक द्वारा वोट का सत्यापन कर सकने के लिए वे सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में बोर्ड संकल्प की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करें।

(डी) वोटिंग की अवधि शनिवार, जून 21, 2014 को पूर्वाह्न 10.00 बजे शुरू होगी और सोमवार, जून 23, 2014 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक रूप से या अमूर्त रूप से बैंक के शेयर कट–ऑफ की तारीख को, अर्थात् मई 23, 2014 को रखे हुए हैं, अपने वोट इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकते हैं। उसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग माड्यूल को असमर्थित किया जाएगा। किसी संकल्प पर एक बार वोट देने के बाद शेयरधारक को उसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ई) यदि ई–वोटिंग के संबंध में आपको कोई प्रश्न या पूछताछ है, तो आप "बार–बार पूछे जानेवाले प्रश्न" (एफएक्यू) या www.evotingindia.com में उपलब्ध ई–वोटिंग अनुदेश पुस्तिका का संदर्भ लें या helpdesk.evoting@cdslindia.com में हमें ई–मेल भेजें।

मद सं.3 के लिए स्पष्टीकरण विवरण :

निदेशकों का चुनाव :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) 1970 की धारा 3 (2बी) (सी) के प्रावधानों के अनुकरण में बैंक ने वर्ष 2007 में जनता को शेयर बेचने का प्रारंभिक प्रस्ताव (आईपीओ) किया था। अब बैंक की कुल प्रदत्त शेयर पूँजी में से केन्द्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों की शेयरधारिता 18.49 प्रतिशत है। चूँकि आम जनता को जारी पूंजी, कुल शेयर पूंजी के 16 प्रतिशत से अधिक परन्तु 32 प्रतिशत से कम है, अधिनियम की धारा 9(3)(प) के अनुसार दो शेयरधारक–निदेशकों को निर्वाचित करना अनिवार्य है।

जून 29, 2011 की वार्षिक आम बैठक में निर्वाचित शेयरधारक–निदेशक प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल और श्री चिंतामन महादेव दीक्षित का कार्यकाल जून 30, 2014 को समाप्त होता है। उनकी रिक्तियों को भरने के लिए निदेशक मंडल ने निर्णय किया है कि वार्षिक आम बैठक में निर्वाचन के जरिए कथित रिक्तियाँ भरी जाएँ।

अतः शेयरधारकों (केन्द्रीय सरकार के अलावा) को, विभिन्न एवं संबद्ध अधिनियम / योजना / विनियमन / अधिसूचना में विस्तृत रूप से दी गई प्रक्रिया, जिसके संबंधित अंश / सार नीचे दिए गए हैं, के अनुसार अपने नामांकनों के प्रस्तुत करने का अधिकार है। शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले नामांकनों की संवीक्षा या उसके पश्चात् वार्षिक आम बैठक में निर्वाचन के बाद दो निदेशकों को निर्वाचित किया जाएगा। इस प्रकार निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक के संबंध में माना जाएगा कि उन्होंने जुलाई 01, 2014 से पदभार ग्रहण कर लिया है और वे तीन साल की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।

विधिक प्रावधान

निम्नलिखित सारणी में इस संबंध में प्रयोज्य विभिन्न अधिनियम / विनियमन / अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचनाओं में दिए गए प्रावधान प्रस्तुत किये गये हैं।

अधिनियम / योजना / विनियमन / अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949	धारा 16 (1)	➢ आम निदेशकों पर प्रतिषेध
	धारा 20	➢ अपने किसी निदेशक को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम मंजूर करने पर प्रतिबंध।
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3)(i)	➢ मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध ➢ शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किये जानेवाले निदेशकों की संख्या।
	धारा 9 (3ए) (ए) से(सी) तक धारा 9 (3एए) धारा 9 (3एबी)	➢ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान । ➢ किसी भी व्यक्ति को, जबतक कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मानदण्डों की पूर्ति के साथ–साथ ईमानदारी और पिछला कार्य–निष्पादन रिकार्ड पर आधारित उचित स्टेटस नहीं रखते, निदेशक के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता।
	धारा 9 (3बी)	➢ कथित अधिनियम की धारा 9 (3ए) और 9 (3एए) की अपेक्षाओं को पूर्ति नहीं करनेवाले निर्वाचित निदेशक को हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार
	खंड 13(2)	➢ विश्वस्तता एवं गोपनीयता की बाध्यता।
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खण्ड 9(4) खण्ड 10	➢ निर्वाचित निदेशकों की पदवी की अवधि ➢ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने में निरर्हता।
	खण्ड 11	➢ निदेशक का पद त्यागना।

(C) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to https://www.evotingindia.co.in and register themselves, link their account which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the vote.

(D) The voting period starts from 10.00 a.m. on Saturday, June 21, 2014 and ends at 5.00 p.m. on Monday, June 23, 2014. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of May 23, 2014, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

(E) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.3

ELECTION OF DIRECTORS:

Pursuant to the provisions of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "Act"),the Bank had made an Initial Public Offer (IPO) in the year 2007. At present, the holdings of the shareholders other than the Central Government is 18.49 %, in the total paid up share capital of the Bank. As the capital issued to the public is more than 16% but less than 32% of the total share capital of the Bank, two Shareholder Directors are required to be elected in terms of Section 9(3)(i) of the Act.

The term of Prof Narendra Kumar Agrawal and Shri Chintaman Mahadeo Dixit, shareholder Directors who were elected at the Annual General Meeting held on June 29, 2011 ends on June 30, 2014. With a view to fill in their vacancies, the Board of Directors have decided to fill in the said vacancies by election at the Annual General Meeting.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme /Regulations / Notification, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder. Two directors will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank or subsequent election at the Annual General Meeting. A Director so elected shall be deemed to have assumed office from July 01, 2014 and will hold office for a period of three years.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation Act/ Scheme/ Regulations/ Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20	➢ Prohibition of Common Directors ➢ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➢ Restriction on voting rights ➢ No. of directors to be elected by the shareholders ➢ Special knowledge in certain fields ➢ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➢ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➢ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11	➢ Term of office of elected directors ➢ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➢ Vacation of office of Director

	खण्ड 11ए खण्ड 11बी खण्ड 12(8)	➢ निर्वाचित निदेशक को पद से निकालना। ➢ निर्वाचित निदेशक के पद में होनेवाली आकस्मिक रिक्ति को भरना। ➢ जिन व्यवस्थाओं में निदेशकों का हित निहित है (अभिरुचि रखते हैं), उसका प्रकटीकरण
इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 यथा संशोधित	विनियम 10 विनियम 53 विनियम 55 विनियम 56 विनियम 57 विनियम 58 विनियम 59 विनियम 60 विनियम 61 विनियम 62	➢ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग ➢ सामान्य बैठकों में मतदान देना ➢ सामान्य बैठकों में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक ➢ शेयरधारकों की सूची ➢ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन ➢ नामांकनों की संवीक्षा ➢ चुनाव विवाद ➢ निर्वाचन अधिकारों का निर्धारण ➢ विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ➢ प्राक्सी
भारिबैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं.बीसी सं.46 और 47 / 29.39.001 / 2007–08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी सं.बीसी.सं.95 / 29.39.001 / 2010–11 दिनांक 23.05.2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3एए) और धारा 9 (3एबी) के अनुकरण	➢ राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए उचित एवं सुयोग्य मानदण्ड
दिनांक 03 सितंबर 2013 का पत्र, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी संदर्भ एफ.सं.1618312013–बीओ और अंश–कालिक गैर–सरकारी निदेशक के चयन हेतु दिशानिर्देश दि 01.06.2011		➢ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंश–कालिक गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पर दिशानिर्देश
भारिबैंक मास्टर परिपत्र दिनांक 02 जून 2012 – (भारिबैंक / 2012–13 / 79 डीबीओडी.सं. डीआईआर.बीसी.4 / 13.03.00 / 2012–13)		➢ निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना।

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन–अधिनियम, योजना / विनियम तथा भारिबैंक की अधिसूचना सं.बीसी . सं.46 और 47 / 29.39.001 / 2007–08 दिनांक 01.11.2007 एवं बीसी .सं. 95 / 29.39.001 / 2010–11 दिनांक 23.05.2011 से संबंधित अंशों का सार, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में लगाया जाएगा। नामांकन फार्मों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख, यथा जून 12, 2014 के पहले, कंपनी सचिव, इंडियन बैंक को उनके कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष में 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 के पते पर अनुरोध भेजे जाने पर इनके साथ ई–मेल से भी भेजे जाएंगे।

1. निर्वाचन में भागीदारी :

ऐसे शेयरधारक, जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर / हितकारी स्वामियों के रजिस्टर में एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा बही बन्दी की तारीख अर्थात् 23 मई 2014 के पूर्ववर्ती दिन को कारोबार समय की समाप्ति पर दिए गए हैं, वे केन्द्र सरकार को छोड़कर शेयरधारकों में से निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने के पात्र होंगे अर्थात् वे नामित कर सकेंगे, निर्वाचन लड़ सकेंगे और मतदान कर सकेंगे।

2. (ए) बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित योग्यताएँ

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अन्तर्गत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होना चाहता है, उसकी निम्नांकित योग्यताएँ होनी चाहिए –

(ए) निम्नांकित मदों में से एक अथवा अधिक की विशेष जानकारी अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :–

– कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था
– बैंकिंग

	Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	➢ Removal from office of an elected Director ➢ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➢ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended	Regulation 10 Regulation 53 Regulation 55 Regulation 56 Regulation 57 Regulation 58 Regulation 59 Regulation 60 Regulation 61 Regulation 62	➢ Exercise of rights of joint holders ➢ Voting at General Meetings ➢ Directors to be elected at General Meetings ➢ List of Shareholders ➢ Nomination of candidates for election ➢ Scrutiny of nominations ➢ Election disputes ➢ Determination of voting rights ➢ Voting by duly authorized representative ➢ Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	➢ Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 1618312013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Guidelines for Selection of Part-time Non-Official Director dated 01.06.2011.		➢ Guidelines for appointment of Part Time Non Official Directors in Public Sector Banks.
RBI Master Circular dated 2nd June 2012 - (RBI/2012-13/79 DBOD.No. Dir.BC.4/13.03.00/2012-13)		➢ Granting loans and advances to relatives of Directors

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 will be hosted in the Bank's website www.indianbank.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Indian Bank at their Corporate Office at Investor Services Cell, No.254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai – 600 014 on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. June 12, 2014.

1. PARTICIPATION IN ELECTION:

Such of those shareholders whose name appear on the Register of Members / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the cut-off date i.e, on Friday, May 23, 2014 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

2. (a) QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

- agriculture and rural economy
- banking

– सहकारिता
– अर्थशास्त्र
– वित्त
– विधि
– लघु उद्योग
– किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार बैंक के लिए उपयोगी हो।

बी) जो जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व कर सके; अथवा

सी) कृषकों, कामगारों और दस्तकारों के हित का प्रतिनिधित्व कर सके।

(बी) अधिनियम की धारा 9(3एए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार, जो बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसमें ''उचित एवं उपयुक्त'' होने की स्थिति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशक को प्रसंविदा विलेख (डीड ऑफ कोवनेंट) निष्पादित करने चाहिए तथा उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

3. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने में अयोग्यताएँ :–

ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसार कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य कर दिया जाएगा;

(ए) यदि कभी दिवालिया करार दे दिया गया हो अथवा उसने भुगतान रोक दिया हो अथवा उसने अपने लेनदारों के साथ भुगतान में समझौता कर लिया हो; अथवा

(बी) यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और सक्षम न्यायालय ने उसे ऐसा घोषित कर दिया हो; अथवा

(सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया हो, जिसमें नैतिक चरित्रहीनता शामिल हो; अथवा

(डी) बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के खण्ड (ई) तथा (एफ) के अन्तर्गत नामित हुए प्रबन्ध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद सम्भालने के अतिरिक्त, यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा (3) की उप–धारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ के किसी पद पर है, और

बी. यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी की दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना बीसी संख्या. 46 / 29.39.001 / 2007–08 और डीबीओडी सं.47 / 29.39.001 / 2007–08 के अनुसार ''योग्य एवं उपयुक्त'' नहीं पाया जाता है।

4. शेयरधारकों की सूची

संशोधित इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1999 के विनियम 56 की व्यवस्थानुसार शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप अर्थात्, सीडी में) बैंक के प्रधान कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष में सोमवार, दिनांक 02 जून, 2014 से उपलब्ध होगी। यह शेयरधारकों द्वारा चेन्नै में देय इंडियन बैंक के नाम से बने 50,000 / – रुपए (पचास हज़ार रुपए मात्र) के ड्राफ़्ट के माध्यम से खरीदे जाने के लिए है। कथित सूची खरीदना चाहने वाले उम्मीदवार ऐसी वचनबद्धता दें कि सूची का प्रयोग चुनाव हेतु प्रचार के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रकार के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

शेयरधारकों का रजिस्टर सभी कार्य के दिनों (रविवार और बैंक छुट्टी को छोड़कर) और शनिवार को 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निवेशक सेवा कक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 में निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

यदि कोई शेयरधारक चुनिन्दा / आंशिक सूचना की एक प्रति अथवा कम्प्यूटर प्रिंट चाहता है तो उसे उस सूचना की प्रति दी जाएगी। इसके लिए 5 / – रुपए प्रति 1000 शब्द अथवा उसके आंशिक भाग, जिसकी प्रति लेनी है, की दर से पहले भुगतान करना होगा।

5. निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

विनियमन का विनियमन 57 की शर्तों के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी सं.बीसी.सं. 46 / 29.39.001 / 2007–08 दि.01.11.2007 के साथ पठित डीबीओडी सं.बीसी.सं. 95 / 29.39.001 / 2010–11 दि.23.05.2011 और विभिन्न नियमों के अन्य पात्र प्रावधानों की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि

- co-operation
- economics
- finance
- law
- small scale industry
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(B) represents the interest of depositors; or

(C) represents the interest of farmers, workers and artisans

(b) In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank desires to be a Director of the Bank should possess ‘Fit and Proper’ status. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

3. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

B. If he is not found to be ‘fit and proper’ person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

4. List of Shareholders

As provided in Regulation 56 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., (C.D.) will be available at Investor Services Cell at Corporate Office of the Bank from Monday, the June 02, 2014 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only) by Demand Draft in favour of Indian Bank payable at Chennai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Investor Services Cell, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014 on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e, Monday to Friday between 11.a.m. to 4.p.m and on Saturday between 11.00 a.m. to 1.00 p.m.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

5. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 57 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

(ए) वह निर्वाचन में भाग लेने के लिए शुक्रवार 23 मई, 2014 को, जोकि परिकलन के लिए कट– ऑफ तारीख है, कम से कम 100 (एक सौ) शेयर धारित करनेवाले बैंक का शेयरधारक न हो और बैठक की तारीख तक तथा उनके निर्वाचित किये जाने पर अपने पदकाल के अंत तक न्यूनतम 100 (एक सौ) शेयर धारित नहीं करते हो।

(बी) उसे नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 12 जून 2014 को अधिनियम/ योजना/विनियमन/भारिबैंक अधिसूचना के अन्तर्गत निदेशक होने के अयोग्य न ठहरा दिया गया हो।

(सी) नामांकन लिखित रूप में तथा अधिनियम के अन्तर्गत निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए अधिकृत कम से कम सौ शेयरधारकों द्वारा अथवा उनके विधिवत् नियुक्त अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, बशर्ते कि शेयरधारक जो एक कम्पनी है, का नामांकन कथित कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए और जहाँ ऐसा किया जाता है, वहाँ उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित संकल्प की सत्य प्रति के साथ बैंक के कार्पोरेट कार्यालय के महा प्रबंधक (टीएमडी / पी एवं डी), कार्पोरेट कार्यालय, 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 के पते पर भेज दिया जाए और ऐसी प्रति इस प्रकार की कम्पनी की तरफ से नामांकन मानी जाएगी।

(डी) नामांकन के साथ एक घोषणा होती है, जिसे उम्मीदवार किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा आश्वासनों के सब–रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करता/करती है कि वह नामांकन स्वीकार करता/करती है और निर्वाचन के लिए खड़े होने के इच्छुक है और यह कि उसे अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियमों के अन्तर्गत निदेशक बनने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। साथ में उसका विधिवत् हस्ताक्षरित निजी विवरण (बायोडाटा) होता है, जिसमें यह पुष्टि की जाती है कि ऐसे विवरण उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और यह भी वचन देना होता है कि ऐसी घटनाओं की पूर्ण जानकारी, जो घोषणा के पश्चात् सूचना से सम्बन्धित हैं, यथाशीघ्र बैंक को देगा/देंगी।

(ई) नामांकन फॉर्म और घोषणा फॉर्म विनियमन द्वारा निर्धारित और अनुलग्नक प्रारूप के अनुसार है (प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में भी उपलब्ध है)

(एफ) वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना सं. डीबीओडी.सं.बीसीएनओ.46/29.39.001/2007–08 के अन्तर्गत निदेशक होने के अयोग्य न ठहराया गया हो।

6. नामांकन फार्मों का प्रस्तुतीकरण

बैंक के निदेशक पद के लिए चुनाव लडना चाहने वाले शेयरधारक जो केन्द्रीय सरकार से अन्य शेयरधारक है, निम्नलिखित को प्रस्तुत करें :

ए) विधिवत भरा गया घोषणा प्रपत्र।

बी) चुनाव में भाग लेने के लिए हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन।

सी) वैयक्तिक सूचना, घोषणा और वचनबद्धता जिसके साथ संबंधित प्रलेख, प्रशंसापत्र अर्थात् बायो–डाटा, शैक्षित योजनाएं, अनुभव आदि के लिए प्रमाणपत्र संलग्न किये गये हों।

उपर्युक्त सभी प्रलेख नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में हो और वार्षिक आम बैठक के लिए नियत तारीख के चौदह दिन पहले, अर्थात् गुरुवार 12 जून, 2014 को अपराह्न 2.00 बजे या उसके पहले किसी कार्य दिवस को, सील बंद लिफाफे में महा प्रबंधक (टीएमडी / पी एवं डी), इंडियन बैंक, कापार्रेट कार्यालय, 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 के पास पहुंचाये जाएं।

कथित नामांकन फार्म और अन्य प्रलेख सभी पहलुओं में पूर्ण हों वरना नामांकन को अस्वीकार किया जा सकता है।

7. नामांकनों की जांच और निदेशकों का निर्वाचन :

(i) नामांकनों के प्राप्त होने की नियत तारीख़ के पश्चात् पहले कार्य दिवस अर्थात्, 13 जून 2014 को नामांकनों की जाँच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करते हुए उसे रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2007 को जारी किए गए ''योग्य एवं उपयुक्त'' होने के अनुदेशों तथा 01.06.2011 को या समय–समय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में गैर सरकारी निदेशकों के नामांकन हेतु सामान्य नीति के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति भी नामांकनों की जांच करेगी।

(a) He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, the May 23, 2014 being the cut-off date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

(b) As on Thursday, June 12, 2014, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulation / RBI Notifications.

(c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Corporate Office of the Bank addressed to the General Manager (TMD/P&D), Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai – 600 014 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

(d) The nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

(e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.indianbank.in)

(f) He / She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 and Notification No.DBOD No.BCNO.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of India, from being a director.

6. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.

in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope to the General Manager (TMD/P&D), Indian Bank, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah Chennai- 600 014 on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before 2.00 p.m., on Thursday, the June 12, 2014.

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

7. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

(i) Nominations shall be scrutinized on Friday, the June 13, 2014 the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.

(ii) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated November 01, 2007 issued by the Reserve Bank of India as well as the General Policies for nomination of Non Official Directors in Banks and Financial Institutions as issued by Ministry of Finance, Government of India on 01.06.2011 or from time to time.

(iii) यदि निर्वाचन के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों के लिए मात्र दो वैध नामांकन हैं तो नामित हुए ऐसे उम्मीदवारों को उसी समय निर्वाचित हुआ मान लिया जाएगा और उसके नाम तथा पते इस प्रकार निर्वाचित हुए के रूप में प्रकाशित कर दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में कार्यसूची की मद सं.3 को वार्षिक आम बैठक में नहीं लिया जाएगा। नए विर्वाचित हुए निदेशक 01 जुलाई 2014 से कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(iv) निर्वाचन होने की स्थिति में यदि वैध नामांकनों की संख्या दो से अधिक है तो निर्वाचन में अधिक मत प्राप्त करनेवाले उम्मीदवारों को निर्वाचित हुआ मान लिया जाएगा और उनके नाम समाचारपत्रों में प्रकाशित कर दिए जाएँगे।

8. 27, जून 2014 को पोल की प्रक्रिया

निदेशकों की पद के लिए निर्वाचन में मतदान पोल द्वारा गुप्त बैलट के माध्यम से ही किया जाएगा। इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा किये जाते ही बैलट पेपर को जारी करना शुरू होगा और यह अपराह्न 1.30 बजे तक जारी रहेगा। पंजीकरण के समय शेयरधारक / प्राक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि के लिए इस प्रयोजनार्थ लगाये गए काउंटरों में बैलट पेपर–पास को सुपुर्द करने पर बैलट पेपर जारी किया जाएगा। वोटों की संख्या, 23 मई, 2014 को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के समनुरूप होगी।

शेयरधारक बैलट पेपर में अपने विकल्प के उम्मीदवार के नाम के सामने रबड की मोहर (X) लगाते हुए उन्हें बैलट बाक्स में जमा कर दें।

इसके पश्चात मतों की गणना की जाएगी और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी।

निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो इस प्रयोजनार्थ बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदाता है और इसका पर्यवेक्षण, केन्द्रीय सरकार के एक नामिती द्वारा जाएगा जो अब्सर्वर की भूमिका भी निभाएंगे।

9. नामांकन वापस लिया जाना :

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह गुरुवार दिनांक 26 जून 2014 को बैंक के बन्द होने के समय के पहले अर्थात् 5.00 बजे के पहले, किसी भी समय पत्र या फैक्स भेजकर ऐसा कर सकता है।

10. विवाद

किसी विवाद का निपटान इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1999 के विनियम 59 के अनुसार किया जाएगा।

11. सार

शेयरधारकों के लाभ के लिए लागू अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना के संगत अंशों का सार संलग्न है।

12. निदेशकों का स्वत्व

बैंक के निदेशकों को अपनी शेयरधारिता की सीमा तक और ऐसे निदेशकों को जो अपने नामांकन दाखिल करते हैं, उपर्युक्त कारोबार की मदों में सम्बद्ध अथवा हितबद्ध माना जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से

स्थान : चेन्नै
दिनांक : मई 23, 2014

टी एम भसीन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(iii) If there are only two valid nominations for the vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event the Agenda Item No.3 would not be taken up at the Annual General Meeting. The newly elected directors will assume office on July 01, 2014.

(iv) In the event of an election being held, if valid nominations are more than two the candidates polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and their name will be published in newspapers.

8. POLL PROCESS on June 27, 2014

The Voting for election of directors shall be done by Poll by means of secret Ballot only.

The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman & Managing Director and continue upto 1.30 p.m. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/ Proxy holders/ authorized representatives on surrender of Ballot Paper pass issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on May 23, 2014.

Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the name of the candidate of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The counting of votes would be taken up thereafter and result will be announced by the Chairman & Managing Director.

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

9. Withdrawal of Nominations

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so by sending a letter or fax at any time prior to closing hours of the Bank i.e.5.00 p.m., on Thursday, the June 26, 2014.

10. Disputes:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 59 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999.

11. Extracts:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification are annexed for the benefit of the shareholders.

12. Interest of Directors:

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By Order of the Board of Directors

Place: Chennai
Date : May 23, 2014.

(T M Bhasin)
Chairman and Managing Director

निदेशकों का निर्वाचन – संबंधित अधिनियमों, योजना तथा विनियमों आदि के उद्धरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2 बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी की मात्रा के आधार पर शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति करनी होगी।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 तथा इंडियन बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 1999 के संबंधित विनियमों को शेयरधारकों के सूचनार्थ नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों का निषेध – खंड 16(1)

भारत में कोई भी बैंकिंग कंपनी ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक मंडल में नहीं ले सकती जो किसी अन्य बैंक में निदेशक हो।

ऋण और अग्रिम पर प्रतिबंध – खंड 20

1) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी, बैंकिंग कंपनी

(ए) अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी अथवा

(बी) निम्नलिखित को या उसकी ओर से, न तो किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम प्रदान करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी –

(i) अपने किसी निदेशक

(ii) किसी भी फर्म जिसमें कोई निदेशक, साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हित रखता हो, या

(iii) कोई ऐसी कंपनी जो बैंकिंग की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो जिसमें या जिसकी अनुषंगी या जिसकी धारक कंपनी में बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधन अभिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो या जिसमें यह पर्याप्त रूप में हितबद्ध हो, अथवा

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटीकर्ता के रूप में हितबद्ध हो।

2) अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था, उस तिथि को उपधारा(1) के खंड(बी) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम,1968 (1968 का 58) के आरंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित की गई हो वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किए जाने चाहिए। शर्त है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा जिन्हें रिज़र्व बैंक उचित समझे।

यह भी शर्त है कि यह उपधारा संबंधित निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होगी।

3) उप धारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भेजा नहीं जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य एवं अप्रभावी होगा।

4) जहां उप धारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को चुकौती न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को बैंकिंग कंपनी का निदेशक होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया हो।

ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of Common Directors – Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances – Section 20

1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall –

   (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or

   (b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of –

   (i) any of its Directors

   (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or

   (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or

   (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :

   Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

व्याख्या–इस धारा में

(ए) ''ऋण या अग्रिम'' में कोई भी ऐसा लेन–देन शामिल नहीं होगा जिसे रिजर्व बैंक लेन–देन के स्वरूप, उक्त लेन–देन के कारण देय होनेवाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिसंपत्तियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सकें।

(बी) ''निदेशक'' से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मंडल या समिति का सदस्य।

5) अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के प्रयोजन से कोई लेन–देन ऋण है या अग्रिम है, तो मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और इस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

2. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

मतदान अधिकार पर प्रतिबंघ

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 ई) की शर्तों में तदनुरूपी नये बैंक के कोई शेयरधारक जो केन्द्रीय सरकार से अन्य हो, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक धारित करता हो, इस संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

धारा 9(3) (i) : धारा 3 की उपधारा (2 ख) के खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी की गई पूंजी :

(i) कुल प्रदत्त पूंजी के 16 प्रतिशत से अधिक नहीं, एक निदेशक

(ii) कुल प्रदत्त पूंजी के 16 प्रतिशत से अधिक किंतु 32 प्रतिशत से अधिक नहीं, दो निदेशक

(iii) कुल प्रदत्त पूंजी के 32 प्रतिशत से अधिक, तो केन्द्रीय सरकार के अलावा, अन्य शेयरधारकों को अपने में से, तीन निदेशकों का निर्वाचन करना है।

केन्द्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों में से निर्वाचन करना होगा।

बशर्ते कि इस खण्ड के अधीन ऐसे किसी निदेशक के निर्वाचन के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर इस योजना में विशिष्ट रूप से दिए गए अनुसार खण्ड (एच) के अंतर्गत नामांकित निदेशकों की समसंख्या में निवृत्त होना चाहिए।

बशर्ते कि आगे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम एवं वित्तीय संस्था कानून (संशोधन अधिनियम 2006) के आरंभ होने पर या उसके पहले तदनुरूपी किसी नये बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या के मामले में उपखंड 1 या उपखंड 2 या उपखंड 3 में निर्दिष्ट निर्वाचित निदेशकों की संख्या से अधिक हो, यथास्थिति निदेशकों की ऐसी अधिक संख्या, जो ऐसे आरंभ के पहले निर्वाचित किए गए, ऐसी रीति में सेवानिवृत्त होंगे जैसा कि योजना में निर्दिष्ट की जाएगी और ऐसे निदेशक अपनी कार्यावधि के अवधिपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

9 (3 ए) खण्ड के अधीन निर्वाचित निदेशक को (i)

(ए) निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो :

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
बैंकिंग
सहकारिता
अर्थशास्त्र
वित्त
विधि
लघु उद्योग
किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में नये बैंक के लिए उपयोगी हो।

(बी) निवेशकों के हित का प्रतिनिधित्व करता हैं या

(सी) कृषकों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता है।

Explanation in this Section –

(a) “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;

(b) “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

2. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights

3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors

9(3)(i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

(i) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director

(ii) more than sixteen per cent of the total paid up capital, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.

(iii) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors

to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) shall –

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely -

- agriculture and rural economy
- Banking
- Co-operation
- Economics
- Finance
- Law
- Small scale industry
- Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank be useful to the corresponding new Bank.

(B) represents the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless

9(3एए) उप धारा 3 (ए) के प्रावधान के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम या अन्य कानून जो अभी प्रचलित हो, इसके विरूद्ध किसी बात के होते हुए भी उप धारा 3 खंड (i) के तहत कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक वह अपने पिछला रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंड जोकि रिजर्व बैंक इस संबंध में समय समय पर अधिसूचित करता हो, के आधार पर योग्य एवं उचित हैसियत का व्यक्ति न हो।

9(3एबी) उप धारा 3(एए) के तहत जारी की गई अधिसूचना में, रिजर्व बैंक, यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि, ''उचित व योग्य'' हैसियत निर्धारित करने वाला प्राधिकारी कौन है, यह निर्धारण कैसा किया जाएगा, निर्धारण के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाएगी और अन्य मामले जो आवश्यक या प्रासंगिक माने जाएँगे।

9(3बी) जहां रिजर्व बैंक का यह मत हो कि तदनुरूपी नये बैंक के कोई निदेशक जो उपधारा 3 के खंड (i) के तहत निर्वाचित हो, उप धारा (3ए) उप धारा 3 (एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो, ऐसे निदेशक और बैंक को उनकी सुनवाई के लिए समुचित अवसर देने के बाद आदेश के जरिए ऐसे निदेशक को हटा सकता है और ऐसे हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप धारा (3ए) उप धारा 3 (एए) की अपेक्षा को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में तब तक सहयोजित करेगा जब तक तदनुरूपी नये बैंक के शेयरधारकों द्वारा अगली वार्षिक सामान्य बैठक में सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को तदनुरूपी नये बैंक के शेयरधारकों द्वारा सम्यक रूप से निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया माना जाता है।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व

धारा 13 (2) : प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या समनुरूपी नये बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेंगे।

3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970

निर्वाचित निदेशक के पद की शर्तें

खंड 9 (4)

निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और पुनर्निवाचित होने के लिए भी पात्र होगा।

बशर्ते कि ऐसा निदेशक नियमित रूप से अपने कार्यालय में 6 वर्ष से अधिक अवधि तक अपने पद पर बना नहीं रह सकेगा।

निदेशकों की अनर्हता

खंड 10

निम्नलिखित तरह के व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित और निदेशक बनने के अयोग्य है :

(ए) यदि उसे कभी भी दिवालिया घोषित किया गया है अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया है अथवा अपने ऋणदाता से समझौता किया है, अथवा

(बी) यदि उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया है और सक्षम न्यायालय ने उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में घोषित किया है, अथवा

(सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने आपराधिक सजा सुनायी है अथवा उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो अथवा

(डी) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायक बैंक में लाभ का पद धारित करता है किंतु अपवादस्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (ई) व (एफ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

निदेशक के पद का रिक्त होना

खंड 11

1. यदि कोई निदेशक धारा 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अनर्हताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित हो तो उसके बारे में यह समझ जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।

2. अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) खण्ड (बी) या खण्ड (सी) में संदर्भित अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक अथवा निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप से सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि यह पद रिक्त हो गया है, और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा।

he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

3. THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director

Clause 9 (4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors

Clause 10

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

(a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or

(b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude

(d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors

Clause 11

1. If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

3. उपर्युक्त उपखण्डों के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ई) या (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद, उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसका वह निदेशक है, के कर्मचारी, के अलावा कामगार या कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्ति होते ही रिक्त हो जाएगा।

4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा, निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

खण्ड 11 ए :

सरकार को छोडकर अन्य शेयरधारक, ऐसे सभी शेयधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी का आधे से कम नहीं पडनेवाला भाग धारित करने वाले शेयरधारकों के बहुमत से संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा(3) के, खण्ड(1) के तहत निर्वाचित निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना

खण्ड 11 बी :

(1) जहाँ किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी बशर्तें कि जहाँ रिक्ति की अवधि छः महीने से कम होने की संभावना है, वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है।

(2) उप खण्ड(1) के अंतर्गत यथास्थिति निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यालय की शेष अवधि के लिए पदग्रहण करेगा।

निदेशकों द्वारा हितों की घोषणा :

खण्ड 12 (8)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तवित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध या हित रखनेवाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस उपखण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह –

(i) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का I) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में जिसके साथ या जिसमें उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत धारित करनेवाला शेयरघारक (निदेशक के अलावा) है, या

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी यदि इस अधिनियम की उपधारा (3) के खण्ड (ई) या (एफ) के तहत निदेशक हो।

iv. इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999

संयुक्त धारकों के हकों का प्रयोग

विनियम 10 :

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में होता है, तो जहाँ तक मतदान, लाभांश की प्राप्ति, नोटिसों को तामिल करना और इंडियन बैंक से संबंधित सभी या कोई अन्य मामलों का संबंध है, रजिस्टर में जिस शेयरधारक का नाम प्रथम स्थान पर है, उसे ही उन शेयरों का एकल धारक माना जाएगा। इसके लिए अपवाद केवल शेयरों का अंतरण होगा।

आम बैठक में चुने जानेवाले निदेशक

विनियम 55

(i) धारा 9 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन निदेशक का चुनाव, रजिस्टर में केन्द्र सरकार से अन्य जो शेयरधारक हैं, उनके द्वारा व उन्हीं में से किसी का इंडियन बैंक की आम बैठक में किया जाएगा।

3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.

4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A :

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director

Clause 11B

(1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election. Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors

(2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8)

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

(i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or

(ii) an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

IV. INDIAN BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 1999

Exercise of rights of joint holders

Regulation 10 :

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Indian Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meeting

Regulation 55

(i) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of Indian Bank.

(ii) जहाँ किसी आम बैठक में किसी निदेशक का चुनाव करना है, तो उसकी नोटिस बैठक बुलानेवाली नोटिस में शामिल की जानी चाहिए। ऐसी हर नोटिस में इस बात को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि कितने निदेशक चुने जाते हैं और रिक्तियों के ब्यौरे भी दिए जाने चाहिए जिसके लिए चुनाव आयोजित किया गया है।

शेयरधारकों की सूची

विनियम 56

(i) इन विनियमों के विनियम 55 के उप–विनियम (i) के अधीन निदेशक के चुनाव के उद्देश्य हेतु, उन शेयरधारकों की, जिनके द्वारा निदेशक चुना जाता है, एक सूची बनाई जाएगी।

(ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते उनके द्वाराधारित शेयरों की संख्या एवं शेयरों के क्रमांक, साथ ही शेयरों की पंजीकृत करने की तारीखें और उस बैठक की तारीख जिस दिन चुनाव होना है तारीखें और जिस बैठक में चुनाव होने जा रहा है, उस बैठक के लिए तय तारीख पर वे जितने मतों के हकदार हैं उन मतों की संख्या अंतर्विष्ट होनी चाहिए और प्रधान कार्यालय को आवेदन करने पर बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा तय की जानेवाली कीमत पर सूची की कापियाँ बैठक की तारीख से कम से कम 3 सप्ताह पहले खरीद के लिए उपलब्ध होगी।

चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन :

विनियम 57 :

(i) निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब,

(ए) वह इंडियन बैंक के न्यूनतम 100 शेयरों का धारक है।

(बी) वह नामांकन की प्राप्ति की आखिरी तारीख को अधिनियम के अधीन या योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अनर्ह नहीं हो।

(सी) उसने बैंक के जितने शेयर धारण किए हैं, उनके संबंध में की गई सभी माँगों का भुगतान किया हो, चाहे उन्हें उसे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारण क्यों न किया हो, तथा यह भुगतान की माँग की पूर्ति के लिए तय तारीख तक किया हो।

(डी) यह नामांकन लिखित होना चाहिए और अधिनियम के अधीन निदेशकों के चुनाव के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके द्वारा विधिवत नियत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, परंतु यदि यह नामांकन ऐसे शेयरधारक द्वारा किया जाता है जो एक कंपनी है, तो ऐसा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए और जहाँ ऐसे किया जाता है, वहाँ उस बैठक के, जिसमें यह संकल्प पारित किया जाता है, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित उस संकल्प की सही प्रति इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाना चाहिए।

(ई) नामांकन में/के साथ उम्मीदवार की घोषणा अंतर्विष्ट / संलग्न होनी चाहिए जो उम्मीदवार द्वारा किसी जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित हो, घोषणा यह हो कि वह नामांकन स्वीकारता है और चुनाव के लिए खड़ा होने का इच्छुक है, और यह भी कि उसे या तो अधिनियम या योजना या इन विनियमों के अधीन निदेशक बनने के लिए अपात्र न किया गया हो।

(ii) यह नामांकन तभी वैध होगा, जब वह सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुआ हो और सभी बातों में पूर्ण हो और जो बैठक के लिए तय तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय में पहुँचा हो।

नामांकन की संवीक्षा :

विनियम 58 :

(i) नामांकन की प्राप्ति के लिए तय तारीख के बाद के प्रथम कार्य दिवस को नामांकनों की संवीक्षा की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसे अस्वीकृति का कारण रिकॉर्ड करते हुए नकारा जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरी जानेवाली किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन होता है, तो ऐसे नामांकित उम्मीदवार को उसी समय निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता उस तरह निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे प्रसंग में, चुनाव के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि वह बैठक केवल उपरोक्त चुनाव के उद्देश्य से बुलाई गशी थी, तब वह निरस्त होगा।

(ii) चुनाव किए जाने के प्रसंग में, यदि चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या से वैध नामांकनों की संख्या अधिक है, जिस उम्मीदवार के लिए बहुमत प्राप्त होता है, उसे निर्वाचित माना जाएगा।

(iii) विद्यमान रिक्ति के लिए निर्वाचित निदेशक कार्यभार ग्रहण किया गया माना जाएगा जिस तारीख को निर्वाचित होता है या जिस तारीख को निर्वाचित माना जाता है, उस तारीख के ठीक बाद की तारीख को उसने कार्यभार ग्रहण किया माना जाएगा।

(ii) Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 56

(i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 55 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.

(ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election:

Regulation 57:

(i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,

(a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Indian Bank

(b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.

(c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

(d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Indian Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

(e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Indian Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations:

Regulation 58:

(i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

(ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

चुनाव विवाद :

विनियम 59 :

(i) निर्वाचित माने गए निर्वाचित घोषित व्यक्ति के पात्र या अपात्र होने के संबंध में या निदेशक की चुनाव की वैधता के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होगा, तो उम्मीदवार बनने का इच्छुक व्यक्ति या ऐसे चुनाव में मत देने का हकदार शेयरधारक, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख के सात दिनों के भीतर इंडियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को उसकी लिखित सूचना देगा और उक्त सूचना में उन आधारों के पूरे ब्यौरे देगा, जिनके कारण वह चुनाव की वैधता पर संदेह करता है या विवाद करता है।

(ii) उप–विनियम (i) के अधीन सूचना की प्राप्ति के बाद, इंडियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को उसी समय निर्णय के लिए उप समति के समक्ष, प्रस्तुत करेंगे जिसके सदस्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के खंड (बी) और (सी) के अधीन नामित कोई दो निदेशक होंगे।

(iii) उप–विनियम (ii) में संदर्भित समिति आवश्यक महसूस की गई पूछताछ करेगी और यदि वह पाती है कि किया गया चुनाव वैध चुनाव है, तो वह चुनाव के घोषित परिणामों की पुष्टि करेगी और यदि वह पाती है कि यह चुनाव वैध चुनाव नहीं था, तो वह पूछताछ के प्रारंभ से तीस दिनों के भीतर ऐसे आदेश और निदेश देगी जिसमें समिति को न्यायोचित लगनेवाली परिस्थितियों में नये चुनाव आयोजित करना अंतर्विष्ट होगा।

(iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति का आदेश या निदेश निर्णायक होगा।

शेयरधारकों का मतदान हक :

मतदान हकों का निर्धारण :

विनियम 60 :

(i) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन, आम बैठक की तारीख के पहले रजिस्टर को बंद करने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हरेक शेयरधारक, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर दिये जानेवाले एक मत का हकदार होगा और यदि मतदान होता है तो उसे अपने द्वारा धारित हर शेयर के लिए एक मत का हकदार होगा।

(ii) अधिनियम की धारा (2 ई) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन, उपरोक्त प्रकार से मतदान करने के लिए हकदार प्रत्येक शेयरधारक जोकि कंपनी नहीं है, व्यक्तिशः या प्रॉक्सी के ज़रिए उपस्थित है अथवा यदि वह कंपनी है तो उसने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थिति दर्ज की है, तो वह हाथ उठाकर एक मत डालने का हकदार है और यदि चुनाव है तो वह अपने द्वारा धारित हरेक शेयर के लिए एक मत का हकदार है, जैसा कि यहाँ ऊपर उप–विनियम (i) में बताया गया है।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के लिए, ''कंपनी'' का अर्थ है निकाय कार्पोरेट

(iii) आम बैंठक में उपस्थित होने और मत देने के हकदार बैंक के शेयरधारक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह शेयरधारक हो या न हो) प्रॉक्सी के रूप में बैठक में उपस्थित रहने या मत देने हेतु नियुक्त कर सकता है लेकिन ऐसे नियुक्त व्यक्ति को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान :

विनियम 61 :

(i) केन्द्र सरकार या कंपनी रहनेवाला शेयरधारक, संकल्प के द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की आम बैठक में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में '' विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि'' के रूप में संदर्भित) केन्द्र सरकार या कंपनी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, की ओर से उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जोकि उसे इंडियन बैंक के व्यक्तिगत शेयरधारक रहने पर मिलती। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों को दिया जा सकता है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केन्द्र सरकार / कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में इंडियन बैंक के शेयरधारक की बैठक में तभी उपस्थित रहेगा या मतदान करेगा जब उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रतिलिपि, जिसे उस बैठक, जिसमें यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा ''सही प्रति'' के रूप में प्रमाणित किया गया हो, उस बैठक की तय तारीख के चार दिन पूर्व इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की गयी हो।

Election disputes:

Regulation 59:

(i) if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Indian Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Indian Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

(iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders:

Determination of voting rights:

Regulation 60:

(i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation – for this chapter, “Company” means any body corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative:

Regulation 61:

(i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a “duly authorized representatives” in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of Indian Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Indian Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

भारतीय रिज़र्व बैंक के ठीक और उचित मानदंड संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंकिंग कंपनी (अर्जन एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9 की उप–धारा (3 ए ए) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01 नवंबर, 2007 की अधिसूचना डीबीओडी बीसी सं.46 / 29.39.001 / 2007–08 जारी की है, जिसमें बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अधीन बैंकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति के ''ठीक एवं उचित'' होने संबंधी पूरा किये जानेवाले विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

इन दिशानिर्देशों के प्रमुख वैशिष्ट्य

1 ''ठीक एवं उचित'' हैसियत का निर्णय करने के लिए प्राधिकार, पद्धति / क्रियाविधि तथा मानदंड निम्नानुसार है :

(ए) प्राधिकार :

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशकों की (सभी स्वतंत्र / गैर–कार्यपालक निदेशक) एक ''नामांकन समिति'' गठित करना आवश्यक है। निदेशक मंडल उनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में नामित करना चाहिए। बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष सहित, कम से कम तीन होनी चाहिए। पहले से नामित किसी निदेशक की अनुपस्थिति की स्थिति में, निदेशक मंडल आगामी बैठक में उसके स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को नामित कर सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय, बोर्ड उसकी अवधि भी तय कर सकता है।

(बी) पद्धति एवं क्रियाविधि

अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त किये जानेवाले व्यक्ति / विद्यमान निर्वाचित निदेशकों के ''ठीक एवं उचित'' हैसियत निर्धारित करने के लिए नामांकन समिति को उचित अध्यवसाय वाली प्रक्रिया का अवलंब करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, बैंकों को विद्यमान निर्वाचित निदेशकों से / चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करनेवाले व्यक्तियों से निर्धारित फार्मेट में आवश्यक सूचना और घोषणा प्राप्त करनी चाहिए। नामांकन समिति को चुनाव किए जानेवाले उम्मीदवार के मामले में नामांकन की स्वीकृति की अंतिम तारीख से पहले समिति की बैठक बुलानी चाहिए ओर तय करना चाहिए कि उस व्यक्ति की उम्मीदवारी को नीचे दिए गए मापदंडों के आधार पर स्वीकृत किया जाना चाहिए या नहीं। समिति की चर्चा को बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित रूप से रिकॅार्ड किया जाना चाहिए और यदि मतदान किया गया हो तो विद्यमान और प्रस्तावित दोनों निदेशकों के मामले में उसे नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई जानकारी के आधार पर, नामांकन समिति को उसी उम्मीदवार की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में निर्णय लेना चाहिए और जहाँ जरूरी हो उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निदर्शित आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, सूचना मांगनी चाहिए।

(सी) मानदंड

नामांकन समिति को विद्यमान निर्वाचित निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों की ''ठीक एवं उचित'' हैसियत निम्नलिखित स्थूल मानदंडों के आधार पर तय करनी चाहिए :

(i) शैक्षिक अर्हता

(ii) अनुभव एवं विशेष

(iii) ट्रैक रिकॅार्ड और सत्यनिष्ठा

नामांकन समिति को यह देखना चाहिए कि क्या उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड के गैर–अनुपालन के कारण विद्यमान निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड पर निदेशक के रूप में कर्तव्य निभाने में बाधा आएगी। आगे, उम्मीदवार के किसी प्राधिकरण के / विनियामक एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस में आने के कारण या दिवालियापन या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के ऋण की चुकौती में चूक के कारण उसका बैंक के बोर्ड पर निदेशक होना गलत और अनुचित होगा।

(डी) अन्य मामले

यह वांछनीय है कि जनहित की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्वाचित निदेशक प्रसंविदा विलेख निष्पादित करता है और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को नवीकृत करता है (जैसा कि डॅा गांगुली समूह, भारतीय रिज़र्व बैंक के 20 जून 2002 के परिपत्र संख्या डीबीओडी सं.बीसी 116 / 08.139.001 / 2001–02 द्वारा सिफारिश की गई है।

यह भी अनिवार्य है कि सभी निर्वाचित निदेशक हर वर्ष 31 मार्च एक सामान्य घोषणा प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने जो सूचना पहले से प्रस्तुत की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसके आवश्यक ब्यौरे निदेशकों द्वारा तत्काल प्रस्तुत किए गए हैं और यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं तो नामांकन

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI) , in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01,2007 laying down specific " Fit and Proper " Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE GUIDELINES

1. The Authority , Manner/ Procedure and Criteria for deciding the " Fit and Proper " status etc., are as under :

(a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

(b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the prescribed format, from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

(c) Criteria

The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) Educational qualification

(ii) Experience and field of expertise

(iii) Track record and integrity

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank

(d) Other matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr.Ganguly Group vide RBI circular DBOD.No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

समिति को फिर से उचित अध्यवसाय की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए और निदेशक के ''ठीक एवं उचित'' हैसियत की पुनः जाँच करनी चाहिए।

अंशकालीक गैर–सरकारी निदेशक के चुनाव संबंधी दिशानिर्देश

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / वित्तीय संस्थाओं आदि के बोर्ड में अंश–कालिक गैर–सरकारी निदेशकों के नामांकन के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाएँ जाने चाहिए :

सामान्य

1. संगत अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर नामांकन किए जाने चाहिए।

2. नामितियों की उपयुक्तता का निर्धारण उनकी औपचारिक अर्हता, विशेषज्ञता, ट्रेक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा आदि के आधार पर किया जाना चाहिए। सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता का निर्धारण उनके आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋण की चुकौती के लिए की गई नागरी कार्रवाई, किसी वृत्तिक निकायों में प्रवेश की मनाही या उससे निष्कासन, विनियामकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध या पूर्ववर्ती संदेहास्पद व्यवसाय व्यवहार आदि के आधार पर किया जाना चाहिए।

3. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारीता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, विधि, विपणन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षिक प्रशिक्षण या उन क्षेत्रों का व्यावहारिक अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों पर सामान्यतः विचार किया जाएगा।

4. जहाँ तक संभव हो, महिलाओं और अज/अजजा समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए।

शिक्षा

1. नामित निदेशक कम से कम स्नातक हो।

2. कृषकों, जमाकर्ताओं और दस्तकारों के संबंध में एसीसी के अनुमोदन से शैक्षिक अर्हता में छूट दी जा सकती है।

आयु :

1. नियुक्ति बोर्ड द्वारा सिफारिश की तारीख पर निदेशक की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे अधिक छूट वांछनीय नहीं है। तथापि ऊपरी आयु सीमा में केवल एसीसी के अनुमोदन से और मंत्रालय द्वारा रिकॉर्ड किए गए कारणों से छूट देनी चाहिए। (इस चुनाव की स्थिति में बोर्ड की नामांकन समिति को अपने विवेकानुसार आयु सीमा में छूट देने की शक्तियाँ दी गयी हैं)

कार्य अनुभव

1. व्यावसायिकों / शिक्षाविदों को अपने विशिष्ट क्षेत्र का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

अयोग्यता

1. किसी बैंक / वित्तीय संस्थान में, किसी भी संवर्ग में जो पहले से निदेशक है, किसी दूसरे बैंक / वित्तीय संस्थान में गैर सरकारी निदेशक के रूप में उनके नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. भाड़ाक्रय, वित्तीयन, निवेश, पट्टा और अन्य पैरा–बैंकिंग क्रियाकलापों से जुडे व्यक्ति, सांसद, विधायक, पार्षद और स्टॉक ब्रोकर बैंकों / वित्तीय संस्थानों के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएँगे।

3. किसी बैंक के / वित्तीय संस्थान के बोर्ड पर विगत में किसी संवर्ग में दो पदावधियों या छह वर्षों, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक रह चुके व्यक्ति को उस बैंक / वित्तीय संस्थान के बोर्ड पर गैर–सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित नहीं किया जा सकता।

4. कोई गैर सरकारी निदेशक यदि किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान के बोर्ड में छह वर्ष के लिए, सतत रूप से या खंडित रूप से गैर–सरकारी निदेशक / शेयरधारक निदेशक रह चुके हैं, बैंक / वित्तीय संस्थान के बोर्ड पर निदेशक के रूप में उनके नामांकन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। (गैर सरकारी निदेशकों के लिए लागू छह वर्ष के लिए दो अवधियों का सामान्य नियम चार्टर्ड एकाउंटेंट संवर्ग के अधीन नियुक्त निदेशकों के लिए भी लागू होगा)।

व्यावसायिक निर्बंध

1. गैर सरकारी निदेशक को बैंक / वित्तीय संस्थान से निदेशक का पद छोडने के बाद दो वर्ष तक बैंक / वित्तीय संस्थान का कोई काम स्वीकारना नहीं चाहिए / आबंटित नहीं किया जाना चाहिए।

2. किसी बैंक के गैर सरकारी निदेशक के पद पर रहते हुए ऐसा निदेशक अपनी पदावधि में उस सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में कोई व्यवसायिक कार्य हाथ में नहीं लेगा (सांविधिक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा, विधिक रिश्ता या वकील के रूप में पैनल में रहना आदि)

3. भारतीय स्टेट बैंक के मामले में, ऐसे प्रतिबंध सहयोगी बैंकों के लिए भी लागू होंगे।

   तथापि, किसी अन्य बैंक / बीमा कंपनी के मामले में फर्म को नियुक्ति की अनुमति देनी चाहिए, परंतु गैर–सरकारी निदेशक फर्म के व्यवसाय के ऐसे अंग को स्वीकार करने से परहेज करेगा, जहाँ हितों का विरोध होने की संभावना है।

4. यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक से जिनमें सहकारी बैंक भी शामिल हैं, व्यावसायिक संबंध रखता है और उसे किसी बैंक के बोर्ड पर नामित करने के लिए चुना गया है तो उसे ऐसी नियुक्ति से पहले उस बैंक से अपने संबंध तोडने होंगे।

5. व्यावसायिकों को उन सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के बोर्ड पर नामित नहीं किया जाएगा, जिनके साथ उनके नामांकन के पूर्व 3 वर्षों के दौरान व्यावसायिक संबंध रहे थे।

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR

The following criteria may be adopted for nomination of part-time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

GENERAL

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.
3. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, law, marketing, industry and IT will ordinarily be considered.
4. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

EDUCATION

1. An NOD should at least be a graduate
2. Educational qualifications may be relaxed with the approval of ACC in case of farmers, depositors and artisans.

AGE

1. The age of the Director, on the date of recommendation by Appointments Board, should be between 35 years and 65 years. No further relaxation is desirable. However, the upper age limit may be relaxed only with the approval of the ACC and for reasons to be recorded by the Ministry. (In the case of this Election the Nomination Committee of the Board is empowered to relax the age limit at their discretion)

WORK EXPERIENCE

1. Professionals/academicians should ordinarily have 10 years of work experience in the particular field.

DISQUALIFICATION

1. A director already on a Bank/FI, under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI.
2. Persons connected with hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs.
3. No person may be re- nominated as a NOD on the Board of a Bank/ FI on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
4. An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI if such Director has already been a NOD / shareholder-Director on the board of any other Bank/FI for six years, whether continuously or intermittently. [The general rule of two terms for six years for Non-Official Directors should apply to the Directors appointed under CA Category also].

PROFESSIONAL RESTRICTION

1. NOD will not accept/will not be allotted any work of the Bank/FI for two years after demitting office as Director of that Bank/FI.
2. During his term as NOD on any Bank, such Director will not undertake any professional work (statutory audit, concurrent audit, legal retainership or empanelment as a lawyer etc.) in that Public Sector Bank.
3. In the case of SBI, such restrictions will cover Associate Banks as well.

However, in respect of any other bank / insurance company, the firm should be allowed to be engaged, provided the non official director recuses himself/herself from handling that part of the business of the firm, where there may be a conflict of interest.

4. If a person having professional relationship with bank, including cooperative bank, is selected for being nominated on the board of any bank, he will have to sever his connection with the bank before such appointment.
5. Professionals shall not be nominated on the Board of a PSB with which they have had a business relationship during the last 3 years before such nomination.

यह पृष्ठ जानबूझ कर खाली छोड़ा गया है
This page is intentionally left blank

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

कार्पोरेट कार्यालय
254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा,
चेन्नै 600 014

नामांकन फार्म

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
इंडियन बैंक
कार्पोरेट कार्यालय
254–260, अव्वै षण्मुगम सालै
रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

आपके दिनांक.................... की नोटिस के संदर्भ में मैं, शुक्रवार, 23 मई, 2014 को अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने के रिकार्ड के दिन को इंडियन बैंक के रु.10/– प्रत्येक शेयर के .... ईक्विटी शेयर धारित करनेवाला शेयरधारक, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती.............., सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री................................, निवासी............................को .....जून 27 2014 को आयोजित की जानेवाली शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व करनेवाले इंडियन बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित करने के लिए नामित करता/करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि शेयर डीमेटीरियलाइज़्ड नहीं किया है तो)	
डीपी आईडी सं और क्लाइंट आईडी नं (यदि शेयर डीमेटीरियलाइज़्ड किया गया है)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणीः

1. यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया गया है तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष के हस्ताक्षर में जिस बैठक में ऐसा संकल्प पारित किया गया था, उसकी अधिप्रमाणित सत्यप्रति संलग्न की जाए।
2. उम्मीदवार को नामित करनेवाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के साथ उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए।
3. यदि उपर्युक्त स्तंभों में से किसी स्तंभ को रिक्त छोड दिया गया है या विवरणों को गलत पाया जाता है तो नामांकन को अस्वीकार किया जाएगा।

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

CORPORATE OFFICE
254-260, AVVAI SHANMUGAM SALAI, ROYAPETTAH
CHENNAI 600 014.

NOMINATION FORM

To
The Chairman & Managing Director,
Indian Bank,
Corporate Office,
254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah, Chennai 600 014.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your Notice dated …………, I, …………………………………… a shareholder of Indian Bank holding …………… equity shares of ₹ 10/- each as on Friday, May 23, 2014 i.e., the Cut-off date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. ……………………………..son / daughter / wife of ……………………………….residing at ……………………………………………………………………………… for being elected as a Director of Indian Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Eighth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on June 27, 2014.

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. **(if shares are not dematerialized)**	
DP ID No. & Client ID No. **(If shares are dematerialized)**	
Place	
Date	

Notes:

1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.

3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

कार्पोरेट कार्यालय 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

घोषणा

मैं ....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती .... निवासी ....एतदद्वारा पुष्टिकृत करता / करती हूँ कि :

ए. मैं, 23 मई 2014, जोकि निर्वाचन में भाग लेने के लिए रिकार्ड की तारीख है, को बैंक के .... ईक्विटी शेयरों का धारक हूँ और

बी. 'मुझे (i)कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi)विधि (vii) लघु उद्योग या .... (विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक के विचार में बैंक के लिए उपयोगी सिद्ध होगा) में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है तथा मैं अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3ए की शर्तों के अनुसार जमाकर्ताओं या कृषकों, मजदूरों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसके प्रमाण के रूप में मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता हूँ, और

सी. मैं .... नंबरवाले नामांकन को स्वीकार करता / करती हूँ, और

डी. मैं इंडियन बैंक के निदेशक के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु तैयार हूँ।

ई. मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ

एफ. मैं न ही किसी प्रकार के लाभार्थ पदधारी हूँ, और न किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप–धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बेंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित रूप से किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ।

जी. मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायाधीश या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी उद्घोषित नहीं किया गया है, और

एच. मैं किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या विततीय संस्था का निदेशक नहीं हूँ।

आई. मैं विगत में इस बैंक में किसी भी संवर्ग में दो पदावधियों के लिए या छह वर्ष के लिए, जो भी अधिक हो, बोर्ड में निदेशक के रूप में नहीं रहा हूँ और

जे. मैं किसी भी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में या वित्तीय संस्था में किसी भी संवर्ग में छह वर्ष के लिए, सतत या खंडित रूप से निदेशक के रूप में नहीं रहा हूँ और

के. बैंक में निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन पर मैं उसी समय बैंक के साथ व्यावसायिक संबंधों को खंडित कर दूंगा और मेरे निदेशक की कालावधि के दौरान और उसके बाद दो साल तक बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध आरंभ नहीं करूंगा और

एल. इस घोषणा के बाद इस सूचना से संबंधित कोई भी घटनाएं घटित होती हैं तो मैं यथाशीघ्र बैंक को उसकी पूरी सूचना देने और बैंक में निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन के बाद प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूं, और

एम. मैं नीचे मेरे अन्य कंपनियों / बैंकों में वर्तमान तथा विगत निदेशक पद के ब्यौरे देता हूं।

कंपनी, बैंक आदि का नाम	**निदेशक पद के ब्यौरे, जैसे कालावधि, समय आदि**

मैं नीचे अपनेव्यक्तिगत ब्यौरे संलग्न कर रहा हूं जो कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार पूरी तरह से सही और संपूर्ण है।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि शेयर डीमेटीरियलाइज़्ड नहीं किया है तो)	
डीपी आईडी नं और क्लाइंट आईडी नं (यदि शेयर डीमेटीरियलाइज़्ड किया गया है)	
स्थान	
दिनांक	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए हैं

____

न्यायाधीश, मेजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या इंडियन बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600 014.

Declaration

I, ……………………………………………………………son / daughter / wife of Shri / Smt. ……………………resident of …………………………………………….. hereby confirm that :

a. I am a shareholder holding ……………… equity shares of the Bank on Friday, May 23, 2014 i.e. the cut-off date for participating in the elections, and

b. I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or ………………………………………………. (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials,* and

c. I accept the nominations numbering …………………….and

d. I am willing to contest for the election of Director of **INDIAN BANK,** and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 and Notification issued by Reserve Bank of India, and

f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and

g. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and

h. I am not a Director in any other Public Sector Bank or Financial Institution; and

i. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and

j. I have not been a Director of any Public Sector Bank or Financial Institution under any category (including CA Category) for a period of six years, whether continuously or intermittently, and

k. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

l. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank, and

m. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies/ banks:

Name of the company, bank, etc.	Directorship details viz., tenure, period, etc.

I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects,

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if shares are not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if shares are dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

____

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Indian Bank or any Nationalized Bank.

*Delete whichever is not applicable.

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष, 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

यहाँ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

उम्मीदवार के वैयक्तिक विवरण का प्रारूप

बैंक का नाम : इंडियन बैंक

उम्मीदवार द्वारा घोषणा व वचन,संलग्नकों सहित, ..., 2014 की स्थितिनुसार

I		उम्मीदवार के वैयक्तिक विवरण	
	ए.	पूर्ण नाम (स्पष्ट अक्षरों में) पिता का नाम (पूरा नाम)	
	बी.	जन्म की तारीख	
	सी.	शैक्षिक और शैक्षणिक अर्हता (कृपया अर्हता के साक्ष्य में स्व अनुप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
		शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हता (कृपया अर्हता के साक्ष्य में स्व अनुप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
	डी	संबंधित पृष्ठभूमि और अनुभव (बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों काअर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3ए) की आवश्यकतानुसार) (कृपया बैंक के निदेशक के रूप में अनुभव बताएं)	
	ई.	स्थायी पता	
	एफ.	वर्तमान पता	
	जी.	ईमेल पता दूरभाष संख्या (लैण्डलाइन) दूरभाष संख्या (मोबाइल)	
	एच.	1. स्थायी खाता संख्या, (पेन की प्रतिलिपि संलग्न करें) आय कर अधिनियम के तहत 2. आय कर अधिनियम के तहत वैयक्तिक कर विवरण भरने का आयकर सर्कल/डिविजन का नाम और पता	
	आई.	संबंधित ज्ञान एवं अनुभव (बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों काअर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3ए) को देखें)	
	जे.	बैंक के निदेशक के पद के संबंध में अन्य कोई सूचना	
II		निदेशकों का संगत संबंध	
	ए.	उम्मीदवार के संबंधी की सूचना जो बैंक से संबंधित हो (कंपनी नियम (परिभाषा ब्यौरों संबंधी विनिर्देश) 2014 के नियम 4 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1 ए के अनुरूप) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (77)	
	बी.	उन उपक्रमों की सूची जिनमें उम्मीदवार की रुचि हो (कृपया कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 299 (3) (ए), धारा 300 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (49) एवं धारा 184 का संदर्भ लें)	
	सी	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुभाग 5 (एनई) के अर्थानुसार, उन उपक्रमों, प्रस्तावित और विद्यमान की सूची, जिनमें उम्मीदवार की ठोस अभिरुचि हो।	
	डी.	बैंक का नाम जिसमें उम्मीदवार बोर्ड का सदस्य रहा हो या रहता हो (किस अवधि में सदस्य रहे उसका विवरण दिया जाए)	
	ई.	उम्मीदवार या क्रं संख्या II (बी) व (सी) में सूचित उपक्रम द्वारा बैंक से इस समय प्राप्त निधि या गैर निधि सुविधाएँ	
	एफ.	मामले जिनमें उपर्युक्त II (बी) व (सी) में सूचित उपक्रम या उम्मीदवार बैंक या अन्य कोई बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के संदर्भ में इस समय या पूर्व में चूका हो।	

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600 014

AFFIX PASSPORT SIZE PHOTO HERE

PERSONAL INFORMATION OF THE CANDIDATE

NAME OF THE BANK : INDIAN BANK

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on ___________2014

I		**Personal details of Candidate**	
	a	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)	
	b	Date of Birth	
	c	Educational Qualifications (Educational/ academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
		(Educational/ professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	d	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).	
	e	Permanent Address	
	f	Present Address	
	g	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
	h	(1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) (2) Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
	i	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,1970	
	j	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II		**Relevant Relationships of Candidate**	
	a	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Sch 1A of Companies Act 1956]	
	b	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2 (49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956]	
	c	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
	d	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
	e	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	
	f	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	

III		व्यावसायिक उपलब्धियों के अभिलेख	
	ए.	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियाँ	
IV		उम्मीदवार के विरुद्ध कार्यवाही	
	ए.	अगर उम्मीदवार कोई व्यवसायिक संस्था / निकाय का सदस्य हो तो, अनुशासनिक कार्यवाही के विवरण जो विचाराधीन हो या शुरु किया गया हो या पूर्व में उम्मीदवार के सजा में परिणत हुआ हो या उम्मीदवार किसी भी व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंधित किया गया हो।	
	बी.	उम्मीदवार और / या II (बी) व (सी) में सूचित उपक्रम के विरुद्ध आर्थिक कानून या विनियमन के अतिक्रमण के लिए विचाराधीन या शुरू किए गए या सजा में परिणत अभियोग के विवरण	
	सी.	पिछले वर्षों में उम्मीदवार के विरुद्ध विचाराधीन या शुरू किए गए, सजा में परिणत आपराधिक अभियोग के विवरण	
	डी.	क्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274) के अंतर्गत दी गई किसी अनर्हता के अधीन उम्मीदवार अनर्ह है?	
	ई.	क्या उम्मीदवार या II (बी) व (सी) में सूचित उपक्रमों में सरकारी विभाग या अभिकरण की ओर से जाँच–पडताल किया गया हो।	
	एफ.	क्या उम्मीदवार को सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आय कर / विदेशी विनियम / अन्य राजस्व प्राधिकारी के नियम / विनियम / विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यदि हां, तो ब्यौरे दें।	
	जी.	क्या उम्मीदवार को सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक आईआरडीए, डीसीए, एमसीए और सिबिल आदि विनियमन संस्थाओं द्वारा विपरीत नोटिस दी गई है? (यद्यपि उम्मीदवार के लिए विनियामकों के उन आदेशों/ निष्कर्षों को, जिन्हें पूर्णतः प्रत्यावर्तित / रद्द किया गया हो, इस कॉलम में बताना जरूरी नहीं है, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों से या अवधि सीमा या क्षेत्राधिकार के अभाव में, न कि गुणता पर, प्रत्यावर्तन / रद्दीकरण किया गया है तो उसका यहाँ उल्लेख करना जरूरी नहीं होगा। यदि नियामक का आदेश अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है और अपीलीय / न्यायालय प्रक्रिया लंबित है, तो उसका भी उल्लेख करना होगा)।	
V		मद संख्या I से III के संबंध में और कोई स्पष्टीकरण / सूचना, ठीक एवं उचित निर्णय के लिए संबंधी सूचना	

वचन

मैं .... श्री .... का पुत्र / पुत्री / पत्नी पुष्टिकृत करता / करती हूँ कि उपर्युकत जानकारी मेरे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं। मैं अपनी नियुक्ति के बाद जो भी घटनाएं घटेंगी जिनका उपर्युक्त जानकारी से संबंध हो सकता है, को यथाशीघ्र पूर्ण रूप से बैंक को सूचित करने का वचन देता / देती हूँ।

मैं, बैंक के सभी निवेशकों से अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता देती हूँ।

स्थान :
दिनांक : **उम्मीदवार के हस्ताक्षर**

अनुलग्नक :

नोट :

1. जहां भी जगह पर्याप्त नहीं है, कृपया अपेक्षित जानकारी को अनुलग्नक के रूप में दिनांकवार तथा उपयुक्त प्रति–संदर्भ के साथ दें।
2. प्रत्येक पृष्ठ पर (अनुलग्नक सहित) उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों।

नामांकन समिति की टिप्पणियां

समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य

स्थान :
दिनांक :

III		**Records of professional achievements**	
	a	Professional achievements relevant	
IV		**Proceedings, if any, against the Candidate**	
	a	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
	c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate	
	d	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act 2013 [Section 274 of the Company's Act, 1956]?	
	e	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange /other revenue authorities, if so give particulars	
	g	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA, CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc., and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V		Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

Undertaking

I __________________________ Son/ Daughter / Wife of Shri _______________________confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.

Place :
Date : **Signature of Candidate**

Enclosures:

Note:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee:

Committee Member	Committee Member	Committee Member	Committee Member

Place :
Date :

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष, 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

एनईसीएस अधिदेश / बैंक खाता विवरण हेतु फार्म

सेवा में
केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
यूनिट : इंडियन बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग,
1, क्लब हाउस रोड,
चेन्नै 600 002

प्रिय महोदय,

संदर्भ : इंडियन बैंक के ईक्विटी शेयर – जिन केन्द्रों में यह सुविधा उपलब्ध है, उनमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (नेफ़्ट) सुविधा के जरिए लाभांष प्राप्त करने का विकल्प

मैं / हम इंडियन बैंक के ईक्विटी शेयरों के धारक हैं।

मैं / हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान एनईसीएस / एनईएफ़्ट सुविधा के ज़रिए करने की व्यवस्था करें तथा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उसे मेरे / हमारे खाते में जमा करें:

1.	प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	
2.	क) पंजीकृत फोलियो सं. (यदि शेयर डीमेटीरियलाइज़्ड नहीं किए गए होता) ख) डीपी आईडी सं. क्लाइंट आईडी सं. (यदि शेयर डीमेटीरियलाइज़्ड किए गए होता)	
3.	बैंक खाते के विवरण	
	ए. बैंक का नाम	
	बी. शाखा का नाम	
	सी. शाखा का पता (पिनकोड के साथ)	
	डी. दूरभाष एवं फैक्स नंबर	
	ई बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में दिए अनुसार बैंक एवं शाखा का 9 अंकोंवाला माइकर कोड नंबर और आईएफ़एस कोड	
	एफ. खाते का प्रकार (बचत / चालू / नकद उधार, कोड 10 / 11 / 13 के साथ)	
	जी. चेक बुक में दिए अनुसार खाता संख्या	

(कृपया उपर्यक्त विवरणों के सत्यापन के लिए निरस्त कोरा चेक या आपके बैंक द्वारा जारी चेक की फोटो प्रति संलग्न करें)

मैं / हम एतद्द्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही एवं पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण कोई लेनदेन में विलंब होता है या लेनदेन किया ही न जाता है, तो मैं / हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएँगे। मैं / हम समझते हैं कि बैंक अपने नियंत्रण से परे अप्रत्याशित परिस्थितियों में, जो मुझे / हमें एनईसीएस / एनईएफ़्ट से लाभांश का भुगतान करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, कागज़ी रूप में लाभांश अधिपत्र भेजने का अधिकार रखता है।

भवदीय,

स्थान :
दिनांक : (प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम एवं हस्ताक्षर)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे रिकार्डों के अनुसार सही हैं।

स्थान :
दिनांक : शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर

1. यदि आप इलेक्ट्रानिक रूप (डी–मेट) में शेयर रखते हैं तो सीधे अपने डेपाजिटरी प्रतिभागी को बैंक विवरण दे दें।
2. कृपया सभी कॉलम भरें। अपूर्ण फार्मों वा विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं तो कृपया इस फ़ार्म पर ध्यान न दें।

Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600 014.

Form for NECS Mandate / Bank Account Details

To
Cameo Corporate Services Limited
Unit: Indian Bank
Subramanian Building,
1, Club House Road,
CHENNAI 600 002.

Dear Sir,

Re: Equity Shares of Indian Bank – option to receive dividend through National Electronic Clearing Service (NECS)/National Electronic Funds Transfer (NEFT) facility at Centres where it is available.

I/We hold equity shares of Indian Bank.

I/We request you to arrange for payment of my / our dividend through NECS/NEFT facility and credit the same to my / our account as per details given below:

1.	First / Sole Shareholder's name	
2.	(a) Registered Folio No. (if shares are not dematerialized)	
	(b) DP ID No. Client ID No. (if shares are dematerialized)	
3.	Particulars of Bank Account	
	a. Bank Name	
	b. Branch Name	
	c. Address of the Branch (with PIN Code)	
	d. Telephone number and Fax number	
	e. 9-digit MICR code number of the Bank and Branch as appearing on the MICR Cheques issued by the Bank	
	f. Account type (Savings / Current / Cash Credit with code 10/11/13)	
	g. Account Number as appearing on the Cheque Book	

(Please attach a cancelled blank cheque or photocopy of a cheque issued by your Bank for verification of the above details).

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If any transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I/We would not hold the Bank responsible. I /We understand that the Bank also reserves the right to send the dividend payable to me / us by a physical dividend warrant on account of unforeseen circumstances beyond the control of the Bank that may affect the payment of dividend through NECS/NEFT.

Yours faithfully,

Place: (Name and signature of First / Sole Shareholder)
Date:

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Place:
Date: Signature of the Branch Manager

1. In case you hold shares in electronic (D-Mat) form, kindly give the Bank details directly to your Depository Participant.

2. Kindly fill in all columns. Incomplete forms shall not be entertained. Please ignore this form, if the same is already submitted.

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष,

254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारकों द्वारा भरा जाए)

पंजीकृत फ़ोलियो संख्या		डीपी आईडी	
		क्लाइंट आईडी	
(यदि शेयर डीमेटीरियलाइज नहीं किये गए हो तो)		(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज किये गए हो तो)	

मैं / हम, ... राज्य के .... ज़िले के .... निवासी हैं, इंडियन बैंक का /के शेयरधारक होने के नाते एत् द्वारा श्री / श्रीमती .... जो .... राज्य के .... जिले के .... निवासी हैं, को या उनके द्वारा न हो पाने पर श्री / श्रीमती .... जो .... राज्य के .... जिले के .... निवासी है, को 27 जून, 2014 को प्रातः 10.00 बजे इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में और उसके किसी स्थगन पर आयोजित की जानेवाली इंडियन बैंक के शेयरधारकों की आठवी वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे / हमारे प्रॉक्सी के रूप में मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए नियुक्त करता हूँ /करते हैं।

आज .... दिनांक .... 2014 को हस्ताक्षरित

कृपया 15 पैसे का राजस्व स्टांप चिपकाएँ

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम ________________________

पता ________________________

____

प्रॉक्सी फ़ार्म पर हस्ताक्षर करने और उसे दायर करने के लिए अनुदेश

1. प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक
   क) वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में, शेयरधारक या उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत नहीं किया जाता है ।
   ख) संयुक्तधारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक या उनके द्वारा लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।
   ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।
2. प्रॉक्सी की लिखत किसी शेयरधारक द्वारा, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता / सकती है, तो यदि उसका चिह्न उस पर लगाया जाता है और किसी जज या मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार या एश्यूरेंस सब–रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इंडियन बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो उसे पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माना जाएगा।
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित नहीं हो और निम्नलिखित पते पर कम से कम वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख के चार दिन पहले मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकारी के साथ, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत वह हस्ताक्षरित हो या मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पहले ही जमा किया गया हो और बैंक के साथ पंजीकृत किया गया हो।

इंडियन बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय निवेशक सेवा कक्ष, दूसरा तल, विंग 2सी 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा चेन्नै 600 014	केमियो कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड यूनिट : इंडियन बैंक सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600002

4. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगी।
5. प्रॉक्सी का लिखत विकल्प के रूप में दो लोगों के पक्ष में दिए जाने के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
6. ऐसे शेयरधारक जिन्होंने प्रॉक्सी की लिखत निष्पादित की हो, उस वार्षिक सामान्य बैठक से जिससे ऐसी लिखत संबंधित हो व्यक्तिगत रूप से वोट करने के लिए हकदार नहीं होगा।
7. कोई भी व्यक्ति जो इंडियन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

Corporate Office, Investor Services Cell

254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600 014.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		**(If shares are dematerialized)**	

I / We …………………………………resident/s of ……………………………………….. in the district of ……………… in the state of ………………… being a shareholder / shareholders of the Indian Bank, hereby appoint Shri / Smt ………………………… resident of ………………………………………………………………………… in the district of …………….. in the state of ……………………… or failing him / her, Shri / Smt …………………………… resident of ………………………..…………… in the district of ……………………… in the state of ……………………… as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the **Eighth Annual General Meeting** of the Shareholders of the **INDIAN BANK** to be held on Friday, the June 27, 2014 at 10.00 a.m. at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028 and at any adjournment thereof.

Signed this……………………day of………………………2014

Please affix 15 paise Revenue Stamp

____

Signature of Proxy Signature of first named / Sole shareholder

Name______________________________

Address____

____

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1. No instrument of proxy shall be valid unless,

a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him / her or his / her attorney, duly authorized in writing,

b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorized in writing,

c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Bank.

3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, together with Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

Indian Bank Corporate Office, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai 600 014.	Cameo Corporate Services Limited **Unit : Indian Bank** Subramanian Building 1, Club House Road, Chennai - 600 002.

4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

5. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.

7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of INDIAN BANK.

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष
254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

उपस्थिति पर्ची

(स्थान में प्रवेश करते समय वापस किया जाए)

दिनांक : 27 जून, 2014
समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे
स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600 028

पंजीकृत फोलियो : (यदि शेयर डीमैटरीयलाइज नहीं किये गए हो तो)		डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी : (यदि शेयर डीमैटरीयलाइज किए गए हो तो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

मैं, 27, जून 2014 को इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600 028, में आयोजित बैंक की आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक में इसके द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष
254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

एंट्री पास

(बैठक के दौरान अपने पास ही रखा जाए)

दिनांक : 27 जून, 2014
समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे
स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600 028

पंजीकृत फोलियो : (यदि शेयर डीमैटरीयलाइज नहीं किये गए हो तो)		डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी : (यदि शेयर डीमैटरीयलाइज किए गए हो तो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

स्थान में प्रवेश हेतु, शेयरधारकों / प्राक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पंजी को बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत हस्ताक्षर करके, एंट्री पास के साथ प्रस्तुत करें। फिर भी, प्रवेश सत्यापन / जाँच के अद्यधीन होगा जैसा आवश्यक माना जाए। किसी भी स्थिति में बैठक हाल के प्रवेश द्वार पर कोई डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची सह एंट्री पास जारी नहीं किया जाएगा।

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष
254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

(बेलेट पत्र की जारी हेतु पोलिंग काउंटर में सौंप दिया जाना)

पंजीकृत फोलियो : (यदि शेयर डीमैटरीयलाइज नहीं किये गए हो तो)		डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी : (यदि शेयर डीमैटरीयलाइज किए गए हो तो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

Corporate Office, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600 014.

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : June 27, 2014
Time : 10.00 a.m.
Place : IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.

Regd. Folio No. (if shares are not dematerialized)		DP ID & Client ID (If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present			

I hereby record my presence at the **8th Annual General Meeting of the Bank held on June 27, 2014 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai – 600 028.**

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorised Representative	

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

Corporate Office, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600 014.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : June 27, 2014
Time : 10.00 a.m.
Place : IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.

Regd. Folio No. (if shares are not dematerialized)		DP ID & Client ID (If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

इंडियन बैंक
Indian Bank
Your Tech-Friendly Bank

Corporate Office, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600 014.

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No. (if shares are not dematerialized)		DP ID & Client ID (If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2013 - 14

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका प्रौद्योगिकी हितैषी बैंक
Your Tech-Friendly Bank

Indian Bank conferred with National Excellence Award in MSE lending by Ministry of MSME, GOI. Shri T M Bhasin, Chairman and Managing Director, Indian Bank received the coveted National award from the august hands of Hon'ble President of India.

Selvi Dr J Jayalalithaa, Hon' ble Chief Minister of Tamil Nadu handing over 1st Prize and the Best Bank Award to Shri T.M. Bhasin, CMD, Indian Bank for stupendous performance for extending credit to SHGs, which has been conferred to the Bank for the 4th consecutive year.

इंडियन बैंक
Indian Bank

इंडियन बैंक के निदेशक मंडल
Board of Directors

टी एम भसीन
T M Bhasin
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

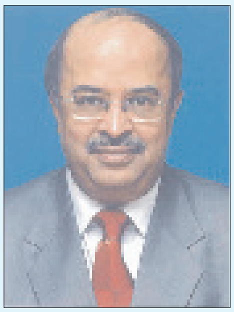

बी राज कुमार
B Raj Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

महेश कुमार जैन
Mahesh Kumar Jain
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

सुधा कृष्णन
Sudha Krishnan

डॉ. सत्यन डेविड
Dr. Sathyan David

दीपक डी सामंत
Deepak D Samant

पी वेंकट कृष्ण राव
P Venkata Krishna Rao

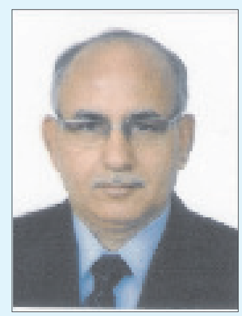

अमरजीत चोपडा
Amarjit Chopra

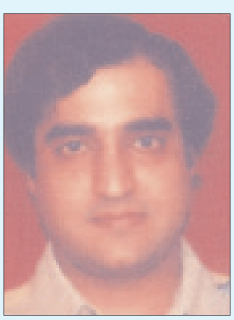

संजय माकन
Sanjay Maken

बुच्चि रामि रेड्डी
M Butchi Rami Reddy

प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल
Prof. Narendra Kumar Agrawal

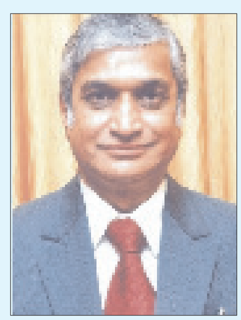

चिंतामन महादेव दीक्षित
Chintaman Mahadeo Dixit

इंडियन बैंक के महा प्रबंधक
General Managers

बनबिहारी पन्डा
Banabihari Panda

गडीपर्ती सुधाकर
Gadiparthi Sudhakar

आर वी चंद्र शेखर राव
R V Chandra Sekhar Rao

चित्रा सुब्रमणियम
Chitra Subramaniam

के मालती
K Malathy

विपन मल्होत्रा
Vipon Malhotra

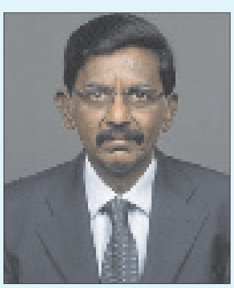

जी मनोहरन
G Manoharan

जी रंगराजन
G Rangarajan

जी राजीवन पिल्लै
G Rajeevan Pillai

इंडियन बैंक के महा प्रबंधक
General Managers

एस वी राधाकृष्णन
S V Radhakrishnan

के श्रीनिवास राघवन
K Srinivasa Raghavan

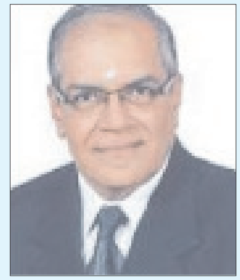

जी रंगराजन
G Rangarajan

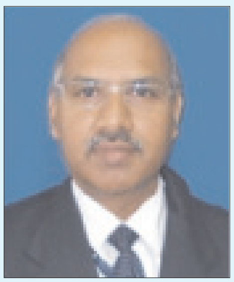

के उदय भास्कर रेड्डी
K Udaya Bhaskara Reddy

एम नागराजन
M Nagarajan

पी धर्मराज
P Dharmaraj

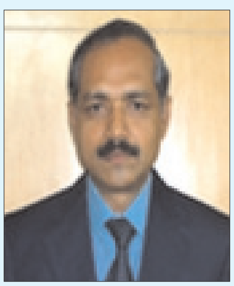

एस चेळियन
S Chezhian

राधाकृष्णन वेंकटरामन
Radhakrishnan Venkataraman

एस सुरेश
S Suresh

आर मणिमारन
R Manimaran

बी पार्थसारथी
B Parthasarathy

इंडियन बैंक Indian Bank

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai,
चेन्नै Chennai - 600 014

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2013-14

निष्पादन की प्रमुख बातें PERFORMANCE HIGHLIGHTS

(₹ करोड़ों में) (₹ in Crore)

विवरण **Particulars**	**31.03.10**	**31.03.11**	**31.03.12**	**31.03.13**	**31.03.14**
कुल व्यापार Total Business	150886	181530	211988	249136	286634
जमाएं (ग्लोबल) Deposits (Global)	88228	105804	120804	141980	162275
अग्रिम (ग्लोबल) Advances (Global)	62658	75726	91184	107156	124359
निवेश (सकल) Investments (Gross)	28544	34970	38208	42056	47635
ब्याज आयInterest Income	7714	9361	12231	13898	15249
गैर ब्याज आय Non Interest Income	1317	1182	1232	1283	1372
कुल आय Total Income	9031	10543	13463	15181	16621
ब्याज व्यय Interest Expenses	4553	5325	7813	9368	10889
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	1730	1926	2187	2751	2831
कुल व्यय Total Expenditure	6283	7251	10000	12119	13720
परिचालनगत लाभ Operating Profit	2747	3292	3463	3061	2901
निवल लाभ Net Profit	1555	1714	1747	1581	1159
जमाओं की लागत (%) Cost of Deposits (%)	5.66	5.41	6.68	7.07	7.15
अग्रिमों पर प्रतिफल(%) Yield on Advances (%)	10.71	10.28	11.28	11.03	10.38
निवल ब्याज मार्जिन(%) Net Interest Margin (%)	3.55	3.75	3.43	3.09	2.60
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Average Assets (%)	1.67	1.53	1.31	1.02	0.67
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	430	430	430	430	465
स्थायी गैर–संचयी अधिमान शेयर पूंजी Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital	400	400	400	400	0
रिज़र्व एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन रिज़र्व को छोड़कर) Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	6217	7497	8808	10009	11071
निवल संपत्ति Net Worth	7047	8327	9638	10839	11536
सकल एनपीए (%) Gross NPA (%)	0.81	0.98	2.03	3.33	3.67
निवल एनपीए (%) Net NPA (%)	0.23	0.53	1.33	2.26	2.26
पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio –बेसल II - Basel II	12.71	13.56	13.47	13.08	13.10
–बेसल III - Basel III					12.64
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earning Per Share (₹)	35.09	38.79	39.57	35.80	26.07
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	154.66	184.44	214.94	242.89	248.16
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (₹) Dividend per Equity Share (₹)	6.50	7.50	7.50	6.60	4.70*
शाखाओं की संख्या (नंबर) No. of branches (Nos.)	1758	1863	1958	2092	2253
कर्मचारियों की संख्या (नंबर) No. of employees (Nos.)	19641	19311	18782	18870	19429
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ लाखों में) Business per employee (₹ in lacs)	761	930	1114	1301	1453

*अंतरिम लाभांश ₹ 3.00 . प्रस्तावित अंतिम लाभांश ₹ 1.70 * Interim Dividend ₹ 3.00 + proposed Final Dividend ₹ 1.70

सनदी लेखाकार AUDITORS

शार्प एण्ड टण्णन
SHARP & TANNAN

भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी
BHATTACHARYA DAS & CO.

देवकी बिजय एण्ड कंपनी
DEOKI BIJAY & CO.

एस पी पुरी एण्ड कंपनी
S.P.PURI & CO.

सी के प्रुस्टी एण्ड एसोसियेट्स
C.K.PRUSTY & ASSOCIATES

इंडियन बैंक
Indian Bank

कार्पोरेट कार्यालय : 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा
चेन्नै - 600 014

Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah
Chennai 600 014.

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2013-14

विषयवस्तु CONTENTS

	पृष्ठ सं		Page No.
अध्यक्ष का संदेश	2	Chairman's Message	3
निदेशकों की रिपोर्ट	6	Directors' Report	7
प्रबन्धन विचार विमर्ष एवं विश्लेशण	10	Management Discussion and Analysis	11
कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	66	Report on Corporate Governance	67
कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	100	Auditors' Certificate on Corporate Governance	101
वित्तीय ववरण – इंडियन बैंक		**Financial Statements - Indian Bank**	
▪ तुलन पत्र,लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	104	▪ Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	104
▪ मुख्य लेखाकरण नीतियां	114	▪ Significant Accounting Policies	115
▪ लेखों पर टिप्पणियां	122	▪ Notes on Accounts	123
▪ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	176	▪ Auditors' Report	177
समेकित वित्तीय विवरण		**Consolidated Financial Statements**	
▪ तुलन पत्र,लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	180	▪ Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	180
▪ मुख्य लेखाकरण नीतियां	188	▪ Significant Accounting Policies	189
▪ लेखों पर टिप्पणियां	202	▪ Notes on Accounts	203
▪ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	234	▪ Auditors' Report	235
अतिरिक्त प्रकटीकरण	236	Additional Disclosures	237

निवेशक सेवाएं कक्ष
इंडियन बैंक
सं. 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै
विंग 2 – सी, रायपेट्टा
चेन्नै 600 014
दूरभाष सं 044 28134076 फैक्स सं. 044 28134075
ई–मेल : investors@indianbank.co.in

Investor Services Cell
Indian Bank
No.254-260, Avvai Shanmugam Salai
Wing 2-C, Royapettah
Chennai – 600 014
Tel No. 044 28134076; Fax No.044 28134075
E-Mail : investors@indianbank.co.in

शेयर अंतरण एजेंट
केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
यूनिट : इंडियन बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै – 600 002
दूरभाष सं. 044 28460718 फैक्स सं. 044 28460219
ई–मेल : investor@cameoindia.com

Share Transfer Agent
Cameo Corporate Services Limited
Unit : Indian Bank
Subramanian Building, 1, Club House Road
Chennai – 600 002
Tel No. 044 28460718; Fax No. 044 28460129
E-Mail : investor@cameoindia.com

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण समय से गुजर चुकी है जब इसे दीर्घकालिक मुद्रास्फीति एवं निम्न स्तर की वृद्धि की जुड़वीं समस्याओं का सामना करना पडा। यह कमतर व्यापारिक भावनाओं, घटता औद्योगिक उत्पादन, निवेशों में कमी, उच्चतर मुद्रास्फीति, उच्च चालू खाता घाटा और देशी विनिमय दरों में मूल्यह्रास में भी प्रतिबिंबित था।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान वित्तीय वर्ष 13 की 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में थोडी बढोत्तरी पायी गयी और यह वृद्धि की दर 4.7 प्रतिशत रही। औद्योगिक क्षेत्र में (–) 0.10 की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। समूचे वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति का लंबे समय तक उच्च स्तर पर रहना चिंता का प्रमुख कारण रहा तथा थोक (डब्ल्यूपीआई) और खुदरा (सीपीआई) मुद्रास्फीति, दोनों बढे हुए स्तरों पर रहीं। वित्तीय वर्ष 14 के लिए डब्ल्यूपीआई औसतन 6 प्रतिशत और सीपीआई औसतन 9.5 प्रतिशत रही।

वित्तीय वर्ष 14 की अधिकांश अवधि में भारतीय रुपए के मूल्य में तीक्ष्ण घटाव चिंता का कारण रहा। भारत सरकार और भारिबैंक द्वारा नीतिगत उपायों की एक श्रृंखला के कारण रुपया रिकार्ड निम्नतर स्तर (₹ 68 / डालर) से सुदृढ बनकर हाल के महीनों में ₹ 61–62 / डालर के स्तर पर स्थिर रहा है।

निर्यातों में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि और आयातों में संकुचन के कारण बाहरी क्षेत्र की वृद्धि में 2013–14 के दौरान थोडा सुधार हुआ है जिससे व्यापार घाटा 139 बिलियन यूएसडी के स्तर पर कम रहा। चालू खाता घाटे (सीएडी) में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान संकुचन के कारण बाहरी क्षेत्र की जोखिमें भी कम हो गईं, जो वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान विगत चार वर्षों के निम्नतर स्तर, यथा, जीडीपी के 1.7 प्रतिशत पर पहुँच गया जबकि पिछले वर्ष यह 4.7 प्रतिशत रहा।

प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था में मंदी के प्रभाव के कारण बैंकिंग क्षेत्र का विकास मंद पड गया और सकल जमाओं और बैंक ऋणों में करीब 14 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी। तथापि बढ़ती आशावादी प्रवृत्ति पायी गई है कि वित्तीय वर्ष 14 में भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नतम स्तर से उभर गयी है।

आर्थिक एवं बैंकिंग क्षेत्रों में उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आपका बैंक श्रेयस्कर निष्पादन दिखा सका है।

कारोबार एवं वित्तीय उपलब्धियाँ

- मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान आपके बैंक के कारोबार में 15.1 प्रतिशत की बढ़त से यह ₹ 286,633 करोड़ पर रहा। जमाओं में 14.3 प्रतिशत या ₹ 20,295 करोड़ की वृद्धि से यह ₹ 162,275 करोड बन गईं और ऋणों में 16.1 प्रतिशत या ₹ 17,203 करोड की वृद्धि से ये ₹ 124,359 करोड रहे। अन्य वित्तीय मापदण्डों में आपके बैंक की वृद्धि निम्नानुसार हैं :
- आपके बैंक का परिचालनात्मक लाभ ₹ 2901 करोड रहा जबकि निवल लाभ वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 1159 करोड़ रहा।
- आपके बैंक का नेटवर्थ बढ़कर ₹ 11535.58 करोड रहा और पूँजी पर्याप्तता अनुपात बेसल ।। के अंतर्गत 13.10 प्रतिशत और बेसल ।।। के अंतर्गत 12.64 प्रतिशत रहा। आपके बैंक में पर्याप्त पूँजी उपलब्ध है।
- आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.67 प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में सर्वोत्तम में से एक है।
- निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.60 प्रतिशत रहा।
- प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के अंतर्गत आपके बैंक ने निर्धारित मानदण्डों को हासिल किया है और यह ₹ 41157 करोड़ पर समायोजित निवल बैंक ऋण का 40.63 प्रतिशत रहा जबकि कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण 12.04 प्रतिशत बढ़कर मार्च 31, 2014 को ₹ 19047 करोड़ रहा।
- देश भर में आपके बैंक की 73 विशेषीकृत शाखाएं हैं जोकि अनन्य रूप से एसएमई क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं; एसएमई संविभाग में 17.2 प्रतिशत या ₹ 2358 करोड़ की वृद्धि से यह ₹ 16104 करोड़ रहा।
- प्रति शेयर अर्जन (वार्षिकीकृत) और प्रति शेयर बही मूल्य क्रमशः ₹ 26.07 और ₹ 248.16 रहे। ईक्विटी पर प्रतिलाभ, चालू वर्ष के दौरान 10.22 प्रतिशत रहा।
- भारत भर में अपने नेटवर्क को बढाने के लिए और कम बैंकिंग सेवाएं प्राप्त तथा बैंकिंग सेवाएं रहित क्षेत्रों में अपनी पहुँच को बढाने के लिए आपके बैंक ने वर्तमान वर्ष के दौरान 164 शाखाएं एवं 801 एटीएम खोले जिससे शाखाओं की संख्या 2250 और एटीएम की संख्या 2123 हो गई है।
- सिंगापुर तथा श्रीलंका में कोलम्बो और जाफना की शाखाओं के कारण आपके बैंक को अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति प्राप्त है। इसके अलावा आपके बैंक की 69 देशों में संपर्की बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं।
- स्वयं सहायता समूहों को विशेषीकृत ऋणद के लिए आपके बैंक की 45 माइक्रोसेट शाखाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान इन शाखाओं ने 21640 स्वयं सहायता समूहों को कवर करते हुए 543 करोड़ रुपए वितरित किए हैं और मार्च 2014 के अंत में इन शाखाओं का बकाया अग्रिम 48657 एसएचजी को कवर करते हुए ₹ 745 करोड़ रहा। आपके बैंक ने कुल मिलाकर 7 लाख स्वयं सहायता समूहों के 1 करोड सदस्यों को लाभ पहुँचाते हुए, ₹ 10000 करोड़ का वित्त प्रदान किया है।

CHAIRMAN'S MESSAGE

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to present the Annual Report of the Bank for the financial year 2013-14.

The Indian economy has been through challenging times in FY 2013-14, faced with the twin problem of prolonged high inflation and low growth. This was also reflected in lower business sentiments, declining industrial output, decline in investment, higher inflation, high current account deficit and depreciation in the domestic exchange rate.

The Indian economy improved slightly in FY 2013-14 to 4.7 per cent, marginally higher than the 4.5 per cent of FY13. The industrial sector has recorded a sharp deceleration in growth to (-) 0.10 percent. Prolonged high levels of inflation have been a major concern throughout the year and both the wholesale (WPI) and retail (CPI) inflation stayed at elevated levels. For FY14, WPI averaged 6 per cent while CPI averaged 9.5 per cent.

The steep decline in the Indian rupee came to be the foremost economic concern for a large part of FY14. Following a series of policy measures by the RBI and the government, the Rupee strengthened from its record lows (₹ 68/$) and has been fairly stable in recent months at ₹ 61-62/$.

External sector growth showed improvement during 2013-14, as exports registered 3.9 per cent growth while imports contracted, resulting in a lower trade deficit of USD 139 billion. External sector risks were also lowered with the narrowing of the Current Account Deficit (CAD) in FY 2013-14. CAD declined to a four year low of 1.7 per cent of GDP in FY 2013-14 from 4.7 percent previous year.

The impact of the slowdown in the real economy led to the moderation in growth of the banking sector with aggregate deposits and bank credit witnessing around 14 per cent growth. There is, however, increasing optimism that the Indian economy could have bottomed out in FY14.

Considering the above backdrop in economic and banking scenario, your Bank was able to record a creditable performance.

Business and Financial Achievements

- Your Bank's Business level grew by 15.1 per cent to ₹ 286,633 crore for the year ended March 2014. While Deposits grew by ₹ 20,295 crore or 14.3 per cent to ₹ 162,275 crore, Credit grew by ₹17,203 crore or 16.1 per cent to ₹ 124,359 crore. The growth of your Bank in other financial parameters is as under:
- Operating profit of your Bank was at ₹ 2901 crore, while Net Profit stood at ₹ 1159 crore in FY 2013-14.
- Networth of your Bank increased to ₹ 11535.58 crore and the Capital Adequacy Ratio under Basel II and Basel III was at 13.10 per cent and 12.64 per cent respectively. Your Bank is well capitalised.
- Return on Assets at 0.67 per cent is one of the best among the Public Sector Banks.
- Net Interest Margin (NIM) stood at 2.60 per cent.
- Your Bank has reached the stipulated norms under Priority Sector Advances which at ₹ 41157 crore was 40.63 per cent of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC), while Agriculture lending rose to ₹ 19,047 crore and registered a growth of 12.04 per cent as on March 31, 2014.
- Your Bank has 73 specialised branches across the country exclusively catering to the SME sector; the SME portfolio increased by ₹ 2,358 crore or 17.2 per cent to ₹ 16,104 crore.
- Earnings per share (annualised) and Book value per share were at ₹ 26.07 and ₹ 248.16 respectively. Return on Equity was at 10.22 per cent in the current year.
- Towards enhancing its pan India network and to extend its reach to the under-banked and unbanked areas, your Bank has opened 164 branches and 801 ATMs in the current year to touch 2250 delivery points and 2123 ATMs.
- Your Bank has international presence in Singapore and Colombo & Jaffna in Sri Lanka. Besides, your Bank has correspondent banking arrangements in 69 countries.
- For specialized lending to SHGs, your Bank has exclusive 45 MICROSATE branches. These branches have disbursed ₹ 543 crore covering 21640 SHGs during FY 2013-14 and the total outstanding advances of these branches as at end-March 2014 stood at ₹ 745 crore covering 48,657 SHGs. Your Bank has totally financed 7 lakh SHGs benefitting 1 crore members involving ₹ 10000 crores.

- आपके बैंक ने 2000 से अधिक आबादीवाले गाँवों में 1407 अति लघु शाखाएं खोली हैं तथा ये वित्तीय समावेशन के तहत बीसी मॉडल में कवर किए गए हैं।
- वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत आपके बैंक ने विभिन्न सुपुर्दगी के माध्यमों के जरिए 2000 से अधिक आबादी वाले तथा 2000 से कम आबादी वाले 5013 गाँवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान की हैं।
- पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में, जहाँ आपका बैंक एसएलबीसी का संयोजक है, 2000 से अधिक आबादीवाले 42 गाँवों में और 2000 से कम आबादीवाले 25 गाँवों में सदस्य बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत विभिन्न सुपुर्दगी माध्यमों के जरिए बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की गई हैं।
- वर्तमान में 121 जिलों में (चरण । में 43 पायलट जिले और चरण ।। में 78 पायलट जिले) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यान्वित किया जा रहा है। 92 जिलों में आपके बैंक की 546 शाखाएं हैं तथा ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को कार्यान्वित करती हैं। चित्तूर, पुदुच्चेरी, कृष्णा एवं यानम जिलों में आपका बैंक अग्रणी बैंक है और इनमें डीबीटी कार्यान्वित किया जा रहा है।
- 293 जिलों में एलपीजी ग्राहकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) कार्यान्वित किया जा रहा है। 227 जिलों में आपके बैंक की 1466 शाखाएं हैं और ये डीबीटीएल को कार्यान्वित करती हैं। चित्तूर, पुदुच्चेरी, कृष्णा, कोल्लम, माही, यानम, कारैक्काल, कडलूर, धर्मपुरी, सेलम, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, वेल्लूर और विलुप्पुरम जिलों में, जहाँ डीबीटीएल कार्यान्वित किया जा रहा है, आपका बैंक अग्रणी बैंक है।

वर्तमान वर्ष में भी आपके बैंक को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है तथा उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :

- माइक्रो उद्यमों को ऋणद में प्रथम स्थान प्राप्त और वित्तीय वर्ष 2013 में सतत द्वितीय वर्ष के लिए ''माइक्रो उद्यमों को ऋणद प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय अवार्ड'' प्रदान किया गया।
- वर्ष 2012–13 के दौरान माइक्रो और लघु उद्यमों के अंतर्गत श्रेष्ठ निष्पादन के लिए ''माइक्रो एवं लघु उद्यमों को ऋणद प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय अवार्ड'' एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया।
- ''उत्तम सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक – एसएमई'' के लिए सण्डे स्टैण्डर्ड उत्तम बैंकर अवार्ड 2013 प्राप्त।
- वर्ष 2011–12 के लिए स्वयं सहायता समूहों को सर्वाधिक ऋण प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा (फरवरी 2014) में सर्वश्रेष्ठ बैंक अवार्ड (प्रथम रैंक) प्राप्त।
- उत्तम शैक्षिक ऋण प्रदाता होने के लिए आउटलुक मनी अवार्डर्स से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त।
- एबीपी न्यूज़ – बैंकिंग वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) से सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक अवार्ड प्राप्त।

आपको यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आपके बैंक के निदेशकों के बोर्ड ने 47 प्रतिशत का लाभांश संस्तुत किया है।

34 मिलियन ग्राहकों का हम पर भरोसे ने हमें लगातार वर्ष–दर–वर्ष बेहतर निष्पादन करने के लिए प्रेरित किया है।

भविष्य की ओर :

हम यह प्रत्याशा करते हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आशापरक प्रवृत्ति रहेगी यद्यपि यह अवधि चुनौती पूर्ण भी रहेगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सतत संरक्षण और हमारी ओर से निरंतर प्रयासों से आपका बैंक आगे बढ़ेगा और स्टेकधारकों के लिए मूल्य को और भी बढाएगा।

हमारे शेयरधारकों, ग्राहकों, शुभचिन्तकों के सतत समर्थन और हमारे कर्मचारियों के अथक प्रयासों से और भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के सहारे से मुझे दृढ विश्वास है कि आपका बैंक, सर्वश्रेष्ठता की अपनी खोज में आगे बढने के प्रयत्नों को जारी रखेगा।

शुभकामनाओं के साथ,

भवदीय

तेजेन्द्र मोहन भसीन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

- Your Bank has opened 1407 Ultra Small Branches (USBs) in the villages with population above 2000, covered through BC model under Financial Inclusion.
- Under the Financial Inclusion Plan, your Bank has provided banking services to 5013 villages with population above 2000 as well as below 2000 through various delivery channels
- In the Union Territory of Puducherry, where your Bank is the SLBC Convenor, 42 villages with population above 2000 and 25 villages with population 2000 and below have been provided with banking services through various delivery channels under the Financial Inclusion Plan by the member banks.
- Direct Benefit Transfer (DBT) is presently being implemented in 121 districts (43 pilot districts in phase-I and 78 districts in phase-II). Your Bank is having 546 branches in 92 districts and these branches are implementing Direct Benefit Transfer. Your Bank is Lead Bank in Chittoor, Puducherry, Krishna and Yanam Districts, where DBT is implemented.
- Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL) for LPG consumers is being implemented in 293 districts. Your Bank is having 1466 branches in 227 districts and these branches are implementing DBTL. Your Bank is Lead Bank in Chittoor, Puducherry, Krishna, Kollam, Mahe, Yanam, Karaikal, Cuddalore, Dharmapuri, Salem, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Vellore and Villupuram Districts, where DBTL is implemented.

Your Bank was conferred with several coveted awards in the current year too; the notable among them are –

- Ranked first for lending to Micro Enterprises and was conferred with the “National Award for Excellence in Lending to Micro Enterprises” for FY 2013, for the second consecutive year.
- Ranked second based on outstanding performance under lending to Micro & Small Enterprises and was conferred with the “National Award for Excellence in Lending to Micro & Small Enterprises” for FY 2012 – 13, by Ministry of MSME.
- The Sunday Standard Best Bankers Awards 2013 has conferred the award of “Best Public Sector Banks – SMEs”.
- Awarded the Best Bank Award (1st rank) for the year 2011-12, for extending maximum credit to SHGs by the Government of Tamil Nadu (in February 2014).
- Bagged 2nd Prize from Outlook Money Awards for Best Education Loan Provider.
- Received Best Public Sector Bank Award from ABP News - Banking Financial Services and Insurance (BFSI).

I am also happy to inform you that the Board of Directors of your Bank has recommended a dividend of 47 per cent.

The confidence reposed by our 34 million customers has inspired us to put in consistently better performance year after year.

Looking ahead

We expect the current financial year 2014-15 to have a positive outlook, though it would be a challenging one.

I am confident that with your continued patronage and our concerted efforts, your Bank would be able to surge ahead and further enhance stakeholders' value.

With the continued support of our shareholders, customers, well-wishers and the unrelenting efforts of our employees, together with the support of the Government of India and the Reserve Bank of India, I am sure, your Bank will continue to strive to move ahead in its quest for excellence.

With best wishes

Yours sincerely

T M Bhasin
Chairman and Managing Director

निदेशकों की रिपोर्ट 2013–14

सदस्यों को....

आपके निदेशकों को आपके बैंक के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

वित्तीय मुख्य बातें

आपके बैंक के निष्पादन की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- बैंक का वैश्विक कारोबार वर्ष के दौरान 15.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 286,633 करोड़ तक पहुंचा।
- कुल जमाओं में ₹ 20,295 करोड़ की वृद्धि से ये ₹ 162,275 करोड़ हो गई जो वर्ष 2013–14 के लिए 14.3 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है।
- सकल अग्रिमों में ₹ 17,203 करोड़ की वृद्धि (16.1 प्रतिशत) दर्ज की गई है। 31.03.2014 को सकल अग्रिम ₹ 124,359 करोड रहे। समग्र ऋण जमा अनुपात 76.63 प्रतिशत रहा।
- प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में ₹ 4736 करोड की वृद्धि से (13.0 प्रतिशत) 31.03.2014 को ये ₹ 41,157 करोड़ रहे।
- कृषि ऋण ₹ 2046 करोड बढ़कर (12.0 प्रतिशत) ₹ 19,047 करोड हो गए जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 18.8 प्रतिशत है।
- भारत सरकार द्वारा की गई प्राथमिकताओं के अनुसार 31.03.2014 को अजा/अजजा को प्रदत्त बैंक अग्रिम ₹ 2165 करोड हो गए जोकि कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 5 प्रतिशत रहे।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 में निवल ब्याज मार्जिन 2.60 प्रतिशत रहा।
- परिचालनगत लाभ ₹ 2901 करोड था जबकि वित्तीय वर्ष 2013–14 का निवल लाभ ₹ 1159 करोड रहा।
- औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.67 प्रतिशत था।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल II)13.1 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए नेटवर्थ पर प्रतिलाभ 10.22 प्रतिशत था ।
- मार्च 2013 को 3.33 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2014 को सकल एनपीए 3.67 रहा जबकि निवल एनपीए 2.26 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।
- **वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान एनपीए में कुल वसूली ₹ 625 करोड रही (एयूसी सहित) जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 653 करोड थी।**
- मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के अंत में प्रति शेयर अर्जन ₹ 26.07 रहा तथा प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 248.16 रहा।
- **31.03.2014 को भारत में बैंक का कुल देशीय शाखा नेटवर्क 2250 तक बढ़ गया और सभी शाखाएं सीबीएस में जुडी हुई हैं। इसके अलावा बैंक की 3 ओवरसीज़ शाखाएं हैं।**
- **एटीएमों की कुल संख्या 2123 तक बढ़ गई। इनमें 511 ऑफसाइट एटीएम शामिल हैं और शेयर किए गए नेटवर्क में ग्राहक, 1.63 लाख एटीएम तक पहुँच सकते हैं।**

आय एवं व्यय

- **वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय 9.5 प्रतिशत बढ़कर ₹ 16621 करोड़ हो गई, जिसमें ब्याज आय ₹ 15249 करोड रही। ब्याज आय में वृद्धि 9.7 प्रतिशत रही।**
- **निवल ब्याज आय ₹ 4,360 करोड़ रही ।**
- **बैंक का ब्याज व्यय ₹ 10,889 करोड़ रहा जोकि 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।**
- **वर्ष 2013–14 के लिए कुल परिचालनागत व्यय ₹ 2831 करोड़ रहा जोकि 2.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।**

2013–14 के लिए महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार हैं:–

(प्रतिशत में)

विवरण	2013-14	2012-13
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.67	1.02
निधियों की औसत लागत	6.27	6.06
अग्रिमों पर औसत प्रतिलाभ	10.38	11.04
निवल ब्याज मार्जिन	2.60	3.09
लागत–आय अनुपात	49.40	47.33
प्रतिशेयर बही मूल्य (₹)	248.16	242.89
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ लाखों में)	1452.85	1300.98
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाखों में)	5.97	8.38

DIRECTORS' REPORT 2013-14

To

The Members,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Bank's Eighth Annual Report of your Bank alongwith the Audited Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended 31st March 2014.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The major highlights of your Bank's performance are as under:

- Global Business of the Bank reached ₹ 286,633 crore during the year, registering a growth of 15.1 per cent.
- Total Deposits grew by ₹ 20,295 crore, or 14.3 per cent for the year 2013-14 to ₹ 162,275 crore.
- Gross Advances at ₹ 124,359 crore, registered an increase of ₹ 17,203 crore (16.1 per cent) as on 31.3.2014. Overall Credit-Deposit ratio was at 76.63 per cent.
- Priority Sector Advances at ₹ 41,157 crore, grew by ₹ 4736 crore (13.0 per cent) as on 31.3.2014.
- Agriculture Credit grew by ₹ 2046 crore (12.0 per cent) to ₹ 19,047 crore and accounted for 18.8 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).
- In accordance with the priorities accorded by the Government of India, the Bank's Advances to SC/ST reached ₹ 2165 crore as of 31st March 2014, constituting 5.25 per cent of total Priority Sector Advances.
- Net Interest Margin was at 2.60 per cent in FY 2013-14.
- Operating Profit was at ₹ 2901 crore, while Net Profit for FY 2013-14 was at ₹ 1159 crore.
- Return on Average Assets was at 0.67 per cent.
- Capital Adequacy Ratio (Basel II) was at 13.1 per cent.
- Return on Networth for FY 2013-14 was at 10.22 per cent.
- Gross NPA was at 3.67 per cent as against 3.33 per cent in March 2013 while Net NPA was unchanged at 2.26 per cent in March 2014.
- Total recovery of NPAs (including AUC) during FY 2013-14 amounted to ₹ 625 crore as against ₹ 653 crore in the previous year.
- Earnings per share were at ₹ 26.07 and Book value per share was at ₹ 248.16 as of end-March 2014.
- Total domestic branch network of the Bank in India increased to 2250 as on 31.3.2014 and all the branches are under CBS. Besides, the Bank has 3 overseas branches.
- Total number of ATMs increased to 2123, which includes 511 offsite ATMs and customers can access more than 1.63 lakh ATMs in the shared network.

INCOME AND EXPENDITURE

- During the year, total income of the Bank increased by 9.5 per cent to ₹ 16,621 crore, with interest income constituting ₹ 15,249 crore. Growth in interest income was at 9.7 per cent.
- Net interest income was at ₹ 4360 crore .
- On the Expenditure front, the Bank's interest expenditure was at ₹ 10,889 crore, a growth of 16.2 per cent.
- Total Operating expenses at ₹ 2831 crore for FY 2013-14 has shown an increase of 2.93 per cent.

IMPORTANT RATIOS FOR THE PERIOD 2013-14 ARE AS UNDER:

(in per cent)

Particulars	2013-14	2012-13
Return on Average Assets	0.67	1.02
Average Cost of Funds	6.27	6.06
Average Yield on Advances	10.38	11.04
Net Interest Margin	2.60	3.09
Cost-Income Ratio	49.40	47.33
Book Value per Share (₹)	248.16	242.89
Business per employee (₹ in lakh)	1452.85	1300.98
Profit per employee (₹ in lakh)	5.97	8.38

लाभांश

- निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 47 प्रतिशत के लाभांश की अनुशंसा की है। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए अदा किया जानेवाला लाभांश, कर की कटौती के अद्यधीन होगा। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लाभांश के कारण कुल बहिर्प्रवाह लाभांश कर के अतिरिक्त ₹ 243.2 करोड रुपये है। पे–आउट अनुपात 20.2 प्रतिशत बनता है।

भारत सरकार को आबंटित स्थायी गैर–संचयी अधिमान्य शेयरों का ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनः

- बैंक ने भारत सरकार (जेओआई) से अनुमति प्राप्त करने के बाद 400 करोड के स्थायी गैर–संचयी अधिमान्य शेयरों (पीएनसीपीएस) (भारत सरकार द्वारा धारित) को ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया है।
- फरवरी 10, 2014 को बैंक ने भारत सरकार को ₹10 प्रत्येक शेयर के अंकित मूल्यवाले 3,50,78,488 ईक्विटी शेयरों का ₹ 114.03 प्रति शेयर पर अधिमान्य आधार पर आबंटन (₹ 104.03 का प्रीमियम सहित) किया ।
- परिवर्तन के पश्चात बैंक में सरकार की शेयरधारिता 80 प्रतिशत (34,38,20,000 ईक्विटी शेयर) से बढकर 81.51 प्रतिशत (37,88,98,488 ईक्विटी शेयर) हो गयी है।

निवल मालियत एवं सीआरएआर

- बैंक की निवल मालियत 31.03.2013 के ₹ 10838.84 करोड़ से बढ़कर 31.03.2014 को ₹ 11535.58 करोड़ हो गई, यह 6.43 प्रतिशत की वृद्धि है।
- बेसल II के मानदंडों के अनुसार, मार्च 2013 को 13.08 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2014 को पूँजी की तुलना में जोखिम समायोजित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) 13.10 प्रतिशत है जबकि इसकी अपेक्षा 9 प्रतिशत ही है। पिछले वर्ष के 10.88 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2014 को टियर II पूँजी का सीआरएआर 10.51 प्रतिशत था।
- बेसल III मानदण्डों के अनुसार मार्च 2014 में सीआरआरएआर 12.64 प्रतिशत रहा टियर I पूंजी 10.24 प्रतिशत रही ।

बेसल II	को	
	मार्च 2014	मार्च 2013
टियर I – पूँजी	10.51	10.88
टियर II – पूँजी	2.69	2.20
कुल	13.10	13.08

बेसल III	मार्च 2014
टियर I – पूँजी	10.24
टियर II – पूँजी	2.40
कुल	12.64

वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन :

- पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान सितंबर 27, 2013 को श्री महेश कुमार जैन ने कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत होने के कारण श्री राजीव ऋषि, कार्यपालक निदेशक ने जुलाई 31, 2013 को बैंक छोड दिया था।
- जुलाई 26, 2013 को बोर्ड में श्रीमती सुधा कृष्णन को भारत सरकार ने नामिती के रूप में, डॉ. रजत भार्गवा, जो जुलाई 25, 2013 से निदेशक नहीं रहे, के स्थान पर नियुक्त किया गया।
- मई 31, 2013 को डॉ. सत्यन डेविड को भारिबैंक के नामिती के रूप में, डॉ एन कृष्ण मोहन, जो मई 30, 2013 से निदेशक नहीं रहे, के स्थान पर नियुक्त किया गया।
- मई 29, 2013 को श्री पी वेंकट कृष्ण राव को कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में श्री एम जयनाथ, जो अप्रैल 29, 2013 से निदेशक नहीं रहे, के स्थान पर नियुक्त किया गया।
- मार्च 11, 2014 को श्री दीपक डी. सामंत को बोर्ड में अधिकारी –कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक संपुष्ट करते हैं कि मार्च 31, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय :

- भौतिक विचलन, यदि हों, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया।
- वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कार्यकलाप व स्थिति पर सही एवं न्यायोचित दृष्टि तथा मार्च 31, 2014 तक बैंक के लाभ का सही चित्र देने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए।
- भारत में बैंकों को अधिशासित करनेवाले प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई।
- लेखों को लाभकारी कारोबार वाली संस्था के आधार पर तैयार किया गया है।

आभारोक्ति

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड को उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थानों और संपर्की बैंकों को उनके सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड अपने ग्राहकों व शेयरधारकों से मिले अनवरत समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

01.10.2010 से 31.07.2013 तक बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीव ऋषि के अमूल्य योगदान के प्रति बोर्ड अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

डॉ रजत भार्गव, डॉ एन कृष्ण मोहन और श्री एम जयनाथ जो वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्य नहीं रहे, के बहुमूल्य योगदान के प्रति बोर्ड अपनी सराहना व्यक्त करता है।

बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाएं तथा योगदान के प्रति बैंक अपनी सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIVIDEND

- The Board of Directors has recommended a dividend of 47 per cent for FY 2013-14. The dividend shall be subject to tax on dividend to be paid by the Bank. The total outflow on account of dividend for FY 2013-14 is ₹ 243.2 crore, excluding dividend tax. The payout ratio works out to 20.2 per cent.

CONVERSION OF PERPETUAL NON CUMULATIVE PREFERENCE SHARES INTO EQUITY SHARES ALLOTTED TO GOVERNMENT OF INDIA

- The Bank after obtaining permission from Government of India (GoI) converted Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) of ₹ 400 crore (held by GoI) into equity shares.
- Bank made a preferential allotment of 3,50,78,488 equity shares of face value ₹ 10 each at ₹ 114.03 per share (including premium of ₹ 104.03) to GoI on February 10, 2014.
- Following the conversion, the Government holding in the Bank has gone up to 81.51 per cent (37,88,98,488 equity shares) from 80 per cent (34,38,20,000 equity shares).

NETWORTH AND CRAR

- Net worth of the Bank improved to ₹ 11535.58 crore as on 31.3.2014 from ₹ 10838.84 crore as on 31.3.2013, registering a growth of 6.43 per cent.
- As per Basel II norms, the Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) was at 13.10 per cent as on March 2014, compared to 13.08 per cent as of March 2013, against the requirement of 9 per cent. CRAR of Tier I capital was 10.51 per cent as of March 2014 as against 10.88 per cent in the previous year.
- As per Basel III norms, CRAR was at 12.64 per cent for March 2014 and Tier- I capital was at 10.24 per cent.

(in per cent)

BASEL II	As on	
	March 2014	March 2013
Tier- I Capital	10.51	10.88
Tier-II Capital	2.69	2.20
Total	13.10	13.08

BASEL III	As on March 2014
Tier- I Capital	10.24
Tier-II Capital	2.40
Total	12.64

CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

- During the period under review, Shri. Mahesh Kumar Jain assumed charge as Executive Director on September 27th 2013.
- Shri. Rajeev Rishi, Executive Director demitted office on July 31st 2013 on his elevation as Chairman and Managing Director, Central Bank of India.
- Smt. Sudha Krishnan was appointed as Government of India nominee to the Board on July 26th 2013 in place of Dr. Rajat Bhargava who ceased to be Director from July 25th 2013.
- Dr. Sathyan David was appointed as RBI nominee to the Board on May 31st 2013 in place of Dr. N. Krishna Mohan who ceased to be Director from May 30th 2013.
- Shri P Venkata Krishna Rao was appointed as Workmen Employee Director on May 29th 2013 in place of Shri. M. Jayanath who ceased to be Director from April 29th 2013.
- Shri. Deepak D.Samant was appointed as Officers' Employee Director to the Board on March 11th 2014.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2014 –

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2014.
- Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders.

The Board places on record its sincere appreciation of the valuable contribution made by Shri. Rajeev Rishi as Executive Director of the Bank from 01.10.2010 to 31.07.2013.

The Board places on record its appreciation of the valuable contribution made by Dr. Rajat Bhargava, Dr. N. Krishna Mohan, and Shri. M. Jayanath who ceased to be members during the year.

The Board places on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

प्रबन्धन विचार विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था :

- 2013 के दूसरे वर्षार्ध में वैश्विक आर्थिक कार्यकलाप सुदृढ़ बन गए हैं और 2014 में 3.5 प्रतिशत के वैश्विक विकास होने की प्रत्याशा की जाती है जोकि वर्ष 2013 से 0.5 प्रतिशत अधिक है। यह प्रत्याशा की जाती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ए ई), खासकर यू.एस के नेतृत्व में होगा।

- इस वर्ष के दौरान यूएस फेडेरल रिजर्व ने अपने मात्रात्मक सुधार के कदमों को कम करना शुरू किया जिससे प्रारंभिक तौर पर वैश्विक वित्तीय बाजार प्रभावित हुए। यूएस की सुधार घोषणा के कारण मुद्राएँ प्रभावित हुई तथा इससे उन्नतिशील अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं अधिक प्रभावित हुईं। प्रगतिशील बाजारों ने उच्चतम मूल्यह्रास पाये जबकि यू.के., स्विट्जरलैंड जैसे उन्नत देशों और यूरो क्षेत्रों में डॉलर की तुलना में सुदृढ़ मुद्राएँ रही हैं। सुधार कार्यक्रम के डर से, उभरते हुए बाजारों से निधि का बहिर्गमन हुआ जिससे मुद्राओं पर भी प्रभाव पडा और वे कमजोर हो गई थीं। अब सुधार कार्यक्रम के आरंभ के समय से स्थिति सुधरी है और सुदृढ़ भी बन गई है, हालांकि वर्ष के आरंभ की तुलना में ये कमजोर ही हैं। तथापि मात्रात्मक वास्तविक सुधार के प्रारंभिक चरण को बाजारों ने बहुत अच्छे ढंग से सह लिया है।

- अन्तर्राष्टीय मुद्रा निधि के विश्व आर्थिक आउटलुक (डबल्यू ई ओ) ने प्रक्षेपित किया है कि वैश्विक विकास, 2013 के 3 प्रतिशत से सुदृढ़ बनकर 2014 में 3.6 प्रतिशत और 2015 में 3.9 प्रतिशत होगा। यह अपेक्षा की जाती है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का विकास 2014 और 2015 में 2.2 से 2.3 तक होगा, जोकि 2013 की तुलना में 1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि है। यह प्रक्षेपित किया गया है कि 2013 में देखी गई 4.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2014 और 2015 में उभरते बाजार और उन्नतिशील अर्थव्यवस्थाएँ क्रमशः 4.9 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेंगी।

- चीन का विकास 2013 के 7.7 प्रतिशत से 2014 में 7.5 प्रतिशत तक घटना अपेक्षित है, जबकि भारत के संबंध में प्रक्षेपित किया गया है कि 2013 में पायी गयी 4.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2014 में 5.4 प्रतिशत और 2015 में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था :

वित्तीय वर्ष 2014 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कमज़ोरी जारी रही। सरकार ने सुधार उपायों की श्रृंखला लागू की तथा इससे व्यापार और भुगतान संतुलन के क्षेत्रों में पायी गई चुनौतियों में काफी शिथिलता, खासकर 2013–14 के क्यू–2 में हुई है। खाद्य वस्तुओं और खुदरा व्यापार स्तर पर अधिक महँगाई, उच्चतर निविष्टि लागत, लाभ के मार्जिनों पर दबाव और संरचनागत संकीर्णताएं जैसी आंतरिक बाधाएं बनी रहीं तथा सरकार उपयुक्त राजकोषीय नीति में सुधार, प्रशासनिक कदमों और फास्ट ट्रेक परियोजनाओं में निवेश हेतु कैबिनेट समिति जैसे संस्थागत कदमों के जरिए इनका निवारण कर रही है।

इन उपायों को कार्यान्वित करने के पश्चात् सीएडी में तीव्र गति का सुधार हुआ है जिसमें आयातों में कमी और निर्यात में वृद्धि, दोनों शामिल हैं, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष के पूर्वार्ध में वर्ष दर–वर्ष डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति में कमी, राजकोषीय समेकन का पथ सही पाया गया हैः कृषि में विकास की गति बढ़ गई है और निर्माण क्षेत्र में थोडा–सा सुधार हुआ है।

- केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के आनुमानिक प्राक्कलन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि, जो वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 4.5 रही, वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान थोडा बढ़कर 4.7 प्रतिशत रही। अच्छे मानसून के कारण कृषि क्षेत्र ने अच्छा निष्पादन किया था। प्राक्कलनों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013 में 1.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014 में कृषि क्षेत्र में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। यह प्राक्कलित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन 263.20 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर होगा।

- औद्योगिक क्षेत्र में विकास की गति बहुत धीमी पड़ गई है। वित्तीय वर्ष 2014 के लिए प्राक्कलन दर्शाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2013 में 1.1 प्रतिशत से इस वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि घटकर (-) 0.1 प्रतिशत हो गई है। खनन और निर्माण के गौण–क्षेत्रों में दर्ज की गई नकारात्मक वृद्धि ही इस क्षेत्र में निम्नतम निष्पादन के कारण हैं। पिछले दो वर्षों में वृद्धि में गतिरोध मातहत निवेश और खपत मांग को इंगित करता है। इससे इस वर्ष में पूंजीगत पण्यों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में संकुचन हुआ है और उपर्युक्त अवधि के दौरान पूंजीगत पण्यों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में 3.7 प्रतिशत व 12.2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

- औद्योगिक क्षेत्र को मुख्य निविष्टियां प्रदान करनेवाले कोर उद्योगों की वृद्धि, अप्रैल से मार्च 2013–14 की अवधि के दौरान 2.6 प्रतिशत पर मंद रही जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 6.5 प्रतिशत थी।

- दी एचएसबीसी इंडिया निर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई), जोकि कारखानों में उत्पादन का मापन करता है, मार्च 2014 को 51.3 रहा जोकि विगत महीने के 52.5 से कम है। यह नए आदेश आवतियों में घटाव तथा कच्चे माल की कमी को दर्शाता है।

- सेवा क्षेत्र – जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का आधार है और विगत एक दशक में देश की राष्ट्रीय आय के 65 प्रतिशत से अधिक अंश का भागीदार है, ने भी वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान औसत वृद्धि में 6.2 प्रतिशत की कमी रिकार्ड करते हुए मंदी दिखाई है। इस क्षेत्र में मंदी के मुख्य कारण हैं इसके

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Global Economy

- Global economic activity has strengthened in the second half of 2013 and global growth in 2014 is likely to be 3.5 per cent, that is 0.5 per cent higher than in 2013. The expansion in the global economy is expected to be led by the advanced economies (AEs), especially the US.
- During the year, the US Federal Reserve started the tapering of its quantitative easing measures which initially affected the global financial markets. World over, currencies were affected by the US tapering announcement, more so, the currencies of developing economies. The emerging markets witnessed the highest depreciation while the developed countries such as UK, Switzerland, Euro area had stronger currencies vis-à-vis the dollar. The fear of the tapering programme did cause funds to move out of the emerging markets which in turn affected the currencies causing them to weaken. While conditions have improved since the tapering programme, they continue to remain weak relative to the start of the year. However, the markets have weathered the initial dose of actual tapering of the quantitative easing quite well.
- International Monetary Fund's World Economic Outlook (WEO) has projected global growth to strengthen from 3 per cent in 2013 to 3.6 per cent in 2014 and to 3.9 per cent in 2015. Advanced economies' growth is expected to increase to about 2.2 – 2.3 per cent in 2014 and 2015, an improvement of about 1 percentage point as compared with 2013. Emerging Market and Developing Economies' are projected to grow at 4.9 per cent and 5.3 per cent in 2014 and 2015 respectively from the 4.7 per cent growth witnessed in 2013.
- While China's growth is expected to decline to 7.5 per cent in 2014, from 7.7 per cent in 2013, India has been projected to grow at 5.4 per cent in 2014 and 6.4 per cent in 2015 from the 4.4 per cent seen in 2013.

Indian Economy

The weakness in the Indian economy persisted in FY 2014. The Government had put in place a series of measures and there has been a significant let-up in the challenges on the trade and balance of payments front, particularly in Q2 2013-14. Domestic impediments like elevated levels of food and retail inflation, high input costs, pressure on profit margins and infrastructural bottlenecks continued, with the Government addressing them through appropriate calibration of fiscal policy, administrative measures and institutional mechanisms like Cabinet Committee on Investment to fast track projects.

Consequent to these measures, there has been a sharp moderation in CAD as imports moderated and exports picked up; a moderation on year-on-year WPI inflation in the first half over that in the previous year; fiscal consolidation that is broadly on track; accelerated growth in agriculture and a mild recovery in manufacturing.

- As per the provisional estimates of Central Statistical Organisation (CSO), Indian economy grew by 4.7 per cent in FY 2013-14, marginally higher than 4.5 per cent in FY 2012-13. The agricultural sector performed remarkably well during FY14 on the back of good monsoons. As per the estimates, the agriculture sector recorded a growth of 4.7 per cent in FY14 as against the growth of 1.4 per cent in FY13. Food grain production in FY14 is estimated to touch record levels of 263.20 million tonnes.
- The industrial sector has recorded a sharp deceleration in growth. Estimates for FY14 show that the sector's growth has dropped to (-) 0.1 per cent from 1.1 per cent in FY13. The poor performance of the sector is mainly on account of the negative growth registered in the mining and manufacturing sub-sectors. The stagnation in growth over the previous two years reflects subdued investment and consumption demand. This has resulted in contraction in production of Capital Goods and Consumer Durables in the current year with Capital Goods and Consumer Durables showing negative growth of 3.7 per cent and 12.2 per cent respectively.
- Growth of core industries, which provides key inputs to the industrial sector, remained sluggish at 2.6 per cent during April-March 2013-14 as compared to a growth of 6.5 per cent in the corresponding period a year ago.
- The HSBC India Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI), a measure of factory production, stood at 51.3 in March 2014, down from 52.5 in the previous month, signalling a decline in new order inflows and a shortage of raw material.
- The services sector–the growth engine of the Indian economy accounting for more than 65 per cent of the country's national income in the last decade also recorded a deceleration, with the average growth declining to 6.2 per cent in FY14.The deceleration in the sector's growth can be largely attributed to the slowdown in its 2 subsectors – (1)

दो गौण क्षेत्रों, अर्थात् –1) व्यापार, होटल, परिवहन और संसूचना और 2) निर्माण में मंदी । व्यापार, होटल, परिवहन और संसूचना के गौण क्षेत्र (जिसका 40 प्रतिशत के स्तर पर सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक अंश है) ने वित्तीय वर्ष 2005 से वित्तीय वर्ष 2012 तक के 10.5 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2014 में 3.5 प्रतिशत तक घटाव देखा। इसी प्रकार निर्माण के गौण क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 05 से 12 तक के वार्षिक औसत 9.8 प्रतिशत से प्रगति में घटाव देखा जो वित्तीय वर्ष 2014 में 1.4 प्रतिशत था। कम औद्योगिक वृद्धि ने परिवहन क्षेत्र को प्रभावित किया है और संरचनागत क्षेत्र में कम कार्यकलापों ने निर्माण क्षेत्र को प्रभावित किया है।

- खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में घटाव, जो अप्रैल–नवंबर की अवधि में काफी उँचाई पर थे, से दिसंबर 2013 में सीपीआई और डबल्यूपीआई, दोनों की दृष्टि से मुद्रास्फीति में पर्याप्त कमी हुई। नवंबर 2013 में 11.7 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से 'हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति' फरवरी 2014 में 8 प्रतिशत तक कम हुई परन्तु मार्च 2014 में 8.3 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। वित्तीय वर्ष 2014 में समग्र मुद्रास्फीति, खाद्य वस्तुओं में उच्च मुद्रास्फीति के कारण बढ़ गई थी। सब्जियों और फलों के मूल्य में रिकार्ड बढ़ोत्तरी के कारण नवंबर 2013 में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति (डबल्यूपीआई) लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ गई। वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान समूचे राजकोषीय वर्ष के लिए खाद्य वस्तुओं के संबंध में मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक बढ़ गई। डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति में ईंधन और ऊर्जा घटकों ने भी वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान औसतन 10 प्रतिशत की बढोत्तरी देखी तथा इनमें नियंत्रित मूल्य तंत्र का विनिमयन हटा दिया गया था। दूसरी तरफ, निर्मित वस्तुओं के क्षेत्र ने मूल्यों में कमी देखी, जोकि वित्तीय वर्ष 2013 के औसतन 5.4 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2014 को 3 प्रतिशत तक घट गया था ।

- चूँकि खाद्य वस्तुओं, ईंधन और वस्त्रों से संबंधित मुद्रास्फीति घट गई है, समग्र रूप से वित्तीय वर्ष 2012–13 के 10.2 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में सीपीआई मुद्रास्फीति 9.2 प्रतिशत तक कम हुई है।

- वित्तीय वर्ष 14 में बाह्य क्षेत्र में जब निर्यातों में वृद्धि और आयातों में कमी हुई जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक घाटा कम हुआ और चालू खाता घाटे (सीएडी) में पर्याप्त कमी हुई। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान निर्यातों का मूल्य यूएसडी 312.36 बिलियन रहा जोकि विगत वर्ष से 3.98 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है, इसमें देशी मुद्रा के मूल्यह्रास और उन्नत देशों के व्यापारिक साझेदारी के निम्नस्तर और धीमी गति में सुधार में सहायक रहें। आयातों में 8.1 प्रतिशत की कमी से यह यूएसडी 450.9 बिलियन के स्तर पर रही तथा इसका एकमात्र कारण हैं नीतिगत प्रतिबंधों के कारण स्वर्ण के आयात में बडी मात्रा में कमी तथा नकारात्मक औद्योगिक विकास के कारण गैर–तेल और गैर–सोना आयातों में अवरोध। आयातों में घटौती के कारण देश के व्यापार घाटे में 28 प्रतिशत की कमी हुई जिससे वित्तीय वर्ष 2012–13 के यूएसडी 190.33 बिलियन के घाटे की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में यूएसडी 138. 59 बिलियन के स्तर तक यह घाटा कम हुआ।

- वर्ष के दौरान व्यापार घाटे में लगातार संकुचन से सीएडी कम हुआ है। व्यापार घाटे में संकुचन के साथ साथ निवल अगोचर संप्राप्तियों में बढ़ोत्तरी के कारण एक वर्ष पूर्व की अवधि के यूएस $ 87.8 बिलियन (जीडीपी का 4.7 प्रतिशत) के स्तर से वित्तीय वर्ष 2013-14 के दारौन सीएडी, वर्ष 2010 से अब तक की अवधि के दौरान यूएस $ 32.4 बिलियन (जीडीपी का 1.7 प्रतिशत) के न्यूनतम स्तर तक घट गया है।

- जनवरी 2014 से फेडरिजर्व द्वारा यूएस $ 10 बिलियन राशि से मात्रात्मक सुधार में संकुचन किए जाने से पुनः वित्तीय अस्थिरता पायी गयी। 2014 में अब तक भारत, अन्य देशों की तुलना में इस प्रभाव–विस्तार का मुकाबला बेहतर ढंग से कर सका है, क्योंकि उसने अंतरिम अवधि का उपयोग, बफर निर्मित करने के लिए किया था।

- बफरों के पुनर्गठन से भारतीय वित्तीय बाज़ारों ने सफल रूप से दिसंबर 2013 में ''फेड'' द्वारा लिए गए संकुचन के निर्णय को झेल लिया था। भविष्य में, वर्ष 2014 के दौरान फेड की संकुचन कार्यवाही के अंतराल से बाजार में उतार चढाव पर प्रभाव पड सकता है, हालांकि उसमें से एक अंश मूल्य–निर्धारित ही क्यों न हो।

- वित्तीय वर्ष 14 के अधिकांश भाग में भारतीय रुपए के मूल्य में भारी गिरावट, आर्थिक चिंता का सर्वोपरि कारण रहा। निम्नतर स्तरों के सीएडी और विदेशी विनिमय रिज़र्व के निर्माण ने रुपए के गिरते दबाव को समर्थित किया और अगस्त 28, 2013 को यूएस $ के प्रति 68.85 के अब तक के न्यूनतम स्तर को छूने के पश्चात रुपए में अस्थिरता घट गई थी। भारिबैंक और सरकार द्वारा क्रमबद्ध नीतिगत कदमों के बाद अपने रिकॉर्ड निम्नतर स्तरों (₹ 68 / $) से रुपया सुदृढ बन गया और हाल ही के महीनों में यह ₹ 61–62 / $ के स्तर पर स्थिर ही रहा है। देश की आर्थिक संरचना में सुधार भी, अर्थात् सीएडी का कम होना और देश में विदेशी आवतियों के अंतर्प्रवाह में बढ़ोत्तरी, देश की मुद्रा की स्थिरता में सहायक सिद्ध हुआ है।

- सितंबर 2013 से भारिबैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम देश में पूंजी के अंतर्प्रवाह के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त एफसीएनआर जमाओं के संग्रहण हेतु भारिबैंक के ''स्वैप विंडोज़'' ने भी वित्तीय वर्ष 14 के दौरान प्रारक्षितियों के निर्माण में अधिक सहायता की है। इसके परिणामस्वरूप 28 मार्च, 2014 को फॉरेक्स रिज़र्व यूएस $ 304 बिलियन तक पहुँच गये हैं जोकि मार्च 2013 तक की स्थिति से यूएस $ 12 बिलियन अधिक है।

मौद्रिक घटनाक्रम

- ''संकुचन'' से संबंधित भय, जिस के कारण अस्थिर सीएडी के बीच पूंजी बहिर्प्रवाह हुए और विनिमय दर पर दबाव बढ गए तथा साथ ही रुपए के मूल्यह्रास की पृष्ठभूमि में मुद्रास्पीतिगत दबाव पुनः बढ गए और तरकारियों की कीमत में बढ़ोत्तरी के धक्के के परिणामस्वरूप मुद्रा नीति में सुधार बाधित हुआ था। वित्तीय वर्ष 2013–14 के अधिकांश भाग में रिज़र्व बैंक ने कड़ी मौद्रिक नीति अनुरक्षित की और वर्ष के दौरान अपवादात्मक नीति कदम भी उठाए।

trade, hotel, transport & communications and (2) construction. Trade, hotel, transport and communications subsector (which accounts for the largest share in the service sector at 40 percent saw an annual average growth fall to 3.5 per cent in FY14. Likewise, the construction subsector witnessed a growth decline to 1.4 per cent in FY14. Low industrial growth has impacted the transport sector and less activity in the infra space has affected the construction sector.

- Inflation declined significantly in December 2013, both in terms of the CPI and WPI, driven by falling food prices which had firmed up considerably during April-November 2013. Headline CPI inflation receded from a high of 11.7 per cent in November 2013 to a low of 8.1 per cent in February 2014, but rose in March 2014 to 8.3 per cent. In FY14, overall inflation was fuelled by high food inflation. Food inflation (WPI) rose by nearly 20 per cent in Nov'13 (y-o-y) with prices of vegetable and fruits soaring to record high. For the fiscal, food inflation rose to 13 per cent from 10 per cent in FY13. The fuel & power component of WPI inflation too saw an increase of an average of 10 per cent in FY14, with the deregulation of administered price regime. The manufactured products segment, on the other hand, witnessed a significant moderation in prices, from an average of 5.4 per cent in FY13 to 3 per cent in FY14.
- On the whole, average CPI inflation has moderated to 9.2 per cent in FY 2013-14 as compared to 10.2 per cent in FY 2012-13, as average inflation in food, fuel and clothing declined.
- In FY14, on the external sector front, while exports recorded growth, imports contracted, leading to moderation in the trade deficit and significant decline in the current account deficit (CAD). Exports during FY 2013-14 touched USD 312.36 billion, a growth of 3.98 per cent over the previous year aided by depreciation in the domestic currency, low base as well as gradual recovery of trading partners in the developed world. Imports contracted by 8.1 per cent to USD 450.9 billion which can be attributed to the large decline in gold imports following the policy curbs imposed as well as stagnation in non-oil non-gold imports due to negative industrial growth. The decline in imports has greatly contributed to the 28 per cent decline in the country's trade deficit resulting in a lower trade deficit of USD 138.59 billion as compared to USD 190.33 billion in FY 2012-13.
- The steady narrowing of the trade deficit during the year has shrunk the CAD. CAD declined to its lowest since 2010 to US$ 32.4 billion (1.7 per cent of GDP) in FY 2013-14 from US$ 87.8 billion (4.7 per cent of GDP) in the year-ago period, due to contraction in the trade deficit, coupled with a rise in net invisibles receipts.
- The tapering of the Quantitative Easing by the Fed Reserve by US$10 billion from January 2014 witnessed renewed financial volatilities. India was able to withstand the bouts of spillovers much better than its peers in 2014 so far, having utilised the interim period to build buffers.
- Due to rebuilding of buffers, the Indian financial markets successfully withstood the effect of the Fed's tapering decision in December 2013. Going forward, the spacing of the Fed's tapering moves over the course of 2014 could influence market movements even though some of it seems to have been priced in.
- The steep decline in the Indian rupee was the foremost economic concern for a large part of FY14. The lower CAD and build-up of foreign exchange reserves enabled the downward pressure on the rupee and the volatility in the rupee subsided, after it touched an all time low of 68.85 against the dollar on August 28, 2013. Following a series of policy measures by the RBI and the government, the Rupee strengthened from its record lows (₹ 68/$) and has been fairly stable in recent months at ₹ 61-62/$. The stability in the domestic currency is being aided by the improvements in the country's economic fundamentals viz., the narrowing of the CAD and the increase in foreign inflows into the country.
- The various measures undertaken by the RBI since September 2013 augured well for the continuation of capital inflows into the country. In addition, the RBI's swap windows for mobilization of FCNR deposits further aided the build up of reserves during FY14. Consequently, forex reserves reached USD 304 billion as on March 28th 2014, with an accretion of over USD12 billion over March 2013.

MONETARY DEVELOPMENTS

- The easing of monetary policy was impacted by 'tapering' fears that caused capital outflows and exchange rate pressures amid unsustainable CAD, as also renewed inflationary pressures on the back of the rupee depreciation and increase in vegetable prices. The Reserve Bank has maintained a tight monetary policy stance through most of FY 2013-14 and resorted to exceptional policy measures during the year.
- Large capital outflows and consequent exchange rate pressures since May 2013 changed the course of monetary policy. Short-term interest rates were raised and liquidity conditions were tightened considerably, through measures so that the exchange rate stabilises. Since then, the exceptional measures have been normalised, though resurgence in inflation prompted policy rate increases.

- मई से बडी मात्रा में पूंजी बहिर्प्रवाह और परिणामस्वरूप विनिमय दर दबावों ने मौद्रिक नीति के पथ को बदल दिया था। अल्प–कालिक ब्याज दरों को बढा दिया गया था और विनिमय दर के सुदृढ़ होने के समय तक ऐसे उपायों के ज़रिए तरलता की स्थिति को काफी हद तक तंग बनाया गया। इसके पश्चात अपवादात्मक कदमों को पुनः सामान्य बना दिया गया है, हालांकि मुद्रास्फीति के पुनः बढने से नीति दर में वृद्धि को उकसाने वाली स्थिति भी उत्पन्न हुई थी।

- मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएसएफ) दरों को 200 बीपीएस बढ़ाते हुए (जुलाई 2013 में) अल्पावधि ब्याज दरों को बढ़ाया गया तथा तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत उपलब्ध तरलता को इसके पश्चात प्रतिबंधित किया गया खासकर एमएसएफ दर को तीन चरणों में 150 बीपीएफ तक घटाया गया, दैनिक सीआरआर अपेक्षा अनुरक्षण (99 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक घटाया गया) तथा सावधि रिपो तक पहुंच का विस्तार किया गया। इसी समय में रिपो दर को प्रत्येक बार 25 बीपीएस बढ़ाते हुए तीन बार बढ़ाया गया जिससे जनवरी 2014 में उसे 8 प्रतिशत बना दिया गया तथा जुलाई के मध्य में विद्यमान दरों में एमएसएफ को 100 बीपीएस में पुनः ठहराया गया। साथ ही साथ भारिबैंक ने हरेक बैंक द्वारा लिये जाने वाले उधार की उच्चतम सीमा, उसकी निवल मांग एवं सावधि देयता के 0.5 प्रतिशत पर नियत की।

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान तरलता की स्थितियां तंग रहीं। 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन वाले सावधि रिपो, जिन्हें वर्ष के दौरान प्रवर्तित किया गया था और फारेक्स स्वाप के ज़रिए, अतिरिक्त तरलता प्रदान की गई। वर्ष के दौरान एलएएफ, एमएसएफ और सावधि रिपो के ज़रिए रुपए 906 बिलियन की औसत दैनिक निवल तरलता लाने के अलावा एकमुश्त ओएमओ के ज़रिए रुपए 520 बिलियन की निवल तरलता लाई गई तथा निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) के ज़रिए रुपए 294 बिलियन की राशि लाई गई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एलएएफ रिपो के अंतर्गत रुपए 36104 करोड़, सावधि रिपो के अंतर्गत रुपए 120,023 करोड़ और एमएसएफ के अंतर्गत रुपए 51810 करोड़ की प्रतिभूतियां खरीदीं और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को रिवर्स रिपो नीलामी के ज़रिए रुपए 11,880 करोड़ की प्रतिभूतियां बेचीं।

- 21 मार्च, 2014 को ऋण में वृद्धि 14.3 प्रतिशत थी जोकि विगत वर्ष के दौरान इसी अवधि में 14.1 प्रतिशत से थोडी ज्यादा थी। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 13 में दर्ज की गई 14.2 प्रतिशत की तुलना में जमाओं में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिकॉर्ड निम्न स्तर में पहुंची देशी मुद्रा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारिबैंक की एफसीएनआर जमा योजना में 30 बिलियन डॉलर से अधिक जमाओं के कारण जमा वृद्धि में सहायता मिली। बैंकिंग उद्योग का सीडी अनुपात 77.7 प्रतिशत था।

- जी–सेक प्रतिफल में दो–तरफा उतार चढ़ाव पाये गए। जनवरी 2014 में नीति दर को बढ़ाने से प्रतिफल में बढ़ोत्तरी हुई। जी–सेक प्रतिफल के 7.16 प्रतिशत 2023 10 वर्ष का बेंचमार्क, मार्च 2014 की समाप्ति पर 8.80 प्रतिशत में बन्द हुआ। यह वर्ष के दौरान 7.11 प्रतिशत से 9.28 प्रतिशत के रेंज में चढ़ एवं घट रहा था।

- वर्ष के दौरान मांग मुद्रा की दरें, रिपो दरों के आसपास ही रहीं और वर्षांत में, मार्च 2014 की समाप्ति पर 7.70 प्रतिशत रहीं।

- व्यापक मुद्रा आपूर्ति (एम 3) वृद्धि, पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान 13.8 प्रतिशत तुलना में 13.5 प्रतिशत रही।

- स्थिर निर्वाचन परिणाम की अपेक्षा और कई सकारात्मक वृत्तियों के बल पर, जिसमें निम्नतर व्यापार घाटे के आंकडे, निम्नतर मुद्रास्फीति आदि शामिल थे, वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान बीएसई सेन्सेक्स और एनएसई में वृद्धि के साथ ईक्विटी बाज़ारों ने मामूली विकास देखा। बीएसई सेन्सेक्स 22386.27 पर बंद हुआ और निफ़्टी 6704.2 प्वाइंटों पर रहा। तथापि प्राथमिक पूंजी बाज़ार मंद ही रहे।

- वर्ष के दौरान उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के अनुरूप भारिबैंक ने सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति को लक्षित करने लगा और इसने जनवरी 2015 के लिए 8 प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर को अपना लक्ष्य बनाया।

- जून 04, 2013 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने संस्थागत निवेशकों के लिए ''इंन्फ़्लेशन इंडेक्स्ड बाण्ड्स (आईआईबी) प्रवर्तित किए जिसमें मूलराशि और कूपन, दोनों के लिए मुद्रास्फीति – संरक्षण उपलब्ध है। तत्पश्चात् खुदरा निवेशकों (यथा, वैयक्तिक, न्यास और विश्वविद्यालय) के लिए दिसंबर 23, 2013 को मुद्रास्फीति सूचकांकित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियां – संचयी (आईआईएनएसएस – सी) नामक आईआईबी की विशेष श्रृंखला प्रवर्तित की गई थी।

विस्तृत कारोबार समीक्षा

- पिछले वर्ष के ₹ 2,49,136 करोड़ से बढ़कर बैंक का वैश्विक कारोबार मार्च 31, 2013 को ₹ 286633 करोड़ हो गया जो ₹ 37,497 करोड़ या 15.1 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

- बैंक के देशी कारोबार में ₹ 34,442 करोड़ की वृद्धि से यह मार्च 31, 2013 को ₹ 235,934 करोड़ से बढ़कर ₹ 270,376 करोड़ हो गया जो 14.6 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

संसाधन संग्रहण :

- बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ 31 मार्च, 2014 को ₹ 160,000 करोड़ के आँकडे को पार कर ₹ 162,275 करोड़ हो गईं, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 141,980 करोड़ थीं तथा इनमें 14.3 प्रतिशत या ₹ 20,295 की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष में ₹ 1,34,804 करोड़ से बैंक की जमाराशियों में ₹ 18,712 करोड़ की वृद्धि से ये ₹ 153,517 करोड़ हो गईं जोकि 13.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

- Short term interest rates were raised by increasing the Marginal Standing Facility (MSF) rate by 200 bps (in July 2013) and curtailing liquidity available under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) which was later lowered, especially, the MSF rate by 150 bps in three steps, daily CRR requirement maintenance (from 99 per cent to 95 per cent) and expanding access to term repos. At the same time, the repo rate was increased thrice by 25 bps each to 8 per cent in January 2014 and the interest rate corridor restored to the 100 bps in MSF that existed prior to mid-July. Also, the RBI introduced a cap on individual bank's borrowing at 0.5 per cent of its Net Demand and Term Liability.
- Liquidity conditions remained tight in FY 2013-14. Additional liquidity was provided through term repos of 7-day, 14-day and 28-day which were introduced during the year and forex swaps. During the year, net liquidity to the tune of about ₹ 520 billion was injected through outright OMOs, besides an average daily net liquidity injection of ₹ 906 billion through LAF, MSF and term repos and ₹ 294 billion through export credit refinance (ECR). Reserve Bank purchased securities worth ₹ 36104 crore under LAF Repo, ₹ 120,023 crore under Term Repos, ₹ 51,810 crore under MSF and sold securities worth ₹ 11,880 crore under the Reverse Repo auctions on the last day of the financial year.
- Credit growth as of March 21st 2014, was at 14.3 per cent, marginally higher than the 14.1 per cent in the comparable period of the previous year. Likewise, deposits grew at 14.6 per cent as against the 14.2 per cent growth recorded in FY13. The growth in deposits was largely aided by the over $30 bn FCNR deposit scheme of the RBI aimed at boosting the domestic currency from its record lows. CD Ratio of the banking industry was at 77.7 per cent.
- G-sec yields witnessed two-way movements. The policy rate hike in January 2014 resulted in hardening of yields. The 7.16 per cent 2023 10-year benchmark G-sec yield closed at 8.80 per cent at end-March 2014 after moving in a range of 7.11 per cent – 9.28 per cent during the year.
- Call money rates generally hovered around the repo rate during the year and ended at 7.70 per cent as at end-March 2014.
- Broad Money Supply (M3) growth was at 13.5 per cent as compared to 13.8 per cent in the corresponding period of the previous year.
- Driven by expectations of a stable electoral outcome and a multitude of positives, including lower trade deficit numbers and lower inflation, equity markets witnessed a modest rally with the BSE Sensex and NSE recording increases during FY 2013-14. The BSE Sensex ended at 22386.27 while the Nifty ended at 6704.2 points. However, primary capital markets remained subdued.
- During the year, in line with the Urjit Patel Committee recommendation, RBI moved to targeting of CPI based inflation and adopted 8 per cent inflation rate as target for January 2015.
- Reserve Bank of India launched Inflation Indexed Bonds (IIBs) for institutional investors, with inflation protection to both principal and coupon, on June 4, 2013. Subsequently, a special series of IIBs for retail investors (such as individuals, trusts and universities), namely Inflation Indexed National Saving Securities-Cumulative (IINSS-C) was launched on December 23, 2013.

DETAILED BUSINESS OVERVIEW

- Global Business of the Bank has touched a level of ₹ 286,633 crore as on March 31st 2014 from ₹ 2,49,136 crore in the previous year, registering an increase of ₹ 37497 crore or 15.1 per cent.
- Domestic Business has increased by ₹ 34,442 crore to ₹ 270,376 crore from ₹ 235,934 crore as on March 31st 2013, registering a growth of 14.6 per cent.

RESOURCE MOBILISATION

- Global Deposits of the Bank has crossed the ₹ 160,000 crore mark to ₹ 162,275 crore as on March 31, 2014 from ₹ 141,980 crore in the previous year, with an accretion of ₹ 20,295 crore or 14.3 per cent. Domestic Deposits of the Bank has increased by ₹ 18,712 crore to ₹ 153,517 crore from ₹1,34,804 crore in the previous year, registering a growth of 13.9 per cent.
- CASA Deposits have reached the level of ₹ 44,010 crore as on March 31st 2014 from ₹ 39,139 crore in the previous year, recording a growth of 12.5 per cent.

CREDIT DEPLOYMENT

- Gross Advances of the Bank has crossed the ₹ 120,000 crore mark to ₹ 124,359 crore as against ₹ 107,156 crore as on March 31st 2013, recording a growth of 16.1 per cent. Domestic Credit has increased by ₹ 15,729 crore (15.6 per cent) to ₹ 116,859 crore as on March 31st 2014 as against ₹ 101,130 crore last year.
- Domestic Non food credit has increased by ₹ 15,716 crore (15.9 per cent) to ₹ 114,674 crore as on March 31st 2014 as against ₹ 98,959 crore in the previous year.
- Global Credit-Deposit Ratio as on March 31st 2014 stood at 76.63 per cent.

- 31 मार्च 2014 को कासा जमाराशियाँ पिछले वर्ष के ₹ 39,139 करोड़ से बढ़कर ₹ 44,010 करोड़ हो गईं जोकि 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

ऋण उपलब्धि :

- बैंक के कुल अग्रिम 31 मार्च 2013 के ₹ 107,156 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2014 को ₹ 120,000 करोड के स्तर को भी पार कर, 16.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 124,359 करोड़ तक पहुँच गए। देशी ऋण में ₹ 15,729 करोड़ का इजाफा हुआ (15.6 प्रतिशत) और वह पिछले वर्ष के ₹ 101,130 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2014 को ₹ 116,859 करोड़ हो गया।
- देशी खाद्येतर ऋण पिछले वर्ष के ₹ 98,959 करोड़ के मुकाबले ₹ 15,716 करोड बढ़कर (15.9 प्रतिशत) 31 मार्च 2014 को ₹ 114,674 करोड़ हो गया है।
- वैश्विक ऋण जमा (सीडी) अनुपात 31 मार्च 2014 को 76.73 प्रतिशत पर था।

शाखा तंत्र और विस्तार :

- बैंक ने वर्ष के दौरान अपने वितरण नेटवर्क में 164 शाखाएं जोडते हुए 2250 शाखाओं तक इसका विस्तार किया तथा इसमें 640 ग्रामीण, 612 अर्धशहरी, 568 शहरी और 430 महानगरीय शाखाएं हैं। बैंक ने फरवरी 08, 2014 को देश के 14 राज्यों में 108 शाखाएं खोलीं जोकि बैंक के इतिहास में अनोखी घटना है।
- भारिबैंक द्वारा पहचाने गए कम बैंकिंग सुविधा प्राप्त 375 जिलों में बैंक की 876 शाखाएं हैं। अल्पसंख्यकों की संख्या जिन जिलों में अधिक है, उनमें बैंक की 376 शाखाएं हैं और बैंक–रहित केन्द्रों में बैंक की 112 शाखाएं हैं।
- इसके अलावा बैंक के 28 विस्तार पटल, 21 उप कार्यालय, 01 संग्रहण पटल, 50 ग्रामीण बैंकिंग सेवा केन्द्र तथा 01 फोरेक्स ब्यूरो हैं।
- इसके अलावा सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में बैंक की 3 विदेशी शाखाएं कार्यरत हैं।

खण्डवार निष्पादन

प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण:

- मार्च 2014 को प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम ₹ 41,156 करोड़ रहे जोकि 31 मार्च 2013 तक के समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40.6 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान इस क्षेत्र ने ₹ 4,736 करोड़ या 13.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 6,388 करोड़ या 21.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

कृषि ऋण:

- कृषि अग्रिम में 12.0 प्रतिशत या ₹ 2,047 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिससे वे ₹ 19,047 करोड़ रहे तथा यह मार्च 2013 तक की एएनबीसी का 18.8 प्रतिशत था।

कृषि वितरण :

- विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अंतर्गत 2013–14 के दौरान बैंक ने ₹ 15,517 करोड़ के कृषि ऋण वितरित किये हैं जबकि वार्षिक लक्ष्य ₹ 12,500 करोड़ था जिससे कि 124 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गयी है।
- उपर्युक्त में से ₹ 2,593 करोड़ की राशि, 5.3 लाख नए कृषकों को वितरित की गई और ₹ 7,542 करोड़ की राशि 11.6 लाख लघु/सीमांत कृषकों को वितरित की गई है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के न्यूनतम 40 प्रतिशत के निदेशों की तुलना में प्रत्यक्ष कृषि वितरणों का 49 प्रतिशत बनता है।

गहन कृषि ऋण अभियान

- कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से तथा कृषकों के साथ बैंक के संबंध को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से प्रतिवर्ष रबी और खरीफ मौसमों के दौरान सभी शाखाओं में गहन कृषि ऋण अभियान चलाए जाते हैं।
- इस वर्ष के दौरान मौसमी खरीफ एवं रबी अभियानों में शाखाओं द्वारा कृषि के अधीन 8.2 लाख खातों में ₹ 5978 करोड संवितरित किए गए।

डीआरआई अभियान

- शाखाओं द्वारा अगस्त–सितम्बर 2013 की अवधि के दौरान डीआरआई अभियान आयोजित किये गये जिसमें समाज के गरीबी रेखा के नीचे होनेवाले 232 सदस्यों को ₹ 30.3 लाख की राशि वितरित की गई।

माइक्रो वित्त की पहलः

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान बैंक ने 47,051 स्वयं सहायता समूहों को ₹ 1,539 करोड़ वितरित किए । एसएचजी के अंतर्गत बकाया ऋण मार्च 2014 को ₹ 2438 करोड रहा।

स्वयं सहायता समूह ब्याज अनुदान योजना

- बैंक, तमिलनाडु के वर्ग II जिलों में स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल बैंक है।

माइक्रोसेट शाखाएंः

- मार्च 2014 की समाप्ति तक बैंक की 45 माइक्रोसेट शाखाएँ (एसएचजी को ऋण प्रदान करने में विशेषीकृत शाखाएँ) थीं।
- 21,640 एसएचजी ग्रूपों को कवर करते हुए माईक्रोसेट शाखाओं ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 543 करोड़ वितरित किए। मार्च 2014 की समाप्ति पर कुल बकाया अग्रिम 48,657 एसएचजी को कवर करते हुए ₹ 745 करोड़ थे।

कमजोर क्षेत्र को अग्रिम

- मार्च 2014 की समाप्ति पर कमजोर वर्गों को प्रदत्त बकाया ऋण ₹ 11,121 करोड़ था जोकि 10 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्ड के विरुद्ध एएनबीसी का 11 प्रतिशत बनता है।
- 31.03.2014 को अजा/अजजा के हिताधिकारियों को प्रदत्त बकाया ऋण ₹ 2,165 करोड़ रहा, जोकि बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 5 प्रतिशत बनता है।
- अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदत्त ऋण मार्च 2014 को ₹ 6,198 करोड रहा या 15 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्ड की तुलना में, कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 15 प्रतिशत रहा।

शैक्षिक ऋण योजना

- मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने 73,352 छात्रों को शैक्षिक ऋण के रूप में ₹ 437 करोड की राशि वितरित की है।

BRANCH NETWORK AND EXPANSION

- The Bank has expanded its distribution network by 164 branches during the year in India to 2250 branches, comprising of 640-Rural, 612-Semi Urban, 568-Urban and 430-Metropolitan branches. The Bank opened 108 branches across 14 states on February 8th 2014, a unique event in the history of the Bank.
- In the 375 underbanked districts identified by Reserve Bank of India, the Bank has 876 branches. The Bank also has 376 branches in Minority Concentrated districts and 112 branches in the unbanked centres.
- Besides, the Bank has 28 Extension Counters, 21 Satellite offices, 1 Collection Counter, 50 Rural Banking Service Centres and 1 Forex Bureau.
- The Bank has 3 foreign branches in Singapore, Colombo and Jaffna.

SEGMENT - WISE PERFORMANCE

Priority Sector Credit

- Priority Sector advances at ₹ 41,156 crore as at end-March 2014 constituted 40.6 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as of March 2013. The sector registered a growth of 13.0 per cent or ₹ 4,736 crore during FY 2013-14.

Agriculture Credit

- Agriculture advances registered a growth of 12.0 per cent or ₹ 2,047 crore to ₹ 19,047 crore, which constituted 18.8 per cent of ANBC as of March 2013.

Agricultural Disbursement

- Under Special Agricultural Credit Plan (SACP), the Bank has disbursed farm loans to the tune of ₹ 15,517 crore during FY 2013-14, as against the annual target of ₹ 12,500 crore, recording an achievement of 124 per cent.
- Of the above, ₹ 2,593 crore has been disbursed to 5.3 lakh new farmers and ₹ 7,542 crore to 11.6 lakh small/marginal farmers, working out to 49 per cent of Direct Agricultural disbursements, as against the RBI directive of minimum 40 per cent.

Intensive Farm Credit Campaigns

- Intensive Farm Credit Campaigns are being observed in all the branches every year during Kharif and Rabi seasons, with the objective of enhancing credit flow to agriculture and strengthening the Bank's relationship with the farmers.
- During the seasonal Kharif and Rabi campaigns conducted during the year, ₹ 5978 crore covering 8.2 lakh accounts were disbursed by branches.

DRI Campaign

- DRI campaigns were conducted by branches between August-September 2013 and disbursements amounting to ₹ 30.3 lakh was made to 232 (below poverty line) members of the society.

Micro Finance Initiatives

- During FY 2013-14, the Bank has disbursed ₹1,539 crore to 47,051 Self Help Groups (SHGs). Outstanding Credit to SHGs stood at ₹ 2438 crore as of end- March 2014.

SHG Interest Subvention Scheme

- The Bank is the nodal bank for implementation of interest subvention scheme to SHGs in the Category II districts of Tamil Nadu.

MICROSATE Branches

- As of end-March 2014, there were 45 MICROSATE branches (specialized branches for lending to SHGs).
- MICROSATE branches have disbursed ₹ 543 crore covering 21,640 SHGs during FY 2013-14. Total outstanding advances as at end -March 2014, was ₹ 745 crore, covering 48,657 SHGs.

Weaker Section Advances

- Credit outstanding to Weaker Sections at ₹ 11,121 crore as at end-March 2014, constituted 11 per cent of ANBC, as against the stipulated norm of 10 per cent.
- Outstanding credit to SC/ST beneficiaries stood at ₹ 2,165 crore as on 31.03.2014, working out to 5 per cent of Priority Sector advances of the Bank.
- Advances to Minorities as on March 2014 stood at ₹ 6,198 crore or 15 per cent of total Priority Sector Advances, as against the stipulated norm of 15 per cent.

Education Loan Scheme

- During the period ended March 2014, the Bank has disbursed a sum of ₹ 437 crore as education loans to 73,352 students.
- Under the facility of "Web based on-line education loan application system" as of end-March 2014, 195 students were given *in-principle* sanction amounting to ₹ 6 crore.
- Under the "Central Scheme to provide Interest Subsidy (CSIS)", education loans were provided during the moratorium period to students hailing from Economically Weaker Sections.
- Under IBA education loan scheme, ₹ 201 crore in 1.21 lakh accounts has been preferred with Government of India through Nodal Bank, during FY 2013-14 for the Scheme year 2012-13, for which the Bank has received ₹ 65 crore and the same has been credited to education loan accounts up to March-2014.

- ''वेब आधारित ऑनलाइन शैक्षिक ऋण आवेदन प्रणाली'' की सुविधा के अंतर्गत मार्च 2014 तक 195 छात्रों को ₹ 6 करोड़ की सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की गई।
- ब्याज इमदाद प्रदान करने हेतु केन्द्रीय योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छात्रों को स्थगन अवधि के दौरान शैक्षिक ऋण प्रदान किया गया।
- आईबीए शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान योजना वर्ष 2012–13 के लिए नोडल बैंकों के जरिए भारत सरकार को 1.21 लाख खातों में ₹ 201 करोड के लिए दावा किया गया है जिसके लिए बैंक को ₹ 65 करोड प्राप्त हुआ है तथा उसे मार्च 2014 तक शैक्षिक ऋण खातों में जमा किया गया है।

अग्रणी बैंक योजनाः

- पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में बैंक की एसएलबीसी जिम्मेदारी है तथा 13 जिलों में इसकी अग्रणी भूमिका है (तमिलनाडु में 10, आंध्र प्रदेश में 2 और केरल में 1)। बैंकिंग सेवाएं रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु सभी अग्रणी जिले वित्तीय समावेश योजना को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं।

नैसर्गिक आपदाओं से बाधित कृषकों को राहत

- बैंक ने कडलूर में 'ताने' बाढ़ से पीडित काजू कृषकों में 3294 हिताधिकारियों को कवर करते हुए ₹ 23 करोड का वितरण किया है।

क्षमता निर्माण पहलः

- ग्रामीण जनता के लिए विभिन्न विकास गतिविधियाँ करने के लिए ''ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक न्यास'' (आईबीटीआरडी) के नाम से बैंक ने एक न्यास स्थापित किया है। इस न्यास के अधीन बैंक ने चित्तूर और मचिलिपट्नम (आंध्र प्रदेश) कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, विलुप्पुरम और वेल्लूर (तमिलनाडु), केरल में कोल्लम एवं पुदुच्चेरी में वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श (एफएलसीसी) केन्द्र स्थापित किए हैं।
- झुग्गी बस्तियों में शहरी गरीब व्यक्तियों के हितार्थ चेन्नै, दिल्ली तथा मुम्बई में शहरी वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
- बैंक ने चित्तूर, कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेल्लूर और विलुप्पुरम के 12 केन्द्रों में ''इंडियन बैंक स्व–नियोजन प्रशिक्षण संस्थान'' (इंड सेटी) नामक 'रुडसेटी' मॉडल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। इंडसेटी संस्थानों द्वारा 18,084 व्यक्तियों को लाभ पहुँचाते हुए अब तक 655 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- क्षमता निर्माण की दिशा में बैंक की उपर्युक्त अनन्य पहलों के अलावा बैंक ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र (आरटीसी), कारैक्कुडी, तमिलनाडु (नाबार्ड और आईओबी के साथ संयुक्त रूप से) और आंध्र प्रदेश बैंकर्स ग्रामीण एवं उद्यमवृत्ति विकास संस्थान – एपीबीआईआरडी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश सरकार नाबार्ड और पांच अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से) में भी भाग ले रहा है। ये दोनों संस्थान ग्रामीण जनसंख्या पर ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापक कुशलता उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। आरटीसी, कारैक्कुडी द्वारा 7084 सदस्यों को लाभ पहुँचाते हुए 271 प्रशिक्षण कार्यक्रम और एपीबीआईआरईडी, हैदराबाद द्वारा 5432 सदस्यों को लाभ पहुँचाते हुए 228 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- बैंक ने इंडियन बैंक स्व नियोजन प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) के नाम से 12 ग्रा.स्व.प्र.स. (ग्रामीण स्व नियोजन प्रशिक्षण संस्थानों) की स्थापना चित्तूर (आंध्र प्रदेश), पुदुच्चेरी तथा कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेल्लूर तथा विलुप्पुरम (तमिलनाडु) में की है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इमेज में इस वर्ष के दौरान सभी इंडसेटीयों के इंडसेटी निदेशकों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया।

वित्तीय समावेश

- वित्तीय समावेश योजना के अंतर्गत बैंक ने 2000 से अधिक आबादीवाले तथा 2000 से कम आबादीवाले 5013 गाँवों को निम्नानुसार विभिन्न सुपुर्दगी के चैनेलों के ज़रिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान की हैं:
  - स्मार्ट कार्ड आधारित व्यापार संपर्की (बीसी) मॉडल के जरिए 4852 गांव
  - वास्तविक शाखाओं के जरिए 58 गांव
  - बैंकिंग सेवा केन्द्रों (बीएससी) के जरिए 33 गांव
  - मोबाइल शाखा / वेन के जरिए 70 गांव
- बैंक ने वित्तीय समावेश के अंतर्गत बीसी मॉडल के जरिए कवर किए गए 2000 से अधिक आबादीवाले गांवों में 1407 अति लघु शाखाएँ (यूएसबी) खोली हैं।

Lead Bank Scheme

- The Bank holds SLBC responsibility in UT of Puducherry and the role of Lead Bank in 13 districts (10 in Tamil Nadu, 2 in Andhra Pradesh and 1 in Kerala). The Lead Districts are actively involved in implementing the Financial Inclusion Plan to provide Banking Services in unbanked villages.

Relief to Farmers affected by Natural Calamity:

- The Bank has disbursed ₹ 23 crore to 3294 beneficiaries to the 'Thane' cyclone affected Cashew farmers in Cuddalore.

Capacity Building Initiatives

- Bank has set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD) to undertake various developmental activities for the rural people. Under the Trust, the Bank has established Financial Literacy and Credit Counselling (FLCC) centers at Chittoor and Machilipatnam (Andhra Pradesh) Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Tiruvannamalai, Tiruvallur, Villupuram & Vellore (Tamil Nadu), Kollam (Kerala) and Puducherry.
- Urban Financial Literacy Centres have been established in Chennai, Delhi and Mumbai for the benefit of the urban poor in slum areas. Block level FLCs have been established at Chadayamangalam and Parassala Blocks in Kerala.
- The Bank has also established RUDSETI Model Training institutes named as "Indian Bank Self Employment Training Institute (INDSETI) in twelve centers viz., Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Tiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. 655 training programmes have been conducted by these INDSETIs benefitting 18,084 individuals so far.
- Apart from the above, exclusive initiatives have been taken towards capacity building; the Bank participated in Rural Training Centre, Karaikudi, Tamil Nadu (jointly with NABARD & IOB) and Andhra Pradesh Bankers' Institute of Rural & Entrepreneurship Development - APBIRED, Hyderabad (jointly with Government of AP, NABARD and five other Banks). These two training institutes offer wide range of skill - oriented training programmes with a focus on rural population. 271 training programmes have so far been conducted by RTC, Karaikudi (benefitting 7084 members) and 228 programmes by APBIRED, Hyderabad (benefitting 5432 members).
- Bank has established 12 RSETIs (Rural Self Employment Training Institutes) under the name Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) at Chittoor (Andhra Pradesh), Puducherry and Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Tiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villipuram (Tamil Nadu).
- As per the directions of Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India, a conclave of INDSETI Directors of all INDSETIs was convened at IMAGE during the year.

Financial Inclusion

- Under Financial Inclusion Plan, Bank has provided banking services to 5,013 villages with population above 2000 as well as below 2000 through various delivery channels as below:
  - 4852 villages through Smart card based Business Correspondent (BC) Model
  - 58 villages through Brick and mortar branches
  - 33 villages through Banking Service Centers (BSCs) and
  - 70 villages through Mobile Branch/Van.
- Bank has opened 1407 Ultra Small Branches (USBs) in the villages with population above 2000 covered through BC model under Financial Inclusion.
- 23.85 lakh Basic Savings Bank Deposit accounts have been opened in the Financial Inclusion Plan implementing villages as on 31.03.2014; of which, 21.51 lakh accounts were opened under Information and Communication Technology (ICT) based Business Correspondent (BC) model. Smart cards have been issued to the account holders.
- As on 31.03.2014, 66 lakh smart card transactions amounting to ₹ 523 crore have been carried out by the Business Correspondents in the villages.

- 31.03.2014 तक वित्तीय समावेश योजना को कार्यान्वित करनेवाले गांवों में 23.85 लाख आधारभूत बचत बैंक खाते खोले गए हैं। इसमें से 21.51 लाख खाते सूचना और संपर्क प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित व्यापार संपर्की (बीसी) मॉडल के अंतर्गत खोले गए हैं। खाताधारकों को स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं।
- 31.03.2014 तक गांवों में व्यापार संपर्कियों द्वारा 66 लाख स्मार्ट कार्ड लेनदेनों के जरिए ₹ 523 करोड राशि के लेनदेन किए गए हैं।
- वित्तीय समावेश योजना के अंतर्गत इन गांवों में 7358 हिताधिकारियों को कवर करते हुए ₹ 485 लाख की राशि, बचत बैंक नो फ़्रिल खातों में ओवरड्राफ्ट और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधाओं के रूप में प्रदान की गई है।

पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में वित्तीय समावेश योजना का कार्यान्वयन

- पुदुच्चेरी यूटी में जहाँ हमारा बैंक एसएलबीसी का संयोजक है, 2000 से अधिक आबादीवाले 42 गांव और 2000 से कम आबादीवाले 25 गांवों को एफआईपी के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गई। 2000 और उससे अधिक आबादी वाले तथा 2000 और उससे कम आबादीवाले सभी गांवों को, सदस्य बैंकों ने विभिन्न सुपुर्दगी माध्यमों द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान की हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वित्तीय समावेश योजना का कार्यान्वयन

- बैंक ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रवर्तित किए हैं, यथा सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर, पल्लवन ग्राम बैंक, सेलम और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक, पुदुच्चेरी। 31.03.2014 तक वित्तीय समावेश योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आबंटित सभी 248 गांवों को, जिनमें आबादी 2000 से अधिक है, बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गई हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2000 से कम आबादीवाले 564 गांव आबंटित किए गए हैं तथा सभी गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गई है और लेनदेन जारी है। 31.03.2014 तक इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने गांवों में हिताधिकारियों के लिए 3.87 लाख मूल बचत बैंक खाते खोले हैं।

प्रवासी मजदूरों और फुटपाथी विक्रेता/फेरीवालों के लिए खाते खोलना

- भारत सरकार की सलाह के अनुसार बैंक ने शहरी और महाशहरी केन्द्रों में शाखाओं से 500 मीटर दूरी के अन्दर काम करनेवाले प्रवासी मजदूरों और फुटपाथी विक्रेता/फेरीवालों के लिए खाते खोलने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। 31.03.2014 को 24,499 प्रवासी मजदूरों के लिए खाते खोले गए हैं।

तमिलनाडु में सामूहिक सुरक्षा योजना के अधीन पेंशन की अदायगी

- जुलाई 2012 से तमिलनाडु राज्य में सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2 लाख हिताधिकारियों को वित्तीय समावेश के अधीन कवर किये गये गांवों में वृद्धावस्था पेन्शन अदा किया जा रहा है। इसका भुगतान, सूचना और संपर्क प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित स्मार्ट कार्ड से समर्थित व्यापार संपर्की (बीसी) मॉडल के जरिए किया जा रहा है।

माइक्रो बीमा

- तमिलनाडु तथा पुदुच्चेरी राज्य में, वर्ष जुलाई 2013 से बैंक, मेसर्स युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेन्स कम्पनी लिमिटेड के सहयोग से क्षेत्रीय व्यापार संपर्कियों (एफबीसी) के जरिए वि.स. ग्राहकों को माइक्रो बीमा उत्पादों की सेवा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में, 6 योजनाओं के तहत बीमा कवरेज उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 31.3.2014 को ₹ 2.43 लाख के कुल प्रीमियम के साथ एफबीसीयों द्वारा 7,649 पॉलिसियाँ कैन्वास की गईं।

शहरी वित्तीय समावेश

- बैंक ने कोयम्बेडु मार्किट, चेन्नै में आईसीटी आधारित बीसी मॉडल को कार्यान्वित किया है। इस बीसी मॉडल के जरिए 775 तरकारी/फल विक्रेताओं के नामांकन किये गये हैं तथा उन्हें स्मार्ट कार्ड जारी किये गये हैं और बीसी द्वारा ₹ 9 लाख राशि के 1668 लेनदेन किये गये हैं।
- बैंक ने चेन्नै, मुम्बई तथा नई दिल्ली में शहरी वित्तीय साक्षरता केन्द्रों की स्थापना की है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का कार्यान्वयन

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को 121 जिलों में कार्यान्वित किया गया है (चरण I में 43 प्रायोगिक जिले तथा चरण II में 78 जिलें)। बैंक की 92 जिलों में 456 शाखाएँ हैं तथा ये शाखाएँ डीबीटी को कार्यान्वित कर रही हैं। बैंक, चित्तूर, पुदुच्चेरी, कृष्णा तथा यानम जिलों में अग्रणी बैंक है।

अग्रणी जिला	जिले में कार्यान्वित योजनाओं की सं.	सरकारी विभाग के अनुसार कुल हिताधिकारियों की सं.	जिसमें खोले गये खातों की सं.	जारी किये गये डेबिट कार्डों की सं.	खातों की सं. जहाँ आधार सं. अंकित की गई है	अंतरित इमदाद	
						सं.	राशि (₹.लाखों में)
चित्तूर	8	130145	130145	60401	57978	112109	3932.18
पुदुच्चेरी	13	9042	9042	6999	8677	6401	1067.66
कृष्णा	6	117199	117199	37869	67262	-	-
यानम	3	753	753	590	665	332	1.66

- Overdraft in SB 'No frill' accounts and General Credit Card (GCC) facilities have also been provided to 7,358 beneficiaries amounting to ₹ 485 lakh in these villages under Financial Inclusion Plan.

Implementation of FIP in Union Territory of Puducherry

- In UT of Puducherry, where our Bank is the SLBC Convenor, a total of 42 villages with population above 2000 and 25 villages with population 2000 and below have been allotted to various Banks under FIP. Banking services have been extended to all the villages with population above 2000 as well as with population 2000 and below by the member banks through various delivery channels.

Implementation of FIP in RRBs

- The Bank has sponsored three Regional Rural Banks (RRBs) viz., Saptagiri Grameena Bank, Chittoor; Pallavan Grama Bank, Salem and Puduvai Bharathiar Grama Bank, Puducherry. Under Financial Inclusion Plan, as on 31.03.2014, all the 248 villages with population above 2000 allotted to the RRBs have been provided with banking services.
- The RRBs have also been allocated 564 villages with population below 2000 and banking services have been provided in all the villages by the Business Correspondents (BCs) and transactions are in progress. As on 31.03.2014, these RRBs have opened 3.87 lakh Basic Savings Bank Deposit accounts to the beneficiaries in the villages.

Opening of Accounts of Migrant Labourers and Street Vendors/Hawkers

- Bank has initiated a special drive in urban and metro areas for opening accounts of migrant labourers and street vendors/hawkers working within 500 metres of the branches in Urban and Metro areas, as advised by Government of India. As on 31.03.2014, accounts have been opened for 24,499 migrant labourers and street vendors.

Payment of Pension under Social Security Scheme in Tamil Nadu

- In the state of Tamil Nadu, under Social Security Scheme, old age pension is being paid to about 2 lakh beneficiaries in the villages covered under FI, through Bank accounts using Information and Communication Technology (ICT) based Smart Card enabled Business Correspondent (BC) Model since July 2012.

Micro Insurance

- In the state of Tamil Nadu and Puducherry, the Bank in association with M/s. United India Insurance Company Ltd. is extending Micro Insurance products to the FI customers through its Field Business Correspondents (FBCs) since July 2013. Presently, insurance coverage is provided under 6 schemes. As on 31.03.2014, 7,649 policies have been canvassed by the FBCs for a total premium of ₹ 2.43 lakh.

Urban Financial Inclusion

- Bank has implemented the ICT based BC model in Koyambedu Market, Chennai. Through the BC model, 775 vegetable/fruit vendors have been enrolled / issued smart cards and 1668 transactions amounting to ₹ 9 lakh have been done by the BC.
- Bank has also established Urban Financial Literacy Centres in Chennai, Mumbai and New Delhi.

Implementation of Direct Benefit Transfer

- Direct Benefit Transfer (DBT) has been implemented in 121 districts (43 pilot districts in Phase-I and 78 districts in Phase-II). Bank is having 546 branches in 92 districts and these branches are implementing DBT Scheme. Bank is also the Lead Bank in Chittoor, Puducherry, Krishna and Yanam Districts.

Lead District	No. of schemes implemented in the district	Total no. of Beneficiaries as per Govt. dept.	Of which, No. of accounts opened	No. of Debit Cards issued	No. of accounts where Aadhaar Numbers are seeded	Subsidy Transferred	
						No.	Amount (₹ in lakh)
Chittoor	8	130145	130145	60401	57978	112109	3932.18
Puducherry	13	9042	9042	6999	8677	6401	1067.66
Krishna	6	117199	117199	37869	67262	-	-
Yanam	3	753	753	590	665	332	1.66

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 293 जिलों में एलपीजी (डीबीटीएल) ग्राहकों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। 227 जिलों में बैंक की 1466 शाखाएँ हैं तथा ये शाखाएँ डीबीटीएल को कार्यान्वित कर रही हैं। बैंक, चित्तूर, पुदुच्चेरी, कृष्णा, कोल्लम, माहे, यानम, कारैक्काल, कृष्णगिरि, नामक्कल, वेल्लूर तथा विळुप्पुरम जिले में अग्रणी बैंक है जहाँ डीबीटीएल कार्यान्वित है।

माइक्रो, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण का प्रवाहः

- 31.03.2014 को लघु एवं मझोले उद्यमों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण की राशि में 17 प्रतिशत की वृद्धि से यह ₹ 16,104 करोड़ रहा।
- एमएसएमई संविभाग पर केन्द्रित ध्यान एवं विकास हेतु बैंक ने सभी अंचलों में एमएसएमई केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की हैं और विभिन्न अंचलों में 73 विशेषीकृत एमएसएमई शाखाएं परिचालनाधीन लायी हैं।
- बैंक ने भीलवाड़ा तथा ईचलकरंजी क्षेत्र में वस्त्र क्लस्टर, मोरवी क्षेत्र में सेरमिक क्लस्टर, नेल्लूर क्षेत्र में राइसमिल क्लस्टर, करूर, अरियलूर, पेरंबलूर और तिरुच्ची क्षेत्रों में ट्रक क्लस्टर, तिरुच्चेंगोडु क्षेत्रों में रिग क्लस्टर, एमईपीज़ेड में निर्यात क्लस्टर, चेन्नै तथा कोलकाता क्षेत्र में वाहन क्लस्टर बहादुरगढ़ क्षेत्र में फुटवेयर क्लस्टर के लिए क्लस्टर–विशेष हेतु योजनाएं अनुमोदित की हैं।

वैयक्तिक खण्ड के ऋण

- वर्ष के दौरान बैंक के गृह ऋण, वाहन ऋण, वैयक्तिक ऋण, एनएससी ऋण तथा बंधक ऋण जो वैयक्तिक खण्ड ऋण के संविभाग में हैं, ₹ 9622/– तक बढ़ गए हैं जोकि 17.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। दिनांक 31.03.2014 को वैयक्तिक खण्ड के अधीन कुल बकाया ऋण ₹ 17,060 करोड़ तक बढ़कर 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- बैंक ने ''आईबी विशेष कोम्बो'' नामक नई योजना प्रवर्तित की थी, जहाँ ग्राहक 04.10.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए ऋण राशि से संबंध न रखते हुए बेस दर पर गृह ऋण, वाहन ऋण तथा उपभोक्ता ऋण ले सकते थे।
- स्टाफ सदस्य / अधिकारी जिन्होंने स्टाफ आवास ऋण लिया है, उन्हें 'आईबी गृह ऋण प्लस' की सुविधा बढ़ाई गई है।
- बैंक ने ब्याज दरों को संगत बनाया, प्रोसेसिंग दरों में छूट दी, जो गृह ऋण के अच्छे निष्पादन का प्रमुख कारण था।

(₹ करोड़ों म)

उत्पाद	बकाया शेष
गृह ऋण	7399.85
स्टाफ गृह ऋण	358.63
आटोमोबाइल ऋण	641.48
वैयक्तिक ऋण	588.45
एनएससी/केवीपी/एलआईसी पॉलिसी के विरुद्ध ऋण	22.27
बंधक ऋण	612.01
उप कुल	**9622.70**
शैक्षिक ऋण	3444.36
जेवर ऋण (गैर प्रा)	2133.99
अपनी जमाओं के विरुद्ध ऋण	1858.74
कुल	**17059.79**

ऋण मॉनिटरिंग कक्ष

- बैंक के ऋण जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया के एक अंग के रूप में ऋण समीक्षा प्रबन्धन समिति (एलआरएमसी) तथा ऋण लेखा परीक्षा विभिन्न स्तरों पर की गई तथा कॉर्पोरेट कार्यालय व अंचल कार्यालय के स्तर पर विभिन्न समितियों द्वारा मंजूर ऋण खातों की समीक्षा की गई।
- वर्ष के दौरान, मानक गैर–खाद्य ऋण की बकाया राशि का 80 प्रतिशत एलआरएमसी तथा ऋण लेखा परीक्षा के अधीन रखा गया है जोकि वित्तीय वर्ष 2012–13 में 68.8 प्रतिशत था।
- अन्य बैंक के साथ रखे गये खाते जो एसएमए 2 में परिणत हुए हैं, और जहाँ हमारा एक्सपोजर है, के संबंध में भा.रि.बैं से प्राप्त रिपोर्टों को कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यरत ऋण विभाग को सुधारात्मक कार्य हेतु भेजा जा रहा हैं।
- संपत्तियों पर नीति की समीक्षा तथा कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए ''कोर ग्रूप'' का गठन किया गया है जिसमें कार्यपालक निदेशकगण तथा चार महा प्रबन्धक हैं।

आस्ति गुणवत्ता प्रबन्धन

- आर्थिक क्षेत्र में मंदी के कारण आस्ति गुणवत्ता की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2013–14 भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। तथापि बैंक ने एनपीए संविभाग में वसूली तथा कठिन मॉनिटरिंग प्रथा को जारी रखा।
- बैंक जून 2011 से गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) की सिस्टम द्वारा पहचान की प्रणाली का सफलतापूर्वक अनुवर्तन कर रहा है।
- बैंक ने नए एनपीए खातों की वसूली/कोटि उन्नयन के लिए समय पर कार्रवाई की है और विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) का पता लगाकर उन्हें मानीटर करने के जरिए बाधित खातों का नियमित अनुवर्तन किया जाता है ताकि गिरावट को न्यूनतम स्तर पर बनाए रख सकें।
- दिनांक 31 मार्च 2014 को सकल अग्रिम के साथ सकल एनपीए का अनुपात 3.67 प्रतिशत रहा, जबकि निवल अग्रिम के साथ निवल एनपीए का अनुपात 2.26% पर ही रहा ।

Direct Benefit Transfer for LPG

- Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL) consumers is being implemented in 293 districts. The Bank has 1466 branches in 227 districts and these branches are implementing DBTL. The Bank is the Lead Bank in Chittoor, Puducherry, Krishna, Kollam, Mahe, Yanam, Karaikal, Cuddalore, Dharmapuri, Salem, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Vellore and Villuppuram districts where DBTL is implemented.

CREDIT FLOW TO MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

- The Bank's exposure to Micro, Small and Medium Enterprises grew by 17 per cent to ₹ 16104 crore as on March 31, 2014.
- For focused attention and growth of MSME portfolio, Bank has established MSME Central Processing Units in all the Zones and has operationalised 73 MSME branches across various Zones.
- Bank has approved Cluster specific schemes for Textile Cluster in Bhilwara and Ichalkaranji Regions, Ceramic Cluster in Morvi Region, Rice Mill Cluster in Nellore and Trichy Regions, Truck Clusters in Karur, Ariyalur, Perambalur and Trichy Regions, Rig Cluster in Tiruchengode Region, Footwear Cluster in Bahadurgarh Region, Export Cluster in MEPZ, Chennai and Vehicle Cluster in Kolkata Region.

PERSONAL SEGMENT LOANS

- The Bank's Personal Segment loans comprising of Home Loan, Automobile Loan, Personal Loan, NSC Loan and Mortgage Loan witnessed an increase of 17.8 per cent during the year to ₹ 9,622 crore. Total outstanding loans under Personal segment has risen by 10.5 per cent to ₹ 17,060 crore as on 31.3.2014.
- The Bank had introduced a new scheme "IB Special Combo" where customers could avail Home Loan, Vehicle Loan and Consumer Loan at the base rate, irrespective of the loan amount for the period from 04.10.2013 to 31.03.2014.
- "IB Home Loan Plus" has now been extended to staff members/ officers who have availed Staff Housing Loan.
- Bank has rationalised interest rates/waived processing charges, which was the main catalyst for the improved performance of Home Loan.

(₹ in crore)

Product	**Balance Outstanding**
Home Loan	7399.85
Staff Housing Loan	358.63
Automobile Loan	641.48
Personal Loan	588.45
Loan against NSC/KVP/LIC Policy	22.27
Mortgage Loans	612.02
Subtotal	**9622.70**
Education Loan	3444.36
Jewel Loan (NP)	2133.99
Loan against own deposit	1858.74
Total	**17059.79**

CREDIT MONITORING CELL

- As part of the Bank's Credit Risk Management process, Loan Review Management Committee (LRMC) and Credit Audit were done at various levels and reviews of borrowal accounts sanctioned by various Committees at Corporate Office and Zonal Offices were carried out.
- During the year, nearly 80 per cent of the standard non food credit outstanding has been put under LRMC and Credit Audit as against 68.8 per cent in FY2012- 13.
- Reports received from RBI about the accounts which have moved to SMA-2 with other Banks and where we have exposure, are being passed on to functional Credit Department at Corporate Office for remedial action.
- To review and oversee the implementation of the Policy on distressed assets, a "Core Group" has been formed comprising of Executive Directors and four General Managers.

ASSET QUALITY MANAGEMENT

- The year FY2013-14 was a challenging year for the Indian banking industry from the perspective of asset quality, due to a subdued economic environment. However, Bank continued its practice of rigorous monitoring and recovery of the NPA portfolio.
- Bank has been following the system-driven identification of Non Performing Assets (NPA) successfully since June 2011.
- Bank has taken timely action for recovery/upgradation of fresh NPA accounts and stressed accounts are regularly followed up to minimize the slippages by identifying and monitoring Special Mention Accounts (SMA).
- Gross NPA to Gross Advances ratio was at 3.67 per cent as on 31st March, 2014, while Net NPA to Net Advances ratio was maintained at 2.26 per cent.

तथापि, बैंक का प्रावधनीकरण कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टा–खाते सहित) वित्तीय वर्ष 2014 के लिए 57.77 था।

- बैंक ने नए एनपीए की वसूली और कोटि उन्नयन की दिशा में अच्छा निष्पादन दर्ज किया है। लोक अदालत, ओटीएस के जरिए बातचीत द्वारा समझौते तथा डीआरटी / सरफेसी अधिनियम आदि के जरिए वसूली के कदमों से नए एनपीए में घटौती संभव हुई है। बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को एनपीए की बिक्री भी कर दी है, जिससे वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सकल एनपीए स्तर में और कमी संभव हुई।
- बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप वसूली नीति और ओटीएस नीतियों में सुधार किए गए तथा वसूली में निष्पादन सुधारने के लिए फ्रंट–लाइन अधिकारियों को और भी सुग्राह्य बनाया गया।
- ऋण समीक्षा प्रबन्धन समिति (एलआरएमसी) नियमित तौर पर ऋण समीक्षा तंत्र तथा ऋण लेखा परीक्षा के जरिए मानक आस्तियों की समीक्षा करती है। मानक आस्ति मानिटरिंग समिति (एसएएमसी) लगातार विशेष उल्लेख खातों की समीक्षा करती है तथा मानक आस्तियों का गैर–निष्पादित आस्तियों में गिरावट होने से बचने के लिए समय पर वसूली कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

बैंकअश्युरेन्स और म्यूचुवल फण्ड व्यापारः

- गैर–जीवन बीमा व्यापार के लिए युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेन्स कंपनी लि (यूआईआईसीओ) तथा जीवन बीमा व्यापार के लिए एचडीएफसी स्टेण्डर्ड जीवन बीमा कंपनी के साथ बैंक का कार्पोरेट एजेन्सी गठजोड करार उपलब्ध है।
- म्यूचुवल फण्ड वितरण के लिए यूटीआई आस्ति प्रबन्धन कं. रिलायन्स कैपिटल आस्ति प्रबन्धन के लिए और एसबीआई म्यूचुवल फण्ड के साथ गठजोड व्यवस्थाएं की गई हैं।
- निम्नलिखित संस्थाओं के साथ व्यवस्था करते हुए बैंक निम्नानुसार ग्रूप बीमा उत्पाद प्रदान कर रहा हैः
  - भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आईबी जीवन कल्याण और आईबी जीवन वरिष्ठ – किसी भी कारणवश मृत्यु को कवर करते हुए
  - यूआईआईसीओ द्वारा आईबी छत्र – दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु को कवर करते हुए
  - यूआईआईसीओ द्वारा आईबी यात्रा सुरक्षा – हवाई जहाज से अन्य माध्यमों से देशीय यात्रा के लिए ग्रूप यात्रा बीमा योजना
  - भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आईबी गृह जीवन – गृह ऋण उधारकर्ताओं को कवर करते हुए
  - कोटक लाइफ द्वारा आईबी होम सुरक्षा – गृह ऋण उधारकर्ताओं को कवर करने हेतु
  - भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आईबी जीवन विद्या – शैक्षिक ऋण छात्र उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली और
  - पीएनबी मेटलाइफ द्वारा आईबी विद्यार्थी सुरक्षा – शैक्षिक ऋण छात्र उधारकर्ताओं को कवर करते हुए
- "आरोग्य रक्षा" के लिए प्रीमियम की ऑनलाइन वसूली – जून 2013 में यूआईआईसी वेब पोर्टल के जरिए सह ब्रांडेड ग्रूप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का प्रवर्तन किया गया जोकि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में प्रथम था। वर्ष के दौरान 7830 ऑन लाइन पॉलिसियाँ जारी की गईं। इसके अलावा वर्ष के दौरान हमारे सभी नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए आरोग्य रक्षा पॉलिसियाँ, नये / नवीकरण दोनों के लिए ऑनलाइन चंदा अदा करने की सुविधा प्रवर्तित की गई।
- आरोग्य रक्षा पॉलिसियों के लिए ऑनलाइन प्रीमियम की वसूली सफलतापूर्वक होने पर, वर्ष के दौरान यूआईआईसी वेब पोर्टल के जरिए माइक्रो बीमा उत्पाद (एमआईपी) को भी ऑनलाइन बनाये गये।

अन्य वित्तीय उत्पाद

आईबी स्वर्ण मुद्राः

- खुदरा और थोक आधार पर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम सोने के सिक्के और 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम सोने की सिलें बेचने के लिए हमारे बैंक द्वारा की गई पहल है आईबी स्वर्ण मुद्रा। सोने के ये सिक्के 24 कैरट के 999.9 शुद्धता में अन्तर्राष्ट्रीय एस्से प्रमाणीकरण प्राप्त हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान बैंक ने 571 किलोग्राम सोना बेचा था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सोने के सिक्कों की बिक्री जनवरी 2014 से बंद कर दी गयी है।

क्रेडिट कार्ड :

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बैंक ने नवम्बर 2013 में ईएमवी / चिप क्रेडिट कार्ड का प्रवर्तन किया है।
- बैंक ने एसएमएस के जरिए 'कार्ड ब्लाक करने की सुविधा' को प्रवर्तित किया है जहाँ क्रेडिट कार्ड ग्राहकगण अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर से 56767 को एसएमएस (BLOCK CC) देकर अपने क्रेडिट कार्डों को अवरुद्ध कर सकते हैं। संदेश भेजने पर, क्रेडिट कार्ड तथा एड ऑन कार्ड (अगर कोई हों तो) स्वतः अवरुद्ध हो जाएंगे और इसकी पुष्टि करते हुए ग्राहक को एसएमएस भेजा जाएगा।

जोखिम प्रबंधन

- जोखिम प्रबंधन तंत्र के सृजन के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। संपूर्ण उद्यम में प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :
  - ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)
  - आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (आलको) तथा
  - परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- ये समितियां बोर्ड और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अधीन काम करती हैं।
- जोखिमों के प्रबन्धन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उदयम–स्तरीय जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, कारोबार निरंतरता आयोजना नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, स्ट्रेस परीक्षण नीति, कोलाटेरल प्रबन्धन नीति, और प्रकटीकरण नीति, तरलता प्रबन्धन नीति, बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति, एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति शामिल हैं।

Bank's Provision Coverage ratio (including the technical write-offs) was at 57.77 in FY 2014.

- Bank has recorded good performance in recovery of fresh NPA's and upgradation. Different recovery mechanisms like Lok Adalats, Negotiated settlements through OTS and recovery measures through DRT/SARFAESI Act have resulted in improved recovery performance. The Bank has also resorted to sale of NPA's to Asset Reconstruction companies, thereby, reducing the gross NPA level during FY 2013-14.
- In line with the changing economic scenario, Recovery Policy and OTS Policies have been fine tuned and front line officials have been sensitised for further improvement in recovery performance.
- Loan Review Management Committee (LRMC) reviews Standard assets through Loan Review Mechanism and Credit Audit functions on a regular basis. Standard Assets Monitoring Committee (SAMC) reviews Special Mention Accounts (SMA) on continuous basis and timely recovery action is initiated to prevent slippage of standard assets to Non Performing Assets.

BANCASSURANCE AND MUTUAL FUND BUSINESS

- Bank has Corporate Agency Arrangement with United India Insurance Co. Ltd. (UIIC) for Non-life/General/Health Insurance business and HDFC Standard Life Insurance Co. (HDFC - SLIC) for Life Insurance business.
- For Mutual Fund distribution, tie-up arrangements have been made with UTI Asset Management Co., Reliance Capital Asset Management Ltd. and SBI Funds Management Pvt. Ltd.
- Bank has following arrangements to offer various Group Insurance Products on optional basis to its customer:
    - IB Jeevan Kalyan and IB Jeevan Varishta by LIC of India covering death due to any reason;
    - IB Chhatra by UIIC covering death due to accidents;
    - IB Yatra Suraksha by UIIC extending Group Travel Insurance for domestic travels other than by Air;
    - IB Griha Jeevan by LIC of India covering Home Loan borrowers;
    - IB Home Suraksha by Kotak Life covering Home Loan borrowers ;
    - IB Jeevan Vidya by LIC of India covering Education Loan student borrowers; and
    - IB Vidyarthi Suraksha by PNB Met Life covering Education Loan student borrowers.
- Online collection of premium for "Arogya Raksha" – a co-branded Group Health Insurance Policy through UIIC web portal introduced in June 2013, a first by any Public Sector Bank. 7830 online policies were issued during the year. Apart from this, online subscription of fresh/renewal of Arogya Raksha policies was introduced during the year to all our Net Banking customers.
- Following the success of the collection of online premium for Arogya Raksha Policies, Micro Insurance Products (MIP) were also brought online through UIIC web-portal during the year.

OTHER FINANCIAL PRODUCTS

IB Swarna Mudra

- IB Swarna Mudra, our Bank's initiative for selling gold coins/bars of various denominations of 1g, 2g, 4g, 5g, 8g,10g and gold bars in the denominations of 20g, 50g, 100 g both on retail and bulk basis, are 24 carats, 999.9 purity with International Assay certification for purity. During the financial year, the Bank sold 571 kgs.
- In accordance with RBI guidelines, the sale of gold coins has been discontinued since January 2014.

Credit Card

- Bank has launched EMV/ Chip Credit Card in November 2013, as per the directions given by RBI.
- Bank has launched 'Card Block Facility' through SMS where credit card customers can block their credit cards by sending SMS ('BLOCKCC') to 56767 from their registered mobile number. Upon sending the message, the credit card and add-on cards (if any) would be blocked automatically and SMS would be sent to the credit card customer confirming the card block.

RISK MANAGEMENT

- Bank has complied with all the guidelines of the Reserve Bank of India on creation of Risk Management architecture. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management. All the risks, the Bank is exposed to, are managed through following three Apex level committees viz.,
    - Credit Risk Management Committee (CRMC)
    - Asset - Liability Management Committee (ALCO) and
    - Operational Risk Management Committee (ORMC).
- These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board and Risk Management Committee of the Board.
- Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks, an Integrated Risk Management policy is in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Liquidity Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Stress Testing Policy, Collateral Management Policy, Disclosure Policy and Integrated Risk Management Policy.

- जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच में परिचालित की गई हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम

- प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

- प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अलावा ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए साफ़्टवेयर से कराया जानेवाला रेटिंग मेकानिज़्म स्थापित किया गया है।

- बैंक के ऋण प्रशासन में गुणतापूर्ण सुधार लाने के लिए तथा बृहत मूल्य खातों की आवधिक समीक्षा/लेखा परीक्षा के लिए ऋण समीक्षा मेकानिज़्म तथा ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली उपलब्ध है। इसके अलावा मानक आस्ति मानिटरिंग समिति विशेष उल्लेख खातों की आवधिक तौर पर समीक्षा करती है ताकि मानक आस्तियों की गैर निष्पादित आस्तियों में गिरावट से बचने के लिए समय पर कार्य कर सकें। मॉनिटरिंग मेकानिज़्म के अंग के रूप में, जिन खातों को निवेश योग्य वर्ग से अवनत कराया गया है, की पहचान की जाती है तथा त्रैमासिक आधार पर नज़दीकी से उन्हें मॉनिटर किया जाता है।

बाज़ार जोखिम

- निधि एवं निवेश समिति में संरचनागत तरलता के अध्ययन के जरिए तरलता जोखिम का प्रबंधन दैनिक आधार पर किया जाता है। बोर्ड/आल्को द्वारा पाक्षिक रूप से (प्रत्येक महीने के प्रथम एवं तृतीय बुधवार को) इसपर विचार विमर्श एवं पुनरीक्षण किया जाता है। मासिक ब्याज दर सुग्राह्यता विवरणों के जरिए ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता तथा आलको/बोर्ड द्वारा इसकी पुनरीक्षा की जाती है। सीधे जोखिम प्रबन्धन विभाग को रिपोर्ट करनेवाला मिड–आफ़िस, स्वतंत्र रूप से ट्रेशरी लेनदेनों को मानिटर करता है। आवधिक रूप से विवेकपूर्ण तरलता अनुपातों को मानिटर कर उसकी रिपोर्ट आलको को दी जाती है।

परिचालनगत जोखिम

- दैनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण सिस्टमों के प्रयोग से और विभिन्न जोखिम शमन की रणनीतियों को अपनाकर परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में निहित जोखिम बोध का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है और आवश्यकता पडने पर निवारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

- बैंक ने जोखिम नियंत्रण और स्व मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेत पहचान और हानि डेटा विश्लेषण के माध्यम से जोखिम मापन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनगत जोखिम सॉफ्टवेयर स्थापित किया है। बैंक ने विगत 5 वर्षों के लिए आंतरिक हानि डेटा का निर्माण किया है।

बेसल II / नया पूँजी पर्याप्तता ढाँचा

- बैंक ने 31 मार्च, 2008 से बेसल II आवश्यकताओं की पूर्ति की है। बैंक ने वर्तमान में उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है। बेसल II के अधीन उन्नत दृष्टिकोणों तक पहुँचने हेतु निर्धारित रोडमैप के अनुसार बैंक प्रगति कर रहा है।

- पिल्लर II, अर्थात् आईसीएएपी के अंतर्गत बैंक जोखिमों का पता लगाता है, उन्हें मापता है और उनका प्रबंधन करता है, जिन्हें पिल्लर I के अन्तर्गत पूर्णतः पकडा नहीं किया गया है या सिर्फ आंशिक रूप से पकडा गया है और ऐसी जोखिमों के लिए पूंजी का अतिरिक्त प्रावधान करता है। कारोबार प्रक्षेपणों की आयोजना के आधार पर अगले तीन वर्षों के लिए पूंजी आकलन किया जाता है।

- बेसल II ढांचे के पिल्लर III की अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक ने प्रकटीकरण नीति निर्धारित की है और नीति में निर्धारित रूप से बैंक की वेबसाइट पर और वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण किए जाते हैं।

बेसल III / पूँजी विनियमन

- बैंक का सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी स्तर काफी अच्छा है और बैंक आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की पूँजी बढाने की पर्याप्त क्षमता भी रखता है। बैंक ने 01 अप्रैल, 2013 से प्रस्तावित बेसल III पूँजी विनियमन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को अपनाया है।

मानव संसाधन प्रबंधन (मा सं प्र)

श्रमशक्ति की आयोजना तथा भर्ती रणनीति

- अधिवर्षिता, शाखा विस्तार एवं कारोबार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उत्तराधिकार योजना के भाग के रूप में, उभरती बैंकिंग आवश्यकताओं के अनुरूप, बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की भर्ती आरंभ की है।

- वर्ष के दौरान, बैंक ने 551 परीवीक्षाधीन अधिकारी तथा 211 विशेषज्ञ अधिकारियों की बैंक की सेवा छोडनेवाले कर्मचारियों के कारण उत्पन्न होनेवाली रिक्तियों की संगणना के अलावा, कार्य प्रमुखों की आवश्यकताओं के आधार पर बैंक ने विभिन्न कार्य क्षेत्रों में भर्ती की है।

- बैंक की सेवाओं में वर्ष के दौरान 1599 लिपिक, 20 सब–स्टाफ और 37 सशस्त्र रक्षकों की भर्ती की गई।

श्रमशक्ति स्थिति

31 मार्च 2014 में बैंक की श्रमशक्ति स्थिति निम्नानुसार थी :

संवर्ग	कुल	अजा	अजजा	पुरुष	महिला
अधिकारी	8666	1875	664	7052	1614
लिपिक	8834	1873	357	5476	3358
सब स्टाफ	1851	641	76	1753	98
कुल	* 19351	4389	1097	14281	5070

(*देशी – अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)

- All the policies are reviewed annually by Risk Management Committee (RMC)/Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitise the field level functionaries, the relevant policies are circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training colleges.

Credit Risk

- Risk Management Systems are in place to identify and analyse the risks at the early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits, besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.
- Software driven rating mechanism is in place to ensure credit quality, besides an entry level scoring system.
- Loan review mechanism and credit audit system are in place for the periodical review/audit of the large value accounts and to bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to non performing assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely on quarterly basis.

Market Risk

- Liquidity risk is managed through monitoring the structural liquidity on a day-to-day basis, in the Funds and Investments Committee. Liquidity position of the Bank is reviewed every fortnight (first and third Wednesdays of every month) by ALCO/ Board. The interest rate risk is managed through monthly interest rate sensitivity statements and is reviewed by ALCO/ Board. The mid office, directly reporting to Risk Management Department, monitors treasury transactions independently. Prudential liquidity ratios are monitored periodically and reported to ALCO.

Operational Risk

- Operational risk is managed by using well established internal control systems in day-to-day management processes and by adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products/procedures are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.
- Bank has put in place an Operational Risk software to take forward the risk measurement process through Risk Control and Self Assessment (RCSA), identification of Key Risk Indicators (KRI) and loss data analysis. Bank has built up internal loss data for the last 5 years.

Basel II / New Capital Adequacy Framework

- Bank is BASEL II compliant with effect from March 31st 2008. Bank has presently adopted Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. Software is in place for accurate computation of credit risk capital charge. Bank has been progressing as per the roadmap laid down for moving over to the advanced approaches under BASEL II.
- Under Pillar II i.e., ICAAP, the Bank identifies, measures and manages the risks that are either not fully captured or not at all captured under Pillar I and if necessary, makes an additional provision of capital for such risks. The Capital assessment for the next three years is also carried out based on planned business projections.
- Bank has also put in place a Disclosure Policy in line with the Pillar III requirements of Basel III framework and the disclosures are made in the Bank's website and Annual Report as prescribed in the policy.

Basel III Capital Regulations

- Bank has fairly high level of Common Equity Tier 1 Capital and also has headroom available for raising all forms of capital, in case of need. Bank has adopted RBI guidelines on the Basel III capital regulations with effect from April 1st 2013.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (HRM)

Manpower planning and Recruitment strategy

- As part of succession planning, Bank has undertaken recruitment of manpower taking into consideration the superannuation, branch expansion and business growth in various categories and in line with emerging business needs.
- During the year, Bank has recruited 551 Probationary Officers and 211 Specialist Officers in different functional areas based on the requirements of the functional heads, besides reckoning the vacancies arising due to attrition.
- 1599 Clerks, 20 Sub-Staff and 37 Armed guards joined the service of the Bank during the year.

Manpower Position

The position of manpower in the Bank as on 31.03.2014 is as follows:

CATEGORY	TOTAL	SC	ST	MALE	FEMALE
OFFICERS	8666	1875	664	7052	1614
CLERKS	8834	1873	357	5476	3358
SUB STAFF	1851	641	76	1753	98
TOTAL	*** 19351**	**4389**	**1097**	**14281**	**5070**

(*Domestic excluding PTS)

अजा/अजजा/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए कल्याण उपायः

- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछडे वर्गों (ओबीसी) और शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) को पदोन्नतियों में आरक्षण दिया जाता है।

- अखिल भारतीय इंडियन बैंक अजा/अजजा कर्मचारी कल्याण संघ के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं और शिकायतों का, यदि हो, निवारण तत्काल किया जाता है। कार्पोरेट कार्यालय/मासंप्र विभाग में अजा/अजजा कल्याण कक्ष/आरक्षण कक्ष भी अजा/अजजा कर्मचारियों की शिकायतों/अभ्यावेदनों (यदि हो) का तत्काल निपटान सुनिश्चित करता है। अजा/अजजा संवर्ग के कर्मचारियों के हितों की देखरेख हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में एक महा प्रबंधक और ओबीसी संवर्ग के कर्मचारियों के हितों की देखरेख हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में एक और महा प्रबंधक नामित किए गए हैं।

क्षमता वर्धक पहलें

- बैंक की प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं के लिए ''उत्कर्ष एवं विकास हेतु इंडियन बैंक प्रबंधन अकादमी' (इमेज) नामक अत्याधुनिक प्रशिक्षण कालेज और देश भर में 9 स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र हैं।

- वर्ष के दौरान आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में 9657 अधिकारीगण, 12072 लिपिक और 664 अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 193 अधिकारीगण और कार्यपालकों ने बाहय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और 1 कार्यपालक को ओवरसीज़ प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया।

- वर्ष के दौरान, 14,174 सदस्यों ने (8047 अधिकारी और 6127 लिपिकीय स्टाफ) ऑन–लाइन ई–लर्निंग माड्युल के लिए नाम दर्ज किया।

ई–लर्निंग

- एचआर पहल के अंश के रूप में बैंक ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई–लर्निंग पोर्टल प्रवर्तित किया है, जिसे वे बैंक के हेल्प डेस्क के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। विभिन्न बैंकिंग विषयों पर 57 पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकालय उपलब्ध हैं।

औद्योगिक संबंध

- बैंक का उच्च प्रबंधन, कर्मचारी संघों और अधिकारी संघों के नेताओं के साथ समय–समय पर आपसी संवाद करता है ताकि सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा जा सके।

कार्यस्थल पर महिला सम्बंधी शिकायतों की रोकथाम, निषेध व निवारण

- वर्ष 2013–14 के दौरान महिलाओं के प्रति होने वाले यौन–उत्पीड़न सम्बंधी प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया है एवं कोई भी शिकायत 90 दिन से अधिक समय तक लंबित नहीं रही।

एचआर प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन

सैप

पदोन्नति, स्थानांतरण व प्लेसमेंट जैसे क्षेत्रों में निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में बैंक सैप एचआर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। सम्पूर्ण कार्यबल को प्रौद्योगिक उन्नति का लाभ पहुँचाने और मानव संसाधन से संबंधित मामलों में कागज रहित प्रक्रिया के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इंट्रानेट के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन की संलागी वेबसाइट होस्ट की गई है।

- सैप – कार्यान्वयन टीम ने निम्नलिखित का प्रारंभ एवं प्रवर्तन किया है :
  - अवार्ड स्टाफ के लिए केन्द्रीकृत वेतनवृद्धि।
  - ऑनलाइन उपस्थिति एवं अवकाश प्रबंधन पोर्टल का सफलता से कार्यान्वयन (सभी शाखाओं/कार्यालयों को समाविष्ट करते हुए)।
  - परिवीक्षाधीन अधिकारियों, पदोन्नत अधिकारियों लिपिकों और पदोन्नत लिपिकों के चरणवार दक्षता मूल्यांकन का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण।

स्टाफ कल्याण उपाय

- बैंक की केन्द्रीय कल्याण समिति, कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कल्याण योजनाओं की समीक्षा निरंतर करती रहती है और उसकी सिफारिशों के आधार पर उनमें सुधार किए जाते हैं।

गृह पत्रिका

- बैंक तिमाही गृह पत्रिका ''इंडइमेज'' का प्रकाशन करता है।

ग्राहक सेवा

बैंकिंग का केन्द्रीय तत्व उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करना है। बैंक के दैनिक कार्यकलापों का मुख्य लक्ष्य कुशल ग्राहक सेवा व ग्राहक संतुष्टि प्रदान करना है। कुशल ग्राहक सेवा के माध्यम से बैंक ग्राहक को मिलने वाली प्रसन्नता पर केन्द्रित ध्यान देता है। बैंक की ग्राहक सेवा, शिकायत निवारण के परे सूचना प्रसार, पारदर्शिता, ग्राहक केन्द्रीयता एवं ग्राहक प्रतिपुष्टि जैसे क्षेत्रों तक भी विस्तृत है। बैंक अपने ग्राहक की आवश्यकताओं व संतुष्टि के प्रति बेहद प्रतिक्रियाशील है एवं अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम बैंकिंग का अनुभव कराने हेतु अपनी सभी तकनीकों, संसाधनों, उत्पादों एवं अपने लोगों की दक्षताओं का सदुपयोग करने को समर्पित है।

- इंडियन बैंक भारतीय बैंकिंग कोड्स और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है, जिसने ग्राहक/एमएसई सेवा संबंधी प्रतिबद्धता कूटों के कार्यान्वयन के लिए पूरी ईमानदारी से अपनाया है।

- ग्राहक के साथ आपसी बातचीत करने व उनकी बदलती पसंदों व आवश्यकताओं को समझने के लिए 23.08.2013 को हमारी सभी शाखाओं में एकरूपता से ग्राहक दिवस मनाया गया। इस ग्राहकोत्सव में ग्राहकों ने बडी संख्या में भाग लिया और सभी शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए मूल्यवान सुझाव व प्रतिपुष्टियां दीं। सभी व्यवहार्य सुझावों को कार्यान्वित किया गया है।

- दिसंबर 2013 में सभी अंचल कार्यालयों में ग्राहक संतुष्टि सर्वे - 2013 आयोजित किया गया। यादृच्छिक तौर पर चयन कर 263 शाखाओं एवं 6667 ग्राहकों से संपर्क किया गया एवं ग्राहक सेवा के स्तर पर उनकी प्रतिपुष्टि पर रेटिंग प्राप्त की गई। सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विश्लेषण किया गया और उन्हें बोर्ड के समक्ष रखा गया और जहाँ भी शिकायतें निदर्शित थीं, उनका समाधान किया गया।

Welfare Measures for SC/ST/OBC/PWD Employees

- As per Government of India's guidelines, reservations are provided to candidates from Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs) and Persons with Disability (PWD) in Direct Recruitment. Reservations for SC/STs in Promotions are provided as per Government guidelines.
- Periodical Quarterly Meetings with All India Indian Bank SC/ST Employees' Welfare Association are conducted and grievances, if any are resolved immediately. The SC/ST Welfare Cell / Reservation Cell at CO/HRM also ensures prompt disposal of grievances/representations (if any) of SC/ST employees. A General Manager has been nominated as Chief Liaison Officer (CLO) to look into the interests of employees belonging to SC/ST and another GM has been nominated as CLO for OBC employees.

Capacity Building Initiatives

- The Bank's training infrastructure constitutes the state-of-the art Training College – "Indian Bank Management Academy for Growth and Excellence" (IMAGE) and nine Staff Training Centres across the country.
- During the year, 9657 Officers, 12072 Clerks and 664 Sub-staff members were trained through internal training system. Also, 193 Officers and Executives attended various training programmes at external institutions. One Executive was nominated for overseas training.
- During the year, 14,174 members (8047 Officers and 6127 Clerical Staff) have registered for the online e-learning module.

E-learning

- As part of HR initiatives, Bank has launched an e-learning portal for imparting training to the employees, which can be accessed by them through CBS Help Desk. There are 57 course libraries on various banking topics.

Industrial Relations

- The Top Management of the Bank interact periodically with the leaders of Employees' Unions and Officers' Associations for enabling harmonious industrial relations.

Prevention, Prohibition and Redressal of Grievances of Women at Workplace

- All complaints of sexual harassment against women received during the year 2013-14, have been redressed and there are no complaints pending for more than 90 days.

Implementation of HR Technology

SAP

- SAP HR software is being used by the Bank as a decision support system in areas such as promotion, transfer and placement. To extend technological advancement to the entire workforce and to achieve paperless processing of HR related issues, a cohesive website for Human Resources Management through Intranet has been hosted.
- The SAP – Implementation team has initiated and launched the following:
  - Centralised Increment Sanction for Award Staff.
  - Online Attendance and Leave Management Portal (covering all branches / Offices) .
  - Online submission of stage-wise Efficiency Evaluation of Probationary Officers and Promotee Officers, Clerks and Promotee Clerks.

Staff Welfare Measures

- The Central Welfare Committee of the Bank constantly reviews the welfare schemes available to the employees and improvements are being made based on their recommendations.

House Magazine

- The Bank publishes a quarterly house journal "INDIMAGE".

CUSTOMER SERVICE

Good customer service is the heart of banking. Efficient customer service and customer satisfaction are the primary objectives of the Bank in its day-to-day operations. Bank focuses on customer delight through efficient customer service. Bank's customer service extends beyond grievance redressal to areas such as Information Dissemination, Transparency, Customer Centricity and Customer Feedback. Bank is highly responsive to the needs and satisfaction of its customers, and is committed to the belief that all technology, processes, products and skills of its people must be leveraged for delivering superior banking experience to its customers.

- Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), having adopted the Codes of Commitment to customers/MSE for implementation in letter and spirit.
- Customer's Day was conducted uniformly at all our branches on 23.08.2013 to interact with customers and understand their changing needs and preferences. Large number of customers participated in the celebrations and gave valuable suggestions and feedback for the improvement of customer service in the branches. All the feasible suggestions have been implemented.
- A Customer Satisfaction Survey - 2013 was conducted in all the Zones in December 2013. On a random selection basis, 263 branches and 6667 customers were contacted for their feedback regarding the level of Customer Service. The survey findings were analyzed and placed to the Board and grievances pointed out, have been resolved.
- Regulatory/Mandatory Meetings relating to Customer Service have been held as per schedule.

- ग्राहक सेवा से संबंधित नियामक / अनिवार्य बैठकों का समय अनुसूची के अनुसार आयोजन किया गया।
- भारत सरकार के निदेशों के अनुसार बैंक ने हस्त्य शिकायतों, ई–मेल शिकायतों, टेलिफोन पर की गई शिकायतों आदि जैसे शिकायत निवारण मार्गों के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लैटफॉर्म समन्वित किया और शिकायतों का तेज निवारण सुनिश्चित करने हेतु 18.02.2013 को मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) आरंभ की है। यह एक सशक्त तंत्र है एवं 01.12.2013 से हस्तचालित प्रक्रिया को समाप्त कर सभी शिकायतों को एसपीजीआरएस में ही पोर्ट किया जा रहा है।
- बैंकिंग लोकपाल (बीओ) ने वर्ष के दौरान बैंक के खिलाफ कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया है, केवल परिचालनात्मक मामलों में कुछ गौण निदेश दिए हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों / प्रथम अपीलों / द्वितीय अपीलों पर ग्राहक सेवा कक्ष में एक स्वतंत्र डेस्क कार्यवाही करता है। सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर संसदीय समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बैंक ने शुरू से ही एकल खिडकी दृष्टिकोण अपनाया है। बैंक ने वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 2363 आवेदन, 329 प्रथम अपील और 24 द्वितीय अपील प्राप्त किए। सभी सूचना अधिकार आवदेनों / अपीलों को निर्धारित अवधि के भीतर निपटाया गया है।

फोरेक्स व्यापारः

- वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 29,993 करोड के फोरेक्स व्यापार का संचालन किया है। इसमें से निर्यात और अन्य आंतरिक विप्रेषण ₹ 12,760 करोड़ के थे तथा आयात और अन्य बाहरी विप्रेषण ₹ 17,233 करोड़ के थे।
- वर्ष के दौरान बैंक का कुल अंतर–बैंक फोरेक्स बाजार टर्नओवर ₹ 4,45,735 करोड रहा।
- बैंक की 92 शाखाएँ फोरेक्स व्यापार का संचालन करने के लिए प्राधिकृत हैं तथा इनमें से 87 शाखाओं को स्विफ्ट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। बैंक की 69 देशों में 188 बैंकों के साथ संपर्की व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं।
- विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) खातों का संचालन करने के लिए 475 शाखाओं को प्राधिकृत किया गया है। अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाओं में पिछले वर्ष के ₹ 4863 करोड से ₹ 6487 करोड तक की वृद्धि के साथ 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

प्रेषण

- सिंगापुर से बैंक की उद्यम प्रेषण योजना के तहत सिंगापुर में निधि की प्राप्ति के बाद मिनटों में विदेशी प्रेषणों के बराबर रुपए भारत में ग्राहक के खातों में क्रेडिट किए जाते हैं और क्रेडिट की सूचना देते हुए सिंगापुर में प्रेषणकर्ता को एक एसएमएस संदेश अग्रेषित किया जाता है। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध है।
- स्विफ्ट आधारित सामान्य धन अंतरण के अलावा बैंक द्वारा एनआरआई को दी जानेवाली अन्य प्रेषण सुविधाओं में ''एक्स्प्रेस मनी'', ''मनीग्राम'' तथा ''वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांस्फर''सुविधाएं हैं।
- 8 एक्सचेंज गृह, यथा मेसर्स यूएई एक्सचेंज हाउज़ – अबुधाबी, यूएई एक्सचेंज हाउज़ – कुवैत, ओमन एक्सचेंज हाउज़ – ओमन, अल जमन एक्सचेंज – कतार, जीसीसी एक्सचेंज – दुबाई, बेलहासा एक्सचेंज – दुबाई, अल दार एक्सचेंज – कतार, अल घुरैर एक्सचेंज – दुबाई के साथ इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण व्यवस्था प्रवर्तित की गई है। मेसर्स अल रजही बैंक, सौदी अरेबिया के साथ प्रेषण व्यवस्था शीघ्र ही प्रवर्तित किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

- विदेश में बैंक की तीन शाखाएं सिंगापुर, कोलंबो एवं जाफना में स्थित है। 31 मार्च 2014 को विदेशी शाखाओं की कुल जमा एवं अग्रिम राशि (सकल) क्रमशः ₹8758 करोड और ₹ 7500 करोड थी।
- वर्ष 1941 में स्थापित की गई सिंगापुर शाखा ने अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विविध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके सुनाम कमाया है और अपनी साख बढाकर ग्राहक विश्वास प्राप्त किया है। शाखा अब अपना कारोबार दो लेखा इकाइयों में कर रही है – सिंगापुर डॉलर कारोबार के लिए डोमेस्टिक बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) और सिंगापुर डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में कारोबार हेतु ऐशियन करेन्सी यूनिट (एसीयू)।
- कोलंबो शाखा, जो वर्ष 1932 में स्थापित की गई, व्यापार वित्त प्रदान करने में सक्रिय भागीदार है। विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाई (एफसीबीयू) कोलंबो, ऑफशोर बैंकिंग परिचालन में लगी है।
- जाफना शाखा, जो वर्ष 2011 में स्थापित की गई, जाफना क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रौद्योगिकी पहल

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी

बैंक की आईटी रणनीति को बैंक के कारोबारी लक्ष्यों के साथ समन्वित किया गया है। बैंक के आईटी प्रस्तावों का लक्ष्य निर्बाध, सुविधाजनक और सुरक्षित लेनदेन सुविधाएँ प्रदान कर ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाना और ग्राहकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करना है। बैंक ने टैग–लाइन का **''आपका प्रौद्योगिकी हितैषी बैंक''** के रूप में नया नामकरण किया है। बैंक ने व्यापार के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु नवोन्मेषी एवं प्रौद्योगिकी में उन्नतियों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप विस्तृत विविधतावाले टेक सेवी उत्पाद उपलब्ध कराए हैं।

कोर बैंकिंग समाधान

- बैंक ने वर्ष 2008 में शत प्रतिशत सीबीएस को लागू किया था और यह तकनीक व्यापार को संबल देने वाले महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभर कर आई है जिसने नई हदों तक पंहुच बनाई और बैंकिंग कार्यकलापों के सभी पहलुओं को समेट लिया है।
- भारत में सभी 2250 शाखाएं एवं 28 विस्तार काउंटरों पर सीबीएस है। सिंगापुर, कोलंबों व जाफना की तीन ओवरसीज शाखाएं सीबीएस नेटवर्क से जुड़ गई हैं। सीबीएस का कार्यान्वयन सभी 64 प्रशासनिक कार्यालयों में भी कर दिया गया है।

- As per Government of India's directions, Bank had launched Standardised Public Grievance Redress System (SPGRS) on 18.02.2013 by integrating all the grievance redressal avenues like manual complaints, e-mail complaints, telephonic complaints etc. into a common digital platform ensuring speedy resolution of grievances. The system has stabilized and with effect from 01.12.2013, manual system has been dispensed with and all the complaints are ported in SPGRS only.
- No award has been passed by the Banking Ombudsman (BO) against the Bank during the year, excepting a few minor directions for operational issues.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT, 2005

- A separate desk attached to Customer Service Cell at Corporate Office is handling the applications, first appeals/ second appeals received by the Bank under the RTI Act. Since inception, the Bank has adopted a single window approach, as suggested by the Parliamentary Committee on implementation of RTI Act. The Bank received 2363 applications, 329 first appeals and 24 second appeals under the Act during FY 2013-14 and all the RTI applications/appeals have been disposed off within the stipulated time.

FOREX BUSINESS

- Turnover in foreign exchange business of the Bank amounted to ₹ 29,993 crore during the year. Of this, export and other inward remittances amounted to ₹ 12,760 crore, while imports and other outward remittances amounted to ₹ 17,233 crore.
- During the year, the total turnover in the interbank forex market amounted to ₹ 4,45,735 crore.
- 92 branches of the Bank are authorized to handle forex business and of these, 87 branches have been provided with SWIFT connectivity. Bank has Correspondent Arrangements with 188 banks in 69 countries.
- 475 branches are authorized to handle Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Accounts. Non Resident Indian (NRI) Deposits recorded a growth of 33 per cent to ₹ 6,487 crore as compared to ₹ 4,863 crore in the previous year.

Remittances

- Enterprise Remittances Scheme from Singapore offers instant credit to customer accounts in India with rupee equivalent of the foreign remittances within minutes of receipt at Singapore Branch and an SMS message is forwarded to the remitter at Singapore informing the credit. The facility is available on all days of the week.
- Other remittance facilities offered for NRIs include "Xpress Money", "Money Gram", "Western Union Money Transfer", besides normal SWIFT based Money Transfer.
- Electronic Funds Transfer arrangements have been launched with 8 Exchange Houses viz., M/s. UAE Exchange House – Abu Dhabi and Kuwait, Oman Exchange House – Oman, Al Zaman Exchange – Qatar, GCC Exchange – Dubai, Belhasa Exchange – Dubai, Al Dar Exchange – Qatar, Al Ghurair Exchange – Dubai. Remittance arrangement with M/s Al Rajhi Bank, Saudi Arabia will be launched shortly.

International Operations

- The Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo and Jaffna. Total Deposits and Advances (gross) of the foreign branches as on March 31st 2014 was ₹ 8758 crore and ₹ 7500 crore respectively.
- Singapore branch established in 1941 has carved a niche by offering a variety of banking services using the latest technology and enjoys enormous goodwill and customer loyalty. The branch is presently maintaining its business in two accounting units - Domestic Banking Unit (DBU) for Singapore Dollar business and Asian Currency Unit (ACU) for business in currencies other than Singapore Dollar.
- Colombo branch established in the year 1932 has active market presence extending trade finance. The Foreign Currency Banking Unit (FCBU), Colombo is engaged in offshore banking operations.
- Jaffna branch, established in 2011, plays a crucial role in the economic development of Jaffna Region.

TECHNOLOGY INITIATIVES

Information and Communication Technology

- The IT strategy has been aligned with the business goals of the Bank. Bank's IT initiatives aims to provide hassle free, convenient and safe transaction facilities to further enhance the customer service and meet customer's expectations. The Bank has re-christened the tag line as *"Your Tech-Friendly Bank".* The Bank has exploited the innovations and advancements in technology for achieving the business objective and offers a wide variety of tech savvy products in tune with the customer needs.

Core Banking Solution

- Bank had implemented 100 per cent CBS in 2008 and technology has now positioned itself as a critical business enabler, pervading new frontiers and encompassing all aspects of banking activities.
- All the 2250 branches and 28 Extension counters in India are on CBS platform. The three overseas branches at Singapore, Colombo and Jaffna are connected to CBS network. CBS has been implemented in all the 64 administrative offices also.
- 50 Banking Service Centres (BSC) are operational in various parts of the country to increase outreach under financial inclusion.
- Bank has adopted versatile approach for ensuring uninterrupted connectivity like leased line with ISDN backup, VSATs, GPRS etc.

- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत पहुंच बढ़ाने को 50 बैंकिंग सेवा केन्द्र (बीएससी) देश के विभिन्न भागों में परिचालित हैं।
- निर्बाध कनेक्टिवटी सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने आईएसडीएन बैकअप, वीसैट, जीपीआरएस आदि से जुडी लीज लाईन जैसे बहुमुखी दृष्टिकोण को अपनाया है।
- बैंक द्वारा प्रायोजित तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (पल्लवन ग्राम बैंक, पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक और सप्तगिरि ग्रामीण बैंक) में शत प्रतिशत सीबीएस कार्यान्वयन हासिल किया गया है।

सीबीएस के तहत ग्राहकों के लिए उपलब्ध सेवाएं :

- रोमिंग खाता सुविधा – मल्टि सिटी चेक तथा ''स्वीप'' सुविधा द्वारा। अब सममूल्य चेक सुविधा प्रवर्तित की गई है।
- इंटरनेट बैंकिग, मोबाइल बैंकिंग, टेली बैंकिंग।
- ''मनीग्राम'', ''एक्सप्रेस मनी'', ''युएआई एक्स्चेंज'' आदि द्वारा सभी सीबीएस शाखाओं में आवक प्रेषण सुविधा
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूली, सीमा शुल्क और सेवा कर के लिए ई–भुगतान सुविधा
- तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) व राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के द्वारा अंतर बैंक प्रेषण सुविधा
- कंपनी रजिस्ट्रार को शुल्क/प्रभार का भुगतान
- कार्पोरेट ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग (इंड कार्प नेट बैंकिंग) सुविधा
- सीबीएस शाखाओं में द्विभाषी सुविधा
- बिलों के ऑनलाइन भुगतान के लिए बहुउपयोगी भुगतान मॉड्यूल
- एसएफएमएस प्रणाली के माध्यम से अंतरदेशीय साख पत्र का प्रचालन।
- बाहरी चेकों की विलंबित वसूली के लिए ब्याज का भुगतान सॉफ्टवेयर के ज़रिए संभव किया गया।
- उपलब्ध अन्य केंद्रीकृत सेवाएं जैसे एटीएम सेवा केन्द्र, पेंशन प्रसंस्करण, जमा प्रसंस्करण, समाशोधन परिचालन और पुराने टीबीसी आंकड़ों का भंडारण।
- ग्राहक के खाते में नेट बैंकिंग, एसएमएस व एटीएम द्वारा आधार संख्या को सीड करना समर्थित।
- मिस्ड काल उत्तर द्वारा जमाराशि की पूछताछ।
- जमाओं की परिपक्वता अवधि समाप्त होने के 7 दिन पहले, आवक/जावक समाशोधन चेक रिटर्न्स, ईसीएस क्रेडिट, आधार सीडिंग एवं जमाओं पर उपलब्ध लोन के बारे में ग्राहकों को एसएमएस भेजा जाता है।
- स्वयंसेवा पासबुक छपाई को दो शाखाओं में प्रायोगिक आधार पर प्रवर्तित किया गया है।
- सरकारी सब्सिडी का आधार - आधारित भुगतान।
- वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी (वीआईटी), रामकृष्ण कॉलेज, कोयम्बत्तूर एवं जीआरडी मैट्रिकुलेशन स्कूल कोयम्बत्तूर को मिलाकर लगभग 75 संस्थानों की फीस एकत्रित करना।

एटीएम

- 2123 एटीएम (511 ऑफसाइट एटीएम को शामिल कर) परिचालित हो रहे हैं।
- स्वयं सहायता समूहों को 24X7 सेवा प्रदान करने हेतु बैंक ने 86 बायोमीट्रिक एटीएम खोले हैं। हमारा बैंक संयुक्त खाता धारकों हेतु एटीएम ऑपरेशन की सुविधा प्रदान करने वाला प्रथम बैंक है।
- जंगीपुर, पश्चिम बंगाल में एक मोबाईल एटीएम कार्यरत है।
- बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बैंक के एटीएमों का उपयोग और उनके ग्राहकों को एटीएम कार्ड जारी करना समर्थित।
- प्रयोक्ता के मार्गदर्शन के लिए एटीएम में आवाज़ इंटरफेस सुविधा प्रदान की गई है।
- ''मेस्ट्रो'' तथा ''मास्टर'' कार्ड ब्राण्डेड कार्ड सहित बैंक के एटीएम कार्ड–बेस 113.91 लाख पर है।
- बैंक के एटीएमों में और साथ ही अन्य बैंकों के एटीएमों में सभी मेस्ट्रो और मास्टर कार्ड डेबिट कार्डो को शेष राशि की पूछताछ करने तथा नकदी का आहरण करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भारत में 1.63 लाख से अधिक एटीएम बैंक के ग्राहकों के लिए साझा इंतजाम के माध्यम से उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मास्टर कार्ड ब्राण्डेड पीओएस टर्मिनलों में बैंक के मेस्ट्रो कार्डों का प्रयोग किया जा सकता है।
- एटीएम द्वारा प्रत्यक्ष करों का भुगतान समर्थित।
- आईआरसीटीसी /सीआरआईएस के ज़रिए रेल टिकट की बुकिंग और टीएनईबी बिलों का भुगतान बैंक के एटीएम कार्ड / डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- जहाँ भी कार्डधारक का मोबाइल नंबर पंजीकृत किया गया है, सभी एटीएम लेनदेनों के लिए स्वचालित और नि:शुल्क एसएमएस मोबाइल चेतावनी संदेश।
- एनएफएस–सदस्य बैंकों के एटीएम में पीआईएन परिवर्तन और लघु विवरण लेनदेन करने की सुविधा प्रदान की गई हैं।
- अच्छी स्थिति के ग्राहकों के लिए 50000/– रुपये की नकद निकासी और 1 लाख रुपये के ऑनलाइन लेनदेन की दैनिक सीमा की विशेष सुविधाओं के साथ प्लेटिनम डेबिट मास्टर कार्ड शुरू किया गया।
- जन्म का वर्ष, रक्त समूह जैसे विवरण और वरिष्ठ नागरिक फोटो के साथ, वरिष्ठ नागरिक डेबिट कार्ड शुरू किया गया है।
- बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दोनों डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्डधारकों के लिए 3 डी सुरक्षा प्रमाणीकरण सेवाओं का कार्यान्वयन किया है।

इंटरनेट बैंकिंग

- बैंक ने नेट बैंकिंग के माध्यम से, ग्राहकों की सुविधा पर स्वयं सेवा वितरण चैनल शुरू किए हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से निधि अंतरण, कर और उपयोगिता बिल भुगतान में बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करते हैं। नेट बैंकिंग सुविधा व्यक्तियों और कार्पोरेट ग्राहकों दोनों के लिए 24X7 पहुंच के साथ प्रदान की गई है।
- नेट बैंकिंग सुविधा के ज़रिए दी गई विभिन्न सेवाएँ निम्नानुसार हैं :
  - बैंक के ग्राहक द्वारा बिजली बिल, जल कर, संपत्ति कर, व्यापार लाइसेंस, एलआईसी प्रीमियम आदि का भुगतान।
  - ई–टीडीए (इलेक्ट्रानिक मीयादी जमा खाता) को ऑनलाइन खोलना।

- 100 per cent CBS implementation has been achieved in all the 3 RRBs (Pallavan Grama Bank, Pudhuvai Bharathiar Grama Bank and Saptagiri Grameena Bank) sponsored by the Bank.

Services available to customers under CBS

- Roaming Account Facility – Through Multicity cheques and 'Sweep' facility. At par cheque facility also has been introduced.
- Internet Banking, Mobile Banking, Telebanking.
- Inward remittance facility in all CBS branches through 'Moneygram', 'Xpressmoney', UAE Exchange etc.
- E-payment for Central Excise collection, Customs Duty and Service Tax.
- Interbank remittance facility through Real Time Gross Settlement (RTGS), National Electronic Funds Transfer (NEFT).
- Payment of fees/charges to Registrar of Companies.
- Internet Banking (IND CORP NET BANKING) facility to corporate customers.
- Bilingual facility in CBS branches.
- Multi-utility payment module for payment of Bills online.
- Inland Letter of Credit issuance through SFMS system.
- Interest payment on Delayed collection of outstation cheques enabled through software.
- Centralized services available such as ATM Service centre, Pension Processing, Deposit Processing, Clearing operations and Storage of old TBC data.
- Seeding of AADHAR number with customer's account through Net Banking, SMS and ATM enabled.
- Balance enquiry through missed call solution.
- SMS is being sent to customers' 7 days before maturity of Deposits, Outward/ Inward clearing cheque returns, ECS Credit, AADHAAR Seeding and on availment of Loan on Deposit.
- Self service Pass Book printing at two branches on a Pilot basis introduced.
- AADHAAR based payment of Government subsidies.
- Collection of fees for nearly 75 institutions including Vellore Institute of Technology (VIT), Ramakrishna College, Coimbatore and GRD Matriculation School, Coimbatore.

ATMs

- 2123 ATMs (including 511 offsite ATMs) are in operation.
- 86 Biometric ATMs for extending 24x7 services to Self Help Groups (SHGs). Bank was the first to introduce ATM operations for Joint Account holders.
- Mobile ATM functional at Jangipur, West Bengal.
- Usage of ATMs by RRBs sponsored by the Bank and issuing of ATM cards to their customers enabled.
- Voice interface provided in ATMs for guiding the users.
- ATM card-base of the Bank is at 113.91 lakh including 'Maestro' & "Master card" branded cards.
- All the Maestro and MasterCard debit cards can be used in Bank's ATMs as well as other Bank's ATMs for balance enquiry and cash withdrawal. More than 1.63 lakh ATMs in India are available to Bank's customers through sharing arrangements. Bank's Maestro cards can be used in the MasterCard branded POS terminals internationally.
- Payment of Direct taxes through ATMs enabled.
- Booking of railway tickets through IRCTC/CRIS and payment of TNEB bills enabled using the Bank's ATM card / Debit card.
- Automatic and free SMS mobile alert message for all transactions done using ATM debit cards, wherever the mobile number of the cardholder has been registered.
- Facility to perform PIN change and Mini Statement transactions in ATMs of NFS-member banks.
- Platinum Debit Master Card with daily cash withdrawal limit of ₹ 50,000 and ₹ 1 lakh for online transactions per day for customers of good standing.
- Senior Citizen Debit Card with details like year of birth, blood group and photo of the senior citizen issued.
- In compliance with RBI guidelines, Bank has implemented 3D Secure Authentication services for both Debit card and Credit card holders.

Internet Banking

- Bank has introduced self service delivery channels through Net Banking, which facilitates banking through internet, funds transfer, tax and utility bills payments, at customer's convenience. The net-banking facility is provided for both individuals and corporate customers with 24x7 accessibility.
- The various services offered through Net Banking facility are as follows:
  - Payment of Electricity Bills, Water Tax, Property Tax, Trade License, LIC premia, etc., by Bank's customers.
  - Opening of e-TDA (electronic Term Deposit Account) online
  - Bank is one of the 5 banks identified to implement MCA 21 programme by Ministry of Company Affairs, for collection of fees/stamping/LLP for Registrar of companies.
  - Online Facility to view Form-26 AS (Tax credit Statement) to our customers through Net Banking facility.

- शुल्क की वसूली / स्टैंपिंग / कंपनी रजिस्ट्रार के लिए एलएलपी हेतु कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा एमसीए 21 प्रोगाम के कार्यान्वयन हेतु पहचाने गए 5 बैंकों में से एक है।
- नेट बैंकिंग सुविधा के जरिए हमारे ग्राहकों द्वारा फार्म – 26 एएस (कर जमा विवरण) को ऑन लाइन देखे जाने की सुविधा।
- सभी इंटरनेट बैंकिंग लेनदेनों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में एसएमएस के माध्यम से एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाता है।

- पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र वर्चुअल राजकोष भुगतान हेतु प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और वाणिज्यिक करों की वसूली, तमिलनाडु आरटीओ शुल्क, तमिलनाडु बिजली बिल भुगतान, आइस गेट के माध्यम से मल्टि चालान सीमा शुल्क की वसूली, एनसीटी दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग के लिए सीएसटी और डीवीएटी की प्राप्ति के लिए ई – भुगतान इंटरफेस सक्षम बनाया गया है।
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, ओडिशा, पुदुच्चेरी एवं तमिलनाडु हेतु सीएसटी/वैट जमा करना।
- नेट बैंकिंग के ज़रिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि को भुगतान का प्रवर्तन किया गया है।
- युएई एक्सचेंज "फ्लैश रेमिटन्स" माड्युल का प्रवर्तन किया गया है।
- मल्टि यूटिलिटी भुगतान मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन शुल्क की वसूली सक्षम बनायी गयी है।
- ऑनलाइन बिलों के भुगतान के लिए 5000 से अधिक व्यापारियों / दलालों के साथ व्यापारी भुगतान गेटवे इंटरफेस।
- श्री मीनाक्षी मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, वेलूर गोल्डन मंदिर को ऑनलाइन माध्यम से दान / पूजा।
- सभी वर्गों के ग्राहकों के लिए खुदरा एवं कॉर्पोरेट डिफॉल्ट निधि अंतरण सीमा ₹ 5 लाख तक बढ़ायी गयी है और नेट बैंकिंग के माध्यम से आरटीजीएस सुविधा को भी सक्षम बनाया गया है।
- चेक बुक आवेदन हेतु ऑनलाइन पंजीकरण/नेट बैंकिंग लॉगिन/अंतरण पासवर्ड हेतु पंजीकरण का प्रवर्तन किया गया।
- तमिलनाडु के आदि–द्राविडर कल्याण विभाग हेतु शिक्षा सब्सिडी का भुगतान सीधे स्टुडेंट के खाते में करना।
- मल्टि यूटिलिटी भुगतान मॉड्यूल के माध्यम से प्रवर्तित बिहार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम हेतु निधियों की केंद्रीकृत तौर पर वसूली।

मोबाइल बैंकिंग

- मोबाइल बैंकिंग, ग्राहकों के लिए एक सुरक्षित तरीके से वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन उपलब्ध कराने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। मोबाइल बैंकिंग सेवाएं हर आम आदमी की पहुँच में हैं, क्योंकि बैंकिंग सेवाएं उसकी सुविधा के अनुसार 24 X 7 उपलब्ध होती हैं एवं ग्राहक अपनी सुविधानुसार बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकता है। मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए प्रदत्त विभिन्न सेवाएं निम्न प्रकार हैं :
- खाता संबंधी पूछताछ जैसे शेष राशि पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, जारी चैक / जमा किये गए चेकों की स्थिति की पूछताछ इत्यादि।
- इंट्रा बैंक निधि अंतरण सेवाएं और एनईएफटी के माध्यम से इंटर बैंक निधि अंतरण।
- ₹ 5,000/– तक की राशि के लिए एसएमएस मोड द्वारा अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और ₹ 50,000/– तक की राशि के लिए जे 2 एम ई मोबाईल बैंकिंग। मोबाइल सं./एमएमआईडी और खाता संख्या / आईएफएससी कोड का प्रयोग करके नेट बैंकिंग के जरिए आईएमपीएस।
- यूएसएसडी (अन्स्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डेटा) मोबाइल बैंकिंग।
- उपयोगिता बिलों को पंजीकृत करके भुगतान करने की सुविधा और इन्स्टा – पे सुविधा।
- एसएमएस प्रणाली द्वारा तमिलनाडु बिल भुगतान।
- एक सुरक्षित, मेनु आधारित और यूजर सहायक जे2एमई प्रौद्योगिकी पर काम करनेवाले जावा 2 माइक्रो एडिशन (जे2एमई) एप्लिकेशन का प्रयोग करते हुए परिष्कृत मोबाइल बैंकिंग सुविधा (इंड मोबाइल) आरंभ की गई है।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के ज़रिए कार्यान्वित अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवाएं इंडियन बैंक के ग्राहकों को मोबाइल फोन के ज़रिए अन्य बेंकों के ग्राहकों से / को प्रेषण भेजने या प्राप्त करने में समर्थित करती हैं। आरटीजीएस / एनईएफटी की तुलना में यह सेवा 24 X 7 X 365 उपलब्ध है।
- बैंक द्वारा डब्ल्युएपी मोबाइल बैंकिंग भी आरंभ किया गया है। मोबाइल बैंकिंग की यह भिन्न प्रक्रिया एक व्यापक सुविधा है, जो पूछताछ सेवाएं, निधि अंतरण और उपयोगिता बिल भुगतान सेवा, इत्यादि को मोबाइल हैंडसेट के ज़रिए प्रदान करती है। इंटरनेट और डब्ल्यूएसजी ब्राउजर की सुविधा रखनेवाले किसी भी मोबाइल फोन पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि इसमें कोई कठिन प्रौद्योगिकी नहीं है, यह बडी संख्या में ग्राहकों तक पहुँचने व उनकों बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में समर्थ है।

प्रौद्योगिकी में अन्य पहलें

- बैंक ने मास्टर कार्ड ब्रैंड के अधीन आईबी प्रीपेड गिफ़्ट कार्ड और आईबी प्रीपेड अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल कार्ड प्रवर्तित किये। प्रीपेड गिफ़्ट कार्ड पूर्व–नियत मूल्यवर्गों में बेचे जाते हैं और ग्राहकों को बिना किसी प्रभार के दिए जाते हैं। प्रीपेड ट्रेवल कार्ड बैंक की सभी प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से बेचे जाते हैं।
- बैंक ने एएमएल मोनिटरिंग हेतु "फिन डीएनए" - साफ्टवेयर को कायान्र्वित किया है।
- समेकित राजकोष परिचालन, दोनों देशी और विदेशी विनिमय व्यापार को एक आम साफ्ट्वेयर पैकेज पर जोडता है और विभिन्न बाजारों में लाभ प्रदता, जोखिम और लागत की पहलुओं का विश्लेषण करता है। बैंक की ट्रेशरी शाखा में कॉमन गेटवे सर्वर स्थापित किया गया है और लीज लाइन के माध्यम से आइएनएफआईएनईटी से जोड दिया गया है। यह सभी अंतर बैंक आम गेटवे है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित प्रणालीबद्ध एवं महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसआईपीएस) अप्लिकेशन है।
- विभिन्न शाखाओं में ग्राहक के खातों में सीधे क्रेडिट के लिए किसी भी देरी के बिना स्विफ्ट एमटी 103 संदेश अपलोड करने के लिए ट्रेजरी शाखा में सुविधा प्रदान की गई है।
- उत्पाद शुल्क और सेवा कर में नई इलेक्ट्रानिक लेखाकरण प्रणाली (ईएएसआईईएसटी) वेब प्लाटफॉर्म में इन–हाऊस विकसित की गई, जोकि फ़ोकल तथा लिंक स्तर की शाखाओं में वसूली के स्तर पर विद्यमान पैकेजों के स्थान पर होगा।

- One Time Password (OTP) is sent through SMS as an additional security measure for all Internet Banking Transactions.
- E-payment interface for Direct Tax, Indirect Tax, Commercial Taxes Collection for West Bengal, Maharashtra Virtual Treasury payment, Tamil Nadu RTO fees, Tamil Nadu Electricity Bill payment, Multi-challan Customs Duty payment through Ice Gate site, receipt of CST and DVAT for Department of Trade & Taxes, Government of NCT Delhi etc. enabled.
- CST/VAT collection for the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, New Delhi, Odisha, Puducherry and Tamil Nadu.
- Prime Minister National Relief Fund Payment through net banking introduced.
- UAE Exchange 'Flash Remittance ' module introduced
- Collection of application fees for various Universities enabled through Multi utility Payment Module.
- Online Merchant Payment Gateway Interface with more than 5000 merchants/brokers, for payment of Bills.
- Online donations/pooja to Sri Meenakshi Temple, Guruvayur Temple, Vellore Golden Temple.
- Default funds transfer limit enhanced to ₹ 5 lakh for all categories of customers (both retail and corporate), RTGS facility also enabled through net banking.
- Online cheque book request registration/online registration for net-Banking login/ transaction password has also been introduced.
- Payment of Education subsidy directly to student account for Adi-Dravidar Welfare Department, Tamil Nadu.
- Centralised collection of funds for Bihar Food and Civil Supplies Corporation introduced through multi utility payment module.

Mobile Banking

- Mobile Banking provides an unique opportunity for providing financial and non-financial transactions in a secured way to the customers by using their hand phones. Mobile Banking service reaches every common man 24 x 7 and customers can access the banking services at their convenience. Various services offered through Mobile Banking are:
- Account related enquiries like Balance enquires, Mini statement, Cheque issued/ deposited status enquiries etc.
- Funds transfer services - Intrabank, Interbank via NEFT.
- Interbank Mobile Payment Service (IMPS) via SMS mode upto ₹ 5000 and J2ME Mobile Banking upto ₹ 50,000. IMPS via Net Banking using Mobile No./MMID and using Account No./IFSC code.
- USSD (Unstructured Supplementary Service Data) Mobile Banking.
- Utility Bill Payment with register and payment facility and insta-pay facility.
- TNEB Bill payment via SMS Mode.
- Enhanced Mobile banking facility (INDMobile) introduced using J2ME (Java 2 Micro Edition) application which works on a secured, menu based and user friendly J2ME technology.
- Inter-bank Mobile Payment Services implemented through NPCI. This payment delivery channel enables customers of Indian Bank to send or receive remittance from/to customers of other banks through mobile phone. It is 24*7*365 service made available when compared to RTGS/NEFT.
- WAP Mobile Banking launched by the Bank. This variant of Mobile Banking is a comprehensive facility providing enquiry services; funds transfer and utility bill pay services etc. through mobile handset. This can be used in any mobile phone having access to internet and a WAP browser, with no complex technology involved, thereby enabling Mobile based banking to reach a wider range of customers.

Other initiatives in Technology

- Bank has launched the IB PREPAID GIFT CARDS and IB PREPAID INTERNATIONAL TRAVEL CARDS under Master Card Brand. The prepaid Gift Cards are sold in free loading denominations and available to the customers free of charge. The prepaid Travel cards are sold through all Forex authorized branches of the Bank.
- Bank has implemented "FinDNA" - software for AML monitoring.
- Integrated Treasury operations combining the Domestic and Forex Trading on a Common Software Package, which analyses profitability, risk and costing aspects in different markets. Common Gateway Server installed at Bank's Treasury Branch and connected to INFINET through leased line, for all inter-bank, Systemically Important Payment System (SIPS) applications developed by Reserve Bank of India.
- Facility provided at Treasury Branch to upload the SWIFT MT103 messages for direct credit to customer accounts at various branches without time delay.
- New Electronic Accounting System in Excise and Service Tax (EASIEST) in web platform developed in-house to replace existing packages at collecting at Focal as well as link level branches.
- Interbank applications like Negotiated Dealings Settlement System (NDS), Real Time Gross Settlement Systems (RTGS), Structured Financial Messaging

- निम्नलिखित अंतर बैंक अप्लिकेशन जैसे नेगोशियेटेड डीलिंग्स सेटिलमेंट सिस्टम (एनडीएस), रियल टाइम ग्रॉस सेटिलमेंट प्रणाली (आरटीजीएस) स्ट्रक्चर्ड फिनान्शियल मेसेजिंग सोल्यूशन (एसएफएमएस), सेन्ट्रलाइसड फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफएमएस), कोलाटरलाइज़्ड बारोईंग एण्ड लेंडिंग ऑबलिगेशनस (सीबीएलओ) विदेशी विनिमय परिचालनों के लिए एफएक्स क्लियर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), ऑनलाइन टैक्स अकाऊंटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस) सभी निर्दिष्ट शाखाओं में कार्यान्वित की गई है।
- सभी समाशोधन केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस दोनों डेबिट एवं क्रेडिट) प्रत्यक्ष प्रसंस्करण के माध्यम से सक्षम बनाई गई है।
- हार्बर शाखा एवं चेन्नै समुद्रीय सीमा शुल्क विभाग के बीच (आयात शुल्क के भुगतान और शुल्क वापसी राशियों के संवितरण हेतु) और पोर्ट ट्रस्ट चेन्नै एवं हार्बर शाखा के बीच (शिप्पर्स चार्जेस के भुगतान हेतु) इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) कार्यान्वित किया गया है। हैदराबाद इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, कोचिन एयरपोर्ट, चेन्नै एयरपोर्ट और विशाखपट्नम पोर्ट ट्रस्ट के साथ भी सीमा शुल्क की वसूली हेतु ईडीआई कार्यान्वित किया गया है।
- चेक ट्रंकेशन परियोजना (सीटीएस) को सभी मेट्रो केन्द्रों में इन–हाउस विकसित सॉफ्टवेयर के साथ लागू किया गया है। बैंक ने दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों के सभी केन्द्रों में सीटीएस के कार्यान्वयन को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है।
- अवरुद्ध राशि समर्थित आवेदन (एएसबीए) मॉड्यूल को लागू किया गया है। आईपीओ प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी बैंक बीएसई /एनएसई की इलेक्ट्रॉनिक बही में अपने ग्राहकों की बोली को अपलोड करने में सक्षम होंगे। वर्तमान में बुक बिल्डिंग मार्ग और साधिकार निर्गम के तहत आईपीओ के लिए आवेदन करने हेतु योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीदारों सहित सभी श्रेणियों के निवेशकों द्वारा एएसबीए की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
- शाखाओं में यूसर आईडी और पासवर्ड के अलावा सेकंड फेक्टर प्रमाणीकरण के रूप में बयोमीट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग।
- 24 घंटे क्षेत्र को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया जिससे अन्य सुपुर्दगी चैनलों में भी रात भर पूर्ण अनुमत लेनदेन, 24 घंटे एटीएम आनलाइन लेनदेन की सुविधा हो गई।
- एटीएम आहरण में असफल होने से संबंधित मामलों में इंडियन बैंक के ग्राहक इंडियन बैंक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी, नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल एवं विनायक मिशन युनिवर्सिटी का परामर्श शुल्क वसूलने के लिए वेब आधारित शुल्क वसूल किया गया है।
- पेंशनर अपना जीवन प्रमाणपत्र बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं।
- गैर–निधि आधारित सीमाओं वाले कार्पोरेटों के लाभार्थ शाखा के सभी समाश्रित खातों के लिए खाता विवरण प्रदान किया गया है।
- ऐसे ग्राहकों के लिए जिनके लेनदेनों की संख्या बहुत अधिक है, उनके डेटाबेस में अपलोड करने के लिए या एक्सेल में परिवर्तित करके देखने के लिए उन्हें सीएसवी फॉर्मेट में खाता–विवरण दिया जा रहा है।
- सभी खाता धारकों के लिए जब खाते में चेक बुक जारी की जाती है एसएमएस चेतावनी भेजी जाती है, बशर्ते कि सही मोबाइल नंबर बैंक के साथ पंजीकृत हैं।
- ''वीआईपी ग्राहक सतर्कता सुविधा'' सीबीएस माड्युल में उपलब्ध है, जिससे ग्राहक को वीआईपी के रूप में टैग कर सकते हैं। जब भी वीआईपी ग्राहक कोई वित्तीय लेनदेन करता है, प्राधिकरण के समय सिस्टम ''वीआईपी ग्राहक – प्राथमिकता दें'' अनुबोधित करती है।
- बैंक ने अलवारपेट, चेन्नै और मोहाली में 24 घंटे ई–बैंकिंग लाउंज प्रवर्तित किया है। ई–बैंकिंग लाउंज में तत्काल नकदी जमा हेतु कैश–इन–एटीएम, नकदी वितरक एटीएम इलेक्ट्रानिक चेक ड्राप बाक्स, स्वयं सेवा कियोस्क और इंटरनेट बैंकिंग टर्मिनल की सुविधाएं होंगी। इसके साथ बैंक के ग्राहकों को खातों से संबंधित सभी लेनदेनों के लिए 24 x 7 x 365 बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता होगी।
- ग्राहक के खाता विवरण में एटीएम लेनदेन की तारीख और समय दिया जाता है।
- जहां कहीं सीआईएफ में खाताधारक का मोबाइल नंबर उपलब्ध है, हिताधिकारी को आवक आरटीजीएस संदेश, प्रेषक के नाम के साथ एसएमएस के जरिए भेजा जा रहा है।
- तमिलनाडु अरसु केबल टीवी कॉर्पोरेशन – अग्रिम जमा वसूली और अंशदान राशि वसूली पोर्ट को बैंक के वेबसाइट और www.arasucable.com वेबसाइट के ज़रिए लाइव बनाया गया है।
- ऑनलाइन पैन वैधीकरण : पैन विवरणों की ऑनलाइन सत्यापन सुविधा एनएसडीएल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के ज़रिए प्रदान की गई है और सिस्टम सीबीएस डाटाबेस में पैन नंबर के अस्तित्व का वैधीकरण करेगा।
- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रायोजित तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इंडियन बैंक गेटवे के ज़रिए समेकन करके एनईएफटी सुविधा प्रदान की गई है।
- गृह ऋण एवं शिक्षा ऋणों के लिए ऑन लाइन ऋण आवेदन की सुविधा कभी भी कहीं भी ऑन लाइन उपलब्ध कराई गई है। आनलाइन अनुरोध को संसाधित किया जाएगा और अर्हता के आधार पर आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन भेजा जाएगा। नियमित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आवेदक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
- सभी शाखाओं में ''सममूल्य'' पर देय मांग ड्राफ़्टों का आरंभ : शाखाओं द्वारा डीडी में लिखित आहरिती शाखा पर ध्यान दिए बिना डीडी के भुगतान के लिए सिस्टम को सक्षम बनाया गया है।
- इंडो नेपाल प्रेषण प्रणाली – नेपाल निवासियों को एनईएफटी सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- टीडीएस प्रशासन अंचल / कार्पोरेट कार्यालय में केन्द्रीकृत किया गया है।
- सीबीएस प्रणाली में ग्राहकों के विलेज कोड को कैप्चर कर लिया गया है।
- अग्रणी जिला प्रबंधकों को प्रदत्त वीडियो कॉनफ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्त मंत्रालय के निर्देश।
- यूएई एक्सचेंज से ऑनलाइन प्रेषण सुविधा प्रवर्तित की गई जिससे हमारे ग्राहकों के खातों में तत्काल जमा संभव हो गया है।

Solution (SFMS), Centralised Funds Management System (CFMS), Collateralised Borrowing and Lending Obligations (CBLO), FX Clear for Foreign Exchange operations, National Electronic Funds Transfer (NEFT), On-line Tax Accounting System (OLTAS), implemented in all designated branches.

- Straight through processing of Electronic Clearing Service (ECS both debit and credit) enabled at all clearing centers.
- Electronic Data Interchange (EDI) between Harbour branch and Chennai Sea Customs (for payment of import duty and disbursement of duty drawback amounts) and between Port Trust, Chennai (for payment of shippers' charges) and Harbour branch have been implemented. EDI also implemented in Hyderabad Inland Container Depot, Cochin & Chennai Airports and Visakhapatnam Port Trust for collection of customs duty.
- Cheque Truncation system (CTS) has been implemented at all the metro centres with in-house developed software. Bank has successfully completed the implementation of CTS in all the centers in Southern and Western Grids.
- Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) module implemented. Banks participating in the IPO process will be able to upload the bids of their customers into the electronic book of BSE/NSE. ASBA facility can be utilised presently by all categories of investors including Qualified Institutional Buyers for applying to IPOs under the Book Building route and Rights Issues.
- Use of Biometric Authentication as second factor authentication, besides User ID and Password introduced in the branches.
- 24-hour region implemented successfully facilitating 24 hours ATM online transactions, full permitted transactions throughout night also in other Delivery Channels.
- Indian Bank Customers having any ATM withdrawal failure issues can register their complaint details online through Indian Bank website.
- Web based software developed for collecting the counselling fees of Guru Gobind Singh Indraprastha University, National Institute of Open School and Vinayaka Mission University.
- Pensioners can submit their life certificates at any branch of the Bank.
- Statement of account for Contingent Accounts provided to branches for the benefit of corporates having non fund based limits.
- Statement of account in CSV format being provided to customers with large volume of transactions either to upload in their data base or to convert to excel and view.
- SMS alert is being sent to all account holders, when cheque book is issued to the account, provided the correct mobile number is registered with the bank.
- VIP Customers Alert Facility available in CBS module to tag the customer as VIP. Whenever the VIP customer does any financial transactions, system will give the prompt "VIP CUSTOMERS – GIVE PRIORITY" at the time of authorization.
- Bank has launched 24 hours e-banking lounge at Alwarpet, Chennai and Mohali. The e-banking lounge houses Cash-in-ATM to deposit cash for on-the-spot credit, Cash dispensing ATM, an Electronic Cheque Drop Box, Self Service Kiosks and Internet Banking terminal. With this, the customers of the Bank will have 24*7*365 availability of banking facilities for all account related transactions.
- Date and time of ATM transaction is provided in the statement of account of the customer.
- SMS being sent to the beneficiary of the inward RTGS message with remitter's name, wherever mobile number is available in the CIF of the account holder.
- Tamilnadu Arasu Cable TV Corporation - Advance Deposit collection and Subscription Amount collection portal made live through our Bank's website and www.arasucable.com website.
- Online verification facility of PAN details is provided by NSDL through electronic linkage and the system will validate the existence of the PAN number in the CBS data base.
- As per GoI guidelines, NEFT facility has been extended to all the 3 RRBs sponsored by the Bank by integration with the Indian Bank Gateway.
- Online Loan Applications for Home loan and Education loan has been made available for submitting the applications online, anytime, anywhere. The online request will be processed and an *in-principle* approval will be sent to the applicant based on eligibility and they can approach the branch for submission of regular proposal.
- Introduction of Demand Drafts Payable *"at par"* at all Branches - System enabled for branches to make payment of DD, irrespective of drawee branch mentioned in DD.
- Indo-Nepal Remittance System - NEFT facility for natives of Nepal available.
- TDS Administration has been centralized at Zonal/ Corporate Office.
- Village codes of customers captured in CBS system.
- Finance Ministry's direction of providing video conferencing facility provided to Lead District Managers.

- आधार एनेबल्ड पेमेंट ब्रिज प्रणाली, जिसके ज़रिए बैंक के साथ आधार संख्या पंजीकृत करनेवाले ग्राहकों को उनके खातों में जमाएँ मिलेगी, में बैंक भाग ले रहा है।
- ग्राहक अपने खाते के साथ अपनी आधार संख्या को नेट बैंकिंग, एटीएम या एसएमएस के माध्यम से सीड कर सकते हैं।

प्रबंधन सूचना प्रणाली

- 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग समाधान द्वारा स्वचालन का पूरा फायदा उठाने के लिए एमआईएस विभाग विभिन्न अभिकरणों एवं विभागों को विभिन्न रिपोर्ट / डेटा प्रदान करता रहा है।

सूचना प्रणाली सुरक्षा

- बैंक में एक पूर्ण विकसित एवं पृथक सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग कार्यरत है।
- कोर बैंकिंग समाधान सॉफ्टवेयर, बैंक के नेटवर्क के बुनियादी ढांचे, इंटरनेट बैंकिंग और प्रत्येक वर्ष सूचना सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एटीएम नेटवर्क की आईएस लेखापरीक्षा बाहरी एजेंसी – द्वारा की गई है।
- कंप्यूटर सुरक्षा का निरंतर आधार पर निरीक्षण करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- 24 x 7 आधार पर विद्यमान तथा प्रस्तावित सुरक्षा उपकरणों का अनुवीक्षण करने के लिए सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी) की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत फायर वाल, नेटवर्क इन्ट्रूशन रोक प्रणाली (एनआईपीएस), होस्ट इंन्ट्रूशन डिटेक्शन प्रणाली (एचआईडीएस) को सीडीसी तथा डी आर साइट में विस्तृत मात्रा में प्रयोग किया गया है।
- आस्ति और पैच प्रबंधन समाधान का कार्यान्वयन : उद्यमव्यापी सुरक्षा परियोजना के एक अंश के रूप में आस्ति और पैच प्रबंधन समाधान कार्यान्वित है, जिससे आवश्यक प्रचालन प्रणाली पैचों को प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हुए कम्प्यूटर हार्डवेयर / आस्तियों की पहचान व पता लगाया जा सकता है और अनुरक्षण किया जा सकता है। यह समाधान कॉर्पोरेट कार्यालय, अंचल कार्यालय और सभी सीबीएस शाखाओं में प्रयोग में लाया गया है।
- बैंक के डाटा केन्द्र में डीसी और डीआर साइट पर बैंक के विभिन्न क्रिटिकल सर्वरों के ''रियल टाइम मानीटरिंग'' हेतु एंटरप्राइज़ सिस्टम मेनेज्मेंट सल्यूशन, जो एक अत्युन्नत सर्वर मानीटरिंग औजार है, संस्थापित किया गया है।

आपदा पूर्ति कवायद (डीआर) ड्रिल

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सीबीएस एटीएम जैसे महत्वपूर्ण परिचालनों में और आंतरिक बैंकिंग परिचालनों के लिए आपदापूर्ति कवायद दो बार संचालित की गई।

सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रानिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और सायबर धोखाधडियों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य दल दिशानिर्देश

- सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन एवं सायबर धोखाधडियों के मुकाबले बैंक के विद्यमान आईटी माहौल पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यसमूह के दिशानिर्देशों में बताए गए 9 विस्तृत क्षेत्रों से संबंधित गैप विश्लेषण आयोजित किया गया एवं पहचाने गए गैपों पर अनुपालन की कार्रवाई आरंभ की गई है।

प्रशिक्षण

- सभी कर्मचारियों को निरंतर कंप्यूटर संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे प्रौद्योगिकी के माहौल को संचालित करने में समर्थ हों। वर्तमान वर्ष के दौरान 5500 अधिकारियों और 5500 अवार्ड स्टाफ के लक्ष्य के प्रति 6460 अधिकारियों और 6974 अवार्ड स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, 386 संगामी लेखा परीक्षकों को प्रशिक्षण संस्थान में सीबीएस से लेखा परीक्षा के प्रयोजन सम्बन्धी रिपोर्ट बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

परिसर

- हरित पहल के रूप में विक्रेताओं, पूर्तिकर्ताओं इत्यादि को सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के ज़रिए किये जाते हैं, जैसे सीधे जमा / एनईएफटी / आरटीजीएस (केवल आपवादिक स्थितियों में चैक के ज़रिए भुगतान किया जाता है)।
- बैंक की भारत में 146 संपत्तियां और सिंगापुर में 2 संपत्तियां हैं।
- बैंक में परिसर व्यय, खरीदी, संविदाओं, मुद्रण और लेखनसामग्री, वातानूकूलन, आटोमोबाइल,टेलिफोन / सेल फोन के लिए एक समान नीतियां बनाई हैं और शाखाओं / अंचलों द्वारा ये अपनाई गई हैं।
- इंडियन ग्रीन बिल्डिंग परिषद द्वारा हमारे रॉयपेट्टा,चेनै स्थित कार्यालय बिल्डिंग को "लीड" इंडिया ग्रीन बिल्डिंग द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गयी है।

आंतरिक नियंत्रण

- वर्ष के दौरान 1714 शाखाओं में जोखिम आधारित लेखापरीक्षा की गई है। सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा द्वारा 1703 शाखाओं को कवर किया गया और 1070 एटीएम की लेखापरीक्षा भी वर्ष के दौरान की गई।
- संगामी / आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन 546 शाखाओं को कवर करते हुए, 31.03.2014 तक कुल देशी जमाओं के 69 प्रतिशत और देशी अग्रिमों के 76 प्रतिशत को कवर किया गया। कुल मिलाकर, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत 72 % देशी व्यापार को कवर किया गया।
- 01.04.2013 से जोखिम आधारित संगामी लेखा परीक्षा प्रवर्तित की गई।
- आरबीआईए व संगामी लेखापरीक्षा के दौरान अभिपहचानित आय रिसन के अतिरिक्त रु.3 करोड़ और उससे अधिक के व्यापार एक्सपोशरवाली 1918 शाखाओं को कवर करनेवाली राजस्व लेखापरीक्षा की गई।
- समीक्षा वर्ष के दौरान 33 अंचलों की प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई और अनुपालन हेतु कार्रवाई की गई।
- वर्ष के दौरान समीक्षा की अवधि में सूचना प्रणाली (आई एस) – बाहरी लेखापरीक्षा फर्म द्वारा सूचना एवं संसूचना प्रौद्योगिकी की लेखापरीक्षा (आईसीटी) आधारिक संरचना –सीबीएस अप्लिकेशन सूट, डेटा सेंटर व सीबीएस परियोजना कार्यालय की लेखापरीक्षा भी की गई।
- संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली की दक्षता को बढाने और संगामी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी अंचलों को कवर करते हुए संगामी लेखा परीक्षकों की समीक्षा बैठकें ऑनलाइन विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई।

- Online remittance facility from UAE Exchange has been introduced enabling instant credit to our customers' accounts.
- Bank has been participating in AADHAR enabled Payment Bridge system, through which the customers who have registered their AADHAR numbers with the Bank can get the credits to their accounts.
- Customers can seed their AADHAAR number with their account number through net banking, ATM or SMS.

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

- To derive full benefit of automation through 100 per cent CBS, the MIS department has been providing various reports/data for furnishing to different agencies and departments.

Information Systems Security

- Separate Information Systems Security Department is functional.
- IS audit of Core Banking Solutions software, Network infrastructure of the Bank, Internet Banking and ATM network is being done by external agency, every year to strengthen Information Security.
- Guidelines issued to observe Computer Security on an on-going basis.
- Security Operation Center (SOC) established for monitoring all the existing and proposed security devices on a 24x7 basis. Under this project, Firewalls, Network Intrusion Prevention System (NIPS), Host Intrusion Detection System (HIDS) deployed in CDC and DR site.
- Implementation of Asset and Patch Management Solution: As part of the enterprise wide security project, the Asset and Patch Management Solution implemented, using which the computer hardware/assets can be identified, tracked and maintained by deploying the necessary operating system patches. The solution has been deployed in Corporate Office, Zonal Offices and all CBS branches.
- Enterprise System Management Solution, a sophisticated server monitoring tool installed at Bank's data centre for real time monitoring of the various critical servers at DC and DR sites.

Disaster Recovery (DR) Drill

- Disaster Recovery Drill for critical operations like CBS, ATM and Internet Banking operations were conducted twice during the financial year 2013-14, as per RBI guidelines.

RBI Working group guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds

- A Gap analysis was conducted in nine broad areas as mentioned in RBI's Working group guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds vis-à-vis existing Bank's IT environment and the Gaps identified have been taken up for compliance.

Training

- Computer related training imparted to staff on an ongoing basis to empower them to handle the technology platform. During the current year, 6460 officers and 6974 award staff have been trained as against the target of 5500 officers and 5500 clerks. Apart from this, 386 Concurrent Auditors were also trained by Training Centers to handle CBS related reports for audit purpose.

PREMISES

- As part of the green initiative, all payments to vendors, suppliers etc. are made through electronic channels viz., direct credit/NEFT/RTGS (only under exceptional circumstances, payment by way of cheque is made).
- Bank owns 146 properties in India and 2 properties in Singapore.
- Bank has put in place uniform policies for Premises, Expenditure, Purchases, Contracts, Printing and Stationery, Air conditioning, Automobiles, Telephone/Cell phone and has adopted the same at all branches/zones.
- Corporate Office building at Royapettah, Chennai has been awarded with 'LEED' India Green building 'GOLD' rating by Indian Green Building Council.

INTERNAL CONTROLS

- During the year, Risk Based Internal Audit was carried out in 1714 branches. Information System Audit covered 1703 branches and 1070 ATMs during the year.
- 546 branches were covered under Concurrent Audit, covering 69 per cent of total domestic deposits and 76 per cent of domestic advances as on 31.03.2014. Overall, 72 per cent of domestic business was covered under Concurrent Audit.
- Risk Based Concurrent Audit was introduced from 01.04.2013.
- Revenue Audit covering 1918 branches with business exposure of ₹ 3 crore and above was carried out, in addition to the leakage of income identified during RBIA and Concurrent Audit.

- बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं निरीक्षण केन्द्रों द्वारा शाखाओं में सुधारात्मक कार्यवाही करने और उन्हें सुग्राही बनाने के लिए परोक्ष रूप से त्रिस्तरीय निगरानी कार्यक्रम चलाए गए।
- निरीक्षकों को अधुनातन गतिविधियों से अवगत कराने और उनके रिपोर्टिंग कौशल को निखारने हेतु अलग से कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सीबीएस में "यूएन" सावधानी सूची के साथ भावी ग्राहकों के नामों के ऑनलाइन स्कैनिंग की शुरुआत भी की गयी।
- धोखाधड़ी रहित वातावरण को सुनिश्चित करने, प्रणाली में मौजूद खामियों को ढूँढने और उनमें सुधार करने हेतु बाहरी फोरेंसिक लेखा परीक्षकों की सहायता लेकर उनमें सुधार किए गए।

अनुपालन

- बैंक की अनुपालन नीति बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में उप महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है। यह विभाग बैंक के कार्यों को अधिशासित करनेवाले विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करता है, यथा :

  - विभिन्न विधानों जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, मनी लॉड्रिंग निवारण अधिनियम आदि।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास एजेंसी आदि द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देश।
  - भारतीय बैंक संघ, भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डीलर्स एसोसिएशन आदि जैसी उद्योग संघों द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक मानकों एवं कोड तथा
  - परिपत्रों, मैनुअलों के जरिए जारी बैंक की आंतरिक नीतियां, आचरण कोड, दिशानिर्देश आदि।

सतर्कता

- विभाग, सतर्कता प्रशासन हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करता है। यह धोखाधड़ी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक /के अ ब्यूरो से संपर्क करने के साथ–साथ सीवीवी और नोडल विभाग के सलाहकार के लिए संपर्क केंद्र का कार्य करता है।
- विभाग सक्रिय ढंग से कार्य कर रहा है और बैंक में धोखाधड़ी निवारण के हिस्से को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों को ध्यान में रख कर सभी सतर्कता मामलों का निपटान करता है। अपनी ओर से धोखाधड़ी विरोधी पहल के रूप में शाखाओं के लेखा परीक्षण पर ध्यान दिया गया और इसके विस्तार एवं कवरेज को बढाया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान 214 शाखाओं में सतर्कता लेखा परीक्षा आयोजित की गई।
- शिकायतों और धोखाधड़ी की जांच बैंक के विभिन्न अंचल कार्यालयों में कार्यरत सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से की जाती है और धोखाधड़ी का विश्लेषण कॉर्पोरेट कार्यालय में किया जाता है। इस से धोखाधड़ी वारदातों की संख्या में कमी आयी है और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2013–14 में धोखाधड़ी की राशि में कमी आई है।
- हमारी गृह पत्रिका इंड–चेतना, धोखेबाजों द्वारा अपनाए गए तरीकों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक बनाती है और शाखाओं में सुदृढ़ धोखाधड़ी–विरोधी नीति का पोषण करने हेतु प्रासंगिक परिचालन और निवारक सतर्कता को अपनाया जाता है।
- 28 अक्तूबर 2013 से 02 नवम्बर 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। पारण अधिकारियों ध् जांच अधिकारियों, सतर्कता अधिकारियों, अनुशासनिक प्राधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सुरक्षा

- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को पूरा करने के लिए बैंक में एक सुव्यवस्थित सुरक्षा मशीनरी उपलब्ध है। एहतियात और रोकथाम ''सुरक्षा की कसौटी'' होने के कारण इन्हें अत्यंत महत्व दिया जाता है।
- शाखाओं और एटीएमों को वर्तमान समय की जरूरत के अनुसार नवीनतम सुरक्षा उपकरणों जैसे, ऑटो डायलर के साथ बर्गलर और फायर अलार्म, सीसीटीवी सिस्टम दिए गए हैं। ऐसी सुरक्षा प्रणालियां सभी एटीएम को दी गई हैं। सभी नए एटीएम ग्रउट किए गए है।
- बायोमीट्रिक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली सभी मुद्रा पेटियों में स्थापित की गई है एवं यहाँ बैंक के सशस्त्र रक्षकों और वैन हमेशा उपलब्ध रहते हैं ।
- शाखाओं के सर्वर कक्ष में स्वचालित अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं।
- सभी आर्मड गार्डों के लिए प्रत्यक्ष अग्निशमन का अभ्यास किया गया।
- सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम द्वारा शाखाओं / मुद्रा तिजोरियों के नियमित निरीक्षण के माध्यम से एक समर्पित सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है। सुरक्षा अधिकारियों व सशस्त्र रक्षकों को नियमित रूप से वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अद्यतन प्रौद्योगिकीय प्रगति की जानकारी मिलती है और वे हमेशा सतर्क रहते हैं।
- बैंक ने राज्य स्तर और जिला स्तर पर स्थाई सुरक्षा समिति और अन्य सांविधिक बैठकों का आयोजन और सुरक्षा पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया है और नकदी विप्रेषण के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए संपत्ति सुरक्षा का पालन किया है जिसके परिणामस्वरूप यह एक हानिमुक्त वर्ष रहा।

राजभाषा का कार्यान्वयन

- बैंक राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के आधार पर राजभाषा का सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहा है। राजभाषा का कार्यान्वयन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम तथा समय–समय पर वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

- Management Audit of 33 Zonal Offices was conducted during the year under review and follow up action initiated for compliance.
- Information Systems (IS) Audit of Information and Communication Technology (ICT) infrastructure - CBS application suite, Data Centre and CBS Project Office was conducted during the year by an external audit firm.
- Meetings with Concurrent Auditors have been conducted through video conference covering all the Zones to tone up the efficiency of concurrent audit system and for improving the quality of concurrent audit reports.
- Offsite monitoring activities were carried out in the Bank on a three tier setup at Corporate Office, Zonal Offices and Inspection Centres to sensitize the Branches to take corrective action on a daily basis.
- Separate programme for Inspectors was conducted to make them familiar with the latest developments and to develop their reporting skills.
- On-line scanning of names of prospective customers with UN Caution Lists has been introduced in CBS.
- Services of external forensic auditors were utilised to identify the lapses and shortcomings in the systems and procedures and to improve the same to envisage a fraud free environment.

COMPLIANCE

- Bank's Compliance Policy has been duly approved by the Board and in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by a Deputy General Manager has been set up in the Bank. The Department monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the Bank's functioning such as:
  - Various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act etc.
  - Regulatory guidelines issued by Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Agency etc.
  - Voluntary standards and codes prescribed by industry associations such as Indian Banks' Association, Foreign Exchange Dealers' Association of India, Fixed Income Money Market Dealers Association etc.
  - Bank's internal policies, codes of conduct, guidelines etc. issued by way of Circulars, Manuals etc.

VIGILANCE

- The department is guided by Central Vigilance Commission's guidelines on vigilance administration. It is the single point of contact for consultations with CVC and also the nodal department to liaise with RBI/CBI in respect of frauds.
- The department is functioning in a proactive manner and is focused on increasing the fraud deterrence quotient within the Bank and disposing of all vigilance cases in line with the Central Vigilance Commission's guidelines. As part of its anti-fraud initiatives, vigilance audit of branches has been strengthened by increasing its scope and coverage. Vigilance audit was conducted in 214 branches during the year 2013-14.
- Investigations of complaints and frauds are undertaken through vigilance officers located in the various Zonal Offices of the Bank and analyses of frauds are undertaken at Corporate Office. There was significant reduction in the number of frauds and amount involved during 2013-14 as compared to the previous year.
- The in-house journal IND-CHETANA focuses on building awareness amongst staff as to the methodologies adopted by fraudsters, relevant operational guidelines and preventive vigilance practices to cultivate and nurture a strong anti-fraud climate in branches.
- Vigilance Awareness Week was observed from October 28th 2013 to November 02nd 2013. Three exclusive in-house training programmes were held for the Presenting Officers/Inquiring Authorities, Vigilance Officers and Disciplinary Authorities during the year.

SECURITY

- Bank has a well established security machinery to supplement the Operational Risk Management system. Precaution and prevention being the 'Touch Stone of Security' were given utmost importance.
- Latest security systems viz., Burglar and Fire alarm with auto-dialer, CCTV systems in consonance with the present day requirements have been provided to all Branches. ATMs have also been provided with such security systems. All new ATMs are grouted.
- All Currency Cests have been installed with Biometric Access Control and are provided with Cash Van and Bank's Armed Guards.
- Automatic Fire Extinguishers have been installed in the Server Rooms of the branches.
- Live firing practices have been carried out for all the Armed Guards.
- Dedicated security cover has been provided through regular inspection of Branches/Currency Chests by a team of Security Officers. Training of Security Officers and Armed Guards are carried out annually to ensure that they retain their alertness and are updated with the latest technological advancements.

- बैंक ने "आपका प्रौद्योगिकी हितैषी बैंक" होने के अपने ध्येय को ध्यान में रखते हुए, बैंक के सभी कंप्यूटरों में हिन्दी वर्ड प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई है एवं सरकार के दिशा निर्देशानुसार यूनिकोड में कार्य किया जाता है ।
- हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए एक कॉर्पोरेट योजना कॉ.का : राजभाषा कक्ष द्वारा जारी की गई है जिसमें कार्यालयों एवं शाखाओं में हिन्दी के प्रयोग एवं बढावे से जुड़े हुए सभी बिन्दुओं को व्यापक रूप से सम्मिलित किया गया है।
- हमारे कर्मचारियों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों, जैसे प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के अधीन प्रशिक्षित करते हुए हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। उपर्युक्त परीक्षाओं में सफल होनेवाले कर्मचारियों को भारतीय बैंक संघ के अनुदेशों के अनुसार नकद प्रोत्साहन दिया जाता है ।
- बैंक एक विशेष हिन्दी पत्रिका "इंड–छवि" प्रकाशित करता है और पत्रिका सामग्री की वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा सराहना की गई है।
- बैंक के पाँच अंचलों अर्थात भुबनेश्वर ,नई दिल्ली, हुबली, विजयवाड़ा एवं पटना को हिन्दी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के राजभाषा पुरस्कार से नवाज़ा गया।

अन्य पहलें

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की स्वावलंबन योजना के अधीन असंगठित क्षेत्र वाले नागरिकों के अभ्यावेशन हेतु संकलन और प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के रूप में बैंक ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के पास नाम दर्ज किया है।
- महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) योजना के अधीन आप्रवासन जाँच पड़ताल के लिए आवश्यक पारपत्र रखनेवाले विदेशी भारतीय कामगारों के अभ्यावेशन के लिए विदेशी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा सेवा प्रदाता के रूप में बैंक को नियुक्त किया गया है।
- पेंशनरों की शिकायतों के निवारण के लिए 25 अंचलों में नवंबर 2013 और जनवरी 2014 में पेंशन अदालत आयोजित की गईं। 19 –01 –2014 को एक चिकित्सा/नेत्र जांच शिविर, डॉ. अग्रवाल नेत्र अस्पताल एवं सीसी मेमोरियल हॉस्पिटल, धर्मपुरी की सहभागिता में आयोजित किया गया।
- बैंक के पास 73 सिक्का बेचने वाली मशीनें हैं जिनमें से 36 मशीनें वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान स्थापित की गई हैं।
- वर्ष के दौरान, विभिन्न स्थानों पर गंदे नोटों के विनिमय हेतु 28 मेले आयोजित किये गए।
- बैंक द्वारा लखनऊ अंचल के अंतर्गत रजनी खंड में एक नयी मुद्रा तिजोरी स्थापित करने के बाद 31 मार्च, 2014 को मुद्रा तिजोरियों की संख्या 41 हो गई है।
- तमिलनाडु परिवहन विभाग द्वारा वाहन पंजीकरण प्रभार वसूली हेतु बैंक प्राधिकृत है।
- ग्राहक अब नेट बैंकिंग के ई–मोड के जरिए सीधे प्रत्यक्ष/परोक्ष कर का भुगतान कर सकते हैं।
- बैंक विभिन्न सब्सिडी योजनाओं और अन्य लाभों को संभालता है जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) आदि।

विपणन

- बैंक ने एक इंटेग्रेटेड वॉइस रेकग्निशन कॉल सेंटर(आईवीआरसीसी) स्थापित किया है एवं अगस्त 2013 से एजेंटों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। आईवीआरसीसी केन्द्रों में परिचालन पूर्णतः कॉर्पोरेट कार्यालय के अधिकारियों की सहायता एवं पर्यवेक्षण में किया जाता है। साथ ही, बैंक ने एटीएम कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर को भी आईवीआरसीसी में जोड़ दिया हैं।
- बैंक की विपणन वैबसाइट का रूपांतरण किया गया है व उसमें नए विकल्पों जैसे कि विविध उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करना, "न्यूज़ रूम" में विपणन उन्मुख समाचार लेखों को कालक्रमानुसार सुपठनीय ढंग से प्रदर्शित करना एवं 6 विभिन्न वर्गों के आवेदन/सेवा प्रपत्र प्रदर्शित करना शामिल हैं।
- जनता के हित के लिए और जनता को वर्तमान में प्रचलित भुगतान प्रणालियों के परिचालन और नियामक पहलुओं के बारे में जागरूक बनाने के लिए बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की पहल के रूप में नवम्बर 2013 को होसूर में एक इलेक्ट्रानिक जागरूकता प्रशिक्षण (ई–बात) आयोजित किया गया।
- एयरसेल चेन्नै ओपन 2014 के लिए बैंक प्लैटिनम प्रायोजक रहा।
- अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने एक फोल्ड होने वाला जेबी उत्पाद रेडी रेकोनर (पीआरआर) पेश किया है जिसमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिता के नंबर एवं संबन्धित राज्य की छुट्टियाँ 10 भाषाओं में प्रदर्शित करने वाला कैलण्डर है।
- बैंक ने 1 मार्च से 31 मार्च, 2014 के दौरान डेबिट कार्डों पर 5 प्रतिशत नकदी वापसी मुहिम भी चलायी।

- Bank has ensured follow up of security aspects in State level, District level Standing Security Committee meetings and other statutory meetings. It has also adhered to asset protection measures and followed procedural safeguards for cash remittances, resulting in a loss free year.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

- The Bank is actively implementing Official Language based on the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages Rules, 1976. Official Language is implemented as per the Annual Programme issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India and the guidelines issued from time to time by the Ministry of Finance and Reserve Bank of India.
- In keeping with the Bank's objective of being "Your Tech Friendly Bank", all the computers of the Bank have the facility of word processing in Hindi and to work on "Unicode" as per the instructions of the Government.
- A Corporate Plan for the progressive use of Hindi has been issued by CO: Official Language Cell wherein, all the points regarding use and furtherance of Hindi in Offices and Branches of the Bank have been comprehensively included.
- Working knowledge of Hindi is being imparted to the employees through various courses like Prabodh, Praveen and Pragya conducted under the Hindi Teaching Scheme, Government of India, Ministry of Home Affairs. Cash incentives are also being granted to successful employees as per the instructions of Indian Banks' Association.
- The Bank publishes an exclusive Hindi Magazine - "IND CHHAVI"; the contents of the magazine have been commended by the Official Language Department of Ministry of Finance, Government of India.
- Five Zonal Offices of the Bank viz., Bhubaneshwar, New Delhi, Hubli, Vijayawada and Patna have received the coveted TOLIC award for implementation of Hindi in their Zones.

OTHER INITIATIVES

- Bank has registered with Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) as Point of Presence (PoP) and Aggregator for enrolling citizens in unorganized sector under 'Swavalamban' Scheme of National Pension System (NPS).
- Bank has been appointed as a service provider by Ministry of Overseas Indian Affairs, for enrolling Overseas Indian workers having 'Emigration Check Required' passports under Mahatma Gandhi Pravashi Suraksha Yojana (MGPSY) Scheme.
- Pension Adalats were conducted in November 2013 and January 2014 in 25 Zones. A medical/eye checkup camp was organized on 19.01.2014, in association with Dr. Agarwal Eye Hospital and CC Memorial Hospital, Dharmapuri.
- Bank has 73 Coin Vending Machines, of which 36 were installed in FY 2013-2014.
- During the year, 28 Soiled Note Exchange Melas were conducted at various places.
- Bank has opened a Currency Chest in Rajni Khand under Lucknow Zone taking the total number of Currency Chests to 41 as on March 31, 2014.
- Bank has been authorized to collect Vehicle Registration charges by Transport Department of Tamil Nadu.
- Customers can now effect Direct/Indirect tax payments in e-mode through net banking.
- Bank handles various subsidy schemes and other benefits viz., Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Central Plan Scheme Monitoring System (CPSMS).

MARKETING

- Bank has established an Integrated Voice Recognition Call Centre (IVRCC) and has trained the agents from August, 2013. The operations at the IVRCC are undertaken with assistance and supervision of officers from the Corporate Office. Also, the Bank has integrated the ATM Card and Credit Card blocking software with IVR CC.
- Marketing Website of the Bank has been modified with various new features such as highlighting various products and services; "Newsroom" provides an easy-to-read summary of marketing-oriented news articles chronologically and application/service forms under 6 different categories.
- Bank conducted an Electronic Awareness Training (E-BAAT) Programme in November 2013 at Hosur, an initiative of RBI for the benefit of public, to make them aware about the operational and regulatory aspects of the currently prevaling payments systems.
- Bank was the Platinum Sponsor for Aircel Chennai Open 2014.
- As part of its brand promotion, Bank has introduced a foldable pocket-size Product Ready Reckoner (PRR), containing important public utility numbers and a calender, displaying holidays pertaining to respective states in 10 languages.
- Bank had introduced a 5 per cent Cashback Campaign for Debit Cards was from March 1st - March 31st, 2014.

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट –2013–14 (सूचीकरण समझौते का खंड 55)

खंड ए: कंपनी का सामान्य परिचय

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	इंडियन बैंक
3. पंजीकृत पता	66, राजाजी सालै, चेन्नै – 600 001
4. वेबसाइट	www.indianbank.in
5. ई–मेल	indmail@indianbank.co.in
6. रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	2013-14
7. कंपनी के व्यावसायिक क्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 मुख्य उत्पाद/सेवाएँ जो निर्माता देता है (तुलन पत्र के अनुसार)	जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद एवं प्रेषण आदि
9. स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधियां की जाती हैं। स्थानों की कुल संख्या I. राष्ट्रीय II. अंतर्राष्ट्रीय	 31.03.2014 को 2250 शाखाएँ 3 (सिंगापुर, कोलंबो एवं जाफना)
10. कंपनी द्वारा जिन बाजारों में सेवा प्रदान की जाती है – स्थानीय/राज्य/ राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार 26 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं हैं और सिंगापुर एवं श्री लंका में बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है।

खंड बी: कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1. प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये)	₹ 465 करोड़
2. कुल कारोबार(भारु)/राजस्व	₹ 286,633 करोड़ (कुल कारोबार)
3. कर चुकौती के बाद कुल लाभ(भारु)	₹ 1159 करोड़
4. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कर चुकाने के बाद लाभ के : के रूप में कुल व्यय	2013–14 के दौरान सीएसआर गतिविधियों में खर्च की गयी राशि रुपये 241.89 लाख है जो कि कर कटौती के बाद लाभ का 0.21 प्रतिशत है ।
5. गतिविधियों की सूची जिसमें उक्त (4) पर व्यय हुआ है।	• हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई हरित पहल। • स्वच्छ और हरित शहर मुहिम के लिए उपकरणों को उपलब्ध कराने। • सतत ऊर्जा और टिकाऊ विकास को सशक्त बनाने पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाना। • अनाथालयों के बच्चों, वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों के साथ त्योहार मना कर खुशियाँ बांटना। • बैंक ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए और उनके लिए बैंक को चलशील्ड प्राप्त हुई। बैंक सन 1988 से लगातार 26 साल नंबर एक पर रहा है।

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT – 2013-14 (Clause 55 of Listing Agreement)

Section A: General Information about the Company

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	Indian Bank
3. Registered Address	66, Rajaji Salai, Chennai – 600 001
4. Website	www.indianbank.in
5. Email	indmail@indianbank.co.in
6. Financial Year Reported	2013-14
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company No. of Locations I. National II. International	 2250 branches as on 31.03.2014 3 (Singapore, Colombo & Jaffna)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/International	Bank has branches in 26 States and 6 Union Territories and International presence in Singapore and Sri Lanka.

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR)	₹ 465 Crore
2. Total Turnover (INR)/ Revenue	₹ 286,633 Crore (Total Business)
3. Total Profit after Tax (INR)	₹ 1,159 Crore
4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	Amount spent under CSR activity during 2013-14 is ₹ 241.89 lakh which is 0.21 per cent of Profit after Tax
5. List of the activities in which expenditure on (4) above has been incurred:	▪ Green initiative to promote the green concept. ▪ Providing equipments towards clean and green city drive. ▪ Awareness among students created through competition on Sustainable energy and powering sustainable growth. ▪ Bringing smiles by celebrating festivals with senior citizens at old age homes and children at orphanages. ▪ Bank has conducted Voluntary Blood Donation Camps and was awarded the Rolling Shield. Bank maintains its Number One Position for the 26th consecutive year since 1988.

	• बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे कार्डियो, नेत्र, एवं दंत चिकित्सा शिविरों के माध्यम से जागरूकता पैदा की। • बैंक ने उत्तराखंड में आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास की दिशा में योगदान दिया है। • शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे अग्रणी जिलों में 10वीं और 12वीं कक्षा में अव्वल आने वाले छात्रों को नकद प्रोत्साहन से सम्मानित किया जाता है। • प्रायोजन के माध्यम से खेल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। • विभिन्न शहरों में उद्यानों के रखरखाव वृक्षरोपण परियोजनाएं शुरू करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी ओर से पेड़ गार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। • शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए बैटरी संचालित व्हीलचेयर वितरित की गई हैं। • विकलांग मेधावी छात्रों को अलग से मोटर चालित व्हीलचेयर उपहार में दी गई हैं।

खंड सी: अन्य ब्यौरे

1	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं:	हाँ 1. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड। 2. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड।
2	क्या सहायक कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहल लागू करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनियों को दर्शाएँ।	• इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड का पिछले तीन वर्षों का कुल लाभ बड़े पैमाने पर किसी सामाजिक दायित्व का वहन करने हेतु पर्याप्त नहीं था। • इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड वर्तमान में कोई कार्य नहीं कर रही है।
3.	क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएं जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, (जैसे प्रदायक, वितरक आदि) कंपनी की बीआर पहल में भागीदारी निभाते हैं ? यदि हाँ, तो यह दर्शाएँ कि ऐसी संस्थाओं का प्रतिशत कितना है (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)	नहीं

खंड डी: बीआर जानकारी

1. बीआर के प्रति उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण।

I. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण।

डीआईएन संख्या	लागू नहीं
नाम	लागू नहीं
पदनाम	लागू नहीं

II. बीआर प्रमुख का विवरण

क्रम सं	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन सं (अगर लागू हो तो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री जी मनोहरन
3	पदनाम	महा प्रबन्धक
4	टेलीफोन संख्या	044-28134423
5	ईमेल आईडी	gmanoharan@indianbank.co.in

	▪ Bank has created awareness in the areas of Cardio, Eye and Dental Health through various Camps. ▪ Bank has made contributions towards the rehabilitation of calamity affected people in Uttarakhand. ▪ In the field of education, cash incentives are awarded to the 10th and 12th Standard toppers in our Lead Districts. ▪ Promotion of Sports and Health through sponsorship. ▪ Maintenance of gardens in various cities and has undertaken tree planting projects and provided tree guards in its bid towards environment protection. ▪ Battery operated Wheel-Chairs distributed to the Physically Challenged. ▪ Motorized wheel-chairs gifted to differently abled meritorious students.

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies:	YES 1. Indbank Merchant Banking Services Ltd. 2. Indbank Housing Ltd.
2. Do the subsidiaries implement BR initiatives of the parent company? If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	▪ Net profit of Indbank Merchant Banking Services Ltd for last 3 years was not sufficient to carry out any social responsibility in large scale. ▪ Indbank Housing Ltd is not doing any activity now.
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%).	NO

Section D: BR Information

1.Details of Director/ Directors responsible to BR

I. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies

DIN Number	NA
Name	NA
Designation	NA

II. Details of the BR head

S. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	Shri. G Manoharan
3	Designation	General Manager
4	Telephone no.	044-28134423
5	e-mail id	gmanoharan@indianbank.co.in

2 सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति /नीतियाँ (हाँ/नहीं में जवाब दें)

क्रम सं	प्रश्न	कारोबारी आचार	उत्पाद जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	स्टेक धारक की नियुक्ति	मानव अधिकार	पर्यावरण	जन नीति	समावेशी विकास	ग्राहक संबंध
1	क्या आपके पास इनके लिए नीति / नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति/नीतियाँ संबन्धित स्टेकधारकों से परामर्श के बाद बनाई गई हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या यह नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है ? यदि हाँ ,तो (50 शब्दों में बताएं)*	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ? यदि हाँ, तो क्या वह सक्षम प्रनि / स्वामी / मुकाअ द्वारा हस्ताक्षरित है ।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	कंपनी की नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या बोर्ड / निदेशक /अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक सूचित करें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	क्या नीति के बारे में औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी स्टेक धारकों को सूचित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी की नीति / नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	कंपनी की नीति नीतियों से संबंधित, संबंधित हितधारकों के पते "शिकायत निवारण" पते उपलब्ध हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या आंतरिक या बाहरी एजेंसियों द्वारा कंपनी की इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखा परीक्षा /मूल्यांकन किया गया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

* भारतीय बैंक संघ / भारिबैंक / बीसीबएबीआई / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies: (Reply in Y / N)

Sl No.	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy conform to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/ Owner/ CEO/ appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

*In line with guidelines issued by IBA/RBI/BCSBI/Ministry of Corporate Affairs.

2ए. यदि क्र.सं. 1 से किसी भी सिद्धांत के आगे जवाब 'नहीं' है, तो ऐसा क्यों है कृपया समझाएं (2 विकल्पों पर टिक लगाएँ)

क्रम सं	प्रश्न	पृ1	पृ2	पृ3	पृ4	पृ5	पृ6	पृ7	पृ8	पृ9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2	कंपनी ऐसी स्थितियों में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और लागू करने की स्थिति में नहीं है ।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं ।									
4	इसे अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है।									
5	इसे अगले 1 साल के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है ।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. बी आर से सम्बन्धित अभिशासन

▪ उस बारंबारता को दर्शाए जिसके साथ निदेशक मण्डल, मण्डल की समिति या सी ई ओ, कंपनी के बी आर निष्पादन का मूल्यांकन करता है (3 महीनों के अन्दर, 3–6 महीने, वार्षिक आधार पर, 1 वर्ष से अधिक)	▪ यह प्रथम वर्ष है, निदेशको के मण्डल की एक बैठक हुई जिसमें नीति पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।
▪ क्या कंपनी एक बीआर या एक धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट को देखने के लिए कौनसी हायपरलिंक है ? कितनी बारंबारता से इसे प्रकाशित किया गया है।	▪ यथासमय उपलब्ध कराई जाएगी ।

खंड ई : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबारों को आचार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ अपना व्यवहार एवं संचालन करना चाहिए।

1. क्या आचार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यम/ संपूर्तिकर्ता/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्य को भी कवर करती है?	• ग्राहकों को बैंक के साथ किए जाने वाले अपने लेनदेनों में संतोषजनक सेवा की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2006 में भारतीय संहिता और मानक बोर्ड की स्थापना की। • बीसीएसबीआई ने ''ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता– जनवरी 2014'' तथा ''सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता–अगस्त 2012'' को प्रकाशित किया है, जो बैंकों के लिए ग्राहक सेवा में अनुकरण हेतु बैंकिंग कार्य–प्रणाली और बेंचमार्क के न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करता है। • बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है और इसलिए इसने उपर्युक्त संहिताओं को अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन करने में न्यायोचित व्यवहार कोड के रूप में स्वेच्छा से अपनाया है। • ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason(Please specify)									

3. Governance related to BR

▪ Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company (within 3 months, 3-6 months, Annually, more than 1 year)	▪ This being the first year, there was one meeting of the Board of Directors at which policy was considered and approved.
▪ Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	▪ Would be made available in due course

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1 : Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	▪ In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. ▪ The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers-January 2014" and "Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2012" which sets out minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow. ▪ Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealings with its customers. ▪ Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for implementation.

	• ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता, ऋण क्रियाकलापों के साथ ऋण आवेदनों की पावती, आवेदनों का निपटान, ग्राहकों को उपलब्ध कराये जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियाँ, विभिन्न ऋण उत्पादों के संबंध में अति महत्वपूर्ण शर्तों एवं निबन्धनों इत्यादि को सम्मलित करते हुए विस्तृत विवरण देता है। • संहिता की पूर्ण प्रति www.indianbank.in पर उपलब्ध है। • "इंडियन बैंक का सिटिजन्स चार्टर" बैंक की शाखाओ मे ग्राहकों हेतु उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं/सेवाओं पर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता हैं । • सिटिजन्स चार्टर के साथ संहिता, बैंक में ग्राहकों के साथ किए जाने वाले लेन–देनों में उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा। • चार्टर, बैंक शिकायत निवारण व्यवस्था पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह बैंकर और ग्राहक के मजबूत संबंध के लिए ग्राहकों के नैतिक दायित्वों को भी विनिर्दिष्ट करता है।
2. पिछले वित्तीय वर्ष मे स्टेक होल्डरों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया? यदि ऐसा हुआ है तो लगभग 50 शब्दों में उनका विवरण उपलब्ध कराएं।	
• वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	65
• वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	5793
• वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	5723
• वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	135
• समाधान की गईं शिकायतों का प्रतिशत	97.70 %
	• बैंक ने मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) प्रवर्तित की है। समस्त माध्यमों से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतें और 24 घंटे से अधिक समय तक अनिर्णीत रहने वाली शिकायतें एसपीजीआरएस में प्रविष्ट हो जाती हैं। ग्राहक भी ऑनलाइन शिकायतों को (एसपीजीआरएस) के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।

सिद्धांत–2 : कारोबारों को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूर्ण जीवन–काल तक धारणीयता बनाए रखने में योगदान दें।

1 अपने तीन उत्पाद या सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिसकी रूपरेखा सामाजिक या पर्यावरण संबंधी व्यवसाय, जोखिम/ और/या सुअवसर शामिल हों।	बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाओं को प्रस्तुत करता है जो सामाजिक कारोबारों और सुअवसरों को सम्मलित करती है। • स्वयं सहायता समूह • वित्तीय साक्षरता केंद्र • इंडियन बैंक स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान

	▪ Code of commitment to customers and Code of commitment to MSE deal elaborately with credit functions including acknowledgement of credit applications, disposal of applications, copies of documents to be provided to customers, most important terms and conditions in respect of various loan products etc. ▪ Complete copy of the Code is available at www.indianbank.in. ▪ "Citizens' Charter of Indian Bank" provides key information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank. ▪ The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers. ▪ The Charter also provides comprehensive information on Bank's Grievance redressal mechanism. It also specifies the obligations on the part of the customers for healthy banker-customer relationship.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	
▪ No. of complaints pending at the beginning of the year	65
▪ No. of complaints received during the year	5793
▪ No. of complaints redressed during the year	5723
▪ No. of complaints pending during the year	135
▪ % age of complaints resolved	97.70 %
	▪ Bank has introduced Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS). All the complaints received through all modes and pending unresolved for more than 24 hours are entered in SPGRS. Customers also can lodge online complaints through (SPGRS).

Principle 2 : Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	▪ Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns, and opportunities: ◆ Self Help Groups ◆ Financial Literacy Centre ◆ Indian Bank Self Employment Training Institute

2 प्रत्येक उत्पाद के संबंध में प्रति इकाई (वैकल्पिक) संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल) के प्रयोग के संबंध में ब्यौरे दें। i. क्या पिछले वर्ष के प्रारम्भ से अंत तक मूल्य श्रृंखला के दरमियान स्रोत/ उत्पाद/ वितरण के दौरान की कटौती प्राप्त की गई है? ii. क्या पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग में (ऊर्जा, जल) कटौती हुई है?	लागू नहीं
3 क्या कंपनी धारणीय सौर्सिंग (परिवहन को मिलाकर) के लिए कोई प्रक्रिया विधि अपना रही है? i. यदि हाँ, तो आपके इनपुट स्रोत का क्या प्रतिशत धारणीय रूप से प्राप्त किया गया था? लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	लागू नहीं लागू नहीं
4. क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समाज सहित सूक्ष्म एवं लघु उत्पादकों से वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को उन्नत करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?	हाँ • परिवहन कीमत और समय अंतराल को कम करने के उद्देश्य से वस्तुएं अधिमान्य रूप से नजदीकी विक्रेताओं से प्राप्त की जाती हैं।
5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और बेकार वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उत्पादों और बेकार वस्तुओं के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है? (पृथक रूप से, जैसे 5% से कम, 5% से 10% आदि)। लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	हाँ कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में 5% से कम कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु संयत्र 48,000 लीटर प्रतिदिन के आउटपुट के साथ उपलब्ध कराई गई है।

सिद्धांत–3 : कारोबार सभी कर्मचारियों की सुख समृद्धि का बढावा करें।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दें	देशी : (19351) (अंशकालिक स्वीपर को छोडकर)
2. कृपया वर्ष के दौरान अस्थायी/ संविदात्मक/ अनौपचारिक (वर्ष के दौरान) आधार पर काम पर लगाये गए कर्मचारियों की पूर्ण संख्या दें :	शून्य
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	5070
4. कृपया स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ:	327
5. क्या आपका कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?	हाँ – 2 (एफआईबीईयू – कर्मचारी यूनियन और एआईआईबीओए – अधिकारी असोसिएशन)
6. आपके कमचारियों में से इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्यों का क्या प्रतिशत है?	एफआईबीईयू – कर्मचारियों का 72 प्रतिशत एआईआईबीओए – अधिकारियों का 85 प्रतिशत

2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	NOT APPLICABLE
3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability? Also provide details thereof in about 50 words or so	NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	YES ▪ Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce transportation cost and time lag.
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	YES at Corporate Office, Royapettah <5% ▪ Sewerage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah with an output of 48,000 Ltr/Day.

Principle 3 : Businesses should promote the well-being of all employees

1. Please indicate the Total number of employees	Domestic:19351 (excl. Part Time Sweepers)
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis (during the year)	NIL
3. Please indicate the number of permanent women employees	5070
4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities	327
5. Do you have an employee association that is recognized by the management	YES - 2 (FIBEU-Employees Union & AIIBOA-Officer's Association)
6. What percentage of your employees is members of this recognized employees association	FIBEU - 72% of Employees AIIBOA - 85% of Officers

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित बाल मज़दूरी, बंधुआ मज़दूरी, अनिच्छा मज़दूरी, यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएँ।	क्रम सं.	वर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
	1	बाल मज़दूर / बंधुआ मज़दूर	शून्य	शून्य
	2	यौन उत्पीडन	2	शून्य
	3	पक्षपाती रोजगार	शून्य	शून्य

8. अधोलिखित आपके कर्मचारियों को पिछले वर्ष में दी गई सुरक्षा और कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण का प्रतिशत क्या है ?	
* स्थायी कर्मचारी	73%
* स्थायी महिला कर्मचारी	22%
* अनौपचारिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य
* विकलांग कर्मचारी	शून्य

सिद्धांत 4 : कारोबारों को सभी स्टेकधारकों, खासकर वंचित, पिछड़े हुए, मामूली स्टेकधारकों के हितों का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य स्टेकधारकों का वर्गीकरण किया है ? हाँ / नहीं	हाँ • शेयरधारकों को विविध वर्गों में वर्गीकृत किया गया है अर्थातः सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स, बैंक और वैयक्तिक। • ग्राहकों को बड़े कार्पोरेट, मध्य कार्पोरेट, छोटे एवं मध्यम उद्यम एवं खुदरा ग्राहकों के रूप में विभाजित किया गया है। • मासंप्र विभाग, बैंक कर्मचारियों के हित में कार्य करता है।
2. उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है?	हाँ • बैंक ने वंचित, पिछड़े और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है, जिनमें छोटे और मामूली किसान, भाड़ेदार व पट्टेदार, किसान, भूमिरहित मजदूर एवं ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड, एग्री, आभूषण ऋण, संयुक्त देयता समूह, किसान पुनरुत्थान योजना आदि विशेष ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिनका उद्देश्य है, किसानों को स्थानीय महाजनों की चंगुल से मुक्त करना और उनका पुनर्वास करना।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों के हित में विशेष पहल की गई है ? यदि ऐसा है तो उसका विवरण 50 शब्दों में दें।	हाँ। बैंक ने आर्थिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों चेन्नै, दिल्ली, मुंबई की झोंपड़पट्टी के पिछड़े हुए वर्गों में वित्तीय दृष्टि से समावेशित नहीं किए गए लोगों को, वित्तीय साक्षरता केन्द्रों यानि (एफएलसी) के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं दी हैं। • कुल 58106 वैयक्तिकों को इन एफएलसी के माध्यम से वित्तीय सलाह दी गई है। • 12 केन्द्रों में ''इडियन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आईएनडीएसईटीआई)'' के नाम से आरएसईटीआई स्थापित किए गए हैं। • ग्रामीण गरीबों के विकास की प्रतिबद्धता के लिए बैंक ने एक ट्रस्ट ''ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट'' (आईबीटीआरडी) भी स्थापित किया है।

<table>
<tr><td rowspan="4">7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year</td><td>Sr. No</td><td>Category</td><td>No. of complaints filed during the financial year</td><td>No. of complaints pending as on end of the financial year</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Child labour/ forced labour/ involuntary labour</td><td>NIL</td><td>NIL</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sexual harassment</td><td>2</td><td>NIL</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Discriminatory Employment</td><td>NIL</td><td>NIL</td></tr>
<tr><td>8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>▪ Permanent Employees</td><td colspan="4">73%</td></tr>
<tr><td>▪ Permanent Women Employees</td><td colspan="4">22%</td></tr>
<tr><td>▪ Casual/ Temporary/ Contractual Employees</td><td colspan="4">NIL</td></tr>
<tr><td>▪ Employees with Disabilities</td><td colspan="4">NIL</td></tr>
</table>

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

<table>
<tr><td>1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No</td><td>YES
▪ Shareholders are classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks and Individuals.
▪ Customers are segmented into Large Corporate, Mid-Corporate, Small and Medium enterprises and retail customers.
▪ HRM dept. looks after the interest of the Bank Employees.</td></tr>
<tr><td>2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.</td><td>YES
▪ Bank has also identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities Kisan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Joint Liability Group, Ryot Punarudharan Yojana etc., with the objective of liberating and rehabilitation of farmers from the clutches of local money lenders.</td></tr>
<tr><td>3. Are there any special initiative taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</td><td>YES
Bank has taken steps to provide banking facilities to the financially excluded through Financial Literacy Centers (FLCs) in rural areas and also Urban FLCs in Chennai, Delhi and Mumbai for the poor masses in slum areas.
▪ Total of 58106 individuals are provided financial counselling through these FLCs.
▪ Bank has also established RSETIs in the name of "Indian Bank Self Employment Training Institute (INDSETI)" in twelve centers.
▪ Bank has also set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD) for undertaking various developmental activities for rural poor.</td></tr>
</table>

सिद्धांत 5 : कारोबारों को मानव अधिकार का सम्मान और बढावा देना चाहिए।

1.	क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/संविदाकार/ एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है ?	बैंक के पास कोई अलग मानव अधिकार नीति नहीं हैं। तथापि ये पहलू बैंक की मानव संसाधन नीति और प्रयासों के तहत कवर किए गए हैं।
2.	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने स्टेकधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक हल किया गया था?	शून्य

सिद्धांत 6 : कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा और पुर्न स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए

1.	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार / एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है।	बैंक ने हरित पहल की ओर निम्न कदम उठाए हैं। • जिसका ई–मेल आईडी पंजीकृत है, उन शेयरधारकों को ई–मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजना। • उन कार्डधारकों को, जिनके इमेल आईडी पंजीकृत हैं क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भेजना। • सिर्फ आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से विक्रेताओं, सेवाप्रदाता इत्यादि को सभी भुगतान करना।
2.	क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे मौसम परिवर्तन, वैश्विक ताप इत्यादि के विषय में नीतियां/पहल हैं? हाँ/नहीं। यदि हाँ तो वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	बैंक बहुत से स्थानों पर उद्यान और बगीचों की देखभाल कर रहा है।
3.	क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और आकलन करती है ? हाँ / नहीं	हाँ
4.	क्या कंपनी के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित परियोजना है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा लगभग 50 शब्दों में दें। यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन दर्ज किया गया है?	अपने व्यवसाय के स्वरूप के कारण बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली नहीं है।
5.	क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, उर्जा दक्षता, अक्षय उर्जा इत्यादि पर कोई अन्य कदम उठाया है, हाँ / नहीं, यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	हाँ • कार्पोरेट कार्यालय बिल्डिंग में वर्षा जल का संचयन किया जाता है। • कार्यालयों में उर्जा–दक्ष उपकरण लगाए गए हैं। • संसाधन और ऊर्जा के अपव्यय को कम करने हेतु उठाए गए कदम • आरआरबी में, सौर उर्जा का उपयोग एक विकल्प के रूप में किया जाता है। • कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में 48,000 लिटर प्रतिदिन के आउटपुट के साथ गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु संयत्र उपलब्ध कराया गया। • नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान / लेनदेन को प्रभावी किया गया है। (चेक बुक, चालान, प्राप्तियां इत्यादि के उपयोग में महत्वपूर्ण कटौतियाँ हुई हैं) वेबपेज के लिए हायपरलिंक – www.indianbank.in
6.	वित्तीय वर्ष हेतु सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा अनुमत की गई सीमा के अंतर्गत कंपनी ने जितना भी उत्सर्जन / कचरा उत्पादित किया हैं, क्या उनकी रिपोर्ट की जा रही है?	लागू नहीं

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/Others?	Bank does not have a separate Human Rights Policy. However these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	NIL

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/ NGOs/others.	Bank has taken the following steps towards Green Initiative: ▪ Sending Annual Reports through email to the Shareholders whose email ids are registered; ▪ Credit Card statements are sent to the card holders whose email ids are registered; and ▪ All payments to vendors, service providers etc. are made through RTGS/NEFT only.
2. Does the Company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc.	In many places, Bank is maintaining Parks and Gardens.
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	YES
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.
5. Has the company undertaken any other initiative on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.	YES ▪ Rain Water Harvesting in Corporate Office Building. ▪ Energy efficient equipment installed in the offices ▪ Steps taken to reduce wastage of resources and energy - ▪ In RRBs, Solar Power is used as a substitute ▪ Sewerage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah with an output of 48,000 Ltr/Day. ▪ Payments/transactions are effected through Net banking (considerable reduction in use of cheque books, challans, receipts etc.) *Hyperlink for web page - www.indianbank.in*
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	NA

7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त (जैसे संतुष्टि होने तक हल नहीं की गई) कारण बताओ/विधिक नोटिसें जो लंबित हैं, की संख्या कितनी है?	शून्य

सिद्धांत 7 : ऐसे कारोबार, जो जनता और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, उसे जिम्मेदार तरीके से करें।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैंबर या संघ का सदस्य है? यदि हाँ, तो उनमें से प्रमुख के नाम बताएं जिनके साथ आपका व्यापार होता है।	हाँ आईबीए, एनआईबीएम, आईआईबीएफ, आईबीपीएस
1. क्या आपने जनहित की प्रगति या सुधार हेतु उपरोक्त संघों द्वारा तीव्र रूप से कार्य किया है? हाँ/नहीं : यदि हाँ तो व्यापक क्षेत्र का विवरण दें। (ड्रॉप बाक्सः शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, पानी, खाद्य सुरक्षा संधारणीय व्यवसाय सिद्धांत अन्य)	बैंक, इस उद्योग के धारणीय विकास हेतु नीति बनाने वालों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

सिद्धांत 8 : कारोबारों को समावेशी विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करना चाहिए

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं निर्दिष्ट की है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें।	* बैंक ने चित्तूर और मछलिपट्नम (आंध्र प्रदेश में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, विल्लुपुरम और वेलूर (तमिलनाडु में), कोल्लम (केरल में) और पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघ शासित क्षेत्र में) में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से क्षमता वर्धक पहल की है। चेन्नै, दिल्ली और मुंबई के तीन महानगरों में बैंक की वित्तीय समावेशन पहलों की दिशा में झोंपड़ पट्टियों में ग़रीबों के हित के लिए शहरी वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। केरल में सदयमंगलम और पारस्साला ब्लॉकों में ब्लॉक स्तर के एफएलसी स्थापित किए गए हैं। अब तक इन 19 एफएलसी के माध्यम से कुल मिलाकर 58106 वैयक्तिक वित्तीय परामर्श दिए गए हैं। * बैंक ने ''इंडियन बैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान'' (आईएनडीएसईटीआई) के नाम पर 12 केन्द्रों में आरएसईटीआई की स्थापना की है जैसे चित्तूर, कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेलूर और विल्लुपुरम। अब तक हमारे इंडसेटी द्वारा कुल 18084 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हुए 655 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं। * बैंक देशभर में समाज के बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ वित्तीय समावेशन योजना को कार्यान्वित कर रहा है। अब तक बैंक ने विभिन्न सुपुर्दगी चैनलों के माध्यम से पूरे भारत में 5013 गांवों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया है। वित्तीय समावेशन के तहत कवर किए गए गांवों में 23.85 लाख ग्राहकों के बचत बैंक जमा खाते खोले जा चुके हैं। प्रौद्योगिकी के पूर्ण प्रयोग के माध्यम से, बैंक व्यवसाय संविदाओं के द्वारा ग्राहकों को घर–घर सुविधाएं प्रदान कर रही है। * आगे बैंक, ग्राहकों हेतु छोटे ओवर ड्राफ़्ट, सामान्य क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा योग्य परिवारों को आवश्यक क्रेडिट सुविधा प्रदान कर रहा है। यह समाज में जरूरतमंद लोगों को उनके उपार्जन और आजीविका को सुधारेगी जो पूर्ण रूप से राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक विकास करने में मददगार होगी।

7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with.	YES IBA, NIBM, IIBF, IBPS
2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	Bank works closely with the Policy makers for the sustainable development of the industry.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof	▪ Bank has taken up capacity building initiatives through Financial Literacy Centers at Chittoor and Machilipatnam (Andhra Pradesh) Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Tiruvannamalai, Tiruvallur, Villupuram and Vellore (in Tamil Nadu), Kollam (in Kerala) and Puducherry (in UT of Puducherry). Urban Financial Literacy Centres are established in Chennai, Delhi and Mumbai for the benefit of poor in slum areas as part of Bank's initiatives towards Financial Inclusion in the 3 Metros. Block level FLCs were established at Chadayamangalam and Parassala Blocks in Kerala. A total of 58106 individuals were provided financial counselling through these 19 FLCs so far. ▪ Bank has also established RSETIs in the name of "Indian Bank Self Employment Training Institute (INDSETI)" in twelve centers viz., Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Tiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. A total of 655 training programmes have been conducted by our INDSETIs benefitting 18084 individuals so far. ▪ Bank is implementing Financial Inclusion Plan with a vision to provide basic banking services to the unbanked segments of the society, across the country. Bank has so far extended banking facilities to 5013 villages pan India through various delivery channels. Basic Savings Bank Deposit Accounts have been opened to 23.85 lakh customers in the villages covered under financial inclusion. By leveraging technology, bank is providing the facilities at the doorstep of the customers through Business Correspondents. ▪ Further, Bank is extending required credit facilities to the eligible households by way of Small Overdraft, General Credit Card and Kisan Credit Card for the customers. This helps the needy people in the society to improve their earnings and the livelihood which aids in social and economic development of the nation, as a whole.

2.	क्या इन–हाउस टीम/स्वयं के संस्थान / बाह्य एनजीओ /सरकारी संरचनाएं/ अन्य संगठनों द्वारा कार्यक्रमों/परियोजनाओं की जिम्मेदारी ली गई हैं ?	• बैंक ने विभिन्न विकास गतिविधियों के कार्यों के लिए ''ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट'' (आईबीटीआरडी) के नाम से एक ट्रस्ट स्थापित किया है। • इन हाउस और बाह्य एजेंसियां दोनों के जरिए।
3.	क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का आकलन किया है ?	• उपरोक्त विषय में हमारे प्रयास के सुदृढ़ीकरण हेतु एफएलसी के असर और प्रभाव की जाँच करने के लिए बैंक द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है।
4.	आपके कंपनी का समुदाय विकास परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान है। आईएनआर में राशि और चलाए जा रही परियोजना के विवरण दें।	• वर्ष 2013–14 के दौरान ट्रस्ट (आईबीटीआरडी) ने आईएनडीएसईटीआई और एफएलसी के माध्यम से क्षमता वर्धन के जरिए समुदाय विकास के लिए कुल 1.89 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।
5.	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं हैं कि समुदायों द्वारा आपके प्रयासों को अपनाया गया है? अगर ऐसा है तो कृपया 50 शब्दों में बताएं।	• हमारे इंडसेटी द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों के स्वनियोजन हेतु व्यवस्थित अनुवर्तन एवं सलाहकारी सेवाएं दी जातीं हैं।

सिद्धांत 9 : व्यापारिक संगठनों द्वारा अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को जिम्मेदार तरीके से मूल्यवर्धन के साथ सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

1.	वित्तीय वर्ष के अंत में कितनी शिकायतें/ ग्राहक मामले लंबित हैं ?	ग्राहक शिकायतें – 2.36 प्रतिशत ग्राहक वाद – 23.12 प्रतिशत
2.	क्या कंपनी के द्वारा स्थानीय कानून के तहत उत्पाद के लेबल पर उत्पाद की जानकारी लिखित होती हैं? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3.	गत पांच वर्षों में एवं वित्तीय वर्ष के अंत में, अनुचित व्यापार पद्धतियों के प्रयोग, गैर जिम्मेदार विज्ञापनों और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए, क्या किसी स्टेक धारक ने कंपनी के विरुद्ध कोई वाद दायर किया है? यदि हाँ, तो उसके विवरण 50 शब्दों में दें।	नहीं
4.	क्या आपकी कंपनी द्वारा ग्राहक सर्वेक्षण / ग्राहक संतुष्टि रुझान कार्यक्रम चलाए जाते हैं ?	हाँ

अनुषंगियाँ

- बैंक की दो अनुषंगियाँ हैं। इनके नाम इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. और इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं, नामतः सप्तगिरि ग्रामीण बैंक – मुख्यालय चित्तूर में, पल्लवन ग्राम बैंक – मुख्यालय सेलम में और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक – मुख्यालय पुदुच्चेरी में।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा तंत्र, जोकि मार्च 2013 में 337 था, मार्च 2014 तक बढ़कर 366 हो गया।
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार मार्च 2013 (जबकि कुल कारोबार 7753.85 करोड़ रुपया था) की तुलना में मार्च 2014 के अंत में 9569.34 करोड़ रुपया हो गया।

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?	▪ Bank has set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD) for undertaking various developmental activities. ▪ Both In-house and External Agencies.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	▪ Survey has been conducted by the Bank to study the impact and effectiveness of FLCs for strengthening our efforts in these lines.
4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	▪ During the year 2013-14, the Trust (IBTRD) has spent a total amount of ₹ 1.89 crore towards Community Development through INDSETIs and FLCs by way of capacity building.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	▪ Systematic follow up and counseling services are being undertaken by our INDSETIs to facilitate the trained candidates to adopt self employment initiatives

Principle 9 – Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.	Customer complaints - 2.36 % Consumer cases - 23.12 %
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No./ N.A/Remarks(additional information)	Not applicable
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so	NO
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	YES

SUBSIDIARIES

- The Bank has two subsidiaries viz., Ind Bank Merchant Banking Services Ltd. and Ind Bank Housing Ltd.

REGIONAL RURAL BANKS

- Bank has sponsored three Regional Rural Banks, namely, Saptagiri Grameena Bank headquartered at Chittoor, Pallavan Grama Bank headquartered at Salem and Puduvai Bharathiar Grama Bank head quartered at Puducherry.
- Branch network of RRBs has increased to 366 branches as of March 2014 from 337 branches in March 2013.
- Total Business position of the three RRBs as of end-March 2014 was at ₹ 9569.34 crore as compared to ₹ 7753.85 crore in March 2013.

- सप्तगिरि ग्रामीण बैंक की 163 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार ₹ 5795.28 करोड़ है (जमा राशियाँ। 2523.63 करोड़ और अग्रिम ₹ 3271.65 करोड़)
- पल्लवन ग्राम बैंक की 171 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार ₹ 3177.96 करोड़ (जमा राशियाँ। ₹ 1418.88 करोड़ और अग्रिम ₹ 1759.08 करोड़)
- पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक की 32 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार ₹ 596.10 करोड़ है (जमा राशियाँ ₹ 283.88 करोड़ और अग्रिम ₹ 312.22 करोड़)
- सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए सह–ब्रांडेड एटीएम कार्डों (जिनका प्रयोग किया जा रहा है) की कड़ी में रूपे किसान कार्डों की शुरुआत कर दी है।
- एम–केसीसी–एक नवोन्मेषी मोबाइल सक्षम किसान कार्ड योजना है जो पल्लवन ग्राम बैंक में परिचालन में है जिससे किसानों के लिए डीलरों से कृषि निविष्टियों की खरीद के लिए अपने मोबाइल हैण्डसेट का उपयोग कर प्रयोक्ता हितैषी, कागजरहित, घर पर बैंकिंग लेनदेन करना संभव हो गया है।
- भारत सरकार द्वारा देश के चुनिंदा जिलों में जहाँ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम लागू किया गया है, उसमें सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक भाग ले रहे हैं।

पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

- माइक्रो उद्यमों को ऋणद में उत्कर्ष के लिए बैंक को लगातार दूसरे वर्ष भी अव्वल स्थान प्राप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2013 के लिए गरिमामय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋणद के तहत उत्कृष्ट निष्पादन के आधार पर बैंक को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए माइक्रो एवं लघु उद्यमों को ऋणद में उत्कर्ष के लिए गरिमामय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
- द सन्डे स्टैंडर्ड बेस्ट बैंकर्स अवार्ड्स 2013 द्वारा बैंक को 'बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक–एसएमई' का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- बैंक ने एसएचजी में ऋण सीमा के अधिकतम विस्तार करने पर फरवरी 2014 में तमिलनाडु सरकार से वर्ष 2011–12 के लिए बेस्ट बैंक अवार्ड (पहला स्थान) प्राप्त किया है।
- बैंक ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षा ऋण प्रदाता के रूप में आउटलुक मनी अवार्ड 2013 से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।
- एबीपी न्यूज़ – बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) से उत्तम सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक अवार्ड प्राप्त

भविष्य की ओर

अनेक निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दिये जाने के साथ ही अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे विकास पथ पर लौट रही है जोकि हमारी राय में बैंकिंग क्षेत्र के बढ़ते विकास को सक्षम बनाएगी। यद्यपि मुद्रास्फीतिकारक दबाव लगातार चिंता का विषय बना हुआ है तथापि उदीयमान प्रवृत्तियाँ यह आशा देती हैं कि भविष्य में अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन की ओर अग्रसर है।

अगली पीढ़ी के लिए टेक–सेवी उत्पादों को आरंभ कर और एमएसएमई व प्राथामिक क्षेत्रों पर सतत ध्यान केंद्रण के कारण बैंक व्यापारिक वृद्धि हेतु अनुकूल वातावरण निर्माण में सतत प्रयासरत है। व्यापार में विकासवर्धन व बेहतर लाभप्रदता के द्वारा बैंक के प्रयत्न शेयरधारक के लिए मूल्य का संवर्धन ही बैंक का प्रयत्न होगा।

- Saptagiri Grameena Bank has 163 branches and total business of ₹ 5795.28 crore (Deposits: ₹ 2523.63 crore and Advances: ₹ 3271.65 crore)
- Pallavan Grama Bank has 171 branches and total business of ₹ 3177.96 crore (Deposits: ₹ 1418.88 crore and Advances: ₹ 1759.08 crore)
- Puduvai Bharathiar Grama Bank has 32 branches and total business of ₹ 596.10 crore (Deposits : ₹ 283.88 crore and Advances: ₹ 312.22 crore)
- All the RRBs have launched Rupay Kisan Cards to their customers in addition to the co-branded ATM cards already being issued.
- m-KCC - an innovative mobile enabled Kisan Card Scheme is in operation in Pallavan Grama Bank, which facilitates user friendly paperless, doorstep banking transaction by farmers using their mobile handsets for purchase of farm inputs from dealers.
- Saptagiri Grameena Bank and Puduvai Bharathiar Grama Bank are participating in Direct Benefit Transfer Programme implemented by the Government of India in select districts of the country.

AWARDS AND ACCOLADES

- Bank has attained the first rank and was conferred with the "National Award for Excellence in Lending to Micro Enterprises" for FY 2013, for the second consecutive year.
- Bank has been ranked second, based on outstanding performance under lending to Micro and Small Enterprises and was conferred with the "National Award for Excellence in Lending to Micro and Small Enterprises" for FY 2012 – 13, by Ministry of MSME.
- The Sunday Standard Best Bankers Awards 2013 has conferred on the Bank the award of "Best Public Sector Banks – SMEs".
- Bank has been awarded the Best Bank Award (1st rank) for the year 2011-12, for extending maximum credit to SHGs by the Government of Tamil Nadu in February 2014.
- Bank has bagged 2nd Prize from Outlook Money Awards - 2013 for Best Education Loan Provider.
- Received Best Public Sector Bank Award from ABP News - Banking Financial Services and Insurance (BFSI).

GOING FORWARD

The economy is slowly moving back to the growth path with several investment projects being given clearance, which we feel would enable increased growth of the banking sector. The emerging trends give rise to optimism that the economy will improve its performance, however, inflationary pressures continues to be the cause of concern.

The Bank continuously strives to create a favourable environment for business growth by bringing out tech savvy products for the NextGen, continued focus on MSME and Priority Sectors. The Bank's endeavour would be to augment shareholder's value through enhanced growth in business and improved profitability.

कार्पोरेट अभिशासन 2013–14 पर इंडियन बैंक के निदेशक मंडल की रिपोर्ट

कार्पोरेट अभिशासन पर बैंक का दृष्टिकोण

कार्पोरेट अभिशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए उपक्रमों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित किया जाता है ताकि नैतिक ढंग से उनकी धन–सृजन की क्षमता को बढाया जाए। यह प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य स्टेकधारकों के बीच में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है जिससे संगठन के निर्धारित उद्देश्य हासिल किए जाते हैं और साथ ही निष्पादन पर निगरानी रखने के अलावा शेयरधारकों के धन को धारणीय तरीके से अधिकाधिक बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ उस क्षेत्र के कानूनों का अनुपालन करते हुए अपने दैनंदिन के कारोबार को अत्यंत सक्षम, पारदर्शी एवं नैतिक रूप से संचालित किया जा सके। यह ऐसी एक प्रक्रिया का प्रवर्तन है जिससे मूल्य, सिद्धान्त, नीतियां और प्रक्रियाएं अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से सिस्टम में अंतर्निहित एवं प्रकट कराए जाते हैं।

श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बैंक, कार्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च स्तर हासिल करने के लिए और अपने उत्तरदायित्व, जो सभी स्टेकधारकों के लिए मूल्य को आपसी संवाद, आदर, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णयात्मक नेतृत्व के जरिए बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते समय नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, हासिल करने के लिए प्रयासरत है।

बैंक स्वयं को सभी स्टेकधारकों का न्यासी मानता है और सुदृढ़ कॉर्पोरेट रणनीतियों, व्यवहार्य कारोबार योजनाओं एवं नीतिपरक एवं विधिक जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए नीतियों एवं कार्यप्रणालियों के माध्यम से प्राप्त की गई उनके धन के सृजन एवं रक्षण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अभिस्वीकार करता है। अभिशासन मानकों के अनुपालन के लिए उच्चस्तरीय प्रकटीकरण नीति के साथ बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांत लाभकर संवृद्धि हेतु सुदृढ़ रूप से कटिबद्ध हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दो पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशक, एक अधिकारी कर्मचारी निदेशक, एक कामगार कर्मचारी निदेशक सम्मिलित हैं और इनके अलावा सात अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक हैं (दो शेयरधारक निदेशकों सहित)।

मार्च 31, 2014 को निदेशक मंडल के विवरण निम्नवत् हैं:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक पद का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री टी एम भसीन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक	01.04.2010
2.	श्री बी राज कुमार	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	01.01.2012
3.	श्री महेश कुमार जैन	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	27.09.2013
4.	श्रीमती सुधा कृष्णन	सरकार के नामिती निदेशक	गैर–कार्यपालक	26.07.2013
5.	डॉ. सत्यन डेविड	भा रि बैंक के नामिती निदेशक	गैर–कार्यपालक	31.05.2013
6.	श्री दीपक डी सामंत	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर–कार्यपालक	11.03.2014
7.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	कामगार कर्मचारी निदेशक	गैर–कार्यपालक	29.05.2013
8.	श्री अमरजीत चोपडा	सनदी लेखाकार निदेशक	गैर–कार्यपालक	29.08.2011
9.	श्री संजय माकेन	निदेशक	गैर–कार्यपालक	11.08.2011
10.	श्री बुच्चि रामि रेड्डी	निदेशक	गैर–कार्यपालक	22.09.2011
11.	प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	शेयरधारक निदेशक	गैर–कार्यपालक	01.07.2011
12.	श्री चिंतामन महादेव दीक्षित	शेयरधारक निदेशक	गैर–कार्यपालक	01.07.2011

शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित किये गए हैं।
31.07.2013 तक श्री राजीव ऋषि कार्यपालक निदेशक रहे। 25 07 2013 तक डॉ रजत भार्गव सरकार के नामिती निदेशक रहे। 30 05 2013 तक डॉ॰ एन कृष्ण मोहन भारिबैं के नामिती निदेशक रहे। 29 04 2013 तक श्री एम जयनाथ कामगार कर्मचारी निदेशक रहे।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF INDIAN BANK ON CORPORATE GOVERNANCE 2013 - 14

Bank's Philosophy on Corporate Governance

Corporate Governance is by itself a process by which the entities are controlled and guided to enhance their wealth generating capacity in an ethical manner. It acts as a catalyst between Management, Board, shareholders and other stakeholders to achieve the set goals of the organization while abiding the law of the land in conducting its day to day business in a most efficient, transparent and ethical way with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis besides monitoring the performance. It is the evolution of a system by which the values, principles, policies and procedures are ingrained and manifested in the system in the most effective way.

In the pursuit of excellence, the Bank endeavors highest standard of Corporate Governance and committed to its responsibilities which is based on total commitment to ethical practices in the conduct of business while striving hard to enhance all stakeholders' value by mutual dialogue, respect, clear goals and decisive leadership.

The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with high-level degree of disclosure policies adhering to the governance standards.

Composition of Board of Directors:

The Board of Directors comprises of one whole-time Chairman and Managing Director, two Executive Directors, one Officer Employee Director, one Workmen Employee Director besides seven part-time Non-Official Directors (including two Shareholder Directors).

Particulars of Board of Directors as on March 31, 2014 are as under :

No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment
1.	Shri T M Bhasin	Chairman and Managing Director	Executive	01.04.2010
2.	Shri B Raj Kumar	Executive Director	Executive	01.01.2012
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	Executive Director	Executive	27.09.2013
4.	Smt Sudha Krishnan	Government Nominee	Non-Executive	26.07.2013
5.	Dr Sathyan David	RBI Nominee	Non-Executive	31.05.2013
6.	Shri Deepak D Samant	Officer Employee Director	Non-Executive	11.03.2014
7.	Shri P Venkata Krishna Rao	Workmen Employee Director	Non-Executive	29.05.2013
8.	Shri Amarjit Chopra	Chartered Accountant Director	Non-Executive	29.08.2011
9.	Shri Sanjay Maken	Director	Non-Executive	11.08.2011
10.	Shri Butchi Rami Reddy	Director	Non-Executive	22.09.2011
11.	Prof. Narendra Kumar Agrawal	Shareholder Director	Non-Executive	01.07.2011

All the directors have been appointed/nominated by the Government of India (GOI) except Shareholder Directors. Shri Rajeev Rishi was Executive Director upto 31.07.2013. Dr. Rajat Bhargava was Government Nominee Director upto 25.07.2013. Dr. N Krishna Mohan was RBI Nominee Director upto 30.05.2013. Shri M Jayanath was Workmen Employee Director upto 29.04.2013.

निदेशकों का प्रोफाइल :

श्री टी एम भसीनः 57 श्री टी एम भसीन ने अप्रैल 01, 2010 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए (वित्त) हैं और जेएफके स्कूल ऑफ गवर्न्मेंट, हावर्ड में एडवान्स्ड वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम करने से हावर्ड अलुमिनस हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ सेन्टर से एल.एल.बी हैं और विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं। इंडियन बैंक में आने के पहले नवंबर 07, 2007 से ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) के कार्यपालक निदेशक थे। यूबीआई के कार्यपालक निदेशक रहते समय इन्होंने यूबीआई की पूंजी पुनः संरचना में महत्वपूर्ण योगदान किया जिसे भारत सरकार ने बाद में अनुमोदित किया था। इन्होंने यूबीआई की इनिशियल पब्लिक ऑफर की सफलता में मुख्य भूमिका निभाई। इनके नेतृत्व के कारण ही यूबीआई में उत्तम वृद्धि हुई और 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग समाधान कार्यान्वित किया गया। जून 1978 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद पर ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स में इन्होंने अपना करियर आरंभ किया तथा वहां तीन दशकों से अधिक की अवधि के लिए विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। अगस्त 2000 से नवंबर 2007 तक ये आईबीए, दिल्ली चैप्टर के मानद सचिव थे। इंडो म्यांमार व्यापार संबंध के लिए भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गठित संयुक्त व्यापार समिति में ये सदस्य रहे। ये युनाईटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं, भारतीय बैंक संघ के प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष हैं, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मेनेजमेंट के अभिशासन बोर्ड के सदस्य हैं और भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के अभिशासन परिषद के सदस्य हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं हैं।

श्री बी राजकुमार : 58 वर्षीय श्री बी राजकुमार ने जनवरी 01, 2012 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इन्होंने दिसम्बर 1978 में आंध्रा बैंक के साथ अपना करियर प्रारंभ किया था तथा वहाँ बैंक की सेवा में इनको 33 वर्षों से अधिक अवधि का अनुभव प्राप्त है। इन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर तथा एमबीए एवं सीएआईआईबी उपाधियां प्राप्त की हैं। आंध्रा बैंक की विभिन्न शाखाओं में, यथा भिलाई, चौरिंगी–कोलकाता, कर्नूल, कोयम्बत्तूर, बेंगलूर, तिरुवनन्तपुरम, मुंबई आदि में कार्य करने से इनको प्रचुर क्षेत्र स्तर का अनुभव प्राप्त है। बैंक के हैदराबाद एवं नई दिल्ली अंचलों के ये महा प्रबंधक रहे। इन्होंने इंडियन बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले आंध्रा बैंक में महा प्रबंधक के पद पर वहाँ की एकीकृत ट्रेशरी के प्रभारी का कार्यभार संभाला और निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र में निपुणता प्राप्त की। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं हैं।

श्री महेश कुमार जैन, उम्र 52 वर्ष, ने 27 सितंबर, 2013 को इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनकी एम.कॉम, एमबीए, सीएआईआईबी, सीएफए एवं एफआरएम की शैक्षिक उपाधियाँ हैं। इंडियन बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे सिंडिकेट बैंक में महाप्रबंधक थे और उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। उन्होंने ऋण, परिचालन, निवेश, जोखिम प्रबंधन जैसे विभागों सहित कई महत्वपूर्ण संविभाग संभाले। जोखिम प्रबंधन में इनका विशाल अनुभव एवं निपुणता है। उन्होंने सिंडिकेट बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को स्थापित किया तथा ऋण रेटिंग मॉडल विकसित किए। सिंडिकेट बैंक के एमटीएन बॉंड प्रोग्रामों के अत्यधिक सफल निर्गमों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। आईबीए की जोखिम प्रबंधन संबंधी संचालन समिति के सदस्य रहे तथा जोखिम प्रबंधन समिति और बेसल ।। एवं बेसल ।।। के कार्यान्वयन संबंधी आईबीए के कार्यदल के सदस्य भी रहे। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में आंतरिक एवं संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली की समीक्षा एवं पुनरुत्थान संबंधी बसंत सेठ समिति के वे सचिव एवं संयोजक भी थे। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं हैं।

श्रीमती सुधा कृष्णन, आई.ए व ए.एस, 53 वषीया, को जुलाई 26, 2013 को बैंक के सरकार के नामिती के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने 1983 में भारत सरकार की लेखा परीक्षा तथा लेखाप्रणाली सेवा में पद भार ग्रहण किया। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी सहित्य में तथा जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर किया हैं। इन्होंने विभिन्न पदों पर रहकर भारत सरकार की सेवा की है। ये 16 नवम्बर 2012 से 25 जुलाई 2013 तक की अवधि के लिए केनरा बैंक की नामिती निदेशक रही हैं। इन्होंने 2009–2012 के दौरान राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड में सरकार की नामिती निदेशक के रूप में तथा 03 दिसम्बर 2009 से 02 जनवरी 2013 तक आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड में सरकार की नामिती निदेशक के रूप में भी सेवा की। ये बैंक में इक्विटी शेयर की धारक नहीं है।

डॉ सत्यन डेविड, उम्र 56 वर्ष को 31 मई 2013 को बैंक के भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर एवं विद्या वाचस्पति (पीएचडी) की उपाधि प्राप्त है, जिसका विषय था, '' अंतराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह।'' वर्तमान में ये भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के क्षेत्रीय निदेशक है। इन्होंने तीन दशकों तक भारतीय रिज़र्व बैंक की सेवा की है और विभिन्न कार्यालयों जैसे, मुंबई, बंगलूर, भोपाल और चेन्नै में भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों अर्थात् डीबीओडी, डीबीएस, यूबीडी, बैंकिंग व निर्गम विभाग में काम किया है। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं हैं।

श्री दीपक डी सामंत, उम्र 54 वर्ष, को 11 मार्च 2014 को बैंक के अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी शैक्षिक योग्यता बीएससी, सीएआईआईबी है। इन्होंने हमारे बैंक मे लिपिक के रूप में 3 अगस्त 1984 को पद–भार ग्रहण किया और 1992 में इन्हें अधिकारी के रूप में पदोन्नति दी गई। दिल्ली अंचल में अपनी नियुक्ति के दौरान 1993 से 1996 में मुंबई स्थानांतरण तक ये इंडियन बैंक अधिकारी संघ के कार्यपालक समिति के सदस्य रहे। अब ये निरीक्षण केन्द्र मुम्बई में प्रबंधक पद पर हैं। मुंबई अंचल में अपनी नियुक्ति के बाद 1996 से ये इंडियन बैंक अधिकारी संघ के पश्चिम अंचल में विभिन्न पदों पर सेवाएँ दे रहे हैं। ये 2008 से इंडियन बैंक अधिकारी संघ के पश्चिमी अंचल के महा सचिव के रूप में कार्यशील हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं हैं।

श्री पी वेंकट कृष्ण राव, उम्र 57 को भारत सरकार द्वारा 17 मई 2013 को कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इन्होंने 17 मई 2013 को पद भार ग्रहण किया। इन्होंने बैंकिंग सेवा में 29 अगस्त 1978 को कार्यभार ग्रहण किया। इनकी शैक्षिक योग्यता वाणिज्य में स्नातक तथा सीएआईआईबी–1 है। ये आईबीईयू (आंध्र प्रदेश राज्य) के महासचिव, एफआईबीईयू के सचिव, आंध्र प्रदेश बैंक कर्मचारी संघ के उप महा सचिव और एआईबीईए की केन्द्रीय समिति के सदस्य हैं। वर्तमान में ये बैंक की नारायणगुडा शाखा (हैदराबाद) में विशेष सहायक हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं हैं।

श्री अमरजीत चोपड़ा : 61 वर्षीय श्री अमरजीत चोपड़ा को बैंक के निदेशक के रूप में अगस्त 29, 2011 को सनदी लेखाकार के संवर्ग में नियुक्त किया गया था। ये नई दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले सनदी लेखाकार हैं तथा वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) में फेलो सदस्य हैं। ये 1998 से आईसीएआई के केन्द्रीय परिषद के सदस्य रहे हैं। सरकारी, सेबी, भारिबैंक आदि की विभिन्न समितियों में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व करते हुए इनको प्रचुर अनुभव एवं निपुणता प्राप्त हैं। लेखाकारों के अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन की समिति में ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये भारत के गुणवत्ता पुनरीक्षण बोर्ड में भी हैं। ये वर्ष 2010–11 के दौरान आईसीएआई के प्रेसिडेंट थे तथा 1988–89 के दौरान आईसीएआई के एनआईआरसी के अध्यक्ष थे। ये बैंक ऑफ बडौदा, साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउन्टेन्ट्स (एसएएफए), कन्फेडरेशन ऑफ एशिया पसिफिक अकाउन्टेन्ट्स (सीएपीए) तथा आईआरडीए के बोर्ड में थे। ये लेखाकरण मानक बोर्ड, लेखापरीक्षा एवं एश्यूरेन्स मानक बोर्ड और आईसीएआई की कॉर्पोरेट कानून समिति के अध्यक्ष थे। ये आस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स तथा एसोसियेशन ऑफ इंटरनेशनल अकाउन्टेन्ट्स, लंदन के मानद सदस्य हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं हैं।

श्री संजय माकन : 48 वर्षीय श्री संजय माकन नई दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले सनदी लेखाकार हैं। इनको अगस्त 11, 2011 को भारत सरकार ने बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। ये वाणिज्य में स्नातक उपाधि प्राप्त हैं तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) में फ़ेलो सदस्य हैं। ये मेसर्स संजय माकन एण्ड एसोसियेट्स, सनदी लेखाकार के प्रोपराइटर हैं। ये मेसर्स जी के वायर प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड के निदेशक भी हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं हैं।

श्री बुच्चि रामि रेड्डी, आयु 53, पित्तलवाणि पालेम मंडल, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश के छोडिपालम गाँव के हैं। इनको सितंबर 22, 2011 को भारत सरकार ने बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। ये कृषक हैं तथा जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये अपने क्षेत्र में और निकटवर्ती जिलों में दलितों के उद्धार एवं कृषि के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयर के धारक नहीं हैं।

प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, आयु 64, को बैंक के एक शेयरधारक निदेशक के रूप में 29 जून, 2011 को निर्वाचित किया गया। ये जुलाई 01, 2011 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में प्रभार धारित कर रहे हैं। ये बी.ई., एमएमएस डिग्री धारी हैं और आईआईएम – ए के फ़ेलो हैं। अभी वे संगठनात्मक आचरण और मानव संसाधन प्रबंधन में प्रोफेसर हैं जो कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूर में उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। वे कई विदेशी विश्वविद्यालयों में एक विजिटिंग प्रोफेसर हैं। ये बैंक के 100 ईक्विटी शेयरों का धारक हैं।

श्री चिंतामन महादेव दीक्षित, आयु 63 को बैंक के एक शेयरधारक निदेशक के रूप में 29 जून, 2011 को निर्वाचित किया गया। इन्होंने जुलाई 01, 2011 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ये 1976 से सनदी लेखाकार का व्यवसाय कर रहे है। ये पुणे विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक हैं तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) में फेलो सदस्य हैं। ये मेसर्स जी डी आप्ते एण्ड कं, सनदी लेखाकार के साझेदार हैं। ये बैंक के 105 ईक्विटी शेयरों का धारक हैं।

Profile of Directors:

Shri T M Bhasin, aged 57 years, assumed charge as Chairman & Managing Director of the Bank on April 01, 2010. He is an MBA (Finance) from University of Delhi and a Harvard alumnus having done Advanced Management Programme at JFK School of Government, Harvard. He is also an L.L.B. from Campus Law Centre, University of Delhi and holds a Master's Degree in Science. Prior to this assignment, he was the Executive Director, United Bank of India (UBI) since November 07, 2007. As Executive Director of UBI, he made significant contribution to the United Bank of India's Capital Re-structuring and eventual approval by Government of India. He was instrumental in the success of Initial Public Offer of UBI. The outstanding growth of UBI and achievement of 100% Core Banking solution was due to his leadership. He joined the banking system as Probationary Officer in June 1978 in Oriental Bank of Commerce and served that bank for over three decades in various capacities. He was Honorary Secretary of IBA Delhi Chapter during August 2000-November 2007. He was a Member of Joint Trade Committee constituted by Government of India, Ministry of Commerce for Indo Myanmar Trade Relations. He is a Director on the Board of the United India Insurance Company Ltd., Deputy Chairman of Indian Banks' Association, Member of the Governing Board of National Institute of Bank Management and a Member of the Governing Council of Indian Institute of Banking and Finance. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri B Raj Kumar, aged 58 years, assumed charge as Executive Director of the Bank on January 01, 2012. He started his career with Andhra Bank in December 1978 and has more than 33 years of experience of serving the bank. He is a Post Graduate in Engineering with MBA and CAIIB. He has a wide field exposure having worked in various branches of Andhra Bank, viz., Bhilai, Chowringhee-Kolkata, Kurnool, Coimbatore, Bangalore, Trivandrum, Mumbai, etc. He was heading the Integrated Treasury of Andhra Bank as General Manager and has gained expertise in the field of Investments and International Banking before joining Indian Bank. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Mahesh Kumar Jain, aged 52 years, assumed charge as Executive Director of Indian Bank on September 27, 2013. He holds M.Com., MBA, CAIIB, CFA and FRM to his academic credit. Prior to joining Indian Bank, he was the General Manager of Syndicate Bank and has worked in several parts of the country, handling important portfolios that include Credit, Operations, Investments, Risk Management, etc. He has vast experience and expertise in Risk Management. He set up the Integrated Risk Management Systems in the Bank and developed Credit Rating Models. He was instrumental in the highly successful issue of MTN Bond programmes of Syndicate Bank. He was a member of the Steering Committee on Risk Management of IBA and a Member of the IBA working group on Risk Management and implementation of Basel II and III. He was also the Secretary & Coordinator to Basant Seth Committee on Review & Revamp of Internal & Concurrent Audit System in PSBs. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Smt. Sudha Krishnan, I.A.&A.S, aged 53 years, was appointed as the Government Nominee Director of Indian Bank with effect from July 26, 2013. Presently she is the Joint Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi. She joined the Indian Audit and Accounts Services of Government of India in the year 1983. She holds M.A. in English Literature from Delhi University and Masters in Public Administration from George Mason University, USA. She has served Government of India in various capacities. She was the Nominee Director of Canara Bank for the period from November 16, 2012 to July 25, 2013. She has also served as Government Nominee Director of National Buildings Construction Corporation Ltd. during 2009-2012 and Government Nominee Director of Housing and Urban Development Corporation Ltd., from December 03, 2009 to January 02, 2013. She does not hold any Equity Shares of the Bank.

Dr. Sathyan David, aged 56 years, was appointed as the RBI Nominee Director of the Bank by the Government of India on May 31, 2013. He holds Master's degree and Phd in Economics – 'International Capital Flows'. He is presently the Regional Director of the Reserve Bank of India at Jaipur. He has put in 3 decades of service in the RBI and has worked in several offices viz. Mumbai, Bangalore, Bhopal and Chennai in various departments of RBI viz., DBOD, DBS, UBD, Banking & Issue Department. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Deepak D. Samant, aged 54 years, was appointed as Officer Employee Director of the Bank by the Government of India with effect from March 11, 2014. He holds B.Sc., CAIIB to his academic credit. He joined our Bank as Clerk on August 03, 1984 and was promoted as an Officer in 1992. During his posting in Delhi zone, he was Executive Committee member of Indian Bank Officers' Association from 1993 till his transfer to Mumbai Zone in 1996. Now, he is the Manager in Inspection Centre, Mumbai. After his posting to Mumbai zone, he has been serving the Western Zone Indian Bank Officers' Association in various capacities since 1996. He is functioning as the General Secretary of Western Zone Indian Bank Officers' Association since 2008. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri P Venkata Krishna Rao, aged 57 years, was appointed as the Workmen Employee Director of the Bank by the Government of India on May 17, 2013 and assumed charge on May 29, 2013. He joined the services of the Bank on August 29, 1978. He has a Bachelor's degree in Commerce and CAIIB – I. He is the General Secretary of IBEU (AP State), Secretary of FIBEU, the Deputy General Secretary of Andhra Pradesh Bank Employees Federation and Central Committee Member of AIBEA. Presently he is Special Assistant of Narayanaguda Branch (Hyderabad) of the Bank. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Amarjit Chopra, aged 61 years, was appointed as Director of our Bank under Chartered Accountant category on August 29, 2011. A practicing Chartered Accountant from New Delhi, he holds M.Com Degree and Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He has been member of the Central Council of the ICAI since 1998. He has rich experience and expertise of having represented ICAI on various committees of Government, SEBI, RBI, etc. He represents India on the Committee of International Federation of Accountants. He is on the Quality Review Board of Government of India. He was the President of ICAI for the year 2010-11 and Chairman of NIRC of ICAI during 1988-89. He was on the Board of Bank of Baroda, South Asian Federation of Accountants (SAFA), Confederation of Asia Pacific Accountants (CAPA) and IRDA. He was the Chairman of Accounting Standards Board, Auditing and Assurance Standards Board and Corporate Laws Committee of ICAI. He is an Honorary Member of Australian Institute of Chartered Accountants and Association of International Accountants, London. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Sanjay Maken, aged 48 years, is a Practicing Chartered Accountant from New Delhi. He was appointed as a Part-Time Non-Official Director of our Bank by Government of India on August 11, 2011. He holds B.Com degree and is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India. He is Proprietor of M/s. Sanjay Maken & Associates, Chartered Accountants. He is also a Director on the Board of M/s. G K Wire Products Private Ltd. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri M Butchi Rami Reddy, aged 53 years, hails from Chodipalem village of Pittalavani Palem Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh. He was appointed as Part-time Non-Official Director of the Bank by Government of India on September 22, 2011. He is an Agriculturist and a well known Social Activist. He works for the upliftment of the downtrodden and growth of Agriculture in his area and nearby districts. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Prof. Narendra Kumar Agrawal, aged 64 years, was elected as the Shareholder Director of the Bank on June 29, 2011. He is holding charge as Shareholder Director for a period of 3 years from July 01, 2011. He holds B.E, MMS degrees and is a Fellow of IIM- A. Presently he is a Professor in Organizational Behaviour and Human Resources Management which is his area of specialization in Indian Institute of Management, Bangalore. He is a visiting Faculty in many foreign Universities. He holds 100 Equity Shares of the Bank.

Shri Chintaman Mahadeo Dixit, aged 63 years, was elected as the Shareholder Director of the Bank on June 29, 2011. He assumed charge on July 01, 2011 for a period of 3 years. He is a Chartered Accountant by profession since 1976. He is a Commerce Graduate of University of Pune and a fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India. He is also a Partner of M/s. G D Apte & Co., Chartered Accountants. He holds 105 Equity Shares of the Bank.

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री टी एम भसीन	01.04.2013 - 31.03.2014	14	14
2.	श्री राजीव ऋषि	01.04.2013 – 31.07.2013	4	4
3.	श्री बी राजकुमार	01.04.2013 – 31.03.2014	14	14
4.	श्री महेश कुमार जैन	27.09.2013 – 31-03.2014	8	8
5.	डॉ रजत भार्गव	01.04.2013 - 25.07.2013	3	2
6.	डॉ सुधा कृष्णन	26.07.2013 - 31.03.2014	11	8
7.	डॉ. एन कृष्ण मोहन	01.04.2013 – 31.03.2014	1	1
8.	डॉ सत्यन डेविड	31.05.2013 - 31.03.2014	13	11
9.	श्री एम जयनाथ	01.04.2013 – 20.04.2013	-	-
10.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	29.05.2013 - 31.03.2014	13	11
11.	श्री दीपक डी सामंत	11.03.2014 - 31.03.2014	3	3
12.	श्री अमरजीत चोपड़ा	01.04.2013 – 31.03.2014	14	9
13.	प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2013 – 31.03.2014	14	8
14.	श्री चिंतामन महादेव दीक्षित	01.04.2013 – 31.03.2014	14	12
15.	श्री संजय माकन	01.04.2013 – 31.03.2014	14	11
16.	श्री बुच्चि रामि रेड्डी	01.04.2013 – 31.03.2014	14	13

बोर्ड की बैठकें : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत किए गए न्यूनतम छः (6) बैठकों के सांविधिक प्रावधान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान बैंक की चौदह (14) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं जिसके विवरण निम्नानुसार हैं :

09.05.2013	22.06.2013	28.06.2013	29.07.2013	23.09.2013*	23.09.2013	08.11.2013
28.12.2013	10.01.2014	23.01.2014	10.02.2014	18.03.2014	28.03.2014*	28.03.2014
* ग्राहक सेवाओं पर अलग बोर्ड बैठक						

3. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने निम्नलिखित समितियाँ गठित की हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में निर्दिष्ट एवं केन्द्रित नियंत्रण प्रदान करती हैं और बैंक के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करती हैं।

क्र सं.	समिति का नाम
ए.	प्रबंधन समिति
बी.	लेखा परीक्षा समिति
सी.	जोखिम प्रबंधन समिति
डी.	आइटी रणनीति समिति (भूतपूर्व प्रौद्योगिकी समिति)
ई.	ग्राहक सेवा समिति
एफ.	निदेशकों की समिति (सतर्कता)
जी.	विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधडियों को मॉनीटर करना)
एच.	शेयर अंतरण समिति
आई.	शेयर धारक / निवेशक शिकायत समिति
जे.	नामांकन समिति
के.	पारिश्रमिक समिति
एल.	ऋण अनुमोदन समिति
एम.	एच आर समिति
एन.	वसूली को मानीटर करने के लिए समिति

Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings:

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri T M Bhasin	01.04.2013 – 31.03.2014	14	14
2.	Shri Rajeev Rishi	01.04.2013 – 31.07.2013	4	4
3.	Shri B Raj Kumar	01.04.2013 – 31.03.2014	14	14
4.	Shri Mahesh Kumar Jain	27.09.2013 – 31.03.2014	8	8
5.	Dr. Rajat Bhargava	01.04.2013 – 25.07.2013	3	2
6.	Smt. Sudha Krishnan	26.07.2013 – 31.03.2014	11	8
7.	Dr. N Krishna Mohan	01.04.2013 – 31.05.2013	1	1
8.	Dr. Sathyan David	31.05.2013 – 31.03.2014	13	11
9.	Shri M Jayanath	01.04.2013 – 20.04.2013	-	-
10.	Shri P Venkata Krishna Rao	29.05.2013 – 31.03.2014	13	11
11.	Shri Deepak D Samant	11.03.2014 – 31.03.2014	3	3
12.	Shri Amarjit Chopra	01.04.2013 - 31.03.2014	14	9
13.	Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2013 - 31.03.2014	14	8
14.	Shri Chintaman Mahadeo Dixit	01.04.2013 - 31.03.2014	14	12
15.	Shri Sanjay Maken	01.04.2013 - 31.03.2014	14	11
16.	Shri Butchi Rami Reddy	01.04.2013 - 31.03.2014	14	13

Board Meetings: During the Financial year 2013-14, fourteen (14) Board Meetings were held vis-à-vis the statutory stipulation of minimum of six (6) meetings in a year under the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as detailed below:

09.05.2013	22.06.2013	28.06.2013	29.07.2013	23.09.2013*	23.09.2013	08.11.2013
28.12.2013	10.01.2014	23.01.2014	10.02.2014	18.03.2014	28.03.2014*	28.03.2014
*Sequestered Board Meeting on Customer Services						

3. Committees of the Board

The Board has constituted the following committees, which provide specific and focused governance in important functional areas and to oversee the affairs of the Bank.

Sl. No.	Name of the Committee
a.	Management Committee
b.	Audit Committee
c.	Risk Management Committee
d.	IT Strategy Committee (erstwhile Technology Committee)
e.	Customer Service Committee
f.	Committee of Directors (Vigilance)
g.	Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)
h.	Share Transfer Committee
i.	Shareholders'/Investors' Grievance Committee
j.	Nomination Committee
k.	Remuneration Committee
l.	Credit Approval Committee
m.	H R Committee
n.	Committee for Monitoring of Recovery

ए) प्रबंधन समिति :

प्रबंधन समिति की स्थापना 08 सितम्बर 1990 को हुई और भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह से केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ बोर्ड द्वारा इसे प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करती है। प्रबंधन समिति निम्नलिखित विषयों पर बोर्ड में निहित सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है :

- ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिप्रदत्त और गैर निधिप्रदत्त)
- ऋण समझौता / बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव ;
- पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन ;
- परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने हेतु मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;
- मुकदमा / अपील आदि दायर करने तथा वकालत करना;
- सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, हामीदारी सहित अन्य कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश
- दान ; और
- बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित किए गए कोई अन्य मामले।

प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1. श्री टी एम भसीन	01.04.2013 – 31.03.2014	12	12
2. श्री राजीव ऋषि	01.04.2013 – 31.07.2013	2	2
3. श्री बी राजकुमार	01.04.2013 – 31.03.2014	12	12
4. श्री महेश कुमार जैन	27.09.2013 – 31.03.2014	8	7
5. डॉ. एन कृष्ण मोहन	01.04.2013 – 31.05.2013	1	1
6. डॉ सत्यन डेविड	31.05.2013 – 31.03.2014	11	9
7. श्री एम जयनाथ	01.04.2013 – 20.04.2013	-	-
8. श्री पी वेंकट कृष्ण राव	09.07.2013 – 08.01.2014	6	6
9. श्री अमरजीत चोपड़ा	01.04.2013 – 31.03.2014	12	7
10. श्री संजय माकन	09.05.2013 – 08.11.2013	5	5
11. प्रो नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	09.01.2014 – 31.03.2014	5	2
12. श्री बुच्चि रामि रेड्डी	09.11.2013 – 31.03.2014	7	6
13. श्री चिंतामन महादेव दीक्षित	09.01.2013 – 08.07.2013	1	1

बी) लेखापरीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति 13 अक्तूबर 1995 को गठित की गयी और इसकी संदर्भ शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्य को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना, जिससे बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण को व्यवस्थित, परिचालित करना एवं गुणवत्ता नियंत्रण करना अभिप्रेत है तथा बैंक की सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन करना।
- अंतर–शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में लंबे समय से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में बकाया शेष, धोखाधड़ियाँ एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।
- बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और
- लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक / अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना।

a) Management Committee:

The Management Committee was constituted on September 08, 1990 and exercises such powers of the Board, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India. The Management Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- Loans compromise/write-off proposals;
- Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- Filing of suits/appeals, defending them, etc.;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- Donations ; and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Details of Attendance of the Directors at the Management Committee

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shri T M Bhasin	01.04.2013 – 31.03.2014	12	12
2. Shri Rajeev Rishi	01.04.2013 – 31.07.2013	2	2
3. Shri B Raj Kumar	01.04.2013 – 31.03.2014	12	12
4. Shri Mahesh Kumar Jain	27.09.2013 – 31.03.2014	8	7
5. Dr. N Krishna Mohan	01.04.2013 – 31.05.2013	1	1
6. Dr. Sathyan David	31.05.2013 – 31.03.2014	11	9
7. Shri M Jayanath	01.04.2013 – 20.04.2013	-	-
8. Shri P Venkata Krishna Rao	09.07.2013 – 08.01.2014	6	6
9. Shri Amarjit Chopra	01.04.2013 – 31.03.2014	12	7
10. Shri Sanjay Maken	09.05.2013 – 08.11.2013	5	5
11. Prof. Narendra Kumar Agrawal	09.01.2014 – 31.03.2014	5	2
12. Shri M Butchi Rami Reddy	09.11.2013 – 31.03.2014	7	6
13. Shri Chintaman Mahadeo Dixit	09.01.2013 – 08.07.2013	1	1

b) Audit Committee

The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and its terms of reference include the following:

- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India.
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping.
- Review quarterly reports from the Compliance officers appointed in the Bank and
- Follow-up on all the issues raised in the Long form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual/semi-annual financial accounts and reports.

दिनांक 23 नवंबर, 2006 को निदेशक मंडल के संकल्प की शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित को शामिल करने के लिए लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया :

- लेखा, लेखा–नीतियों, प्रकटीकरण की नियमित पुनरीक्षा ;
- प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने पर आधारित मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा और लेखा परीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण समायोजन की पुनरीक्षा ;
- ड्राफ़्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट की शर्तें ;
- लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखा परीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
- किसी भी प्रकार के चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के बाद चर्चा ;
- आंतरिक लेखा परीक्षा का स्वरूप और समय अंतराल स्थापित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक शेयर बाज़ार की अपेक्षाओं का अनुपालन ;
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा, प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है ; और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय–समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित हों।

लेखा परीक्षा समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1. श्री राजीव ऋषि	01.04.2013 – 31.07.2013	5	5
2. श्री बी राजकुमार	01.04.2013 – 31.03.2014	14	14
3. श्री महेश कुमार जैन	27.09.2013 – 31.03.2014	7	7
4. श्री अमरजीत चोपड़ा	01.04.2013 – 31.03.2014	14	13
5. डॉ. रजत भार्गव	01.04.2013 – 25.07.2013	4	3
6. श्रीमती सुधा कृष्णन	26.07.2013 – 31.03.2014	10	6
7. डॉ. एन कृष्ण मोहन	01.04.2013 – 31.05.2013	2	2
8. डॉ सत्यन डेविड	31.05.2013 – 31.03.2014	12	9
9. श्री संजय माकन	01.04.2013 – 31.03.2014	14	13

सी) जोखिम प्रबंधन समिति :

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 18 जनवरी, 2003 को किया गया था। समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोज़र से संबंधित जोखिम शामिल हैं, के लिए नीति और रणनीति तैयार करना
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- समिति के दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :
- बाज़ार जोखिम मापने, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
- यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति की संतुष्टि करती हैं।
- ट्रिगर अथवा व्यापार और प्रोद्भवन पोर्टफोलियो हेतु हानि रोकने सहित बाज़ार जोखिम सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
- अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाज़ार जोखिम प्रबंधक/कों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

In terms of the resolution of the Board of Directors dated November 23, 2006, the scope of reference of the Audit Committee was enhanced to include the following:

- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures;
- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit;
- Qualifications in the draft audit report;
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern;
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- Compliance with Accounting Standards and Accounting Policies of the Bank
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large; and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements.

Details of Attendance of the Directors at the Audit Committee

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shri Rajeev Rishi	01.04.2013 – 31.07.2013	5	5
2. Shri B Raj Kumar	01.04.2013 – 31.03.2014	14	14
3. Shri Mahesh Kumar Jain	27.09.2013 – 31.03.2014	7	7
4. Shri Amarjit Chopra	01.04.2013 – 31.03.2014	14	13
5. Dr. Rajat Bhargava	01.04.2013 – 25.07.2013	4	3
6. Smt. Sudha Krishnan	26.07.2013 – 31.03.2014	10	6
7. Dr. N Krishna Mohan	01.04.2013 – 31.05.2013	2	2
8. Dr. Sathyan David	31.05.2013 – 31.03.2014	12	9
9. Shri Sanjay Maken	01.04.2013 – 31.03.2014	14	13

c) Risk Management Committee:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003. The functions of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other Risk Committees of the Bank.
- The responsibility of the Committee include:
  - Setting policies and guidelines for market risk measurement, management and reporting.
  - Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.
  - Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios.
  - Appointment of qualified and competent staff, ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk manager/s, etc.

जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठके	उपस्थित बैठकें
1. श्री टी एम भसीन	01.04.2013 – 31.03.2014	5	5
2. श्री राजीव ऋषि	01.04.2013 – 31.07.2013	1	1
3. श्री बी राजकुमार	01.04.2013 – 31.03.2014	5	5
4. श्री महेश कुमार जैन	27.09.2013 – 31.03.2014	2	2
5. श्री एम जयनाथ	01.04.2013 – 20.04.2013	-	-
6. श्री पी वेंकट कृष्ण राव	29.05.2013 – 31.03.2014	4	3
7. श्री अमरजीत चोपड़ा	01.04.2013 – 31.03.2014	5	4
8. श्री चिंतामन महादेव दीक्षित	01.04.2013 – 31.03.2014	5	5
9. श्री बुच्चि रामि रेड्डी	01.04.2013 – 31.03.2014	5	5

डी) आईटी रणनीति समिति (भूतपूर्व प्रौद्योगिकी समिति)

- आईटी रणनीति समिति (भारिबैंक की सूचना – डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6/31.02.008/ 2010–11 दिनांक 29.04.2011 के जरिए दिए गए निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति को आईटी रणनीति समिति का नया नाम दिया गया है) का गठन मार्च 11, 2002 को किया गया।
- प्रौद्योगिकी समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यकताओं पर विचार करने और स्पष्ट परिभाषित माइलस्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशंसा करने के लिए किया गया है।

आईटी रणनीति समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठके	उपस्थित बैठकें
1. श्री चिंतामन महादेव दीक्षित	01.04.2013 – 31.03.2014	5	5
2. श्री राजीव ऋषि	01.04.2013 – 31.07.2013	1	1
3. श्री बी राजकुमार	01.04.2013 – 31.03.2014	5	5
4. श्री महेश कुमार जैन	27.09.2013 – 31.03.2014	2	2
5. श्री एम जयनाथ	01.04.2013 – 20.04.2013	-	-
6. श्री पी वेंकट कृष्ण रॉव	29.05.2013 – 31.03.2014	4	4
7. श्री अमरजीत चोपड़ा	01.04.2013 – 31.03.2014	5	2
8. श्री संजय माकन	01.04.2013 – 31.03.2014	5	4

ई) ग्राहक सेवा समिति

ग्राहक सेवा समिति अगस्त 24, 2004 को गठित की गई थी। ग्राहक सेवा समिति के कार्य में निम्नलिखित भी शामिल हैं।

- आम व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रक्रियाविधियों व पद्धतियों के सरलीकरण पर ध्यान देने हेतु ;
- ग्राहकों को सेवा प्रदान करने हेतु पद्धतियों की पुनरीक्षा और
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उन विनियमों और प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा जोकि बैंक की ग्राहक सेवा का अतिक्रमण कर रही हैं।

Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shri T M Bhasin	01.04.2013 – 31.03.2014	5	5
2. Shri Rajeev Rishi	01.04.2013 – 31.07.2013	1	1
3. Shri B Raj Kumar	01.04.2013 – 31.03.2014	5	5
4. Shri Mahesh Kumar Jain	27.09.2013 – 31.03.2014	2	2
5. Shri M Jayanath	01.04.2013 – 20.04.2013	-	-
6. Shri P Venkata Krishna Rao	29.05.2013 – 31.03.2014	4	3
7. Shri Amarjit Chopra	01.04.2013 – 31.03.2014	5	4
8. Shri Chintaman Mahadeo Dixit	01.04.2013 – 31.03.2014	5	5
9. Shri Butchi Rami Reddy	01.04.2013 – 31.03.2014	5	5

d) IT Strategy Committee (erstwhile Technology Committee) :

➢ IT Strategy Committee (The Technology Committee of the Board has been renamed as IT Strategy Committee as per the directions / guidelines of RBI communication DBS.CO.ITC.BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011) was constituted on March 11, 2002.

➢ The Technology Committee has been set up to look into the technological upgradation requirements of the Bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones.

Details of Attendance of the Directors at the IT Strategy Committee

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shri Chintaman Mahadeo Dixit	01.04.2013 – 31.03.2014	5	5
2. Shri Rajeev Rishi	01.04.2013 – 31.07.2013	1	1
3. Shri B Raj Kumar	01.04.2013 – 31.03.2014	5	5
4. Shri Mahesh Kumar Jain	27.09.2013 – 31.03.2014	2	2
5. Shri M Jayanath	01.04.2013 – 20.04.2013	-	-
6. Shri P Venkata Krishna Rao	29.05.2013 – 31.03.2014	4	4
7. Shri Amarjit Chopra	01.04.2013 – 31.03.2014	5	2
8. Shri Sanjay Maken	01.04.2013 – 31.03.2014	5	4

e) Customer Service Committee

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004. The functions of the Customer Service Committee include the following:

➢ To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguarding the interest of common persons;

➢ To review the systems in place for providing service to the customers ; and

➢ To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that impinge on customer service of banks.

ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठके	उपस्थित बैठकें
1. श्री टी एम भसीन	01.04.2013-31.03.2014	4	4
2. श्री राजीव ऋषि	01.04.2013-31.07.2013	1	1
3. श्री बी राजकुमार	01.04.2013-31.03.2014	4	4
4. श्री महेश कुमार जैन	27.09.2013-31.03.2014	2	2
5. डॉ रजत भार्गव	01.04.2013-25.07.2013	1	1
6. श्रीमती सुधा कृष्णन	26.07.2013-31.03.2014	3	2
7. श्री एम जयनाथ	01.04.2013-20.04.2014	-	-
8. श्री पी वेंकट कृष्णा रॉव	29.05.2013-31.03.2014	4	2
9. प्रो नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2013-31.03.2014	4	2
10. श्री बुच्चि रामि रेड्डी	01.04.2013-31.03.2014	4	4

एफ) निदेशकों की समिति (सतर्कता)

सतर्कता समिति जनवरी 12, 1991 को गठित की गई है। सतर्कता समिति तिमाही में एक बार बैठक करती है और लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करती है। निदेशक समिति की टिप्पणी, सतर्कता मामलों के अर्धवार्षिक पुनरीक्षण हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

सतर्कता समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठके	उपस्थित बैठकें
1. श्री टी एम भसीन	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
2. श्री राजीव ऋषि	01.04.2013 – 31.07.2013	1	1
3. श्री बी राजकुमार	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
4. श्री महेश कुमार जैन	27.09.2013 – 31.03.2014	2	2
5. डॉ रजत भार्गवा	01.04.2013 – 25.07.2013	1	1
6. श्रीमती सुधा कृष्णन	26.07.2013 – 31.03.2014	3	3
7. डॉ. एन कृष्ण मोहन	01.04.2013 – 31.05.2013	-	-
8. डॉ. सत्यन डेविड	31.05.2013 – 31.03.2014	4	2

जी) विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधड़ियों को मानीटर करने हेतु) :

₹1 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधड़ियों को मानीटर करने हेतु इस समिति का गठन 31 जनवरी 2004 को किया गया था।

बडे मूल्य की धोखाधड़ियों को मानीटर करने हेतु विशेष समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठके	उपस्थित बैठकें
1. श्री टी एम भसीन	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
2. श्री राजीव ऋषि	01.04.2013 – 31.07.2013	1	1
3. श्री बी राजकुमार	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
4. श्री महेश कुमार जैन	27.09.2013 – 31.03.2014	2	2
5. श्री संजय माकन	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
6. डॉ रजत भार्गवा	01.04.2013 – 25.07.2013	1	1
7. श्रीमती सुधा कृष्णन	26.07.2013 – 31.03.2014	3	3

एच) शेयर अंतरण समिति :

इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 के विनियम 2ए के अनुसार, 13 मार्च 2007 को बैंक की शेयर अंतरण समिति गठित की गई। यह समिति रीमेटिरियलैसेशन, डीमेटिरियलैसेशन, शेयरों के अंतरण आदि हेतु अनुरोध पर विचार करती है।

Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shri T M Bhasin	01.04.2013-31.03.2014	4	4
2. Shri Rajeev Rishi	01.04.2013-31.07.2013	1	1
3. Shri B Raj Kumar	01.04.2013-31.03.2014	4	4
4. Shri Mahesh Kumar Jain	27.09.2013-31.03.2014	2	2
5. Dr. Rajat Bhargava	01.04.2013-25.07.2013	1	1
6. Smt Sudha Krishnan	26.07.2013-31.03.2014	3	2
7. Shri M Jayanath	01.04.2013-20.04.2014	-	-
8. Shri P Venkata Krishna Rao	29.05.2013-31.03.2014	4	2
9. Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2013-31.03.2014	4	2
10. Shri Butchi Rami Reddy	01.04.2013-31.03.2014	4	4

f) Committee of Directors (Vigilance)

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries. The observation of the Vigilance Committee is put up to the Board in the half yearly review of vigilance matters.

Details of Attendance of the Directors at the Vigilance Committee

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shri T M Bhasin	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
2. Shri Rajeev Rishi	01.04.2013 – 31.07.2013	1	1
3. Shri B Raj Kumar	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
4. Shri Mahesh Kumar Jain	27.09.2013 – 31.03.2014	2	2
5. Dr. Rajat Bhargava	01.04.2013 – 25.07.2013	1	1
6. Smt. Sudha Krishnan	26.07.2013 – 31.03.2014	3	3
7. Dr. N Krishna Mohan	01.04.2013 – 31.05.2013	-	-
8. Dr. Sathyan David	31.05.2013 – 31.03.2014	4	2

g) Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The Committee was constituted on January 31, 2004 for monitoring frauds of ₹ 1 crore and above.

Details of Attendance of the Directors at the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shri T M Bhasin	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
2. Shri Rajeev Rishi	01.04.2013 – 31.07.2013	1	1
3. Shri B Raj Kumar	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
4. Shri Mahesh Kumar Jain	27.09.2013 – 31.03.2014	2	2
5. Shri Sanjay Maken	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
6. Dr. Rajat Bhargava	01.04.2013 – 25.07.2013	1	1
7. Smt. Sudha Krishnan	26.07.2013 – 31.03.2014	3	3

h) Share Transfer Committee:

Pursuant to Regulation 2A of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee was constituted on March 13, 2007.

शेयर अंतरण समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठके	उपस्थित बैठकें
1. श्री राजीव ऋषि	01.04.2013 – 31.07.2013	2	2
2. श्री बी राजकुमार	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
3. श्री महेश कुमार जैन	27.09.2013 – 31.03.2014	2	2
4. प्रो नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2013 – 31.03.2014	4	2
5. श्री चिंतामन महादेव दीक्षित	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
6. श्री बुच्चि रामि रेड्डी	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4

आई) शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति :

शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण का कार्य संभालने हेतु 23 नवंबर, 2006 के प्रभाव से यह समिति गठित की गई और इस समिति का कार्य सिर्फ शेयरों के अंतरण, लाभांश, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने एवं और किसी प्रकार की शिकायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक के विरुद्ध किसी शेयर धारक या निवेशक की शिकायतों के निवारण का कार्य भी शामिल है।

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठके	उपस्थित बैठकें
1. श्री राजीव ऋषि	01.04.2013 – 31.07.2013	1	1
2. श्री बी राजकुमार	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
3. श्री महेश कुमार जैन	27.09.2013 – 31.03.2014	2	2
4. प्रो नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2013 – 31.03.2014	4	1
5. श्री चिंतामन महादेव दीक्षित	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
6. श्री बुच्चि रामि रेड्डी	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4

जे) नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी के पत्र बीसी.सं.47 / 29.39.001 / 2007–08 दि.01 नवंबर, 2007 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने, बैंक के शेयरधारक–निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए अपने नामांकन दायर करने वालों का ''पात्र एवं उचित'' स्टेटस का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उचित सावधानी का कार्य निभाने हेतु दिसंबर 01, 2007 को नामांकन समिति गठित की थी। निम्नलिखित निदेशकों के साथ इसे मई 30, 2011 को पुनः गठित किया गया था।

1. भारत सरकार के नामिती निदेशक (समिति का अध्यक्ष)
2. भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक (भारिबैंक से विशेष अनुमति के साथ)
3. कार्यपालक निदेशक (भारिबैंक से विशेष अनुमति के साथ)

वर्ष 2013 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं हुई।

के) पारिश्रमिक समिति :

29 मार्च, 2007 को पारिश्रमिक समिति गठित की गयी थी। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमानुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक एवं यात्रा और ठहरने हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के अलावा अन्य कोई पारितोषिक अदा नहीं किया जाता। राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 / 1980 के खंड 17 की शर्तों के अनुसार समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार गैर–कार्यपालकों को यात्रा एवं ठहरने हेतु भत्ते सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shri Rajeev Rishi	01.04.2013 – 31.07.2013	2	2
2. Shri B Raj Kumar	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
3. Shri Mahesh Kumar Jain	27.09.2013 – 31.03.2014	2	2
4. Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2013 – 31.03.2014	4	2
5. Shri Chintaman Mahadeo Dixit	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
6. Shri Butchi Rami Reddy	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4

i) Shareholders' / Investors' Grievance Committee :

The Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions for the redressal of Shareholders' and investors' complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Shareholders' / Investors' Grievance Committee

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shri Rajeev Rishi	01.04.2013 – 31.07.2013	1	1
2. Shri B Raj Kumar	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
3. Shri Mahesh Kumar Jain	27.09.2013 – 31.03.2014	2	2
4. Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2013 – 31.03.2014	4	1
5. Shri Chintaman Mahadeo Dixit	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4
6. Shri Butchi Rami Reddy	01.04.2013 – 31.03.2014	4	4

j) Nomination Committee:

The Nomination Committee was constituted on December 01, 2007 by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India contained in DBOD letter BC.No.47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 for the purpose of carrying out due diligence to determine the "fit and proper" status of the persons who file their nominations for election as Shareholder Director of the Bank. It was reconstituted on May 30, 2011 with the following Directors:

1. Government of India Nominee Director (Chairman of the Committee).
2. RBI Nominee Director (with special permission from RBI)
3. Executive Director (with special permission from RBI).

There was no meeting of the Committee during the year 2013-14 since no necessity arose.

k) Remuneration Committee:

The Remuneration Committee was constituted on March 29, 2007. The Chairman and Managing Director and Executive Director are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard.

The Part-Time Non-Official Directors are not being paid any other remuneration, except Sitting Fees for attending the meetings of the Board/Committee as per the guidelines of Government of India. The remuneration including travelling and halting expenses to Part-Time Non-official Directors is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980.

यह समिति पूर्ण कालिक निदेशकों को निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन के भुगतान के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के सेट के आधार पर पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक / पूर्णकालिक निदेशकों के निष्पादन को मूल्यांकित करती हैं।

पारिश्रमिक समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठके	उपस्थित बैठकें
1. डॉ रजत भार्गव	01.04.2013 – 25.07.2013	2	2
2. डॉ. एन कृष्ण मोहन	01.04.2013 – 31.05.2013	2	2
3. श्री चिंतामन महादेव दीक्षित	01.04.2013 – 31.03.2014	2	2
4. श्री संजय माकन	01.04.2013 – 31.03.2014	2	2

एल) ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार की अधिसूचना एसओ 2736(ई) दिनांक दिसंबर 05, 2011 के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति अप्रैल 04, 2012 को गठित की गई तथा यह बोर्ड की प्रबंधन समिति के अधीन मंजूरी निकाय होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. ऋण के प्रभारी महा प्रबन्धक
3. ट्रेशरी के प्रभारी महा प्रबन्धक और
4. जोखिम प्रबन्धन के प्रभारी महा प्रबन्धक,

जो ऋण प्रस्ताव / समझौता प्रस्ताव / बट्टे खाते लिखने का प्रस्ताव आदि पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुरूप उनको प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करेंगे। वर्ष 2013–14 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की 15 बैठकें हुई।

एम) एचआर समिति

भारत सरकार की सूचना दिनांक मार्च 21, 2012 के निदेशों के अनुसार जून 29, 2012 को बोर्ड की एचआर समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया जो प्रत्येक तिमाही के दौरान एचआर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और निर्णय करेंगे।

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. कार्यपालक निदेशक (दोनों)
3. सरकारी नामिती निदेशक
4. प्रो. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल – शेयरधारक निदेशक
5. डॉ. टी जे कमलनाभन – डीन, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली

एचआर समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठके	उपस्थित बैठकें
1. श्री टी एम भसीन	01.04.2013 – 31.03.2014	3	3
2. श्री राजीव ऋषि	01.04.2013 – 31.07.2013	-	-
3. श्री बी राजकुमार	01.04.2013 – 31.03.2014	3	3
4. श्री महेश कुमार जैन	27.09.2013 – 31.03.2014	3	3
5. डॉ रजत भार्गव	01.04.2013 – 26.07.2013	-	-
6. श्रीमती सुधा कृष्णन	26.07.2013 – 31.03.2014	3	2
7. प्रो नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	01.04.2013 – 31.03.2014	3	2
8. डॉ टी जे कमलनाभन	29.06.2013 – 31.03.2014	3	2

The Committee evaluates the performance of the Bank / Whole-time Directors for the year under review based on a set of parameters as fixed by Government of India for the purpose of payment of performance-linked incentives to Whole-time Directors.

Details of Attendance of the Directors at the Remuneration Committee

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Dr. Rajat Bhargava	01.04.2013 – 25.07.2013	2	2
2. Dr. N Krishna Mohan	01.04.2013 – 31.05.2013	2	2
3. Shri Chintaman Mahadeo Dixit	01.04.2013 – 31.03.2014	2	2
4. Shri Sanjay Maken	01.04.2013 – 31.03.2014	2	2

l) Credit Approval Committee

The Credit Approval Committee was constituted on April 04, 2012 by the Bank as per the Government of India Notification S.O. 2736(E) dated December 05, 2011, to be a sanctioning body below Management Committee of the Board. The Committee consists of the following Members

(1) Chairman and Managing Director;
(2) General Manager in –charge of Credit;
(3) General Manager in –charge of Treasury; and
(4) General Manger in – charge of Risk Management.

to exercise such powers delegated to it by the Board with regard to credit proposals / compromise proposals / write off proposals within the framework spelt out by Government of India. The Credit Approval Committee of the Board met 15 times during the year 2013-14.

m) HR Committee

As per the direction of Government of India communication dated March 21, 2012, the HR Committee of the Board was constituted on June 29, 2012 with the following members to discuss and decide upon critical issues in HR every quarter.

1. Chairman and Managing Director.
2. Executive Directors.
3. Government Nominee Director.
4. Prof. Narendra Kumar Agrawal – Shareholder Director
5. Dr T J Kamalanaban – Dean, International Management Institute, New Delhi.

Details of Attendance of the Directors at the HR Committee

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shri T M Bhasin	01.04.2013 – 31.03.2014	3	3
2. Shri Rajeev Rishi	01.04.2013 – 31.07.2013	-	-
3. Shri B Raj Kumar	01.04.2013 – 31.03.2014	3	3
4. Shri Mahesh Kumar Jain	27.09.2013 – 31.03.2014	3	3
5. Dr. Rajat Bhargava	01.04.2013 – 26.07.2013	-	-
6. Smt. Sudha Krishnan	26.07.2013 – 31.03.2014	3	2
7. Prof. Narendra Kumar Agrawal	01.04.2013 – 31.03.2014	3	2
8. Dr. T J Kamalanabhan	29.06.2013 – 31.03.2014	3	2

एन) वसूली को मानीटर करने के लिए समिति

भारत सरकार के दिनांक नवंबर 21, 2012 के पत्र एफ सं 7/112/2012–बीओए में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार दिसंबर 18, 2012 को वसूली को मानीटर करने के लिए एक समिति गठित की गई तथा इसका उद्देश्य है मासिक आधार पर बैंक में की गई वसूली की प्रगति को मानीटर करना और समझौता परामर्शदात्री समिति, आस्तियों की बिक्री समिति और बैंक के अन्य क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्य की पुनरीक्षा करना। निम्नलिखित निदेशकों के साथ इस समिति का गठन किया गया है :

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (समिति के अध्यक्ष)
2. कार्यपालक निदेशक (दोनों)
3. सरकारी नामिती निदेशक

वसूली को मानीटर करनेवाली समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठके	उपस्थित बैठकें
1. टी एम भसीन	01.04.2013 – 31.03.2014	10	10
2. राजीव ऋषि	01.04.2013 – 31.07.2013	4	4
3. बी राजकुमार	01.04.2013 – 31.03.2014	10	10
4. श्री महेश कुमार जैन	27.09.2013 – 31.03.2014	5	4
5. डॉ रजत भार्गव	01.04.2013 – 26.07.2013	4	4
6. श्रीमती सुधा कृष्णन	26.07.2013 – 31.03.2014	6	6

4 आम सभा बैठकें

बैंक के शेयरधारकों की पिछली तीन आम वार्षिक बैठकों (एजीएम) के विवरण निम्न प्रकार हैं ;

वार्षिक सामान्य बैठक	दिन एवं दिनांक	समय	जगह
पांचवीं	बुधवार जून 29, 2011	10.30 सुबह	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028
छठी	शुक्रवार, जून 29, 2012	10.00 सुबह	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028
सातवीं	शुक्रवार, जून 28, 2013	10.00 सुबह	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028

पांचवीं वार्षिक आम बैठक में भारत सरकार और अन्य विनियामक प्राधिकारियों के अनुमोदन के साथ बैंक द्वारा निर्धारित किए जानेवाले प्रीमियम पर बैंक के ₹ 10 मूल्यवाले 6.14 करोड़ ईक्विटी शेयरों के निर्गमन हेतु फॉलो–आन पब्लिक ऑफर और ₹ 400 करोड़ के गैर–संचयी अधिमान्य शेयर पूंजी को ईक्विटी शेयर पूंजी के रूप में परिवर्तित करने हेतु विशेष संकल्प पारित किए गए।

वर्ष 2013–14 के दौरान 10 फरवरी 2014 को पूर्वाह्न 10.00 बजे इमेज, एमआरसी नगर, अण्णामलैपुरम, चेन्नै–600028 में एक विशेष आम बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें अधिमान्य आधार पर भारत सरकार द्वारा रखे गए 400.00 करोड़ रुपये के संपूर्ण गैर–संचयी अधिमान्य शेयरों को ईक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तित के संकल्प को अनुमोदित करते हुए इसे भारत सरकार के नाम नई ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने हेतु विशेष संकल्प पारित किया गया था।

5. प्रकटीकरण

ए. बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहार में आनेवाली मदों के अलावा बैंक ने अपने प्रवर्तकों / निदेशकों, प्रबंधन, उनकी अनुषंगियाँ, अथवा रिश्तेदारों आदि के साथ किसी भी प्रकार के भौतिक प्रमुख लेनदेनों में भाग नहीं लिया है जिससे बैंक के हितों के साथ संभाव्यतः टकराव हो।

n) Committee for Monitoring of Recovery

The Committee for Monitoring of Recovery was constituted on December 18, 2012 by the Bank as per the guidelines of Government of India contained in F.No.7/112/2012-BOA dated November 21, 2012 for the purpose of monitoring the progress made by the Bank in recovery on monthly basis and to review the functioning of various Committees such as Settlement Advisory Committee, Sale of Assets Committee and other field level functionaries in the Bank. It is constituted with the following Directors:

1. Chairman and Managing Director (Chairman of the Committee)
2. Executive Directors
3. Government of India Nominee Director.

Details of Attendance of the Directors at the Committee for Monitoring of Recovery

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shri T M Bhasin	01.04.2013 – 31.03.2014	10	10
2. Shri Rajeev Rishi	01.04.2013 – 31.07.2013	4	4
3. Shri B Raj Kumar	01.04.2013 – 31.03.2014	10	10
4. Shri Mahesh Kumar Jain	27.09.2013 – 31.03.2014	5	4
5. Dr. Rajat Bhargava	01.04.2013 – 26.07.2013	4	4
6. Smt. Sudha Krishnan	26.07.2013 – 31.03.2014	6	6

4. General Body Meetings:

The details of the last three Annual General Meetings (AGM) of shareholders of the Bank are as follows:

Annual General Meeting	Day & Date	Time	Venue
Fifth	Wednesday	10.30 a.m. June 29, 2011	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram Chennai 600 028.
Sixth	Friday	10.00 a.m. June 29, 2012	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram Chennai 600 028.
Seventh	Friday	10.00 a.m June 28, 2013	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram Chennai 600 028

In the Fifth Annual General Meeting, reslolutions approving Follow-on-Public Offer for issue of 6.14 crore Equity Shares of ₹ 10/- each at a premium to be decided by the Bank and conversion of Non-Cumulative Preference Share Capital of ₹ 400 crore into Equity Share Capital subject to approval by Government of India and other regulatory authorities, were passed as special resolutions.

During the year 2013-14, an Extra-ordinary General Meeting was held on February 10, 2014 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai 600028 at 10.00 a.m. wherein a resolution approving conversion of the entire Perpetual Non-Cumulative Shares amounting to ₹ 400.00 crore held by Government of India into new equity shares to the Government of India, on preferential basis was passed as special resolution.

5. Disclosures

a. Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

बी. बैंक ने पूंजी बाज़ार से संबंधी मामलों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और पिछले वर्ष के दौरान स्टॉक एक्स्चेंज अथवा सेबी अथवा अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दंड नहीं दिया गया या आलोचना नहीं की गई।

सी. अनिवार्य और गैर अनिवार्य आवश्यकताएं :

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंटों के खंड 49 में बताए गए अनुसार सभी प्रयोज्य आवश्यकताओं का पालन किया है। गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा नीचे प्रस्तुत है।

आवश्यकता	अनुपालन
गैर कार्यपालक अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए कि वे बैंक के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखें ओर उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	बैंक की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और उनके द्वारा वहन किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
बोर्ड को चाहिए कि एक पारिश्रमिक समिति बनाएं ताकि वह उनकी ओर से व शेयरधारकों की ओर से स्वीकृत शर्तों पर कार्यपालक निदेशकों के लिए निर्दिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर पेंशन अधिकार व अन्य कोई क्षतिपूर्ति भुगतान शामिल करते हुए बैंक नीति निर्धारित करें।	भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक पैकेज निर्धारित करने के लिए बोर्ड की पारिश्रमिक समिति गठित की गई है।
विसिल ब्लोयर पॉलिसी : बैंक एक ऐसी प्रक्रियाविधि स्थापित करें जिसके द्वारा कर्मचारी अनाचार पूर्ण व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद विषय, धोखाधडी अथवा अपनी कंपनी की आचार संहिता अथवा आचार नीति के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को बताएं और कर्मचारियों के प्रति अत्याचार के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाए।	बैंक ने एक विसिल ब्लोयर पॉलिसी बनाई है।
पोस्टल बेलेट	संचालित कारोबार में ऐसा कोई संकल्प नहीं था, जिनपर पोस्टल बेलेट द्वारा निर्णय लिया जाना हो।

6. संचार के माध्यम

बैंक से संबंधित जानकारी प्रमुखतः वार्षिक रिपोर्ट द्वारा जारी की जाएगी जिसमें निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण, समेकित लेखा परीक्षित लेखे आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना (एनएसई एवं बीएसई) प्रेस विज्ञाप्तियां, जहाँ भी संभव हो – ईमेल, जोकि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, के द्वारा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक निष्पादनों की जानकारी दी जाएगी। बैंक ब्याज दरों में संशोधन, नए उत्पादों के प्रवर्तन, नई शाखाओं का खोला जाना जैसे विभिन्न परिचालन मामलों पर प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करता है जोकि बैंक की वेबसाइट (www.indianbank.in) पर भी उपलब्ध हैं।

बैंक ने अन्य समाचार पत्रों के अतिरिक्त अपने तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों को एक राष्ट्रीय (अंग्रेजी) और एक स्थानीय (तमिल) समाचार पत्र ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लिस्टिंग करार के क्लाज 41 में अनुबद्ध शर्तों के अनुसार प्रकाशित किया है। बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न मूल्य से संबंधित संवेदनशील जानकारी की सूचना स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई और बीएसई) को दी है।

.... को समाप्त तिमाही/छमाही/वर्ष	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र	
		स्थानीय	राष्ट्रीय
31.03.2013	11.05.2013	दिन तंदी	फिनान्शियल एक्सप्रेस/ बिसनेस लाइन
30.06.2013	30.07.2013	दिन तंदी	बिसनेस लाइन
30.09.2013	09.11.2013	दिनमणि	फिनान्शियल एक्सप्रेस
31.12.2013	24.01.2014	दिनमणि	फिनान्शियल एक्सप्रेस

b. The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any penalty or stricture by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authority during last year.

c. **Mandatory and non-mandatory requirements:**
The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing agreement entered into with the Stock Exchanges. The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished as under:

Requirement	**Compliance**
A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman's Office at the Bank's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Bank is chaired by an Executive Chairman appointed by the Government of India and the reimbursement of expenses incurred by him are in terms of Government of India guidelines.
The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment.	Remuneration Committee of the Board has been formed to determine the remuneration package in terms of the Government of India guidelines.
Whistle Blower Policy: The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees.	The Bank has put in place a Whistle Blower policy.
Postal Ballot	The business transacted did not require any special resolution to be put through postal ballot.

6. Means of Communication

Information relating to Bank will be mainly issued through the Annual Report which includes the Directors' Report, Auditors' Report, Cash Flow Statements, Consolidated Audited Accounts, etc. The shareholders will also be intimated on the quarterly, half yearly and annual performance through individual communication, publication in newspapers, intimation to Stock Exchanges (NSE & BSE), press release, email wherever possible, which is also available on the website of the Bank. The Bank issues press release on various operational matters such as revision in interest rates, launching of new products, opening of new branches, etc. which are also available on the website of the Bank (www.indianbank.in).

The Bank has published its quarterly / half-yearly / annual financial results in one national (English) and one vernacular (Tamil) newspaper as detailed below as per the terms stipulated in Clause 41 of the Listing Agreement, in addition to other newspapers. The Bank has also notified the Stock Exchanges (NSE and BSE) various price sensitive information during the year.

Quarter / Half-year / Year ended	**Date of Publication**	**Newspaper**	
		Vernacular	**National**
31.03.2013	11.05.2013	Dhina thandhi	Financial Express/ Business Line
30.06.2013	30.07.2013	Dhina thandhi	Business Line
30.09.2013	09.11.2013	Dhinamani	Financial Express
31.12.2013	24.01.2014	Dhinamani	Financial Express

7. सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

इंडियन बैंक के लेखों पर विचार करने व लाभांश की घोषणा के लिए बोर्ड की बैठक	मई 12, 2014
वार्षिक सामान्य बैठक का दिनांक, समय और स्थान	जून 27, 2014, सुबह 10.00 बजे इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै 600 028
वित्तीय वर्ष	2013–14
बही समापन तारीख	25 जून, 2014 से 27 जून, 2014 तक (दोनों तारीखों को शामिल करते हुए)
2013–14 के लिए लाभांश	ईक्विटी शेयर – रु 3.00 (30%) प्रति ईक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश और रु 1.70 (17%) प्रति ईक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश ; कुल रु 4.70 (47%) प्रति ईकिवटी शेयर। अधिमान शेयर – 01.04.2013 से 30.09.2013 तक 9% प्रतिवर्ष और 01.10.2013 से 28.02.2014 तक 8.50% प्रतिवर्ष
प्राक्सी फ़ार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 जून, 2014
लाभांशों के भुगतान की तारीख	आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के अंदर

ए. स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग

मार्च 01, 2007 से बैंक के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के पास सूचीबद्ध है। एक्सचेंज के स्क्रिप कोड निम्नानुसार है।

क्रमांक	स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक	स्क्रिप कोड
1.	एन एस ई	ईक्विटी	INDIANB
2.	बी एस ई	ईक्विटी	INDIANB / 532814

बैंक ने वर्ष 2013–14 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है।

बी. अनुपालन अधिकारी (यों)

श्री अमरेश कुमार, महा प्रबंधक, जुलाई 31, 2013 तक अनुपालन अधिकारी का पद निभा रहे थे। अगस्त 01, 2013 से सेबी तथा अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु श्री के. रविचन्द्रन, उप महा प्रबंधक को अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। श्री ए गणेस रत्नम, कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिए गए लिस्टिंग एग्रिमेंटों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालनार्थ अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

सी. शेयर हस्तांतरण और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरधारकों के अनुरोधों को रिकॉर्ड करने, निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने तथा शेयरों के जारीकरण से संबंधित अन्य कार्यकलापों को संभालने के लिए मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि., चेन्नै को शेयर हस्तांतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। निवेशकों की सुविधा के लिए, उनकी शिकायतें चेन्नै स्थित बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में भी स्वीकार की जाती हैं।

निवेशक, अपने अनुरोध / शिकायतों को या तो शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास या बैंक के पास निम्नलिखित पतों पर दे सकते हैं :

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि. यूनिट : इंडियन बैंक सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002 टेलीफोन : (91 44) 28460718 फैक्स : (91 44) 28460129 ई–मेल : investor@cameoindia.com	कंपनी सचिव इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय इन्वेस्टार सर्विसेज़ सेल 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 टेलीफोन : (91 44) 28134076 फैक्स : (91 44) 28134075 ई–मेल : investors@indianbank.co.in

प्राप्त, निवारण की गई एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

2013–14 के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई तथा 31.03.2014 को लंबित शिकायतों / अनुरोधों की संख्या निम्नवत् है :

01.04.2013 को लंबित	01.04.13 से 31.03.14 तक प्राप्त	निवारण किए गए	31.03.14 को लंबित
0	82	82	0

7. General Shareholder Information

Board Meeting for considering accounts of Indian bank and declaration of dividend	May 12 , 2014
Date, Time and venue of AGM	June 27, 2014, 10.00 a.m IMAGE Auditorium, MRC Nagar. Raja Annamalaipuram,Chennai 600 028.
Financial Year	2013-14
Book closure dates	June 25, 2014 to June 27, 2014 (Both dates inclusive)
Dividend for 2013-14 `	Equity Shares – Interim at Rs.3.00(30%) per Equity Share and Final at Rs.1.70 (17%) per Equity Share- Total at Rs.4.70(47%) per Equity Share Preference Shares- 9% p.a. from 01.04.2013 to 30.09.2013 and at 8.50% p.a. from 01.10.2013 to 28.02.2014.
Last date of receipt of proxy forms	June 21, 2014
Date of payment of Dividend	Within 30 days from the date of the ensuing Annual General Meeting

a. Listing on Stock Exchanges –

The Equity Shares of the Bank are listed with the National Stock Exchange of India Limited and the BSE Limited with effect from March 01, 2007. The Scrip codes of the respective Stock Exchange are as under:

No.	Stock Exchange	Stock	Scrip Code
1.	N S E	Equity	INDIANB
2.	B S E	Equity	INDIANB / 532814

The Bank has paid the listing fees for the year 2013-14 to the stock exchanges.

b. Compliance Officer(s):

Shri Amresh Kumar, General Manager was the Compliance Officer till July 31, 2013. Shri K Ravichandran, Deputy General Manager has been designated as Compliance Officer from August 01, 2013 for complying with various provisions of SEBI and other statutory authorities. Shri. A. Ganesa Rathnam, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer for complying with various provisions of Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

c. Share Transfer & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank has appointed M/s Cameo Corporate Services Ltd., Chennai, as the Share Transfer Agent for recording of shareholders' requests, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. For the convenience of investors, grievances / complaints from them are also accepted at the Bank's Corporate Office in Chennai.

The investors may lodge their requests / complaints either with the Share Transfer Agent or with the Bank at the following addresses:

Cameo Corporate Services Limited Unit: Indian Bank Subramanian Building 1, Club House Road Chennai – 600 002. Tel: (91 44) 28460718 Fax: (91 44) 28460129 Email:investor@cameoindia.com	Company Secretary Indian Bank, Corporate Office Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai - 600 014. Telephone : (91 44) 28134076 Fax : (91 44) 28134075 Email: investors@indianbank.co.in

Number of Complaints received, resolved and pending:

The details of complaints received and resolved during 2013-14 and pending as on 31.03.2014 are as follows:

Pending as on 01.04.13	Received from 01.04.13 to 31.03.14	Resolved	Pending as on 31.03.14
0	82	82	0

डी. 31.03.2014 को शेयरधारिता पैटर्न :

31.03.2014 को 1 प्रतिशत तथा उससे अधिक शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों की सूची :

सं.	शेयर धारकों का संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता के साथ प्रतिशत
1.	भारत सरकार	378898488	81.51
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	10263222	2.21
3.	एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फण्ड्स, खाता एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फण्ड्स मारीशस लि.	10000000	2.15
4.	एचडीएफ़सी स्टांडार्ड लाइफ़ इन्श्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड	5989182	1.29

31.03.2014 तक कुल विदेशी धारिता

सं.	शेयर धारकों का संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता के साथ प्रतिशत
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक	30364347	6.53
2.	एनआरआई	840148	0.18
	कुल	**31204495**	**6.71**

31.03.2014 तक शेयरधारिता का वितरण

संवर्गवार :

सं.	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	राशि (ए)	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	भारत सरकार	378898488	3788984880	81.51
2.	बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ (केन्द्रीय / राज्य संस्थाएँ)	12762664	127626640	2.74
3.	म्यूचुअल फ़ण्ड और यूटीआई	15489456	154894560	3.33
4.	कार्पोरेट निकाय	10141378	101413780	2.18
5.	एफ़आईआई	30364347	303643470	6.53
6.	निवासी होल्डिंग्स इत्यादि	17192155	171921550	3.71
	कुल	464848488	4648484880	100.00

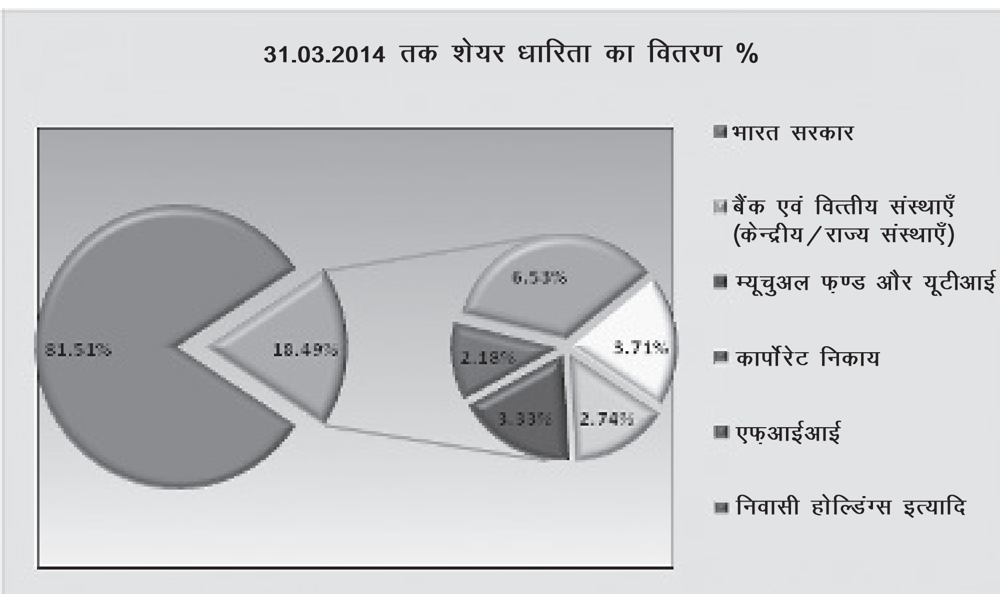

d. Shareholding pattern as on 31.03.2014:

List of shareholders holding shares 1% and above as on 31.03.2014:

No.	Names of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Government of India	378898488	81.51
2.	Life Insurance Corporation of India	10263222	2.21
3.	HSBC Global Investment Funds A/c HSBC Global Investment Funds Mauritius Limited	10000000	2.15
4.	HDFC Standard Life Insurance Company Limited	5989182	1.29

Total foreign holding as on 31.3.2014:

No.	Category of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Foreign Institutional Investors	30364347	6.53
2.	NRIs	840148	0.18
	Total	**31204495**	**6.71**

Distribution of shareholdings as on 31.03.2014:

Category wise:

No.	Category	No. of Shares held	Amount (₹)	% of Shareholding
1.	Government of India	378898488	3788984880	81.51
2.	Banks & Financial Institutions (Central / State Institutions)	12762664	127626640	2.74
3.	Mutual Funds & UTI	15489456	154894560	3.33
4.	Bodies Corporate	10141378	101413780	2.18
5.	FIIs	30364347	303643470	6.53
6.	Resident Holdings, etc.	17192155	171921550	3.71
	TOTAL	464848488	4648484880	100.00

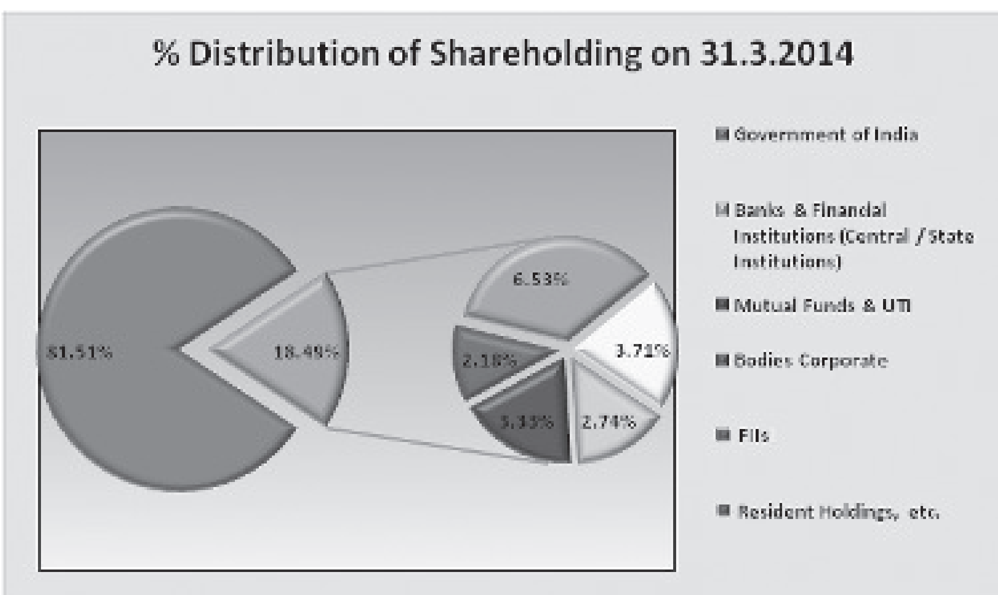

मूल्यवार :

नाममात्र मूल्य के शेयरों की शेयरधारिता, ₹	शेयर धारक		शेयर	
	संख्या	प्रतिशत	ए	प्रतिशत
5000 तक	70920	94.29	85042310	1.83
5001 से 10000	2358	3.14	17806080	0.39
10001 से 20000	976	1.30	14116920	0.30
20001 से 30000	312	0.41	7867660	0.17
30001 से 40000	135	0.18	4806940	0.10
40001 से 50000	89	0.12	4176780	0.09
50001 से 100000	165	0.22	12031210	0.26
100001 और उससे अधिक	258	0.34	4502636980	96.86
कुल	**75213**	**100.00**	**4648484880**	**100.00**

मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन एवं शेयरों की मात्रा

माह	एनएसई			बीएसई			मात्रा (संख्याएँ लाख में)
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	मात्रा (संख्याएँ लाख में)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	मात्रा (संख्याएँ लाख में)	
अप्रैल 2013	182.50	153.50	30.55	182.00	154.25	1.57	32.12
मई 2013	172.40	142.50	51.91	172.25	142.40	6.56	58.47
जून 2013	147.00	110.10	42.54	150.00	110.20	2.93	45.47
जुलाई 2013	120.80	77.50	53.39	120.95	78.00	7.97	61.36
अगस्त 2013	83.50	59.95	87.81	84.00	60.50	13.84	101.65
सितंबर 2013	87.75	61.50	173.14	87.95	61.60	31.70	204.84
अक्तूबर 2013	87.85	67.10	105.34	86.35	67.50	17.20	122.54
नवंबर 2013	116.50	82.50	347.24	116.35	82.60	80.06	427.30
दिसंबर 2013	118.90	98.50	114.83	118.80	99.20	18.15	132.98
जनवरी 2014	122.70	89.55	100.49	122.35	90.00	14.59	115.08
फरवरी 2014	100.80	86.50	49.21	101.00	86.35	7.02	56.23
मार्च 2014	116.00	87.20	105.76	116.00	87.15	19.01	124.77

Value wise:

Shareholding of Nominal value ₹	Shareholders		Shares	
	Nos.	%age	₹	%age
Upto 5000	70920	94.29	85042310	1.83
5001 – 10000	2358	3.14	17806080	0.39
10001 – 20000	976	1.30	14116920	0.30
20001 – 30000	312	0.41	7867660	0.17
30001 - 40000	135	0.18	4806940	0.10
40001 – 50000	89	0.12	4176780	0.09
50001 - 100000	165	0.22	12031210	0.26
100001 & above	258	0.34	4502636980	96.86
TOTAL	**75213**	**100.00**	**4648484880**	**100.00**

Monthly High and low quotation and volume of shares:

Month	N S E			B S E			Total Volume (Nos. in lacs)
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lacs)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lacs)	
April 2013	182.50	153.50	30.55	182.00	154.25	1.57	32.12
May 2013	172.40	142.50	51.91	172.25	142.40	6.56	58.47
June 2013	147.00	110.10	42.54	150.00	110.20	2.93	45.47
July 2013	120.80	77.50	53.39	120.95	78.00	7.97	61.36
August 2013	83.50	59.95	87.81	84.00	60.50	13.84	101.65
September 2013	87.75	61.50	173.14	87.95	61.60	31.70	204.84
October 2013	87.85	67.10	105.34	86.35	67.50	17.20	122.54
November 2013	116.50	82.50	347.24	116.35	82.60	80.06	427.30
December 2013	118.90	98.50	114.83	118.80	99.20	18.15	132.98
January 2014	122.70	89.55	100.49	122.35	90.00	14.59	115.08
February 2014	100.80	86.50	49.21	101.00	86.35	7.02	56.23
March 2014	116.00	87.20	105.76	116.00	87.15	19.01	124.77

सीएनएक्स निफ्टी के उतार–चढाव के साथ तुलना में निष्पादन

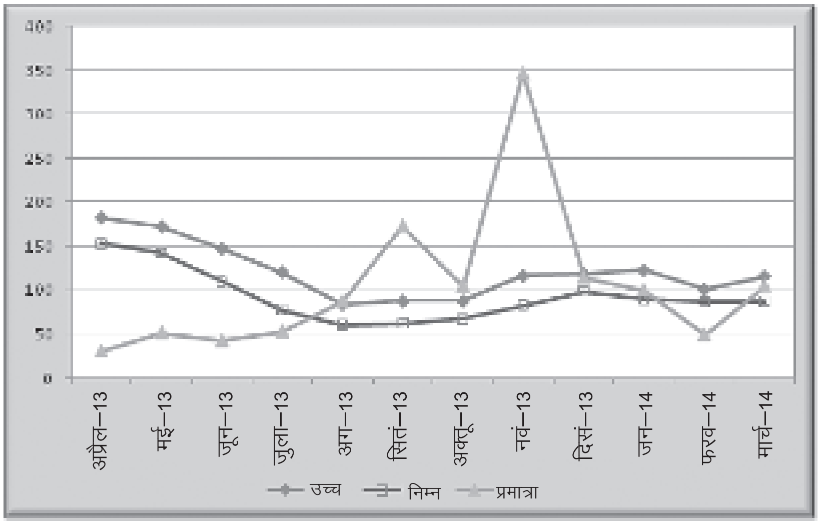

ई) शेयरों का अमूर्तकरण(कागज़ रहित करना)

बैंक के शेयरों में लेनदेन, अनिवार्यतः कागज़ – रहित रूप में किए जाते हैं तथा बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डेपासिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डेपोसिटरी सेक्यूरिटीज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है तथा आईएसआईएन, आईएनई 562ए01011 है। 31.03.2014 को कागज़–रहित रूप में और कागज़ के रूप में धारित शेयरों के विवरण निम्नवत् हैं :–

संख्या	स्टॉक	शेयरों की संख्या	फॉर्म
1	ईक्विटी	1,854	भौतिक
2	ईक्विटी	46,48,46,634	डी–मेट

एफ) सस्पेन्स (उचंत) खाते में शेयर

लिस्टिंग करार में अनुबद्ध किये गये क्लॉज़ 5ए की अपेक्षा के अनुपालन में इनिशियल पब्लिक ऑफर में जारी किये गये, परंतु बैंक तथा रजिस्ट्रार के प्रयासों के बावजूद भी अदावी रहनेवाले शेयरों को बैंक इस प्रयोजनार्थ खोले गये सस्पेन्स (उचंत) खाते में रखता है। सस्पेन्स, (उचंत) खाते में रखे गए ऐसे शेयरों के विवरण निम्नवत् हैं :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	बकाया अदत्त शेयर
वर्ष के आरंभ में बकाया	30	5104
हस्तांतरण हेतु संपर्क करनेवाले शेयरधारकों की संख्या	0	0
शेयरधारकों की संख्या जिन्हें शेयर हस्तांतरित किये गये	0	0
वर्षांत में बकाया	30	5104

जी) दावा नहीं किए गए लाभांश

अक्तूबर 16, 2006 को लागू बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ नियम (संशोधन) अधिनियम 2006 ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में एक नयी धारा 10(बी) लगायी गयी है जिसमें निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

1. घोषणा की तारीख के 30 दिनों के बाद वाली 7 दिनों की अवधि के अंदर यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश को नहीं भुनाया है/दावा नहीं किया है तो बैंक के चालू खाते में रहनेवाली ऐसी राशियाँ, ''वर्ष ...... के लिए इंडियन बैंक का अदत्त लाभांश'' नामक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।
2. अदत्त लाभांश खाते में अंतरित कोई भी राशि यदि ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त रहती या उसके लिए दावा नहीं की जाती तो उसका अंतरण कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 205 सी के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश को इंडियन बैंक के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित किया गया है और इसके बाद ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावी रहनेवाली राशियों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

Performance in comparison with the movement of CNX Nifty

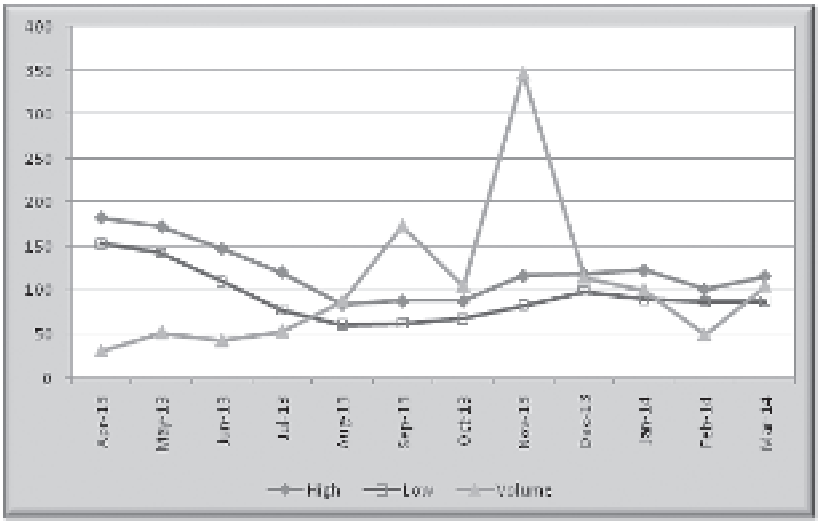

e. Dematerialization of Shares

The shares of the Bank are compulsorily traded in dematerialized form and the Bank has entered into agreements with the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the ISIN is INE562A01011. As on March 31, 2014 the details of shares held in dematerialised and physical form were as under.

No.	Stock	No. of shares	Form
1.	Equity	1854	Physical
2.	Equity	464846634	D-Mat

f. Shares in Suspense Account

In compliance of the requirement stipulated in Clause 5A of the Listing Agreement, the Bank is keeping the shares issued pursuant to the Initial Public Offer, which remain unclaimed despite the best efforts of the Bank and the Share Transfer Agent in a Suspense Account opened for this purpose. The details of such shares lying in the Suspense Account are as under:

Particulars	No. of shareholders	Shares outstanding
Outstanding at the beginning of the year	30	5104
No. of shareholders approached for transfer	0	0
No. of shareholders to whom shares were transferred	0	0
Outstanding at the end of the year	30	5104

g. Unclaimed Dividend

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on October 16, 2006, has inserted a new section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

1. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled “Unpaid Dividiend of Indian Bank for the year…..”

2. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section 205C of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend accounts of Indian Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund.

पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश खातों के विवरण तथा आईईपीएफ में उनके अंतरण के लिए नियत तारीख निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	अदत्त लाभांश के विवरण	31.03.2014 को शेष (जे)	आईईपीएफ को अंतरण के लिए नियत तारीख
1.	लाभांश 2006–07	6,61,086.00	अगस्त 2014
2.	लाभांश 2007–08	9,03,696.00	अगस्त 2015
3.	अंतरिम लाभांश 2008–09	7,97,692.00	मार्च 2016
4.	अंतिम लाभांश 2008–09	9,32,151.00	अगस्त 2016
5.	अंतरिम लाभांश 2009–10	7,75,397.00	मार्च 2017
6.	अंतिम लाभांश 2009–10	8,22,636.00	जुलाई 2017
7.	लाभांश 2010–11	13,32,480.00	अगस्त 2018
8.	लाभांश 2011–12	15,00,915.00	अगस्त 2019
9.	लाभांश 2012–13	15,95,715.00	अगस्त 2020
10.	अंतरिम लाभांश 2013–14	12,20,856.00	फरवरी 2021

उपर्युक्त के अलावा 111 निवेशकों से संबंधित रुपए 13.59 लाख की राशि बैंक के आईपीओ धन वापसी आदेश खाते में अदावी पड़ी है।

ऐसे शेयर धारक /निवेशक जिन्होंने अपना लाभांश वारंट/धन वापसी आदेशों की भुनाई नहीं की है, से अनुरोध है कि वे बैंक के चेन्नै स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष या बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास अंतरण के लिए नियम तारीख के पहले अपने अद्यतन बनाई गई ग्राहक मास्टर सूची/बैंक अधिदेश के साथ संपर्क करें ताकि लाभांश/ धन वापसी की राशि को उनके खाते में जमा की जा सकें।

एच) सेबी (आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोक) विनियमनों का अनुपालनः

उपर्युक्त विनियमनों के अनुपालन में बैंक ने अपनी प्रतिभूतियों में डीलिंग करनेवाले नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोक के लिए आचार संहिता बनाई है। इन विनियमनों की शर्तों की अपेक्षानुसार बैंक के नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म बनाए गए हैं। आगे, वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बैंक के शेयरों में डीलिंग करने के लिए नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया गया था :

ट्रेडिंग विंडो बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
29.04.2013 से 10.05.2013 तक	मार्च 31, 2013 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
19.07.2013 से 30.07.2013 तक	जून 30, 2013 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
29.10.2013 से 09.11.2013 तक	सितम्बर 30, 2013 को समाप्त तिमाही / छमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
08.01.2014 से 10.01.2014 तक	2013–14 वर्ष के लिए अन्तरिम लाभांश की घोषणा
14.01.2014 से 24.01.2014 तक	दिसम्बर 31, 2013 को समाप्त तिमाही / नौ महीनों के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा

आई) आचार संहिता :

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू आचार संहिता बनायी है तथा निदेशक मंडल ने दिनांक 29.03.2007 को आयोजित अपनी बैठक में इसे अपना लिया है तथा बाद में इसमें संशोधन किया गया है और निदेशक मण्डल ने 23 दिसम्बर 2008 को उसे अनुमोदित किया है और इसे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

घोषणा

बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता बना ली है तथा इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते इंडियन बैंक

स्थान : चेन्नै
दिनांक : मई 12 2014

टी एम भसीन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

The details of such Unpaid Dividend accounts of earlier years and the due date for transfer to IEPF are as under:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2014 (₹)	Due Date of Transfer to IEPF
1	Dividend 2006-07	6,61,086.00	August 2014
2	Dividend 2007-08	9,03,696.00	August 2015
3	Interim Dividend 2008-09	7,97,692.00	March 2016
4	Final Dividend 2008-09	9,32,151.00	August 2016
5	Interim Dividend 2009-10	7,75,397.50	March 2017
6	Final Dividend 2009-10	8,22,636.00	July 2017
7	Dividend 2010-11	13,32,480.00	August 2018
8	Dividend 2011-12	15,00,915.00	August 2019
9	Dividend 2012-13	15,95,715.00	August 2020
10	Interim Dividend 2013-14	12,20,856.00	February 2021

Apart from the above, an amount of ₹ 13.59 lacs pertaining to 111 investors is lying with the Bank in IPO (Initial Public Offer) Refund Order Account unclaimed.

Such of those shareholders / investors, who are yet to encash their Dividend Warrants / Refund Orders, are requested to approach Investor Services Cell of the Bank at its Corporate Office, Chennai or the Bank's Share Transfer Agent with their updated Client Master List / bank mandate before the due date(s) for transfer to enable the Bank to credit their bank accounts with the dividend / refund amounts.

h. Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations

In pursuance of the above Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details during the year 2013-14:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of Closure
From 29.04.2013 to 10.05.2013	Declaration of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2013.
From 19.07.2013 to 30.07.2013	Declaration of Financial Results for the quarter ended June 30, 2013.
From 29.10.2013 to 09.11.2013	Declaration of Financial Results for the quarter / half-year ended September 30, 2013.
From 08.01.2014 to 10.01.2014	Declaration of Interim dividend for the year 2013-14.
From 14.01.2014 to 24.01.2014	Declaration of Financial Results for the quarter / nine months ended December 31, 2013.

i. Code of Conduct

The Bank has framed the Code of Conduct applicable to Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board of Directors at its meeting held on March 29, 2007 and subsequently amended and approved by the Board of Directors on December 23, 2008 and the same has also been put on the Bank's website viz., www.indianbank.in.

Declaration

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the Code is posted on the website of the Bank.

The Board Members and Senior Management have affirmed compliance to the Code of Conduct.

For Indian Bank

Place: Chennai
Date : May 12, 2014

T M Bhasin
Chairman and Managing Director

लिस्टिंग करार के खण्ड 49 के अन्तर्गत सीईओ एवं सीएफ़ओ प्रमाण पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

प्रमाणित किया जाता है कि

(ए) हमने वर्ष 2013–14 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार

(i) इन विवरणों में कोई तात्विक रूप से अवास्तविक कथन नहीं हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गये हैं या भ्रमजनक विवरण नहीं हैं।

(ii) ये विवरण एकत्रित रूप से बैंक के कार्यकलापों का सच्चा एवं निष्पक्ष रूप दिखाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।

(बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखात्मक, गैर–कानूनी या बैंक की आचार संहिता के उल्लंघन में हों।

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और आंतरिक नियंत्रण के रूप या परिचालन में कमियाँ, यदि हों, जिन्हें हम जानते हैं तथा इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए कदम या प्रस्तावित कदम की रिपोर्ट हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को दे दी है।

(डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी है:

(i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और इनका प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में किया गया है, और

(iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि हो, की जानकारी।

(के श्रीनिवास राघवन)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(टी एम भसीन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : चेन्नै
दिनांक : मई 12, 2014

CEO & CFO Certificate under Clause 49 of the Listing Agreement

To
The Board of Directors
Indian Bank

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Bank for the year 2013-14 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's codes of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year.

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(K Srinivasa Raghavan)
General Manager & CFO

(T M Bhasin)
Chairman and Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : May 12, 2014

कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

इंडियन बैंक के सदस्य

हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कथित बैंक के लिस्टिंग करार के खण्ड 49 में अनुबद्ध कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाविधियों और उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी जांच सीमित थी। यह लेखापरीक्षा भी नहीं है और न ही यह बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत का प्रकटीकरण है।

हमारी राय में और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लिस्टिंग करार में अनुबद्ध कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है।

हम आगे कहते है कि ऐसा अनुपालन, न ही बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावोत्पादकता है।

कृते शार्प एण्ड टण्णन
For SHARP & TANNAN
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W

अश्विन बी चोपडा
ASHWIN B. CHOPRA
साझेदार Partner
(एम.सं.038159) (M. No.038159)

कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी
For BHATTACHARYA DAS & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E

ए के दास
A.K.DAS
साझेदार Partner
(एम.सं.011913) (M. No.011913)

कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E

नीरज पोद्दार
NIRAJ PODDAR
साझेदार Partner
(एम.सं.401067) (M. No.401067)

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S.P.PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N

विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम.सं.090163) (M. No.090163)

कृते सी के पृस्टी एण्ड एसोसियेट्स
For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E

सी के पृस्टी
C.K.PRUSTY
साझेदार Partner
(एम.सं.057318) (M. No.057318)

स्थान : चेन्नै
दिनांक: मई 12, 2014

AUDITOR'S CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by INDIAN BANK, for the year ended March 31, 2014 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of the Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For SHARP & TANNAN
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 109982W

ASHWIN B. CHOPRA
Partner
(M. No.038159)

For BHATTACHARYA DAS & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 307077E

A.K.DAS
Partner
(M. No. 011913)

For DEOKI BIJAY & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 313105E

NIRAJ PODDAR
Partner
(M. No.401067)

For S.P.PURI & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 001152N

VIDUR PURI
Partner
(M. No .090163)

For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm's Registration No.323220E

C.K.PRUSTY
Partner
(M. No. 057318)

Place : Chennai
Date : May 12, 2014

यह पृष्ठ जानबूझ कर खाली छोड़ा गया है

This page is intentionally left blank

तुलन पत्र,
लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ

BALANCE SHEET,
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2014

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
पूँजी व देयताएं **CAPITAL & LIABILITIES**			
पूंजी Capital	1	464 84 85	829 77 00
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	13406 18 96	11142 65 82
जमाएं Deposits	3	162274 81 93	141980 15 50
उधार Borrowings	4	4963 87 20	2862 56 01
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6216 97 15	6007 46 15
कुल **TOTAL**		**187326 70 09**	**162822 60 48**
आस्तियां **ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और अधिशेष Cash & Balances with R B I	6	7757 68 02	7064 24 35
बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	2732 85 94	2574 43 95
निवेश Investments	8	46910 41 64	41804 97 85
अग्रिम Advances	9	122208 98 58	105642 54 68
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	2932 18 20	1690 51 20
अन्य आस्तियां Other Assets	11	4784 57 71	4045 88 45
कुल **TOTAL**		**187326 70 09**	**162822 60 48**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	43885 41 72	36313 05 83
संग्रहण के लिए बिल Bills for Collection	-	2828 24 36	2980 42 05

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी एम भसीन
T M BHASIN
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

के श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
महा प्रबंधक
GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**

सुधा कृष्णन SUDHA KRISHNAN, डॉ सत्यन डेविड Dr. SATHYAN DAVID, दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT,**
पी वेंकट कृष्ण राव P VENKATA KRISHNA RAO, अमरजीत चोपडा AMARJIT CHOPRA, संजय माकन SANJAY MAKEN,
एम बुच्चि रामि रेड्डी M BUTCHI RAMI REDDY, चिंतामन महादेव दीक्षित **CHINTAMAN MAHADEO DIXIT**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते शार्प एण्ड टण्णन
For SHARP & TANNAN
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W
अश्विन बी चोपडा
ASHWIN B. CHOPRA
साझेदार Partner
(एम.सं.038159) (M. No.038159)

कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी
For BHATTACHARYA DAS & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E
ए के दास
A.K.DAS
साझेदार Partner
(एम.सं.011913) (M. No.011913)

कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
नीरज पोद्दार
NIRAJ PODDAR
साझेदार Partner
(एम.सं.401067) (M. No.401067)

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S.P.PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N
विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम.सं.090163) (M. No.090163)

कृते सी के पृस्टी एण्ड एसोसियेट्स
For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
सी के पृस्टी
C.K.PRUSTY
साझेदार Partner
(एम.सं.057318) (M. No.057318)

स्थान : Place : चेन्नै Chennai
दिनांक : Date : मई May 12, 2014

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2014 को Y E 31.03.2014	31.03.2013 को Y E 31.03.2013
I. आय : INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	15249 20 52	13897 42 85
अन्य आय Other Income	14	1371 68 40	1283 15 20
कुल **TOTAL**		**16620 88 92**	**15180 58 05**
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	10888 78 66	9368 37 42
परिचालनगत व्यय Operating expenses	16	2831 50 26	2750 86 08
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions & Contingencies	-	1741 65 50	1480 20 95
कुल **TOTAL**		**15461 94 42**	**13599 44 45**
III. लाभ /हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ /हानि Net Profit/Loss(-) for the year		1158 94 50	1581 13 60
अग्रानीत लाभ / हानि Profit/Loss(-) Brought forward		90 24 79	89 15 49
कुल **TOTAL**		**1249 19 29**	**1670 29 09**
IV. विनियोजन APPROPRIATIONS			
निम्नलिखित को अंतरित : **Transfer to :**			
सांविधिक प्रारक्षित निधि Statutory Reserves		290 00 00	396 00 00
पूँजी रिज़र्व Capital Reserves		2 36 08	29 48 56
धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserves u/s 36(1)(viii)		60 00 00	100 00 00
राजस्व रिज़र्व Revenue Reserves		510 00 00	665 00 00
स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund		20 00 00	15 00 00
ईक्विटी लाभांश Equity Dividend		207 95 53	283 64 82
अधिमान्य लाभांश Preference Dividend		26 20 33	36 50 00
लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		39 79 52	54 40 92
लाभ का शेष जो तुलन पत्र को अग्रानीत किया गया है Bal. carried over to Balance Sheet		92 87 83	90 24 79
कुल **TOTAL**		**1249 19 29**	**1670 29 09**
प्रति शेयर अर्जन ₹ में (आधारभूत और कम किया गया) Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		26.07	35.80

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी एम भसीन **T M BHASIN** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	बी राजकुमार **B RAJ KUMAR** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	महेश कुमार जैन **MAHESH KUMAR JAIN** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	के श्रीनिवास राघवन **K SRINIVASA RAGHAVAN** महा प्रबंधक GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**
सुधा कृष्णन SUDHA KRISHNAN, डॉ सत्यन डेविड Dr. SATHYAN DAVID, दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT,**
पी वेंकट कृष्ण राव P VENKATA KRISHNA RAO, अमरजीत चोपडा AMARJIT CHOPRA, संजय माकन SANJAY MAKEN,
एम बुच्चि रामि रेड्डी M BUTCHI RAMI REDDY, चिंतामन महादेव दीक्षित **CHINTAMAN MAHADEO DIXIT**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते शार्प एण्ड टण्णन **For SHARP & TANNAN** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W	कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी **For BHATTACHARYA DAS & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E	कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी **For DEOKI BIJAY & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
अश्विन बी चोपडा **ASHWIN B. CHOPRA** साझेदार Partner (एम.सं.038159) (M. No.038159)	ए के दास **A.K.DAS** साझेदार Partner (एम.सं.011913) (M. No.011913)	नीरज पोद्दार **NIRAJ PODDAR** साझेदार Partner (एम.सं.401067) (M. No.401067)

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी **For S.P.PURI & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N	कृते सी के प्रुस्टी एण्ड एसोसियेट्स **For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
विदुर पुरी **VIDUR PURI** साझेदार Partner (एम.सं.090163) (M. No.090163)	सी के प्रुस्टी **C.K.PRUSTY** साझेदार Partner (एम.सं.057318) (M. No.057318)

स्थान : Place : चेन्नै Chennai
दिनांक : Date : मई May 12, 2014

अनुसूची 1 – पूंजी
SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. प्राधिकृत पूँजी Authorised Capital		
प्रत्येक ₹ 10/– के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
प्रत्येक ₹100/– के 4,00,00,000 स्थायी गैर–संचयी अधिमान्य शेयर		
4,00,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) of Rs.100/- each	400 00 00	400 00 00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी **Issued, Subscribed and Paid up:**		
ईक्विटी शेयर **Equity Shares:**		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक ₹ 10/– के 37,88,98,488 ईक्विटी शेयर (जिसमें वर्ष के दौरान पीएनसीपीएस के अधिमान्य आधार पर परिवर्तित किए जाने पर जारी 3,50,78,488 ईक्विटी शेयर शामिल हैं) (पिछला वर्ष– प्रत्येक 10/– के 34,38,20,000 ईक्विटी शेयर		
a. 37,88,98,488 (including 3,50,78,488 Equity shares issued during the year upon conversion of PNCPS on preferential basis) Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y.-34,38,20,000 Equity shares of Rs. 10/- each)	378 89 85	343 82 00
बी. जनता द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/– के 8,59,50,000 ईक्विटी शेयर		
b. 8,59,50,000 Equity shares of Rs.10/- each held by Public	85 95 00	85 95 00
कुल **Total**	**464 84 85**	**429 77 00**
अधिमान्य शेयर **Preference Shares :**		
शून्य, वर्ष के दौरान पीएनसीपीएस को ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने पर (पिछला वर्ष भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 100/– के 4,00,00,000 – स्थायी गैर संचयी अधिमान्य शेयर)		
NIL upon conversion of PNCPS into Equity shares during the year. (P.Y : 400,00,000 - Perpetual Non Cumulative Preference Shares of Rs.100/- each held by Government of India)	0.00	400 00 00
कुल **TOTAL**	**464 84 85**	**829 77 00**

अनुसूची 2 – आरक्षितियां और अधिशेष

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I.	सांवधिक आरक्षितियां **STATUTORY RESERVES**		
	ए) अथशेष a. Opening Balance	3039 75 80	2643 75 80
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b. Additions during the year	290 00 00	396 00 00
	कुल TOTAL I	3329 75 80	3039 75 80
II.	पूँजीगत आरक्षितियां **CAPITAL RESERVES**		
A	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां Revaluation Reserve		
	ए) अथशेष a. Opening Balance	1133 58 84	1164 03 35
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b. Additions during the year	1247 06 00	0
	सी) वर्ष के दौरान कटौतियां c. Deductions during the year	45 19 07	30 44 51
	कुल (ए) **TOTAL (A)**	**2335 45 77**	**1133 58 84**
B	अन्य **Others**		
	ए) वर्ष के दौरान जोड a) Opening Balance	92 98 52	63 49 96
	बी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ b) Additions during the year	2 36 08	29 48 56
	कुल (बी) **TOTAL (B)**	**95 34 60**	**92 98 52**
	कुल II (ए.+ बी) **TOTAL II (A + B)**	**2430 80 37**	**1226 57 36**
III.	शेयर प्रीमियम **SHARE PREMIUM**		
	ए) अथशेष a) Opening Balance	696 19 50	696 19 50
	वर्ष के दौरान जोड़ b) Additions during the year	364 92 15	0
	कुल III **TOTAL III**	1061 11 65	696 19 50
IV.	राजस्व और अन्य आरक्षितियां **REVENUE AND OTHER RESERVES**		
	ए) राजस्व आरक्षितियां A) Revenue Reserve		
	अथशेष Opening Balance	5496 76 15	4821 90 47
	आइएफएमएल के विलयन के कारण वर्ष के दौरान जोड Additions during the year due to merger of IFML		9 85 68
	लाभ एवं हानि लेखे से अंतरित Tfrd from Profit & Loss a/c	510 00 00	665 00 00
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	168 25 05	0
	कुल (ए) **TOTAL (A)**	**5838 51 10**	**5496 76 15**
	(बी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(Viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	B) Special Reserve U/S 36(1)(viii) of IT Act		
	अथशेष Opening Balance	495 00 00	395 00 00
	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	60 00 00	100 00 00
	कुल (बी) **TOTAL (B)**	**555 00 00**	**495 00 00**
	(सी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(Viii a) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	C) Special Reserve U/S 36(1)(viii a) of IT Act		
	अथशेष Opening Balance	58 20 00	58 20 00
	डी) निवेश रिजर्व **D) Investment Reserve**		
	अथशेष Opening Balance	39 92 22	39 92 22
	वर्ष के दौरान जोड Additions during the year	0	0
	कुल (डी) **TOTAL (D)**	**39 92 22**	**39 92 22**
	कुल IV (ए + बी + सी + डी) **TOTAL IV (A + B + C + D)**	**6491 63 32**	**6089 88 37**
V.	लाभ एवं हानि खाता **PROFIT & LOSS ACCOUNT**		
	अथशेष Opening Balance	90 24 79	89 15 49
	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	2 63 03	1 09 30
	कुल V **TOTAL V**	**92 87 82**	**90 24 79**
	कुल (I + II + III + IV + V) **TOTAL (I+II+III+IV+V)**	**13406 18 96**	**11142 65 82**

अनुसूची 3 – जमाएँ
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
(अ) I. मांग जमाराशियां A. I. DEMAND DEPOSITS		
i. बैंकों से From Banks	50 08 44	48 09 40
ii. अन्यों से From Others	7109 81 44	6798 44 90
कुल TOTAL	7159 89 88	6846 54 30
II. बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS	36900 65 09	32340 34 78
III. सावधि जमाराशियां TERM DEPOSITS		
i. बैंकों से From Banks	4309 07 73	3592 67 46
ii. अन्यों से From Others	113905 19 23	99200 58 96
कुल TOTAL	118214 26 96	102793 26 42
कुल (I+II+III) TOTAL (I+II+III)	162274 81 93	141980 15 50
(आ) I. भारत में स्थित शाखाओं की जमाएं B. i) Deposits of branches in India	153516 84 63	134804 36 79
II. भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं Deposits of branches outside India	8757 97 30	7175 78 71
कुल TOTAL	162274 81 93	141980 15 50

अनुसूची 4 – उधार
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. भारत में उधार BORROWINGS IN INDIA		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	440 00 00	184 00 00
ii) अन्य बैंक Other Banks	90 71	1 27
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies *	3041 33 59	1191 55 99
कुल TOTAL	3482 24 30	1375 57 26
II. भारत के बाहर उधार ** BORROWINGS OUTSIDE INDIA **	1481 62 90	1486 98 75
कुल TOTAL (I+II)	4963 87 20	2862 56 01
ऊपर समाहित रक्षित उधार Secured Borrowings included above	NIL	NIL

* टियर II पूँजी – गौण ऋण ₹ 1090.10 करोड (पिछले वर्ष ₹1090.10 करोड़) को शामिल करते हुए * includes Tier II Capital - Subordinated debt of ₹1090.10 crore (P.Y. ₹1090.10 Cr)
** नास्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए ** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
i. संदेय बिल Bills Payable	795 26 00	814 93 78
ii. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustments(Net)	0	305 42 95
iii. प्रोद्भूत ब्याज Interest Accrued	954 03 53	903 97 26
iv. अन्य (प्रावधान सहित)* Others(including Provisions) *	4467 67 62	3983 12 16
कुल TOTAL	6216 97 15	6007 46 15

* ₹.753.73 करोड (पिछले वर्ष ₹.602.12 करोड़) की मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान शामिल हैं
* includes Contingent Provisions against Standard Assets of ₹753.73 cr. (P.Y - ₹602.12 Cr.)

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)	260 17 06	435 91 29
II.भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष Balances with Reserve Bank of India in Current Account	7497 50 96	6628 33 06
कुल (I + II) TOTAL (I+II)	7757 68 02	7064 24 35

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. भारत में IN INDIA		
i) बैंकों में शेष Balances with Banks		
ए. चालू खाते में a) in Current Account	13 91 18	25 36 52
बी. अन्य जमा खातों में b) in Other Deposit Accounts	275 98 84	275 89 74
कुल (i) TOTAL (i)	289 90 02	301 26 26
ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (बैंकों के साथ)		
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	0.00	1149 88 09
कुल (ii) TOTAL (ii)	0.00	1149 88 09
कुल (i + ii) TOTAL (i + ii)	**289 90 02**	**1451 14 35**
II. भारत के बाहर OUTSIDE INDIA		
i) चालू खातों में in Current Accounts	1194 11 33	1033 41 63
ii) अन्य जमा खातों में in other Deposit Accounts	1248 47 88	74 49 66
iii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Money at Call and Short Notice	36 71	15 38 31
कुल (i + ii + iii) TOTAL (i + ii + iii)	**2442 95 92**	**1123 29 60**
कुल योग GRAND TOTAL (I +II)	2732 85 94	2574 43 95

अनुसूची 8 – निवेश
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 As on 31.03.2014	31.03.2013 As on 31.03.2013
I. भारत में निवेश INVESTMENTS IN INDIA		
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	38052 84 31	31095 73 91
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved Securities	36 27 08	36 27 08
iii. शेयर Shares	424 57 07	410 89 71
iv. डिबेंचर और बॉंड Debentures and bonds	3529 65 80	1546 14 06
v. अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	37 49 62	39 68 30
vi. अन्य (म्यूचुअल फण्ड यूनिट) Others	2870 30 92	7005 08 81
कुल : **TOTAL**	**44951 14 80**	**40133 81 87**
II. भारत के बाहर निवेश **INVESTMENT OUTSIDE INDIA**		
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित)		
i) Government Securities (including local authorities)	1864 70 22	1586 37 97
ii. अन्य निवेश Other investments		
ए शेयर (a) Shares	1 42 83	2 79 38
बी ऋण प्रतिभूतियाँ (b) Debt Securities	93 13 79	81 98 63
कुल **TOTAL**	**1959 26 84**	**1671 15 98**
कुल योग **(I+II) GRAND TOTAL (I+II)**	**46910 41 64**	**41804 97 85**
III. भारत में सकल एवं निवल निवेश **GROSS AND NET INVESTMENTS IN INDIA**		
(i) सकल Gross	45676 13 43	40384 87 52
(ii) घटाएंःमूल्यह्रास के लिए प्रावधान Less:Provision for depreciation	724 98 63	251 05 65
(iii) निवल (ए) Net (A)	44951 14 80	40133 81 87
IV. भारत के बाहर **OUTSIDE INDIA**		
सकल मूल्य/निवल मूल्य (बी) Gross Value / Net Value (B)	1959 26 84	1671 15 98
निवल कुल योग (ए) + (बी) **NET GRAND TOTAL (A+B)**	**46910 41 64**	**41804 97 85**

अनुसूची 9 – अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
i) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल Bills purchased and discounted	2760 65 61	1985 87 80
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ़्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार		
ii) Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	58203 66 64	45382 93 18
iii. सावधि उधार Term Loans	61244 66 33	58273 73 70
कुल TOTAL	**122208 98 58**	**105642 54 68**
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)		
i) Secured by tangible assets (includes advance against bookdebts)	92801 55 47	81489 33 23
ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by bank/Government guarantee	7423 54 75	7935 47 23
iii) अप्रतिभूत Unsecured	21983 88 36	16217 74 22
कुल TOTAL	**122208 98 58**	**105642 54 68**
I भारत में अग्रिम ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	40826 68 34	36103 32 28
ii. सरकारी क्षेत्र Public Sector	22693 83 27	18555 99 29
iii. बैंक Banks		
iv. अन्य Others	51336 04 92	45046 22 16
कुल TOTAL	**114856 56 53**	**99705 53 73**
II. भारत के बाहर अग्रिम ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i) बैंकों से प्राप्य राशियाँ Dues from Banks	467 57 96	413 72 88
ii) अन्यों से प्राप्य राशियाँ Dues from others		
क) क्रय किये गए और भुनाये गए बिल a) Bills Purchased and discounted	1807 71 32	993 15 71
ख) सामूहिक ऋण b) Syndicated loans	2977 75 21	2500 30 12
ग) अन्य c) Others	2099 37 56	2029 82 24
कुल TOTAL	**7352 42 05**	**5937 00 95**
कुल योग (1+2) GRAND TOTAL (I+II)	**122208 98 58**	**105642 54 68**

अनुसूची 10 – स्थाई आस्तियाँ
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I.	परिसर **PREMISES**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर		
	At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	1589 81 34	1546 57 10
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions/Adjustments during the year	1251 39 14	43 24 88
		2841 20 48	1589 81 98
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	0	65
		2841 20 48	1589 81 33
	अद्यतन मूल्य ह्रास Depreciation to date	324 17 41	272 93 87
	कुल TOTAL	**2517 03 07**	**1316 87 46**
	II. निर्माणाधीन भवन II. BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	**2 78 31**	**52 31**
III.	अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)		
	OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	1120 14 93	989 32 03
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions/Adjustments during the year	150 83 04	155 02 81
		1270 97 97	1144 34 84
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	28 84 90	24 19 90
		1242 13 07	1120 14 94
	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	829 76 25	747 03 51
	कुल TOTAL	**412 36 82**	**373 11 43**
	कुल (I+II+III) TOTAL (I+II+III)	**2932 18 20**	**1690 51 20**

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)		
I. Inter Office Adjustment (net)	450 56 98	0.00
II प्रोद्भूत ब्याज Interest Accrued	844 21 50	706 93 06
III प्रदत्त अग्रिम कर / स्रोत पर काटा गया कर		
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	1984 28 79	1439 43 24
IV लेखन सामग्री और स्टाम्प Stationery and Stamps	16 13 63	15 07 18
V दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गयी गैर–बैंककारी आस्तियां		
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	21 40 59	21 40 59
VI अन्य Others	1467 96 22	1863 04 38
कुल **TOTAL**	**4784 57 71**	**4045 88 45**

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	669 39 40	637 51 19
II अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता		
II. Liability for partly paid investments	30 02 66	31 84 63
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता		
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	27809 38 88	20434 51 28
IV संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां		
IV. Guarantee given on behalf of constituents		
ए. भारत में a) In India	10145 30 30	10329 10 99
बी. भारत के बाहर b) Outside India	80 74 13	133 77 67
V स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं		
V. Acceptance, Endorsements and other obligations	3675 53 94	3363 42 63
VI अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
VI. Other items for which the bank is contingently liable	1475 02 41	1382 87 44
कुल **TOTAL**	**43885 41 72**	**36313 05 83**

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को Y E 31.03.2014	31.03.2013 को Y E 31.03.2013
I अग्रिमों / विनिमय पत्रों पर ब्याज / बट्टा राशि Interest/Discount on Advances/Bills	11417 13 30	10583 55 65
II निवेशों पर आय Income on Investments	3728 12 99	3238 18 47
III भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज		
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	103 94 23	75 68 73
IV अन्य Others	0	0
कुल TOTAL	**15249 20 52**	**13897 42 85**

अनुसूची 14 – अन्य आय

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को Y E 31.03.2014	31.03.2013 को Y E 31.03.2013
I. कमीशन, विनिमय और दलाली		
I. Commission, Exchange and Brokerage	259 10 47	257 00 95
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Investments	381 29 60	217 77 49
घटाएँ : निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments	3 91 90	4 70 11
निवल Net	377 37 70	213 07 38
III. निवेशों के पुनर्मूल्याँकन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	0	0
घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	0	0
निवल Net	0	0
IV भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ *		
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets *	97 67	72 14
घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि *		
Less: Loss on Sale of Land, Bldgs. & Other Assets *	3 22 01	8 85 51
निवल Net	-2 24 34	-8 13 37
V विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)		
V. Profit on exchange transactions (Net)	154 57 85	88 45 49
VI विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय		
VI. Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint ventures abroad/in India	**14 68 32**	**11 96 94**
VII. विविध आय Miscellaneous Income	568 18 40	720 77 82
कुल **TOTAL**	**1371 68 40**	**1283 15 21**

* यह राशि सेफ, फॅर्नीचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित है Amount relates to Safe, Furniture, Vehicle and Machinery

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को Y E 31.03.2014	31.03.2013 को Y E 31.03.2013
I जमाओं पर ब्याज Interest on deposits	10618 55 26	9022 57 51
II भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज		
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	255 60 00	334 41 60
III. अन्य Others	14 63 40	11 38 31
कुल **TOTAL**	**10888 78 66**	**9368 37 42**

अनुसूची 16 परिचालन व्यय
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS			31.03.2014 को Y E 31.03.2014	31.03.2013 को Y E 31.03.2013
I कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान				
I. Payments to and provisions for employees			1926 79 18	1973 88 92
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था Rent, Taxes and Lighting			202 10 64	174 45 61
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and Stationery			25 10 78	22 39 50
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and Publicity			9 19 06	8 33 66
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	**31 03 14**	**31 03 13**		
V. Depreciation on Bank's property	1359690	1213807	104 56 82	90 93 56
घटाएँ : पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अंतरित				
Less: Transferred from Revaluation Reserve	314008	304451	**1045682**	**909356**
	1045682	**909356**		
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय				
VI. Directors' fees allowance and expenses			77 62	88 70
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)				
VII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)			26 41 49	19 17 91
VIII विधि प्रभार Law Charges			8 92 04	6 06 84
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams and Telephones			15 41 46	13 51 59
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance			64 89 53	59 34 47
XI. बीमा Insurance			125 57 54	111 01 63
XII. अन्य व्यय Other Expenditure			321 74 10	270 83 69
कुल **TOTAL**			**2831 50 26**	**2750 86 08**

अनुसूची 17 – मुख्य लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण की परंपरा :

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत प्रथा पर निरंतर कारोबारवाले संस्थान की संकल्पना का पालन करते हुए तैयार किए जाते हैं तथा ये भारतीय शाखाओं के संबंध में भारत में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के समनुरूप हैं तथा विदेशों में स्थित शाखाओं के संबंध में अन्यथा न बताये जाने पर उस देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के समनुरूप हैं।

2. लेनदेन जिनमें विदेशी विनिमय शामिल हैं

भारत में किए गए परिचालन और गैर–समाकालित विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखाकरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया गया है।

2.1. भारत में किए गए परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

1. विदेशी विनिमय लेनदेनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ेडाई) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यूएआर) पर दर्ज किया गया है।
2. विदेशी मुद्रा आस्ति एवं देयताओं को वर्ष की समाप्ति पर फ़ेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर परिवर्तित किया गया है।
3. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य वचनबद्धताओं और गारंटियों को फ़ेडाई द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित समापन दरों पर परिवर्तित किया गया है।
4. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से होनेवाले विनिमय अंतरों को, उनके घटित होने की अवधि के दौरान आय अथवा व्यय माना जाएगा।
5. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को संविदात्मक दरों पर प्रकट किया जाता है और फ़ेडाई की समापन दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है और परिणामी प्रभाव को लाभ व हानि लेखे के ज़रिए पहचाना जाता है।

2.2. गैर समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं को गैर–समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है :

1. आकस्मिक देयाताओं को शामिल करते हुए, आस्ति एवं देयताओं को वर्ष की समाप्ति पर फ़ेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
2. आय एवं व्यय को फ़ेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।
3. निवल निवेशों के निपटान तक, सभी परिणामी विनिमय अंतरों को ''विनिमय उतार–चढ़ाव निधि'' नामक पृथक खाते में संचित कर रखा जाता है।

3. निवेश

3.1 बैंक के संपूर्ण निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिपक्वता के लिए रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''एचटीएम'' प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्प अवधि के मूल्य / ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''एचएफटी'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ, जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, ''एएफएस'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश को उसे खरीदते/अर्जन करते समय परिपक्वता के लिए रखे गये, बिक्री हेतु उपलब्ध या व्यापार के लिए रखे गये वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार परवर्ती अंतरण किया जाता है। स्क्रीप्स का अंतरण, अगर कुछ हों तो अंतरण की तारीख पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में उसके अर्जन करने की लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इसमें जो भी कम हो, उसपर किया जाता है तथा मूल्यह्रास अगर कुछ हों तो ऐसे अंतरण के लिए प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों तथा सहयोगियों में निवेश ''परिपक्वता के लिए रखे गये'' वर्ग में वर्गीकृत किये गये हैं।

3.2 एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (करों और सांविधिक प्रारक्षित निधियों में अंतरित करने के लिए अपेक्षित धनराशियों को घटाने के बाद निवल) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है :

3.3 भारत में निवेश का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) ''एचटीएम'' प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामले में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की बकाया अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों/सहभागियों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08. 2006 के बाद जोखिम पूँजी निधियों के यूनिटों (वीसीएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनके मूल्य लागत पर लिया जाता है।

बी) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में किये गये निवेश ऐतिहासिक लागत पर लिये जाते हैं। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में निवेश रखाव लागत पर किया जाता है (यथाः बही मूल्य)

सी) ''एएफएस'' प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India unless otherwise stated and in respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

2.1 Translation in respect of Indian operations

1. Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).
2. Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
3. Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
4. Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
5. Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

2.2 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

1. Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
2. Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
3. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Exchange Fluctuation Fund" till the disposal of the net investments.

3. INVESTMENTS

3.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under **"HTM"** category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short–term price / interest movements are classified as **"HFT".** All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under **"AFS"** category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

3.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

3.3 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in **HTM** category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in **AFS** category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of

जाती हे। इस प्रवर्ग में बाज़ार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) ''एचएफ़टी'' प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक स्क्रिपों को दैनिक अंतराल पर बाज़ार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बाज़ार में अंकित कर देने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियाँ, जो इस प्रवर्ग में है, के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) ''एएफएस'' एवं ''एचएफटी'' प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया जाता है :

i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन संयुक्त रूप से प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्ज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्यों / परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर किया जाता है।

ii) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन पीडीएआई / एफ़आईएमएमडीए द्वारा निकाली गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफ़ल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए वाईटीएम पद्धति का अनुप्रयोग करते हुए किया जाता है।

iii) कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि हो, पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

iv) कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, पर किया जाता है।

v) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

vi) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागज़ातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

vii) कोट होने पर म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक–इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीद मूल्य / बाज़ार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक लागत पर किया जाता है।

viii) विदेशी शाखाओं द्वारा किए गए निवेशों का मूल्यांकन संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति के अनुसार होता है। संवितरण की तारीख से तीन वर्ष के बाद, इसका एएफएस में अंतरण किया जाएगा तथा भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार बाजार को अंकित किया जाता है।

3.4 ओवरसीज़ शाखाओं में निवेश के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबान देशों के दिशानिर्देश जो भी सरव्त हो, उसका पालन किया जाएगा। जहाँ देश में कोई भी दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट हो, उन देशों में कार्यरत शाखाओं के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

3.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशानुसार गैर–निष्पादित निवेश (एनपीआई) को निम्नप्रकार पहचान की जाती है।

ए) प्रतिभूतियाँ / गैर – संचयी अधिमान्य शेयर जिसमें ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता राशि को सम्मिलित कर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय का भुगतान नहीं किया गया है।

बी) अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा कोई ऋण सुविधा उपलब्ध की गई है तो वह गैर–निष्पादित अग्रिम माना जाएगा, उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किये गये किसी भी प्रतिभूति में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा।

3.6 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली / कमीशन / अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली / कमीशन / स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

3.7 व्यापार के लिए ब्याज दरों की अदला–बदली के लेनदेनों को तिमाही अंतरालों में बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों के समाप्त किए जाने पर प्राप्त / प्राप्य या प्रदत्त / प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियाँ, यदि हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

3.8 विनिमय में व्यापार किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न अर्थात् मुद्रा वायदे, विनिमय निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ व हानि लेखा में दर्शाया जाता है।

3.9 एफसीएनआर (बी) डालर जमाओं के लिए भारिबैंक की वायदा विनिमय अदला बदली सुविधा से मिलने वाले प्रीमियम / ब्याज को अदला – बदली संविदा अवधि में व्यय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

3.10 केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित निवेश हालांकि अतिदेय हैं, को केवल तभी गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) माना जाएगा जब गारंटी का आह्वान करने पर सरकार गारंटी को अस्वीकार करती है।

3.11 राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, जिसमें ''मानित अग्रिमों'' की प्रकृतिवाले निवेश भी शामिल हैं, का आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है, जब ब्याज / मूलधन की किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों सहित) अथवा बैंक को देय कोई अन्य राशि का 90 से अधिक दिनों तक भुगतान नहीं होता है।

4. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियां (एआरसी)

4.1 आस्ति पुनर्निमाण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

4.2 अगर बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा बही मूल्य से घटाएँ रखे गये प्रावधान) तो भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि लेखे में नामे डाला जाएगा या रखी गयी अस्थायी प्रावधान से इसका उपयोग किया जाएगा।

the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scrips in the **HFT** category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

e) Securities in **AFS and HFT** categories are valued as under:

i. Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

ii. State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.

iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.

iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.

v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.

viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

3.4 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

3.5 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance, investment in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI.

3.6 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

3.7 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.

3.8 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

3.9 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

3.10 Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.

3.11 Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

4. FINANCIAL ASSETS SOLD TO ASSET RECOVERY COMPANIES (ARC)

4.1 Security Receipts (SR) issued by ARCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at Net Asset Value declared by ARCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

4.2 If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shorfall will be debited to the Profit and Loss account or will be met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines

अगर बिक्री, निवल बही मूल्य से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्राप्त होनेवाली राशि के संबंध में लाभ व हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

5. अग्रिम

5.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता के आधार पर मानक, अव–मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्न प्रकार से प्रावधान किए जाते हैं :

ए) अवमानक संवर्ग – 25 प्रतिशत – जमानती और गैर जमानती दोनों के लिए

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1

i) 01.07.2011 के पहले वर्गीकृत और/या श्रेणीबद्ध जमानती और गैर जमानती के लिए – 100 प्रतिशत

ii) 30.06.2011 के पहले वर्गीकृत और / या श्रेणीबद्ध जमानती के लिए – 25 प्रतिशत

iii) गैर जमानती भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2

i) 01.07.2011 के पहले वर्गीकृत और/या श्रेणीबद्ध जमानती और गैर जमानती के लिए – 100 प्रतिशत

ii) 30.06.2011 के पहले वर्गीकृत और / या श्रेणीबद्ध जमानती – 40 प्रतिशत

iii) गैर जमानती भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध संवर्ग – 3 और हानिपूरक अग्रिम – 100 प्रतिशत

5.3 पुनर्गठित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

5.4. विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय–निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के समुद्रपार बही में किसी भी समय गैर– निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित / बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान रखा जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलित कर) उनके अन्य ऋण एक्स्पोजर की आस्ति वर्गीकरण संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

5.5 प्रकट किये गए अग्रिम, गैर–निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी / सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण–पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान को घटाने के बाद निवल हैं।

6. अचल आस्तियाँ / मूल्यह्रास

6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों का हिसाब उनकी परंपरागत लागत / पुनर्मूल्यांकित राशि के आधार पर लगाया गया है।

6.2. भारत में भवन (जहाँ कहीं अलग नहीं की जा सकती है / अलग नहीं की गई, जमीन की लागत सहित) तथा अन्य अचल आस्तियों (6.3 से 6.5 तक की मदों को छोडकर) पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार और ''पुनर्मूल्यांकित आस्तियों'' के मामले में बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर सीधी कटौती प्रणाली से किया गया है। पुनर्मूल्यन के घटक से संबंधित मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यन रिज़र्व के विरुद्ध प्रभारित किया गया है।

6.3 कम्प्यूटरों (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रणालियों पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) पर 33.33 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर की जाती है।

6.4 मोटर कार पर मूल्यह्रास की दर, सीधी रेखा पद्धति पर 20 प्रतिशत है।

6.5 सभी सेल फोन और रु.5,000/– तक की लघु मूल्यवाली मदों के लिए मूल्यह्रास हेतु 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाता है।

6.6 30 सितंबर को या उसके पहले अर्जित स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास, निर्धारित दरों के 100 प्रतिशत पर और उसके बाद अर्जित आस्तियों के लिए 50 प्रतिशत पर प्रभारित किया जाता है। बिक्री/निपटान वर्ष में अचल आस्तियों के लिए कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता है।

6.7 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अर्जन के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

6.8 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

6.9 गैर–बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

7. राजस्व पहचान

7.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

7.2 गैर–निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर), बैंकएश्यूरेन्स उत्पादों पर कमीशन, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय प्रभार, लॉकर किराया, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर आय आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है।

7.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलाईजेशन की तारीख तक माना गया है।

8. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार प्वाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

9. निवल लाभ / हानि

लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् है :

If the sale is for value higher than the Net Book Value,the excess provision will be reversed to the Profit & Loss Account in the year the amounts are received

5 ADVANCES

5.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets borrower-wise,

5.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Substandard category – 25 % both secured and unsecured category

b) Doubtful category-1

i) 100 % for secured and unsecured classified and / or categorized before 01.07.2011.

ii) 25 % for secured classified and / or categorized after 30.06.2011

iii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

i) 100 % for secured and unsecured classified and / or categorized before 01.07.2011

ii) 40 % for secured classified and / or categorized after 30.06.2011

iii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

5.3 Provision is made for standard advances including restructured standard advances as per RBI directives.

5.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further,if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However,accounts classified as Non-performing/Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

5.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates , usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets..

6. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

6.1. Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at revalued amount in respect of assets revalued.

6.2. Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets (excluding items referred in 6.3 to 6.5) in India is provided for on the straight-line method at rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 and at the Bank determined rates based on Residual Life in the case of 'Revalued Assets'. Depreciation relatable to revalued component is charged against revaluation reserve.

6.3. Depreciation on computers (hardware and software) and Uninterrupted Power Supply Systems (UPS) is provided at the rate of 33.33% per annum on Straight Line Method (SLM).

6.4. The rate of depreciation on motor car is 20 % on straight line method.

6.5. 100% depreciation is provided on all cell phones and on small value items costing upto Rs.5000/- .

6.6. Depreciation on fixed assets acquired on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired thereafter. No depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal.

6.7. Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

6.8. Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.

6.9. In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

7. REVENUE RECOGNITION

7.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

7.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, locker rent, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, etc. are accounted for on realisation.

7.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

8. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

9. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा / और अन्य आवश्यक प्रावधान

10 स्टाफ को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होनेवाले लाभ

10.1 पेंशन निधि व ग्रेच्युटि निधि में वार्षिक अंशदानों का निर्धारण एवं प्रावधान किया जाता है :

i) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, और

ii) विदेशी शाखाओं के संबंध में वहां के स्थानीय कानूनों के अनुसार किया जाता है।

10.2 स्टाफ सदस्यों के लिए छुट्टी की भुनाई का लाभ, बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।

10.3 कर्मचारी लाभ से संबंधित ट्रान्सिशनल देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है व आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखाकरण मानक 15 (एएस–15) –''कर्मचारी लाभों'' के संबंध में पांच वर्षों की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाता है।

10.4 विद्यमान कर्मचारियों के लिए पेंशन (द्वितीय विकल्प) और उपदान के संबंध में निर्धारित देयता को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पांच वर्षों की अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है।

11. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान

11.1 आकस्मिक देयता : पहले किए गए क्रियाकलापों को जिनसे वर्तमान में संभाव्य बाध्यताएं हो सकती है, निम्न दशाओं में आकस्मिक देयता के रूप में पहचाना जाता हैं, जहां :

ए) ऐसी बाध्यताओं का अस्तित्व पुष्टिकृत नहीं किया गया है।

बी) ऐसी बाध्यताओं के निपटारे के लिए संसाधनों का बाहरी प्रवाह अपेक्षित नहीं है।

सी) बाध्यताओं की राशि का एक विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है।

डी) ऐसी राशियाँ भौतिक नहीं हैं।

11.2 ए) वर्तमान बाध्यताओं के मामले में जहाँ विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और/या जहाँ हल्के दावों को छोडकर बाध्यताओं का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का त्याग करते हुए संसाधनों का बाहरी प्रवाह होने की संभावना है।

बी) बाजार जोखिमों, देशी जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

सी) फ़्लोटिंग प्रावधान आवश्यकताओं की अभिपहचान बैंक प्रबंधन द्वारा की जाती है और प्रावधान किया जाता है।

भारिबैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी प्रावधान का उपयोग निम्न मदों के लिए किया जा सकता है।

i) गैर–निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान रखना

ii) गैर–निष्पादित आस्तियों में बिक्री में होनेवाली कमी का प्रबंधन करना

12. आस्तियों में हानि

आस्तियों की हानि यदि हो, की पहचान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा इस संबंध में जारी लेखाकरण मानक 28 के अनुरूप की जाती है।

13. आय पर कर

13.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

13.2. वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों पर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फ़ैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

13.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं और जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन–पत्र की तिथि तक तैयार अथवा बाद में तैयार कर दरों एवं कर नियमों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान तब तक नहीं की जाती जब तक ''वर्चुअल निश्चितता'' नहीं हो जाती कि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ उगाही जाएंगी।

टी एम भसीन **T M BHASIN** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	बी राजकुमार **B RAJ KUMAR** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	महेश कुमार जैन **MAHESH KUMAR JAIN** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	के श्रीनिवास राघवन **K SRINIVASA RAGHAVAN** महा प्रबंधक GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**

सुधा कृष्णन SUDHA KRISHNAN, डॉ सत्यन डेविड Dr. SATHYAN DAVID, दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT,**
पी वेंकट कृष्णा राव P VENKATA KRISHNA RAO, अमरजीत चोपडा AMARJIT CHOPRA, संजय माकन SANJAY MAKEN,
एम बुच्चि रामि रेड्डी M BUTCHI RAMI REDDY, चिंतामन महादेव दीक्षित **CHINTAMAN MAHADEO DIXIT**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते शार्प एण्ड टण्णन **For SHARP & TANNAN** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W	कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी **For BHATTACHARYA DAS & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E	कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी **For DEOKI BIJAY & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
अश्विन बी चोपडा **ASHWIN B. CHOPRA** साझेदार Partner (एम.सं.038159) (M. No.038159)	ए के दास **A.K.DAS** साझेदार Partner (एम.सं.011913) (M. No.011913)	नीरज पोद्दार **NIRAJ PODDAR** साझेदार Partner (एम.सं.401067) (M. No.401067)

	कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी **For S.P.PURI & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N	कृते सी के पृस्टी एण्ड एसोसियेट्स **For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
स्थान : Place : चेन्नै Chennai दिनांक : Date : मई May 12, 2014	विदुर पुरी **VIDUR PURI** साझेदार Partner (एम.सं.090163) (M. No.090163)	सी के पृस्टी **C.K.PRUSTY** साझेदार Partner (एम.सं.057318) (M. No.057318)

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Usual or/and other necessary provisions

10. STAFF RETIREMENT BENEFITS

10.1 Annual contributions to Pension Fund and Gratuity Fund are determined and provided for:

(i) on the basis of actuarial valuation and

(ii) as per the local laws in respect of foreign branches.

10.2 Leave encashment benefit for employees is accounted for on actuarial basis.

10.3 Transitional liability relating to employee benefits determined as per actuarial valuation is written- off over a period of five years in terms of Revised Accounting Standard 15 (AS -15) - "Employee Benefits", issued by ICAI.

10.4 Liability determined in respect of pension (second option) for existing employees and gratuity is amortised equally over a period of five years in accordance with RBI Guidelines.

11. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

11.1 Contingent liability : Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where :

(a) The existence of such obligations has not been confirmed

(b) no outflow of resources are required to settle such obligations

(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made

(d) such amounts are not material

11.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for. Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

i) Making specific provisions for non-performing assets;

(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

12. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, are recognised in accordance with the Accounting Standard 28 issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

13. TAXES ON INCOME

13.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

13.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

13.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

टी एम भसीन
T M BHASIN
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

के श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
महा प्रबंधक
GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**

सुधा कृष्णन SUDHA KRISHNAN, डॉ सत्यन डेविड Dr. SATHYAN DAVID, दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT,**
पी वेंकट कृष्ण राव P VENKATA KRISHNA RAO, अमरजीत चोपडा AMARJIT CHOPRA, संजय माकन SANJAY MAKEN,
एम बुच्चि रामि रेड्डी M BUTCHI RAMI REDDY, चिंतामन महादेव दीक्षित **CHINTAMAN MAHADEO DIXIT**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते शार्प एण्ड टण्णन
For SHARP & TANNAN
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W
अश्विन बी चोपडा
ASHWIN B. CHOPRA
साझेदार Partner
(एम.सं.038159) (M. No.038159)

कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी
For BHATTACHARYA DAS & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E
ए के दास
A.K.DAS
साझेदार Partner
(एम.सं.011913) (M. No.011913)

कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
नीरज पोद्दार
NIRAJ PODDAR
साझेदार Partner
(एम.सं.401067) (M. No.401067)

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S.P.PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N
विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम.सं.090163) (M. No.090163)

कृते सी के पृस्टी एण्ड एसोसियेट्स
For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
सी के पृस्टी
C.K.PRUSTY
साझेदार Partner
(एम.सं.057318) (M. No.057318)

स्थान : Place : चेन्नै Chennai
दिनांक : Date : मई May 12, 2014

अनुसूची 18 – लेखों पर टिप्पणियाँ

1. पूँजी

	मदें	31.03.2014	31.03.2013
i)	सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी अनुपात (%)	10.24	लागू नहीं
ii)	सीआरएआर (%)		
	बेसल II	13.10	13.08
	बेसल III	12.64	लागू नहीं
iii)	सीआरएआर – टियर I पूँजी (%)		
	बेसल II	10.51	10.88
	बेसल III	10.24	लागू नहीं
iv)	सीआरएआर – टियर II पूँजी (%)		
	बेसल II	2.59	2.20
	बेसल III	2.40	लागू नहीं
v)	भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	81.51	80.00
vi)	जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि	शून्य	शून्य
vii)	टियर II पूँजी के रूप में प्राप्त गौण ऋण की राशि	शून्य	शून्य
viii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर I पूँजी की राशि, जिसमें पीएनसीपीएस : पीडीआई :	शून्य	शून्य
ix)	जुटाई गई टियर II पूँजी की राशि, जिसमें ऋण पूँजी लिखत अधिमान शेयर पूँजी लिखतें : [शाश्वत संचयी अधिमान्य शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान्य शेयर (आरएनसीपीएस) / प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आरसीपीएस)]	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान, दिनांक 06.01.2014 को भारत सरकार के अनुमोदन संसूचना के आधार पर भारत सरकार द्वारा रखे गये ₹ 400 करोड़ के सम्पूर्ण शाश्वत गैर संचयी अधिमान्य शेयर (पीएनसीपीएस) को 3,50,78,488 ईक्विटी शेयर के रूप में, जिसका प्रत्येक शेयर का मूल्य ₹ 10/– है, को प्रत्येक शेयर को ₹ 114.03 के संपरिवर्तन कीमत पर (₹ 104.03 के प्रीमियम के साथ) परिवर्तित किया गया है और भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर जारी किया गया है। फलस्वरूप भारत सरकार के बैंक की ईक्विटी पूँजी में धारित राशि 80 प्रतिशत से 81.51 प्रतिशत बढ़ गई है।

2. निवेश

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के देशी निवेश संविभाग को तीन संवर्गों में बाँट दिया गया है। 31.03.2014 को यह वर्गीकरण निम्न प्रकार है :

₹ करोड़ में

वर्गीकरण	31/03/2014		31/03/2013	
	राशि	%	राशि	%
परिपक्वता के लिए रखे गए – एच टी एम*	33481.88	73.30	24005.34	59.44
बिक्री के लिए उपलब्ध – एएफएस	11953.35	26.17	16047.61	39.74
व्यापार के लिए रखे गए – एचएफटी	240.90	0.53	331.92	0.82
कुल योग	45676.13	100.00	40384.87	100.00

*निवल मांग और सावधि देयताओं के प्रतिशत के रूप में देशी एचटीएम प्रतिभूतियां 24.50 प्रतिशत के अधिकतम निर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध 23.54 प्रतिशत है। (पिछले वर्ष के लिए 25 प्रतिशत के अधिकतम निर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध 20.19 प्रतिशत है)

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. CAPITAL

	Items	31.03.2014	31.03.2013
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	10.24	NA
ii)	CRAR (%)		
	Basel II	13.10	13.08
	Basel III	12.64	NA
iii)	CRAR - Tier I Capital (%)		
	Basel II	10.51	10.88
	Basel III	10.24	NA
iv)	CRAR - Tier II Capital (%)		
	Basel II	2.59	2.20
	Basel III	2.40	NA
v)	Percentage of the Shareholding of the Government of India	81.51	80.00
vi)	Amount of equity capital raised	NIL	NIL
vii)	Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital	NIL	NIL
viii)	Amount Additional Tier 1 capital raised; of which PNCPS: PDI:	NIL	NIL
ix)	Amount of Tier 2 capital raised ; of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments:[Perpetual Cumulative Preference Shares(PCPS)/Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS)/Redeemable Cumulative Preference Shares(RCPS)]	NIL	NIL

During the year, pursuant to Government of India approval communication dated 06.01.2014, the entire Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) of ₹ 400 crores held by Government of India has been converted into 3,50,78,488 equity shares of ₹10/- each at a conversion price of ₹114.03 (including a premium of ₹104.03) per share and issued to Government of India, on preferential basis. Consequently, the Government of India's holding in Bank's equity capital has increased from 80% to 81.51%.

2. INVESTMENTS

2.1. In accordance with the RBI guidelines, the Bank's domestic investment portfolio has been classified into three categories. The figures as at 31.03.2014 are given hereunder:

₹ in Crore

Classification	31/03/2014		31/03/2013	
	Amount	%	Amount	%
Held to Maturity -HTM *	33481.88	73.30	24005.34	59.44
Available for Sale – AFS	11953.35	26.17	16047.61	39.74
Held for Trading – HFT	240.90	0.53	331.92	0.82
Gross Total	45676.13	100.00	40384.87	100.00

*Domestic HTM securities as a percentage of Net Demand and Time Liabilities works out to 23.52% as against a stipulated maximum level of 24.50% (Previous Year works out to 20.19% as against a stipulated maximum level of 25%)

2.2 निवेश

₹ करोड़ में

	Items	2013-14	2012-13
(1)	निवेशों का मूल्य (i) निवेशों का सकल मूल्य (ए) भारत में	45676.13	40384.87
	(बी) भारत के बाहर	1959.27	1671.16
	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	(ए) भारत में	228.81	251.05
	(बी) भारत के बाहर	92.35	78.36
	(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
	(ए) भारत में	45447.32	40133.82
	(बी) भारत के बाहर	1866.92	1592.80
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए बनाए गए प्रावधानों में वृद्धि/कमी		
	(i) अथशेष	**232.90**	**213.61**
	(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	271.84	23.17
	(iii) घटाएँ : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गये /अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	275.92	3.88
	(iv) अंतिम शेष	228.82	232.90

2.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्यों में)

₹ करोड़ में

प्रकार	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2014 को बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	660.00	65.38	0.00
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	600.00	39.64	0.00
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2. Investments

₹ in Crore

	Items	2013-14	2012-13
(1)	Value of Investments (i) Gross value of investments (a) In India	45676.13	40384.87
	(b) Outside India	1959.27	1671.16
	(ii) Provisions for Depreciation		
	(a) In India	228.81	251.05
	(b) Outside India	92.35	78.36
	(iii) Net value of Investments		
	(a) In India	45447.32	40133.82
	(b) Outside India	1866.92	1592.80
(2)	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(i) Opening Balance	**232.90**	**213.61**
	(ii) Add: Provisions made during the year	271.84	23.17
	(iii) Less: Write-off/ Write back of excess provisions during the year	275.92	3.88
	(iv) Closing Balance	228.82	232.90

2.2.1 REPO Transactions (in face value terms):

₹ in Crore

Type	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2014
Securities sold under repo				
i. Government securities	0.00	660.00	65.38	0.00
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repo				
i. Government securities	0.00	600.00	39.64	0.00
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2 गैर एसएलआर निवेश संविभाग

(i) दिनांक 31.03.2014 तक गैर–एसएलआर निवेशों पर जारीकर्ता घटक

₹ करोड़ में

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की सीमा	निवेश स्तर से निम्न वर्ग की प्रतिभूतियों की मात्रा	दर निर्धारण नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा	सूचीबद्ध नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	2176.00	2034.24	0.00	0.00	0.00
2	वित्तीय संस्थाएं	1014.07	963.60	0.00	0.00	17.38
3	बैंक	3084.22	3022.44	0.00	0.00	0.00
4	निजी कॉर्पोरेट	1178.57	1048.70	11.22	0.00	0.51
5	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	92.36	92.36	0.00	0.00	13.49
6	अन्य	17.48	17.48	0.00	0.00	0.62
7	मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधान	-700.66*	XX	XX	XX	XX
	कुल	6862.04	7178.82	11.22	0.00	32.00

(एआरसी द्वारा एनबीवी से कम मूल्य के लिए जारी सुरक्षा रसीदों के तहत रखे गये ₹ 496.17 करोड के प्रावधान को सम्मिलित कर)

(ii) गैर–निष्पादक गैर–एसएलआर निवेश

₹ करोड़ में

विवरण	2013-14	2012-13
अथ शेष	1.48	0.51
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	7.45	0.97
वर्ष के दौरान घटौती	0.00	0.00
अंतिम शेष	8.93	1.48
धारित कुल प्रावधान	8.93	1.48

3. व्युत्पन्न

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप (आईआर एस)

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान तुलन पत्र आस्तियों की बचाव के लिए वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप (आईआर एस)के स्वरूप की कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं की।

₹ करोड़ में

मदें	31.03.2014	31.03.2013
i) अदला–बदली करार का अनुमानित मूलधन	0.00	50.00
ii) करार के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में यदि विपक्षी पक्षकार चूक करें तो वहन की जानेवाली हानियाँ	NIL	NIL
iii) स्वाप करार करने पर बैंक को आवश्यक संपार्श्विक प्रतिभूति	NIL	NIL
iv) स्वाप करार करने पर उत्पन्न जोखिमों का संकेन्द्रण	0.00	0.50
v) स्वाप बही का उचित मूल्य	0.00	-0.19

2.2.2 NON-SLR INVESTMENT PORTFOLIO

i) Issuer Composition of Non SLR Investments as at 31.03.2014

₹ in Crore

No.	ISSUER	AMOUNT	EXTENT OF PRIVATE PLACEMENT	EXTENT OF BELOW INVESTMENT GRADE SECURITIES	EXTENT OF UNRATED SECURITIES	EXTENT OF UNLISTED SECURITIES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSU	2176.00	2034.24	0.00	0.00	0.00
2	FIs	1014.07	963.60	0.00	0.00	17.38
3	Banks	3084.22	3022.44	0.00	0.00	0.00
4	Private Corporates	1178.57	1048.70	11.22	0.00	0.51
5	Subsidiaries/Joint Ventures	92.36	92.36	0.00	0.00	13.49
6	Others	17.48	17.48	0.00	0.00	0.62
7	Provision held towards depreciation	-700.66*	XX	XX	XX	XX
	Total	6862.04	7178.82	11.22	0.00	32.00

*including provision of ₹ 496.17 crores held for Security Receipts issued by ARCs at below NBV.

ii) Non Performing Non-SLR Investments

₹ in Crore

Particulars	2013-14	2012-13
Opening Balance	1.48	0.51
Additions during the year since 1st April	7.45	0.97
Reduction during the above period	0.00	0.00
Closing Balance	8.93	1.48
Total Provisions held	8.93	1.48

3. DERIVATIVES

3.1 Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS)

The Bank has not entered into Derivative contracts of the nature of Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS) to hedge on balance sheet assets during the financial year 2013-14.

₹ in Crore

Items	31.03.2014	31.03.2013
i) The notional Principal of Swap agreement	0.00	50.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements.	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv) Concentration of Credit Risk arising from the swaps	0.00	0.50
v) The fair value of swap book	0.00	-0.19

3.2 विनिमय व्यापार किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न :

पुनरीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने विनिमय व्यापार किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए कोई करार नहीं किया है।

क्रम सं.	विवरण	राशि करोड़ में
i.	वर्ष के दौरान किये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का अनुमानित मूलधन (लिखत वार) ए) बी) सी)	शून्य
	31 मार्च 2014 को विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया (लिखत वार) ए) बी) सी)	शून्य
	विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया तथा "अधिक प्रभावात्मक" न रहनेवाले (लिखत वार) ए) बी) सी)	शून्य
	विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न को बाजार को अंकित मूल्य का बकाया (लिखत वार) ए) बी) सी)	शून्य

3.3 व्युत्पन्नों में ऋण जोखिम :

3.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

आईआरएस का उपयोग करते हुए बैंक आस्तियों तथा देयताओं की प्रतिरक्षा कर रहा हैं। उपचय आधार पर हेजिंग लेनदेनों को हिसाब में लिया जाता है। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति / देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में हिसाब में लिया जाता है। बकाया स्वैप संविदाएं बाज़ार को मार्क किए गए आधार पर हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्वैप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (i) व्यापार (डीलिंग) (ii) बैक–ऑफ़िस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (iii) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है।

व्युत्पन्न उत्पाद खंड में बैंक, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में स्वामित्व लेनदेन कर रहा है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यत्पन्न उत्पाद संबंधी नीति के अधीन किए जाते हैं।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभ व घाटा, बैंक के लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाते हैं।

ओआईएस लेनदेन में उत्पन्न लाभ व हानि, लेनदेन के परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ व हानि खाते में दर्शायी जाता है। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला–बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र के दिनांक पर अदला–बदली की समाप्ति से प्राप्य या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे प्राप्त हानि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है और अगर लाभ हो तो, नजर अंदाज किया जाता है।

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

The bank has not contracted any exchange traded interest derivatives during the year under review.

Sl No	Particulars	Amount (₹ in Crore)
i.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) b) c)	NIL
	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2014 (instrument-wise) a) b) c)	NIL
	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b) c)	NIL
	Market to Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b) c)	NIL

3.3 Risk Exposure in Derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosures

Bank has been doing hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions have been accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Valuation of outstanding swap contracts is done on mark to market basis.

All swap deals have been undertaken based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate control systems and also internal approvals prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the bank is doing proprietary trading in Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board.

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

3.3.2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

व्युत्पन्न बाजार में बैंक के निम्नलिखित उत्पाद हैं :

- ओवरनाइट इंडक्स स्वैपस (ओआईएस)

31 मार्च 2014 को बकाया ओआईएस शून्य थी (पिछले वर्ष ₹ 50.00 करोड)

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	ब्याज दर व्युत्पन्न		करेंसी फ़्यूचर्स	
		2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
1	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल रकम)	0.00	50.00	0.00	0.00
	क) प्रतिरक्षा के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार के लिए	0.00	50.00	0.00	0.00
2	बाज़ार की स्थितियों पर अंकित (1)				
	क) आस्ति (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) देयता (-)	0.00	0.19	0.00	0.00
3	ऋण राशियाँ (2)	0.00	0.50	0.00	0.00
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100 * पीवी 01) क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	0.02	0.00	0.00
5	वर्ष के दौरान पाए गए 100 पीवी* 01 का लक्षित और अधिकतम का न्यूनतम क) प्रतिरक्षा पर अधिकतम	0.00	0.009	0.00	0.00
	न्यूनतम	0.00	0.008	0.00	0.00
	ख) व्यापार पर अधिकतम	0.020	0.020	0.00	0.00
	न्यूनतम	0.010	0.003	0.00	0.00

3.4.1 एचटीएम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री के कारण प्राप्त लाभ जो ₹ 4.77 करोड़ है, को (गत वर्ष ₹ 58.20 करोड़) लाभ–हानि लेखे में दर्ज़ किया गया और तत्पश्चात् ₹ 2.36 करोड (गत वर्ष ₹ 29.49 करोड़) की राशि पूंजी आरक्षित निधि के लिए अंतरित किया गया (कर काटने के बाद निवल और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित निधि)।

3.4.2 वर्ष के आरंभ में, बैंक ने ₹ 4335.74 करोड की एसएलआर प्रतिभूतियों को बही मूल्य के लिए ,एचटी संवर्ग से एएफएस संवर्ग में अंतरित कर दिया । जुलाई 2013 में बैंक ने ₹ 384.16 करोड़ की एसएलआर प्रतिभूतियों को एचएफटी संवर्ग से एएफएस संवर्ग तथा ₹ 77.58 करोड़ की गैर एसएलआर प्रतिभूतियों को एचएफटी संवर्ग से एएफएस संवर्ग में अंतरित कर दिया । इससे क्रमशः ₹ 10.14 करोड़ और ₹ 2.34 करोड़ बाज़ार मूल्यह्रास अंकन के लिए प्रावधान के रूप में रखा गया । भारिबैंक द्वारा मानकों की घोषणा के पश्चात बैंक ने एसएलआर प्रतिभूतियाँ जिनका बही मूल्य ₹ 5159.73 करोड़ था, को एएफएस व एचएफटी संवर्ग से एचटीएम संवर्ग में अंतरित कर दिया जिससे ₹ 86.68 करोड़ की मूल्यह्रास हानि हुई। नवंबर 2013 में बैंक ने ₹ 4.66 करोड़ की एसएलआर प्रतिभूतियों को एचएफटी से एएफएस संवर्ग में अंतरित कर दिया था।

3.4.3 एचटीएम सवंर्ग में वर्गीकृत प्रतिभूतियों के मामले में यदि अर्जन की लागत उसके अंकित मूल्य से अधिक है, तो परिपक्वता के लिए शेष अवधि में प्रीमियम को परिशोधित कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 65.48 करोड़ की राशि को (गत वर्ष में ₹ 31.90 करोड़) परिशोधित किया का चुका है तथा इसे ''निवेशों पर आय'' के अंतर्गत कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

3.3.2 Quantitative Disclosures

The Bank is active in the following products under derivatives:-

Overnight Index Swaps (OIS)

The outstanding OIS position as on 31st March 2014 was NIL (previous year ₹ 50.00 crore).

₹ in Crore

Sl.No.	Particulars	Interest Rate Derivatives		Currency Futures	
		2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
1	Derivatives (Notional Principal Amount)	0.00	50.00	0.00	0.00
	a) For hedging	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) For trading	0.00	50.00	0.00	0.00
2	Marked to Market Positions (1)				
	a) Asset (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Liability (-)	0.00	0.19	0.00	0.00
3	Credit Exposure (2)	0.00	0.50	0.00	0.00
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) a) On hedging derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) On trading derivatives	0.00	0.02	0.00	0.00
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year a) On hedging Maximum	0.00	0.009	0.00	0.00
	Minimum	0.00	0.008	0.00	0.00
	b) On Trading Maximum	0.020	0.020	0.00	0.00
	Minimum	0.010	0.003	0.00	0.00

3.4.1 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹ 4.77 crore (previous year ₹ 58.20 crore) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter an amount of ₹ 2.36 crore (previous year ₹ 29.49 crore) was transferred to Capital Reserve Account (net of taxes and the amount required to be transferred to statutory reserves).

3.4.2 In the beginning of the year, the Bank shifted SLR securities for Book Value of ₹ 4335.74 crores from HTM category to AFS category. In July 2013, the Bank shifted SLR securities ₹ 384.16 crores from HFT category to AFS category and Non-SLR securities ₹ 77.58 crores from HFT category to AFS category. These resulted in a provision for Mark to Market Depreciation of ₹10.14 crores and ₹ 2.34 crores respectively. After announcement of measures by RBI, the Bank shifted SLR securities of Book Value ₹ 5159.73 crores from AFS & HFT category to HTM category which resulted in depreciation loss of ₹ 86.68 crores. In November 2013, the Bank shifted SLR securities of ₹ 4.66 crores from HFT to AFS category.

3.4.3 In case of securities classified under HTM category, if acquisition cost is more than the face value, the premium is amortized over the remaining period to maturity. For the Financial Year 2013-14, a sum of ₹ 65.48 crore (previous year ₹ 31.90 crore) has been amortized and the same is reflected as a deduction from ‘Income on Investments’.

4. आस्ति गुणवत्ता

4.1.1 गैर–निष्पादक आस्तियाँ

₹ करोड़ में

मदें	2013-14	2012-13
(i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	2.26	2.26
(ii) सकल एनपीए की गति (ए) अथशेष	3565.48	1850.78
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	2832.32	2892.54
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	1835.60	1177.84
(डी) अंतशेष	4562.20	3565.48
(iii) निवल एनपीए की गति (ए) अथशेष	2384.30	1196.83
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	2214.95	1933.37
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	1835.60	745.90
(डी) अंतशेष	2763.65	2384.30
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों की गति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों और चल प्रावधानों को छोड़कर) (ए) अथशेष	948.56	477.74
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1188.04	962.40
(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टेखाते में डालना / प्रतिलेखन करना	649.69	491.58
(डी) अंतशेष	1486.91	948.56

4.1.2 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

गैर–निष्पादक ऋण प्रावधान कवरेज अनुपात 57.77 प्रतिशत (पिछले वर्ष 60.14 प्रतिशत) है

4.1.3 बैंक की वसूली नीति के अनुसार, कोई भी वसूली पहले बही शेष को उसके बाद अप्रदत्त विधिक व्यय (एमएलई) को और बाद में अप्रदत्त ब्याज को विनियोजित की जाएगी।

4.2 पुनः संरचित खातों का विवरण

₹ करोड़ में

		2013-14		
		सीडीआर मेकानिजम	एसएमई ऋण पुनः संरचना	अन्य
पुनःसंरचित मानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	9	51	614
	बकाया राशि	791.78	60.86	2753.14
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	16.52	0.91	134.72
पुनःसंरचित अवमानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	--	24	183
	बकाया राशि	--	7.08	204.60
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	--	0.03	0.50
पुनःसंरचित संदिग्ध ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	1	--	1
	बकाया राशि	54.62	--	19.41
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0	--	1.32
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	10	75	798
	बकाया राशि	846.40	67.94	2977.15
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	16.52	0.94	136.54

4. ASSETS QUALITY

4.1.1 Non-Performing Assets

₹ in Crore

Items	2013-14	2012-13
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	2.26	2.26
(ii) Movement of NPAs (Gross) (a) Opening Balance	3565.48	1850.78
(b) Additions during the year	2832.32	2892.54
(c) Reductions during the above period	1835.60	1177.84
(d) Closing Balance	4562.20	3565.48
(iii) Movement of Net NPAs (a) Opening Balance	2384.30	1196.83
(b) Additions during the year	2214.95	1933.37
(c) Reductions during the year	1835.60	745.90
(d) Closing Balance	2763.65	2384.30
(iv) Movement of Provision for NPAs (excluding provisions on standard assets and Floating Provisions) (a) Opening Balance	948.56	477.74
(b) Provisions made during the year	1188.04	962.40
(c) Write-off / Write - back of excess provisions	649.69	491.58
(d) Closing Balance	1486.91	948.56

4.1.2 Provision Coverage Ratio (PCR)

Non Performing Loan Provisioning Coverage Ratio is 57.77% (previous year 60.14%).

4.1.3 As per Recovery Policy of the Bank, any recovery should be first appropriated to Book balance (Principal) and then to Unpaid Legal Expenses (MLE) and thereafter to unpaid interest.

4.2 Particulars of Accounts Restructured

₹ in Crore

		2013-14		
		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of Borrowers	9	51	614
	Amount outstanding	791.78	60.86	2753.14
	Sacrifice (diminution in the fair value)	16.52	0.91	134.72
Sub Standard advances restructured	No. of Borrowers	--	24	183
	Amount outstanding	--	7.08	204.60
	Sacrifice (diminution in the fair value)	--	0.03	0.50
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	1	--	1
	Amount outstanding	54.62	--	19.41
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0	--	1.32
TOTAL	No. of Borrowers	10	75	798
	Amount outstanding	846.40	67.94	2977.15
	Sacrifice (diminution in the fair value)	16.52	0.94	136.54

₹ करोड़ में

		2012-13		
		सीडीआर मेकानिजम	एसएमई ऋण पुनः संरचना	अन्य
पुनःसंरचित मानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	7	141	840
	बकाया राशि	449.56	53.10	4106.72
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	15.17	0.25	103.73
पुनःसंरचित अवमानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	0	25	2776
	बकाया राशि	0.00	10.50	229.43
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0.00	0.02	1.10
पुनःसंरचित संदिग्ध ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	1	1	52
	बकाया राशि	13.38	0.00	47.82
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0.03	0.00	0.29
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	8	167	3668
	बकाया राशि	462.94	63.60	4383.97
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	15.20	0.27	105.12

पुनः संरचित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण पृथक रूप से संलग्न है।

4.3 प्रतिभूतिकरण / आस्ति पुनर्निर्माण के लिए पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

₹ करोड़ में

मदें	2013-14	2012-13
(i) खातों की संख्या	107309	NIL
(ii) एससी / आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों की कटौती के बाद निवल)	452.83	NIL
(iii) सकल प्रतिफल	940.91	NIL
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खाते के संबंध में वसूला गया अतिरित प्रतिफल	--	NIL
(v) निवल बही मूल्य पर सकल लाभ / हानि	488.08	NIL

4.4 खरीदी / बेची गयी गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

ए. खरीदी गयी गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

₹ करोड़ में

विवरण	2013-14	2012-13
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	ष्शून्य
(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य
2. (ए) इनमे से वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य

बी. बेची गयी गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

₹ करोड़ में

विवरण	2013-14	2012-13
1. बेचे गए खातों की संख्या	107309	NIL
2. बकाया कुल शेष	1384.11	NIL
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	940.91	NIL

₹ in Crore

		2012-13		
		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of Borrowers	7	141	840
	Amount outstanding	449.56	53.10	4106.72
	Sacrifice (diminution in the fair value)	15.17	0.25	103.73
Sub Standard advances restructured	No. of Borrowers	0	25	2776
	Amount outstanding	0.00	10.50	229.43
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.02	1.10
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	1	1	52
	Amount outstanding	13.38	0.00	47.82
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.03	0.00	0.29
TOTAL	No. of Borrowers	8	167	3668
	Amount outstanding	462.94	63.60	4383.97
	Sacrifice (diminution in the fair value)	15.20	0.27	105.12

Additional disclosure on accounts restructured is annexed separately.

4.3 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

₹ in Crore

Items	2013-14	2012-13
(i) No. of Accounts	107309	NIL
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	452.83	NIL
(iii) Aggregate consideration	940.91	NIL
(iv) Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	--	NIL
(v) Aggregate gain/ loss over net book value	488.08	NIL

4.4 Details of non-performing financial assets purchased /sold

A. Details of non-performing financial assets purchased:

₹ in Crore

Particulars	2013-14	2012-13
1. (a) No. of Accounts purchased during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. Details of non-performing financial assets sold

₹ in Crore

Particulars	2013-14	2012-13
1. No. of accounts sold	107309	NIL
2. Aggregate Outstanding	1384.11	NIL
3. Aggregate consideration received	940.91	NIL

4-5. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

₹ करोड़ में

मदें	2013-14	2012-13
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए मानक आस्तियों के प्रावधान*	149.19	155.35

* वैश्विक

5. व्यापार अनुपात

मदें	2013-14	2012-13
(i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.78	8.98
(ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.79	0.83
(iii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.67	1.98
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.67	1.02
(v) कारोबार (जमाएँ एवं अग्रिम) प्रति कर्मचारी (₹ करोड में)	14.53	13.01
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	5.97	8.38

6. आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों / देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न (बैंक द्वारा यथा संकलित)

₹ करोड़ में

विवरण	1 दिन	2 – 7 दिन	8–14 दिन	15–28 दिन	29 दिन तथा 3 महीनों तक	3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाएं	763.11	2179.95	2502.08	4270.56	18626.49	15661.77	23931.66	85791.18	5773.79	2774.23	162274.82
अग्रिम	781.24	2195.62	5777.65	4303.82	13500.62	8778.02	21192.23	36853.55	13137.93	15688.31	122208.99
निवेश**	184.47	4771.42	817.68	686.59	5707.22	4039.83	5186.30	16157.03	8279.62	2666.33	48496.49
उधार	198.47	2186.25	0.00	0.00	0.00	1578.81	0.21	0.06	0.05	1000.02	4963.87
विदेशी मुद्रा आस्तियां	210.85	549.03	195.97	641.29	2811.84	2409.70	582.87	1615.24	1028.58	529.29	10574.66
विदेशी मुद्रा देयताएं	394.02	668.54	284.02	340.53	1226.76	1949.39	2086.29	2194.38	1521.58	969.26	11634.77

**1812.24 करोड़ की रिपो (एलएएफ) प्रतिभूतियाँ शामिल है और ₹226.15 करोड़ की सूचीबद्ध ईक्विटियों का 50 प्रतिशत शामिल नहीं है।

4.5 Provision on Standard Assets

₹ in Crore

Items	2013-14	2012-13
Provisions towards Standard Assets made during the year as per prudential norms issued by RBI*	149.19	155.35

* Global

5. Business Ratios

Particulars	2013-14	2012-13
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds	8.78	8.98
(ii) Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	0.79	0.83
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.67	1.98
(iv) Return on Assets (%)	0.67	1.02
(v) Business (Deposits plus Advances) per employee (₹ Crore)	14.53	13.01
(vi) Profit per employee (₹ lakh)	5.97	8.38

6. Asset Liability Management

Maturity Pattern of certain items of Assets and Liabilities (As compiled by the Bank)

₹ in Crore

Particulars	1 day	2-7 days	8-14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and upto 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	763.11	2179.95	2502.08	4270.56	18626.49	15661.77	23931.66	85791.18	5773.79	2774.23	162274.82
Advances	781.24	2195.62	5777.65	4303.82	13500.62	8778.02	21192.23	36853.55	13137.93	15688.31	122208.99
Investments**	184.47	4771.42	817.68	686.59	5707.22	4039.83	5186.30	16157.03	8279.62	2666.33	48496.49
Borrowings	198.47	2186.25	0.00	0.00	0.00	1578.81	0.21	0.06	0.05	1000.02	4963.87
Foreign Currency Assets	210.85	549.03	195.97	641.29	2811.84	2409.70	582.87	1615.24	1028.58	529.29	10574.66
Foreign Currency Liabilities	394.02	668.54	284.02	340.53	1226.76	1949.39	2086.29	2194.38	1521.58	969.26	11634.77

***Includes Repo(LAF) securities of ₹ 1812.24 crore and excludes 50% of listed equities of ₹ 226.15 crore.*

7. संवदेनशील क्षेत्रों को उधार

7.1. रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण

₹ करोड़ में

मदें	31.03.2014	31.03.2013
ए) प्रत्यक्ष ऋण		
(i) आवासिक बंधक	8191.77	7137.91
जिसमें से वैयक्तिक गृह ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शामिल किए जाने हेतु योग्य है	4574.20	4276.19
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	2076.64	1930.96
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण	NIL	NIL
ए) आवासिक	0.21	0.29
बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	NIL	NIL
बी) अप्रत्यक्ष ऋण		
राष्ट्रीय आवासीय बैंक और आवास वित्त निगम पर निधि आधारित तथा गैर–निधिक ऋण	4725.11	2871.28
रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल ऋण	**14993.73**	**11940.44**

7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर

₹ करोड़ में

मद	31.03.2014	31.03.2013
(i) प्रत्यक्ष निवेश		
ए) ईक्विटी शेयर में	604.19	525.66
बी) बांड्स/परिवर्तनीय डिबेंचरों में	NIL	NIL
सी) ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में जिसका कॉरपस मात्र कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है।	NIL	NIL
(ii) व्यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अग्रिम या व्यक्तियों को बेजमानती ऋण	NIL	NIL
(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है।	118.42	84.60
(iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों द्वारा प्रत्याभूत हैं अर्थात शेयरों/परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	NIL	NIL
(v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां।	32.00	71.49
(vi) स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध अथवा बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण।	NIL	NIL
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को ब्रिज लोन।	NIL	NIL
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामीदारी कटिबद्धताएं।	NIL	NIL
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन	NIL	NIL
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनो) के सभी एक्पोजर।	31.04	29.22
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर	**785.65**	**710.97**

7. Lending to Sensitive Sector

7.1 Exposure to Real Estate Sector

₹ in Crore

	Category	31.03.2014	31.03.2013
A)	Direct Exposure		
	(i) Residential Mortgages -	8191.77	7137.91
	Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector	4574.20	4276.19
	(ii) Commercial Real Estate -	2076.64	1930.96
	(iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	NIL	NIL
	a) Residential	0.21	0.29
	b) Commercial Real Estate	NIL	NIL
B)	Indirect Exposure		
	Fund based and Non-fund based exposure on National Housing Bank and Housing Finance Corporation	4725.11	2871.28
	Total Exposure to Real Estate Sector	**14993.73**	**11940.44**

7.2 Exposure to Capital Market

₹ in Crore

	Items	31.03.2014	31.03.2013
(i)	Direct investment		
	a) In Equity shares,	604.19	525.66
	b) In Bonds/ Convertible Debentures,	NIL	NIL
	c) In Units of Equity- Oriented Mutual Funds the corpus of which is not exclusively invested in Corporate Debt;	NIL	NIL
(ii)	Advances against Shares/Bonds/Debentures or other Securities or on clean basis to individuals for investment in Equity shares (including IPOs/ESOPs) Convertible Bonds, Convertible Debentures, and units of Equity Oriented Mutual Funds;	NIL	NIL
(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	118.42	84.60
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover advances ;	NIL	NIL
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	32.00	71.49
(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	NIL	NIL
(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered);	31.04	29.22
	Total Exposure to Capital Market	**785.65**	**710.97**

7.3 जोखिम वार किसी देश का ऋण

₹ करोड़ में

ऋण जोखिम **	31 मार्च 2014 तक ऋण (निवल)	31 मार्च 2014 तक किए गए प्रावधान	31 मार्च 2013 तक ऋण (निवल)	31 मार्च 2013 तक किए गए प्रावधान
नगण्य	5289.26	5.20	4589.43	5.19
न्यून	2412.24		1785.85	
मध्यम रूप से न्यून	858.61		372.90	
मध्यम	60.68		50.45	
मध्यम रूप से उच्च	10.83		17.16	
उच्च	0.43		1.42	
सर्वोच्च	0.00		0.00	
कुल	**8632.05**	**5.20**	**6817.21**	**5.19**

**ईसीजीसी के दिनांक 12.02.2014 के परिपत्र सं. ईसीजीसी/सी यू डी/ एल बी/2014 के अनुसार अद्यतन देश जोखिम वर्गीकरण के आधार पर ।

देश विशेष को प्रदत्त ऋण का जोखिम प्रबंधन :

बैंक ने 31.03.2014 को विभिन्न देशों को प्रदत्त निवल ऋण का विश्लेषण किया है और सिंगापुर को छोड़ कर अन्य देशों के प्रति यह ऋण बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। सिंगापुर, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड ने गैर महत्वपूर्ण ऋण जोखिम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया है, रु.5.20 करोड़ (गत वर्ष – रु 5.19 करोड़) का प्रावधान उपलब्ध है।

7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधार सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण के विवरण

₹ करोड़ में

उधारकर्ता का नाम	अतिरिक्त ऋण	कुल उच्चतम ऋण	अतिरिक्त ऋण का :	कुल ऋण का :
------------------------	-----------------	शून्य	--------------------	--------------------

7.5 अप्रतिभूत अग्रिम

कुल बेजमानती अग्रिमों में, परियोजनाओं (संरचनात्मक परियोजनाओं सहित) के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रदत्त, अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार, जैसे अमूर्त प्रतिभूति से रक्षित अग्रिम की राशि 1734.68 करोड़ रुपए है। प्रभार रखने वाले देनदारों के लिए उपलब्ध, उपर्युक्त अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित कुल मूल्य 31.03.2014 को 10515.76 करोड रुपए है।

8. विविध

8.1 लेखा समाधान एवं समायोजन

8.1.1 अंतर शाखा मदों का लेखा समाधान 31.03.2014 तक पूरा किया जा चुका है। आईबीजीए बकाया प्रविष्टियों के निपटान के लिए विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बैंक ने उसमें पर्याप्त कमी लायी है। तत्पश्चात् शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन के अनुसार, 6.33 करोड़ रुपए कुल मूल्य की 8213 आईबीजीए क्रेडिट प्रविष्टियां बकाया हैं।

8.1.2 दिनांक 31.03.2014 को अंतर शाखा खाता बकाया में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए लेखा समाधान नहीं की गई प्रविष्टियों के संबंध में कुल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है।

8.1.3 देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्त राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।

8.1.4 कुल शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

7.3 Risk Category-wise Country Exposure

₹ in Crore

Risk category**	Exposure (Net) as at 31.03.2014	Provision held as at 31.03.2014	Exposure (Net) as at 31.03.2013	Provision held as at 31.03.2013
Insignificant	5289.26	5.20	4589.43	5.19
Low	2412.24		1785.85	
Moderately Low	858.61		372.90	
Moderate	60.68		50.45	
Moderately high	10.83		17.16	
High	0.43		1.42	
Very High	0.00		0.00	
Total	**8632.05**	**5.20**	**6817.21**	**5.19**

**As per the updated country risk classification by the ECGC, vide its circular ECGC /CUD/LB/2014 dated 12.02.2014.

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

The Bank has analysed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2014 and such exposure to countries other than Singapore is well within the stipulation of 1% of the total assets of the Bank. In respect of Singapore, which is classified under "Insignificant" risk category by ECGC Ltd, a provision of ₹ 5.20 Cr (Previous year ₹ 5.19 Cr) is available.

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) if any, exceeded by the Bank

₹ in Crore

Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of Total Exposure
------------------------	-----------------	NIL	--------------------	--------------------

7.5 Unsecured Advances

Out of total unsecured advances, advances secured by intangible securities such as rights, licenses, authority, etc charged to the bank as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) is ₹ 1734.68 Crores. Estimated total value of such intangible collaterals mentioned above as on 31.03.2014 is ₹ 10515.76 Crores.

8. MISCELLANEOUS

8.1 Reconciliation and Adjustments

8.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2014. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustment of the remaining outstanding entries is in progress. As per the Management, 8213 IBGA credit entries aggregating to ₹ 6.33 crore are outstanding.

8.1.2 In view of net credit position in respect of unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2014, no provision is required.

8.1.3 Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

8.1.4 Balancing of subsidiary ledgers/registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

8.2 वर्ष के दौरान आय कर के लिए बनाए गए प्रावधानों की राशि :

₹ करोड़ो में

	2013-14	2012-13
कराधान के लिए प्रावधान (आय कर)	316.73	245.09

31.03.2014 को विवादित आयकर मांग बकाया शेष 1166.33 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1122.45 करोड़ रुपए) था, बैंक द्वारा दायर की गई अपीलों पर जो विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं, उन पर विचार करते हुए किसी तरह के प्रावधान पर विचार करना आवश्यक नहीं माना गया है।

8.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्डों का प्रकटीकरण :

वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने, केवायसी नियमों के अननुपालन, जाली नोटों की पहचान न करने, नकदी प्रेषण में कमी और मुद्रा कोष प्रचालन में आईसीसीओएमएस में विलंबित/गलत रिपोर्टिंग के लिए 6.60 लाख रुपए (122 प्रविष्टियाँ) जुर्माना लगाया।

8.4 अचल आस्तियाँ

8.4.1. परिसर में रु.10.80 करोड़ लागत वाली परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनका बही मूल्य 192.98 करोड़ रुपए है (पिछले वर्ष ₹ 58.05 करोड़ रुपए), जिनके लिए पंजीकरण की औपचारिकताएं की जा रही हैं।

8.4.2 बैंक ने वर्ष 2013–14 के दौरान अपनी अचल संपत्तियों का अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर पुनर्मल्यन किया तथा इसके परिणामस्वरूप 1247.06 करोड़ रुपए की मूल्य वृद्धि राशि को ''पुनर्मूल्यन रिज़र्व खाते'' में जमा किया गया। पुनर्मूल्यन किए गए अंश पर अतिरिक्त मूल्यह्रास 45.19 करोड़ रुपए था (गत वर्ष में 32.24 करोड़ रुपए) जिसे लाभ व हानि लेखे को प्रभारित किया गया है तथा उसकी समतुल्य राशि का आहरण ''पूनर्मूल्यन रिज़र्व खाते'' से कर दिया गया है।

सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन हेतु उपयोग में लाई गई पद्धति

1. संपत्तियों का मूल्य भूमि व इमारत पद्धति से प्राक्कलन किया जाता है तथा संपत्तियों के मामले में जैसे आवासीय फ्लैट/वाणिज्यिक जगह, जहाँ अविभक्त भूमि के भाग हैं, उसका मूल्यांकन सम्मिश्र पद्धति से किया गया है।
2. मूल्यांकन रिपोर्ट में भूमि, इमारत, सुख–सुविधाओं के मूल्य, उसके प्रकार तथा निर्माण की प्रकृति के आधार पर प्रकटित हैं।
3. इमारत के संबंध में, मूल्य का प्राक्कलन चबूतर/निर्माण क्षेत्र तथा विशेष विवरण के आधार पर प्रति इकाई दर से किया जाता है तथा इमारत के जीवनकाल सुस्पष्ट रूप से बताया गया है।
4. भूमि के उचित बाजार मूल्य चालू बाजार मूल्य के आधार पर निश्चित किया जाता है।

8.5 लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के तहत् दिखाए गए ''प्रावधान और आकस्मिकताओं'' का ब्रेकअप

₹ करोड़ो में

	निम्न के प्रति किए गए प्रावधान	2013-14	2012-13
i)	निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास (निवल)	90.62	25.19
ii)	गैर–निष्पादक अग्रिम (निवल)	1147.11	953.03
	निवेश	7.45	(0.05)
iii)	मानक अग्रिम	149.19	155.35
iv)	आयकर	316.73	245.09
v)	पुनः संरचित अग्रिम (एनपीवी)	29.11	125.50
vi)	अन्य	1.44	(23.90)
	कुल	1741.65	1480.21

8.2 Amount of Provision made for Income Tax during the year:

₹ in Crore

	2013-14	2012-13
Provision for Taxation (Income Tax)	316.73	245.09

The disputed Income Tax paid as at 31 03 2014 was ₹ 1166.33 Crore (previous year ₹ 1122.45 Crore). No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

8.3 Disclosure of Penalties imposed by RBI

During the year, RBI has imposed penalty of ₹ 109.30 lakhs (156 entries) (Previous Year ₹ 6.60 lakhs -122 entries) for non-compliance of KYC/AML guidelines, non-detection of forged notes, shortages in cash remittances and delayed / wrong reporting in ICCOMS in Currency Chest handling operation.

8.4 Fixed Assets

8.4.1 Premises include properties costing ₹ 10.80 Crore (previous year - ₹ 10.80 Crore), the book value of which is ₹ 192.98 Crore (previous year - ₹ 58.05 Crore), for which registration formalities are in progress.

8.4.2 Bank revalued its immovable properties during the year 2013-14 at fair market value as determined by approved valuers and the resultant appreciation of ₹ 1247.06 Crore was credited to "Revaluation Reserve Account". Additional depreciation on the revalued portion amounting to ₹ 45.19 Crore (previous year ₹ 32.24 Crore) has been charged to Profit & Loss Account and an equivalent withdrawal is made from the "Revaluation Reserve Account".

Methodology adopted for Revaluation of Properties:

1. The value of the properties are estimated by Land and Building method and in case of properties like Residential flats / commercial space where there is undivided share of land, the valuation was done by Composite Method.
2. The valuation report indicated the value of land, building, amenities, etc. along with the type and nature of construction.
3. As regards the building, the value is estimated by adopting plinth / built up area and rates per unit area depending on specification and the future life of the building is clearly stated.
4. The fair market value of land is determined on the basis of current market value.

8.5 Break-up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account :

₹ in Crore

	Provision made towards	2013-14	2012-13
i)	Depreciation in the value of Investments (net)	90.62	25.19
ii)	Non-Performing Advances (Net)	1147.11	953.03
	Investments	7.45	(0.05)
iii)	Standard Advances	149.19	155.35
iv)	Income Tax	316.73	245.09
v)	Restructured Advances (NPV)	29.11	125.50
vi)	Others	1.44	(23.90)
	Total	**1741.65**	**1480.21**

8.6 चल प्रावधान :

₹ करोड़ो में

	चल प्रावधान खाता	2013-14	2012-13
ए.	अथशेष (1 अप्रैल)	139.58	139.58
बी.	वर्ष के दौरान जोड़	0.00	0.00
सी.	उपर्युक्त वर्ष के दौरान कमी	46.06	0.00
डी.	अथशेष (31 मार्च)	93.52	139.58

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई 2013–14/डीबीओडी संख्या बीपी 95/21.04.048/2013–14 दिनांक 07.02.2014 में अनुमत एवं बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान चल प्रावधान से अनर्जक आस्तियों के लिए रुपये 46.06 करोड़ के विशेष प्रावधान का उपयोग किया है।

8.7 ग्राहक शिकायतें

ए. ग्राहक शिकायत

ए.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	65
बी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	5711
सी.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	5641
डी.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	135

बी. क्रेडिट कार्ड

ए.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	66
बी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	878
सी.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	925
डी.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	19

क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों में एनपीए की आवाजाही पर वर्गीकरण / रिपोर्टिंग भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है

सी. एटीएम शिकायत

		कुल	जिनमें अधिग्राहक
ए.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	800	351
बी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	114560	13426
सी.	वर्ष को दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	114698	13548
डी.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	662	229

8.8 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित और बैंक के द्वारा कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय

ए.	वर्ष की शुरुआत में अकार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	शून्य
बी.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पास किए गए अधिनिर्णय की सं.	शून्य
सी.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय की सं.	शून्य
डी.	वर्ष के अंत में लंबित अकार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	शून्य

नोट : मेसर्स निंबस कम्यूनिकेशन्स लि. के खाते में सहभागिता संघ के बैंकों ने बीसीसीआई के पक्ष में गारंटी जारी की थी। बीसीसीआई ने गारंटी की देयता का दावा करते हुए सहभागिता संघ बैंकों पर वाद दायर किया था और रुपए 400 करोड की अदायगी करने पर प्रतिरक्षा करने के लिए सशर्त अनुमति दी गई थी तथा इसमें हमारे बैंक का हिस्सा रुपए 100 करोड था। बीसीसीआई द्वारा दायर एसएलपी संख्या 2013 के 4832–34 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हमारे बैंक का हिस्सा रुपए 100 करोड का भुगतान, माननीय बंबई उच्च न्यायालय के प्रोतो नोटरी तथा सीनियर मास्टर के साथ किया गया। मानानीय मुंबई न्यायालय के समक्ष कथित वाद न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है ।

8.6 Floating Provisions:

₹ in Crore

	Floating Provisions Account	2013-14	2012-13
(a)	Opening Balance (1st April)	139.58	139.58
(b)	Additions during the year	0.00	0.00
(c)	Draw down during the above year	46.06	0.00
(d)	Closing Balance	93.52	139.58

As permitted by Reserve Bank of India vide its circular no.RBI/2013-14/485/DBOD No.BP.95/21.04.048/2013-14 dated 07.02.2014 and also pursuant to Bank's Board approved policy, the Bank has during the year utilized a sum of ₹ 46.06 crores from Floating Provisions towards specific provision for Non Performing Assets.

8.7 Customer Complaints :

A.Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	65
(b)	No. of complaints received during the year	5711
(c)	No. of complaints redressed during the year	5641
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	135

B.Credit Card

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	66
(b)	No. of complaints received during the year	878
(c)	No. of complaints redressed during the year	925
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	19

Classification / Reporting on Movement of NPA in credit card receivables is done as per RBI guidelines and Board approved Policy.

C.ATM Complaints

		Total	Of which acquirer
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	800	351
(b)	No. of complaints received during the year	114560	13426
(c)	No. of complaints redressed during the year	114698	13548
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	662	229

8.8 Number of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank is as follows:

(a)	No. of unimplemented awards at the beginning of the year	NIL
(b)	No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year	NIL
(c)	No. of awards implemented during the year	NIL
(e)	No. of unimplemented award at the end of the year	NIL

Note: In the A/c M/s Nimbus Communications Ltd, guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability and in the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of ₹ 400 crores, wherein our Bank share is ₹ 100 crore. Pursuant to the order of Hon'ble Supreme Court of India in the SLP No. 4832-34 of 2013 filed by BCCI, remittance of our Bank's share of ₹ 100 crore was made with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay.

8.9 पूर्व तिमाहियों की तुलना में, 31.03.2014 को समाप्त तिमाही में प्राप्त ग्राहक शिकायतों का वर्गीकरण

क्र.सं	वर्गीकरण	को समाप्त तिमाही में प्राप्त शिकायतें									
		31.03.2013		30.06.2013		30.09.2013		31.12.2013		31.03.2014	
		सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
1	अग्रिम	183	27	195	28	236	32	228	15	147	5
2	एटीएम	153	23	145	21	174	24	187	12	182	7
3	क्रेडिट कार्ड	0	0	0	0	0	0	24	2	53	2
4	ग्राहक सेवा	9	1	8	1	37	5	196	13	454	16
5	डीमैट	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	जमा	186	27	186	27	168	23	183	12	136	5
7	सामान्य बैंकिंग	60	9	36	5	33	5	174	11	371	14
8	सरकारी योजनाएं	82	12	122	17	77	10	112	7	92	3
9	विविध	0	0	0	0	0	0	92	6	308	11
10	एनआरआई सेवाएँ	0	0	0	0	0	0	57	3	164	6
11	प्रेषण	4	1	3	1	3	1	52	3	167	6
12	प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	0	0	244	16	664	24
	कुल	**677**	**100**	**695**	**100**	**728**	**100**	**1549**	**100**	**2739**	**100**

8.10 बैंक द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट :

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 3462.48 करोड़ रुपए मूल्य के लिए 943 लेटर ऑफ कम्फ़र्ट जारी किए गए हैं। 31.03.2014 को 388 लेटर ऑफ कम्फर्ट बकाया है जिनकी राशि 1289.59 करोड़ रुपए है।

8.11 बैंक द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकारियों को जारी उत्तरदायित्व के पत्र के कारण बैंक, सिंगापुर शाखा के साथ की न्यूनतम निवल समायोजित पूँजी निधि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यूएसडी 43 एमआईओ (31.03.2014 को करीब आईएनआर 257.90 करोड़ की समतुल्य राशि) की जमाएँ अनुरक्षित करता है।

8.12 ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट(आईबीटीआरडी)

22.09.2008 को बैंक द्वारा ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट स्थापित किया गया है जो ग्रामीण विकास पर अनन्य रूप से केन्द्रित ध्यान देते हुए ग्रामीण अवसरों को पकडने में समुदाय की सहायता करने में लगी हुई अन्य विभिन्न संस्थाओं/अभिकरणों के साथ बेहतर गोचर परिणाम प्राप्त करने हेतु समन्वय स्थापित करते हुए अच्छे परिणाम दिखाने का उद्देश्य रखता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस न्यास के अधीन इंडियन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) की स्थापना, बारह केन्द्रों में की गयी है चित्तूर (आंधप्रदेश में), पुदुच्चेरी(पुदुच्चेरी संघशासित क्षेत्र में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरी, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवळुर, वेल्लूर और विळुपुरम (तमिलनाडु में) जो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कौशल उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे वे स्वरोजगार/रोजगार पाने में सक्षम होंगे।

8.13 जमाएँ अग्रिम, ऋण तथा एनपीएओं का संकेन्द्रण (बैंक द्वारा यथा समेकित)

8.13.1 जमाओं का संकेन्द्रण

₹ करोड़ में

बीस सबसे बडे जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ (सिर्फ देशी)	12445.64
बैंक की कुल जमाओं के साथ बीस सबसे बडे जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	8.11%

8.13.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

₹ करोड़ में

बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं की कुल अग्रिम	20747.46
बैंक की कुल अग्रिमों के साथ बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं की अग्रिमों का प्रतिशत	14.76%

8.9 Classification of customer complaints received during the quarter ended 31.03.2014 compared to the previous quarters:

Sl.No	Classification	Complaints received during the quarter ended									
		31.03.2013		30.06.2013		30.09.2013		31.12.2013		31.03.2014	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
1	Advances	183	27	195	28	236	32	228	15	147	5
2	ATM	153	23	145	21	174	24	187	12	182	7
3	Credit Card	0	0	0	0	0	0	24	2	53	2
4	Customer Services	9	1	8	1	37	5	196	13	454	16
5	Demat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Deposits	186	27	186	27	168	23	183	12	136	5
7	General Banking	60	9	36	5	33	5	174	11	371	14
8	Govt. Schemes	82	12	122	17	77	10	112	7	92	3
9	Miscellaneous	0	0	0	0	0	0	92	6	308	11
10	NRI Services	0	0	0	0	0	0	57	3	164	6
11	Remittances	4	1	3	1	3	1	52	3	167	6
12	Technology	0	0	0	0	0	0	244	16	664	24
	TOTAL	677	100	695	100	728	100	1549	100	2739	100

8.10 Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2014, 943 letters of comfort have been issued by the bank amounting to ₹ 3462.48 Crore. The letters of comfort outstanding as on 31.03.2014 are 388 amounting to ₹ 1285.59 Crore.

8.11 In view of the Letter of Responsibility given by the Bank to the Monetary Authority of Singapore, the Bank maintains deposit to the extent of USD 43 mio (equivalent to INR 257.90 Crore approx as on 31.03.2014) with Singapore Branch to meet the minimum Net Adjusted Capital Funds requirement of the Branch.

8.12 Indian Bank Trust for Rural Development (IBTRD):

Indian Bank Trust for Rural Development has been set up by the Bank on 22.09.2008 to exclusively focus on rural development and accomplish better results by coordinating with various other players/ agencies who are also engaged in the development of rural areas.

Under the Trust, Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) have been established in 12 centers, viz. Chittoor (in Andhra Pradesh), Puducherry (in UT of Puducherry), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Thiruvallur, Vellore and Villupuram (in Tamil Nadu) to impart skill oriented training to rural unemployed youth, to enable them to either self / wage employed as per the directions of Ministry of Rural Development, Government of India.

8.13 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (As compiled by the Bank)

8.13.1 Concentration of Deposits

₹ in Crore

Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	12445.64
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the Bank	8.11%

8.13.2 Concentration of Advances

₹ in Crore

Total Advances to twenty largest borrowers	20747.46
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to total Advances of the Bank	14.76%

8.13.3 एक्स्पोजरों का संकेन्द्रण

₹ करोड़ में

बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्स्पोजर	27678.38
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्स्पोजर के साथ बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्स्पोश्जर का प्रतिशत	15.39%

8.13.4 एनपीए का संकेन्द्रण

₹ करोड़ में

सबसे बडे चार एनपीए खातों को कुल एक्स्पोजर	984.23

8.14 सेक्टार वार एनपीए

क्रमांक	सेक्टार	उस सेक्टार में कुल अग्रिमों के साथ एनपीए का प्रतिशत
1.	कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप	1.85%
2.	उद्योग(माइक्रो, लघु, मझोले एवं बड़े)	6.60%
3.	सेवाएँ	1.39%
4.	व्यक्तिगत ऋण	2.16%

8.15 एनपीए में परिवर्तन

विवरण	**राशि करोड़ रुपए में**
01 अप्रैल 2013 को सकल एनपीए (अथशेष)	3565.48
वर्ष के दोरान जोड (नए एनपीए)	2832.32
उप–कुल (ए)	6397.80
घटाएँ :	
(i) कोटि–उन्नयन	274.08
(ii) एआरसी को आंबटित राशि	673.83
(iii) वसूलियां (कोटि उन्नयन किए गए खातों से वसूली गयी राशियों को छोड़कर)	405.64
(iv) तकनीकी / विवेकपूर्ण संबंधितों को बट्टे खाते में डालना	475.94
(v) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत आनेवाली मदों के अलावा बट्टे खाते में डालना	6.11
उप–कुल (बी)	1835.60
31 मार्च 2014 को सकल एनपीए (अंत शेष ए–बी)	4562.20

तकनीकी संबंधितों को बट्टे खाते में डालना

₹ करोड़ में

विवरण	**2013-14**	**2012-13**
अप्रैल 01 को बट्टे खाते में डाले गये तकनीकी / विवेकपूर्ण संबंधित खातों का अथशेष	2419.04	2168.11
जोड : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गये तकनीकी / विवेकपूर्ण खाते	487.47	508.51
उप–कुल (ए)	2906.51	2676.62
घटाएं : वर्ष के दौरान पिछले बट्टे खाते में डाले गये तकनीकी / विवेकपूर्ण खातों से की गई वसूली (बी)	924.11	257.58
31 मार्च को अंत शेष (ए – बी)	1982.40	2419.04

8.16 ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए और राजस्व

विवरण	**₹ करोड़ में**
कुल आस्तियां	9181.26
कुल एनपीए	348.06
सकल एनपीए	278.23
निवल एनपीए	130.86
कुल राजस्व	334.27

8.13.3 Concentration of Exposures

₹ in Crore

Total Exposures to twenty largest borrowers/customers	27678.38
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/ customers to Total Exposures of the Bank on borrowers/ customers	15.39%

8.13.4 Concentration of NPAs

₹ in Crore

Total Exposures to top four NPA accounts	984.23

8.14 Sector-wise NPAs

Sl No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1.	Agriculture & Allied activities	1.85%
2.	Industry (Micro, small, Medium and Large)	6.60%
3.	Services	1.39%
4.	Personal Loans	2.16%

8.15 Movement of NPAs

Particulars	₹ in Crore
Gross NPAs as on 1st April of 2013 (Opening Balance)	3565.48
Additions (Fresh NPAs) during the year	2832.32
Sub-total (A)	6397.80
Less :	
(i) Upgradations	274.08
(ii)Amount assigned to ARC	673.83
(iii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	405.64
(iv) Technical/Prudential Write-offs	475.94
(v) Write-offs other than those under (iv) above	6.11
Sub-total (B)	1835.60
Gross NPAs as on 31st March 2014 (closing balance (A-B)	4562.20

Technical Write-off`

₹ in Crore

Particulars	2013-14	2012-13
Opening bal of Technical / Prudential written-off accounts as at April 1	2419.04	2168.11
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	487.47	508.51
Sub-total (A)	2906.51	2676.62
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	924.11	257.58
Closing bal as at March 31 (A-B)	1982.40	2419.04

8.16 Overseas Assets, NPAs and Revenue

Particulars	₹ in Crores
Total Assets	9181.26
Total NPAs	348.06
Gross NPA	278.23
Net NPA	130.86
Total Revenue	334.27

8.17 ए. तुलनपत्र के बाहर एसपीवी प्रायोजित (जिन्हें लेखाकरण मानदण्डों के अनुसार समेकित करना है)

देशी	ओवरसीज़
शून्य	शून्य

बी. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण : शून्य

सी. ऋण डिफाल्ट स्वैप : शून्य

8.18 बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों की बिक्री /विपणन से रुपए 8.90 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है (पिछले वर्ष रुपए 16.31 करोड़)

₹ करोड़ में

क्रम सं.	आय का स्वरूप	2013-14	2012-13
1	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	4.84	12.43
2	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	3.62	3.22
3	अन्य – म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	0.44	0.66
	कुल	**8.90**	**16.31**

8.19 पुनः संरचना के कारण वसूली के रिकार्ड से अन्य कारणों से मेजबान देश के मानदंडों के कारण बैंक की ओवरसीज शाखा में, एक खाते को अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मेजबान देश में पुनःसंरचित खाते में वसूली में कोई चूक हो या नहीं, उसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। वर्ष के दौरान एफसीएनआर संसाधनों नीं के प्रयोग द्वारा यह सुविधा भारतीय शाखा को स्थानान्तरित कर दी गयी। 31.03.2014 तक बकाया राशि ₹ 144.50 करोड़ है।

बैंक की दृष्टि से, पुनःसंरचना की तारीख पर यह खाता भारत में होने पर एक मानक आस्ति ही रहती। अब भारत में स्थानान्तरण के बाद भूतपूर्व मेजबान देश के मानदंड लागू नहीं होंगे तथा अब भारत में पुनःसंस्चित खाते के लिए लागू आईआरएसी मानदंडों के द्वारा शासित होगा इसलिए, खाता अब – पुनःसंरचित मानक आस्ति के रूप में माना जाय। उपरोक्त की पुष्टि, भारतीय रिज़र्व बैंक से मांगी जा रही है।

9. लेखा मानकों (एएस) के अनुसार प्रकटीकरण :

9.1 नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3)

वर्ष 2013–14 हेतु नकदी प्रवाह विवरण अलग से अनुबद्ध किया गया है।

9.2 स्टाफ को लाभ (एएस 15)

वर्ष 2010–11 के दौरान, बैंक ने पूर्व में पेंशन का विकल्प न देने वाले कर्मचारियों को पुनः पेंशन विकल्प देने का अवसर दिया तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 में संशोधन के अनुसार बैंक के कर्मचारियों को देय उपदान की सीमा भी बढाई गई। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान कर्मचारियों के संबंध में पेंशन की देयता रुपए 813.22 करोड़ थी तथा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उपदान देयता में वृद्धि रुपए 166.00 करोड थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र सं.डीबीओडी:बीपी:बीसी/80/21.04.018/2010–11 दिनांक 09.02.2011 के जरिए बैंक को इस देयता के 1/5 भाग को प्रत्येक साल प्रभारित करने की अनुमति दी है। तदनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान पेंशन के लिए रुपए 162.65 करोड़ तथा उपदान के लिए रुपए 33.20 करोड़ की राशि लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित की गई है। शेष अवधि के लिए परिशोधन के लिए लंबित पहचानी न गई देयता की राशि पेंशन के लिए रुपए 162.64 करोड़ और उपदान के लिए रुपए 33.20 करोड़ है।

9.2.1 लेखा मानक–15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्य नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :–

8.17 a) Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Domestic	Overseas
NIL	NIL

b) Disclosures relating to Securitisation : NIL

c) Credit Default Swaps: NIL

8.18 BANCASSURANCE BUSINESS

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of ₹ 8.90 Crore on sale / marketing of various Bancassurance products (previous year ₹ 16.31 Crore).

₹ in Crore

Sl No.	Nature of Income	2013-14	2012-13
1	For Selling Life Insurance Policies	4.84	12.43
2	For selling Non-life insurance policies	3.62	3.22
3	Others – For selling Mutual Fund Products	0.44	0.66
	Total	**8.90**	**16.31**

8.19 An account in Bank's Overseas branch was classified as Sub-standard due to Host country's norms for reasons other than record of recovery on account of re-structuring. In the Host country, a restructured account is to be classified as sub-standard irrespective of any default in recovery. During the year, the facility was transferred to Indian branch of the Bank by utilizing the FCNR resources. The balance outstanding as on 31.03.2014 is ₹ 144.00 crores.

The Bank is of the view, the account on the date of restructuring was Standard asset had the same been in India. Now, after being transferred to India, the erstwhile Host country norms no longer apply and would now be governed by IRAC norms applicable to a restructured account in India, therefore the account is now considered as Restructured Standard Asset. Confirmation of the above is also being sought from the Reserve Bank of India.

9. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS):

9.1 CASH FLOW STATEMENT (AS 3)

The Cash Flow statement for the year 2013-14 is annexed separately.

9.2 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

During the year 2010-11, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier and the limit of gratuity payable to the employees of the bank was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result, the pension liability in respect of existing employees was ₹ 813.22 crores and the increase in gratuity liability was ₹ 166.00 crores as per actuarial valuation. RBI, vide circular No.DBOD:BP:BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, permitted Banks to charge 1/5th of such liability every year. Accordingly, during the current year, a sum of ₹ 162.65 crores towards pension and ₹ 33.20 crores towards gratuity is charged to Profit and Loss account. The unrecognized liability pending for amortization over the remaining period is ₹ 162.64 crores towards pension and ₹ 33.20 crores towards gratuity.

9.2.1 The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

मूल बीमांकन अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2014	31/03/2013
बट्टे की दर	पेंशन – 15 वर्ष जी–सेक पेपर हेतु 9.32 प्रतिशत और उपदान–10 वर्ष जी–सेक पेपर हेतु 9.03 प्रतिशत	8.37 प्रतिशत
वेतन बढोत्तरी की दर	5.50 प्रतिशत (वेतन संशोधन हेतु 0.50 प्रतिशत सहित)	4.00 प्रतिशत
पदत्याग की दर	पेन्शन के लिए 1.00 प्रतिशत और उपदान के लिए 2.00 प्रतिशत	पेन्शन के लिए 1.00 प्रतिशत और उपदान के लिए 2.00 प्रतिशत
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	9.00 प्रतिशत	9.00 प्रतिशत
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई ऋण (पीयूसी) बीमांकक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए किया जाता है।

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोडों में

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	4521.26	810.57	236.22
ब्याज लागत	406.55	67.34	20.99
वर्तमान में सेवा लागत	57.07	36.16	22.16
विगत सेवा लागत – (पहचानी गई / निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – (न पहचानी गई /अनिहित लाभ)	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(318.32)	(129.59)	(74.29)
बाध्यता पर बीमांकक हानि / (लाभ)(संतुलन आंकडा)	263.75	113.34	(4.39)
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**4930.31**	**897.83**	**200.69**

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोडों में

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	3863.80	755.05	218.06
ब्याज लागत	313.05	58.46	15.78
वर्तमान में सेवा लागत	62.24	34.40	63.56
विगत सेवा लागत – (पहचानी गई / निहित लाभ)	0	0	0
विगत सेवा लागत – (न पहचानी गई /अनिहित लाभ)	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(251.30)	(113.23)	(58.95)
बाध्यता पर बीमांकक हानि / (लाभ)(संतुलन आंकडा)	533.47	75.89	(2.23)
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**4521.26**	**810.57**	**236.22**

I.PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2014	31/03/2013
Discount Rate	9.32% for Pension-15 year G-sec paper and 9.03% for Gratuity-10 year G-sec paper	8.37%
Salary escalation rate	5.50%(includes 0.50% for wage revision)	4.00%
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Gratuity	1.00% for Pension and 2.00% for Gratuity
Expected rate of return on Plan Assets *	9.00%	9.00%
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.

Current Year 2013-14

₹ in Crore

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	4521.26	810.57	236.22
Interest Cost	406.55	67.34	20.99
Current service cost	57.07	36.16	22.16
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(318.32)	(129.59)	(74.29)
Actuarial (gain)/loss on obligation (balancing figure)	263.75	113.34	(4.39)
PVO as at the end of the year	4930.31	897.83	200.69

Previous year 2012-13

₹ in Crore

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	3863.80	755.05	218.06
Interest Cost	313.05	58.46	15.78
Current service cost	62.24	34.40	63.56
Past service cost – recognized / vested benefits	0	0	0
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0	0	0
Benefits paid	(251.30)	(113.23)	(58.95)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	533.47	75.89	(2.23)
PVO as at the end of the year	4521.26	810.57	236.22

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोड़ों में

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथ शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**4195.97**	**744.17**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	418.96	66.32	0.00
अंशदान	492.93	184.38	35.53
प्रदत्त लाभ	(318.32)	(129.59)	(35.53)
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ / (हानि)(संतुलन आंकडा)	(21.88)	(0.65)	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**4767.66**	**864.63**	**0.00**

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोड़ों में

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथ शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**3375.87**	**655.45**	**0**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	294.92	55.79	0
अंशदान	752.13	146.16	58.95
प्रदत्त लाभ	(251.30)	(113.23)	(58.95)
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ / (हानि)(संतुलन आंकडा)	24.35	0	0
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**4195.97**	**744.17**	**0**

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोड़ों में

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	418.96	66.32	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ (हानि)	(21.88)	(0.65)	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	397.08	65.67	0.00

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोड़ों में

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	294.92	55.79	0
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ (हानि)	24.35	0	0
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	319.27	55.79	0

Current Year 2013-14

₹ in Crore

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	4195.97	744.17	0.00
Expected return on plan assets	418.96	66.32	0.00
Contributions	492.93	184.38	35.53
Benefits paid	(318.32)	(129.59)	(35.53)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(21.88)	(0.65)	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	4767.66	864.63	0.00

Previous year 2012-13

₹ in Crore

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**3375.87**	**655.45**	**0**
Expected return on plan assets	294.92	55.79	0
Contributions	752.13	146.16	58.95
Benefits paid	(251.30)	(113.23)	(58.95)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	24.35	0	0
Fair value of plan assets as at the end of the year	**4195.97**	**744.17**	**0**

Current Year 2013-14

₹ in Crore

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	418.96	66.32	0.00
Actuarial gain/ (loss) on plan assets	(21.88)	(0.65)	0.00
Actual return on plan assets	397.08	65.67	0.00

Previous Year 2012-13

₹ in Crore

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	294.92	55.79	0
Actuarial gain/ (loss) on plan assets	24.35	0	0
Actual return on plan assets	319.27	55.79	0

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोड़ों में

V. पहचाना गया बीमांकक लाभ / हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकक लाभ / (हानि) – बाध्यता	263.75	(113.35)	4.39
वर्ष के लिए बीमांकक लाभ / (हानि)–योजना आस्तियां	(21.88)	0.65	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(285.63)	(112.70)	4.39
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकक (लाभ) / हानि	(285.63)	(112.70)	4.39
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकक (लाभ) / हानि	0.00	0.00	0.00

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोड़ों में

V. पहचाना गया बीमांकक लाभ / हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकक लाभ / (हानि) – बाध्यता	(533.47)	(75.89)	2.23
वर्ष के लिए बीमांकक लाभ / (हानि)–योजना आस्तियां	24.35	0	0
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(509.12)	(75.89)	2.23
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकक (लाभ) / हानि	(509.12)	(75.89)	2.23
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकक (लाभ) / हानि	0	0	0

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोड़ों में

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4930.31	897.83	200.69
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4767.66	864.63	0.00
अन्तर	162.65	33.20	200.69
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	162.65	33.20	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी आस्ति / (देयता)	0.00	0.00	200.69

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोड़ों में

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4521.26	810.57	236.22
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4195.97	744.17	0
अन्तर	325.29	66.40	236.22
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	325.29	66.40	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी आस्ति / (देयता)	0.00	0.00	(236.22)

Current Year 2013-14

₹ in Crore

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial (gain) / loss for the year - Obligation	263.75	(113.35)	4.39
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(21.88)	0.65	0.00
Total gain / (loss) for the year	(285.63)	(112.70)	4.39
Actuarial gain /(loss) recognized in the year	(285.63)	(112.70)	4.39
Unrecognized actuarial gain /(loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00

Previous Year 2012-13

₹ in Crore

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(533.47)	(75.89)	2.23
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	24.35	0	0
Total gain / (loss) for the year	(509.12)	(75.89)	2.23
Actuarial gain /(loss) recognized in the year	(509.12)	(75.89)	2.23
Unrecognized actuarial gain/(loss) at the end of the year	0	0	0

Current Year 2013-14

₹ in Crore

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	4930.31	897.83	200.69
Fair value of plan assets	4767.66	864.63	0.00
Difference	162.65	33.20	200.69
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	162.65	33.20	0.00
Asset/(Liability) recognized in the balance sheet	0.00	0.00	200.69

Previous Year 2012-13

₹ in Crore

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	4521.26	810.57	236.22
Fair value of plan assets	4195.97	744.17	0
Difference	325.29	66.40	236.22
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	325.29	66.40	0.00
Asset/(Liability) recognized in the balance sheet	0.00	0.00	(236.22)

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोड़ों में

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	57.07	36.16	22.16
ब्याज लागत	406.55	67.34	20.99
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(418.96)	(66.32)	0.00
निवल बीमांकक (लाभ) / हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	285.63	114.00	(4.39)
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	162.65	33.20	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	492.93	184.38	38.76

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोड़ों में

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	62.24	34.40	63.56
ब्याज लागत	313.05	58.46	15.78
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(294.93)	(55.79)	0.00
निवल बीमांकक (लाभ) / हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	509.12	75.89	(2.23)
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	162.65	33.20	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	752.13	146.16	77.11

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोड़ों में

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभिक शेष	0.01	0.00	236.22
उपर्युक्तानुसार व्यय	492.92	184.38	38.76
प्रदत्त अंशदान	(492.93)	(184.38)	(74.29)
निवल देयता का अंतशेष	0.00	0.00	200.69

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोड़ों में

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभिक शेष	(0.01)	0.00	218.06
उपर्युक्तानुसार व्यय	752.13	146.16	77.11
प्रदत्त अंशदान	(752.13)	(146.16)	(58.95)
निवल देयता का अंतशेष	(0.01)	0.00	236.22

Current Year 2013-14

₹ in Crore

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	57.07	36.16	22.16
Interest Cost	406.55	67.34	20.99
Expected return on plan assets	(418.96)	(66.32)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	285.63	114.00	(4.39)
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	162.65	33.20	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	492.93	184.38	38.76

Previous Year 2012-13

₹ in Crore

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	62.24	34.40	63.56
Interest Cost	313.05	58.46	15.78
Expected return on plan assets	(294.93)	(55.79)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	509.12	75.89	(2.23)
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	162.65	33.20	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	752.13	146.16	77.11

Current Year 2013-14

₹ in Crore

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	0.01	0.00	236.22
Expense as above	492.92	184.38	38.76
Contribution paid	(492.93)	(184.38)	(74.29)
Closing net liability	0.00	0.00	200.69

Previous Year 2012-13

₹ in Crore

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	(0.01)	0.00	218.06
Expense as above	752.13	146.16	77.11
Contribution paid	(752.13)	(146.16)	(58.95)
Closing net liability	(0.01)	0.00	236.22

₹ करोडों में

IX. चालू वर्ष 2013–14	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4930.31	897.83	200.69
योजना आस्तियां	4767.66	795.17	0.00
अधिशेष (घाटा)	(162.65)	(102.66)	(200.69)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि / लाभ)	(263.75)	113.35	(4.39)
योजना आस्तयों पर अनुभव समयोजन (हानि / लाभ)	(21.88)	0.65	0.00

₹ करोडों में

IX. पिछले वर्ष 2012–13	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4521.26	810.57	236.22
योजना आस्तियां	4195.97	744.17	0.00
अधिशेष (घाटा)	(325.29)	(66.40)	(236.22)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि / लाभ)	(533.47)	(75.89)	2.23
योजना आस्तयों पर अनुभव समयोजन (हानि / लाभ)	24.35	0.00	0.00

X. .योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2013-14		2012-13	
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	37.00%	50.00%	55.00%	51.91%
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	26.91%	30.00%	40.00%	46.65%
विशेष जमा योजना	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	32.73%	18.00%	0.00%	0.00%
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
मनी मार्केट	3.36%	1.00%	5.00%	1.44%
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

₹ करोडों में

अगले वर्ष के दौरान अंशदान	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2013-14		2012-13	
XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	493.00	184.00	704.00	146.00

₹ in Crore

IX. Current Year 2013-14	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	4930.31	897.83	200.69
Plan Assets	4767.66	795.17	0.00
Surplus/ (Deficit)	(162.65)	(102.66)	(200.69)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(263.75)	113.35	(4.39)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(21.88)	0.65	0.00

₹ in Crore

IX. Previous Year 2012-13	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	4521.26	810.57	236.22
Plan Assets	4195.97	744.17	0.00
Surplus /(Deficit)	(325.29)	(66.40)	(236.22)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(533.47)	(75.89)	2.23
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	24.35	0.00	0.00

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2013-14		2012-13	
Government of India Securities and State Government Securities	37.00%	50.00%	55.00%	51.91%
High Quality Corporate Bonds	26.91%	30.00%	40.00%	46.65%
Special Deposit Scheme	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	32.73%	18.00%	0.00%	0.00%
Private Sector Bonds	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Others (PSUs)	3.36%	1.00%	5.00%	1.44%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

₹ in Crore

CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2013-14		2012-13	
XI. ENTERPRISE'S BEST ESTIMATE OF CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	493.00	184.00	704.00	146.00

योजना में अधिशेष / घाटा पेंशन

₹ करोड़ों में

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
वर्ष की समाप्ति पर देयता	1939.00	3563.00	3863.80	4521.26	4930.31
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियां का उचित मूल्य	1815.80	2851.00	3375.87	4195.96	4767.66
अंतर	123.20	712.60	487.93	325.30	162.65
पहचान न की गई विगत सेवा लागत	123.20	712.60	487.93	325.30	162.65
पहचान न की गई संक्रमण देयता	123.20	61.60	NIL	NIL	NIL
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	61.60	224.25	162.65	162.65	162.65

अनुभव समायोजन

₹ करोड़ों में

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ) / हानि	(41.96)	959.99	(346.33)	(533.47)	(263.75)
योजना आस्ति पर (लाभ) / हानि	(31.03)	(25.60)	9.18	24.35	(21.88)

योजना में अधिशेष / घाटा उपदान

₹ करोड़ों में

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
वर्ष की समाप्ति पर देयता	572.00	757.00	755.05	810.57	897.83
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियां का उचित मूल्य	561.60	619.00	655.45	744.18	864.63
अंतर	10.40	138.00	99.60	66.40	33.20
पहचान न की गई विगत सेवा लागत	10.40	138.00	99.60	66.40	33.20
पहचान न की गई संक्रमण देयता	10.40	5.20	NIL	NIL	NIL
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	5.20	38.40	33.20	33.20	33.20

अनुभव समायोजन

₹ करोड़ों में

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ) / हानि	27.13	17.83	(78.52)	(75.89)	(113.33)
योजना आस्ति पर (लाभ) / हानि	(7.83)	5.42	(1.72)	0.00	0.65

9.4 खण्ड रिपोर्टिंग (एएस 17)

लेखाकरण मानकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के परिचालनों को प्राथमिक खण्ड यथा, कारोबार खण्ड जिसमें ''राजकोष'', ''कार्पोरेट/थोक बैंकिंग'', ''खुदरा बैंकिंग'' एवं ''अन्य बैंकिंग परिचालन'' शामिल है तथा द्वितीय खण्ड जो कि भौगोलिक खण्ड है जिसे ''देशी'' एवं ''अंतर्राष्ट्रीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, निम्नानुसार है :

Surplus / Deficit in the Plan **Pension**

₹ in Crore

Amount recognised in the Balance Sheet	Year ended 31.03.2010	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014
Liability at the end of the year	1939.00	3563.00	3863.80	4521.26	4930.31
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1815.80	2851.00	3375.87	4195.96	4767.66
Difference	123.20	712.60	487.93	325.30	162.65
Unrecognised Past Service Cost	123.20	712.60	487.93	325.30	162.65
Unrecognised Transition Liability	123.20	61.60	NIL	NIL	NIL
Amount Recognised in the Balance Sheet	61.60	224.25	162.65	162.65	162.65

Experience Adjustment

₹ in Crore

Amount recognised in the Balance Sheet	Year ended 31.03.2010	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014
On Plan Liability (Gain) / Loss	(41.96)	959.99	(346.33)	(533.47)	(263.75)
On Plan Asset (Loss) / Gain	(31.03)	(25.60)	9.18	24.35	(21.88)

Surplus / Deficit in the Plan **Gratuity**

₹ in Crore

Amount recognised in the Balance Sheet	Year ended 31.03.2010	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014
Liability at the end of the year	572.00	757.00	755.05	810.57	897.83
Fair value of Plan Assets at the end of the year	561.60	619.00	655.45	744.18	864.63
Difference	10.40	138.00	99.60	66.40	33.20
Unrecognised Past Service Cost	10.40	138.00	99.60	66.40	33.20
Unrecognised Transition Liability	10.40	5.20	NIL	NIL	NIL
Amount Recognised in the Balance Sheet	5.20	38.40	33.20	33.20	33.20

Experience Adjustment

₹ in Crore

Amount recognised in the Balance Sheet	Year ended 31.03.2010	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014
On Plan Liability (Gain) / Loss	27.13	17.83	(78.52)	(75.89)	(113.33)
On Plan Asset (Loss) / Gain	(7.83)	5.42	(1.72)	0.00	0.65

9.4 SEGMENT REPORTING (AS 17)

As per the Reserve Bank of India guidelines on Accounting Standards, the Bank's operations are classified into Primary segment i.e. the business segment comprising of 'Treasury', 'Corporate / Wholesale Banking', 'Retail Banking' and 'Other Banking Operations' and Secondary segment being the geographical segment comprising of 'Domestic' and 'International' as follows:

खंड परिणाम

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
राजस्व	4200.12	3511.09	6843.69	6360.88	5437.92	5101.99	139.17	205.46	16620.90	15179.42
परिणाम	847.53	640.04	1099.56	1275.22	814.78	939.46	138.73	205.46	2900.60	3060.18
अनाबंटित व्यय									1424.93	1235.12
परिचालनगत लाभ									1475.67	1825.06
अल्पसंख्यक हित									0.00	0.00
अन्य अनाबंटनीय आय									0.00	0.00
आय कर									316.73	245.09
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	1.17
निवल लाभ									1158.94	1581.14
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	48784.93	44286.70	79065.27	66504.41	59483.43	51558.13	0.78	59.11	187334.41	162408.35
अनाबंटित आस्तियां									-7.71	414.25
कुल आस्तियां									187326.70	162822.60
खण्डीय देयताएं	49535.14	42774.36	69494.11	59570.63	51783.18	46170.71	0.00	0.00	170812.43	148515.70
अनाबंटित देयताएं									2643.23	2334.47
पूंजी, आरक्षितियाँ और अधिशेष									13871.04	11972.43
कुल देयताएं									187326.70	162822.60

		भाग बी – भौगोलिक खण्ड			
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2013-14	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**
राजस्व	16286.63	14875.43	334.27	303.99	16620.90	15179.42
आस्तियां	178145.44	154389.38	9181.26	8433.22	187326.70	162822.60

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व एवं व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है। जहाँ आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकडों को पुनर्समूहित किया गया।

Segment Reporting

Part A Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Revenue	4200.12	3511.09	6843.69	6360.88	5437.92	5101.99	139.17	205.46	16620.90	15179.42
Result	847.53	640.04	1099.56	1275.22	814.78	939.46	138.73	205.46	2900.60	3060.18
Unallocated expenses									1424.93	1235.12
Operating Profit									1475.67	1825.06
Minority Interest									0.00	0.00
Other unallocable income									0.00	0.00
Income Taxes									316.73	245.09
Exceptional Item									0.00	1.17
Net Profit									1158.94	1581.14
Other information										
Segment Assets	48784.93	44286.70	79065.27	66504.41	59483.43	51558.13	0.78	59.11	187334.41	162408.35
Unallocated assets									-7.71	414.25
Total assets									187326.70	162822.60
Segment Liabilities	49535.14	42774.36	69494.11	59570.63	51783.18	46170.71	0.00	0.00	170812.43	148515.70
Unallocated liabilities									2643.23	2334.47
Capital, Reserves & Surplus									13871.04	11972.43
Total liabilities									187326.70	162822.60

		Part B Geographic Segments			
	Domestic		International		Total	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Revenue	16286.63	14875.43	334.27	303.99	16620.90	15179.42
Assets	178145.44	154389.38	9181.26	8433.22	187326.70	162822.60

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segmental assets, wherever direct allocation is not possible. Previous year figures have been regrouped wherever necessary.

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

संबद्ध पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध

ए) अनुषंगियां:

i. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

ii. इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहयोगी: (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

i. पल्लवन ग्राम बैंक

ii. सप्तगिरि ग्रामीण बैंक

iii. पुदुवै भारतियार ग्रामा बैंक

सी. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री टी.एम भसीन	–	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री बी राज कुमार	–	कार्यपालक निदेशक
श्री महेश कुमार जैन	–	कार्यपालक निदेशक

डी. गैर कार्यपालक निदेशकों की शेयर धारिता

क्रमांक	गैर कार्यपालक निदेशक का नाम	धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या
1.	प्रो. नरेन्द्र कुमार अगरवाल	100
2.	श्री चिन्तामन महादेव दीक्षित	105

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है :

ई. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान 62.96 लाख रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष 62.36 लाख रुपए)

श्री टी.एम. भसीन, अ एवं प्र नि	
प्रदत्त पारिश्रमिक (01.04.2013 से 31.03.2014)	₹ 19.15 लाख
निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन	₹ 6.00 लाख
श्री राजीव ऋषि, का नि	
प्रदत्त पारिश्रमिक (01.04.2013 से 31.07.2013)	₹ 5.45 लाख
निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन	₹ 4.00 लाख
श्री बी राजकुमार, का नि	
प्रदत्त पारिश्रमिक (01.04.2013 से 31.03.2014)	₹ 16.39 लाख
निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन	₹ 4.00 लाख
श्री महेश कुमार जैन, का नि	
प्रदत्त पारिश्रमिक (27.09.2013 से 31.03.2014)	₹ 7.97 लाख

एफ. अनुषंगियों और सहयोगियों के सभी लेनदेनों का, ''संबंधित पार्टी प्रकटीकरण'' ए एस–18 के पैरा–9 के अनुसार प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिन्हें राज्य नियंत्रित उपक्रमों को उनके लेनदेन से संबंधित पार्टी, जो स्वयं राजय नियंत्रित उपक्रम है, प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

9.6 पट्टे खाते (एएस 19)

पट्टे / किराए आधार पर ली गई संपत्तियों को बैंक के विकल्प पर नवीकृत / रद्द किया जा सकता है। अतिरिक्त किराए / पट्टा किराए के संबंध में बैंक की देयताओं को, उनके निपटारे या नवीकरण पर पहचाना जाता है।

9.5 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank :

a) Subsidiaries :

i. Ind Bank Housing Ltd.

ii. Indbank Merchant Banking Services Ltd.

b) Associates : (Regional Rural Banks)

i) Pallavan Grama Bank

ii) Saptagiri Grameena Bank

iii) Puduvai Bharathiar Grama Bank

c) Key Managerial Personnel:

Shri. T M Bhasin	Chairman & Managing Director
Shri B Raj Kumar	Executive Director
Shri Mahesh Kumar Jain	Executive Director

d) Shareholding of non-executive Directors:

Sl No.	Name of the non-executive Director	No. of equity shares held
1.	Prof. Narendra Kumar Agrawal	100
2.	Shri. Chintaman Mahadeo Dixit	105

Related Party transactions are as under:

e) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 62.96 lakhs (previous year ₹ 62.36 lakhs)

Shri. T M Bhasin, CMD	
Remuneration paid (01.04.2013 to 31.03.2014)	₹ 19.15 lakhs
Performance Linked Incentive	₹ 6.00 lakhs
Shri. Rajeev Rishi, ED	
Remuneration paid (01.04.2013 to 31.07.2013)	₹ 5.45 lakhs
Performance Linked Incentive	₹ 4.00 lakhs
Shri B Raj Kumar, ED	₹ 16.39 lakhs
Remuneration paid (01.04.2013 to 31.03.2014)	₹ 4.00 lakhs
Performance Linked Incentive	
Shri Mahesh Kumar Jain	
Remuneration paid (27.09.2013 to 31.03.2014)	₹ 7.97 lakhs

f) The transactions with subsidiaries and associates have not been disclosed in view of para 9 of AS-18 'Related Party Disclosure', which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled enterprises.

9.6 Leases (AS 19)

The properties taken on lease/rental basis are renewable/ cancelable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

9.7 प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2013-14	2012-13
ईक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (रु.करोड़ में)	1128.30	1538.44
ईक्विटी शेयरों की संख्या	464848488	429770000
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	432844383	429770000
प्रति शेयर मूल अर्जन	₹ 26.07	₹ 35.80
प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन	₹26.07	₹ 35.80
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

9.8 आय पर करों के लिए लेखाकरण (एएस 22)

डीटीए(अस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (अस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं :

डीटीए / डीटीएल संघटक

रु. करोडों में

संघटक	31.03.2014	31.03.2013
आस्थगित कर आस्तियां		
1. भुगतान/क्रिस्टाइलेजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	160.76	131.55
2. अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0.24	0.21
3. विगत वर्षों में संदिग्ध ऋणों के लिए दावा नहीं किए गए भत्ते	0.00	0.82
कुल–डीटीए	161.00	132.58
आस्थगित कर देयताएं		
1. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	46.75	41.50
2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	271.74	218.00
3. बट्टे खाते हेतु प्रावधान	452.38	414.64
4. स्टाफ कल्याण व्यय	5.71	5.71
5. आयकर अधिनियम 1961 यू/एस 36(i)(viii) के विशेष आरक्षण पर डीटीएल*.	188.64	0.00
कुल – डीटीएल	965.22	679.85
निवल डीटीए / डीटीएल	(804.22)	(547.27)

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 20.12.2013 के परिपत्र संख्या डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013–14 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के तहत बनाई गई विशेष आरक्षित निधि के कारण, लाभ तथा हानि खातों के माध्यम से बैंक ने ₹ 20.39 करोड़ की आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का प्रावधान किया है। इसके अलावा, उपरोक्त परिपत्र के संदर्भ में, विशेष आरक्षितियाँ के लिए 31.03.2013 तक बनाई गई ₹ 168.25 करोड़ की आस्थगित कर देयता सीधे राजस्व आरक्षित निधि से बनायी गयी है।

9.9 आस्तियों का अनर्जक होना (एएस 28)

अचल आस्तियाँ जो कि बैंक की गैर–वित्तीय आस्तियाँ हैं, कॉर्पोरेट आस्तियों के रूप में मान लिया गया है न कि नकद अर्जन करने वाली इकाई के रूप में तथा परिणामस्वरूप कोई भी कमी–हानि की पहचान न की गई है।

10. लाभांश

ईक्विटी शेयर : ईक्विटी लाभांश के लिए प्रावधान रुपए 128.93 करोड की राशि रखी गई है जिसमें 30 प्रतिशत अंतरिम लाभांश (पिछले वर्ष– शून्य) और प्रस्तावित अंतिम लाभांश के लिए रुपए 70.02 करोड की राशि 17 प्रतिशत की दर पर रखी गयी है (वर्ष 2012–13 के लिए 66 प्रतिशत की दर पर रुपए 283.65 करोड की राशि रखी गई है)

बेमियादी गैर संचित अधिमान्य शेयर : इस वर्ष के लिए प्रस्तावित अधिमान्य लाभांश रुपए 26.21 करोड़ है जोकि अप्रैल 1, 2013 से 30 सितंबर 2013 तक 9.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर और अक्तूबर 01, 2013 से फरवरी 28, 2014 तक 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर परिकलित किया गया है। (पिछले वर्ष रुपए 36.50 करोड था . अप्रैल 1, 2012 से 30 सितंबर 2012 तक 9.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर और अक्तूबर 01, 2012 से मार्च 31, 2013 तक 9.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर)

डिबेंचर ट्रस्टियों के नाम पूर्ण संपर्क विवरण के साथ

11. विविध आय में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. 102.71 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 194.80 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है, जो बट्टे खाते लिखे गए खातों में वसूली है

ii. 122.92 करोड रुपए (पिछले वर्ष 132.84 करोड़ रुपए) शामिल है, जो वर्ष के दौरान संसाधन प्रभार हेतु वसूल की गयी राशि है।

12. 31.03.2014 को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में निर्धारित समय सीमा के बाद भी बैंक से एमएसएमई इकाइयों को देय कोई बकाया राशियां नहीं हैं।

13. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडे के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

9.7 Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2013-14	2012-13
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	1128.30	1538.44
Number of Equity Shares	464848488	429770000
Weighted Number of equity shares	432844383	429770000
Basic Earning Per Share	₹ 26.07	₹ 35.80
Diluted Earning Per Share	₹26.07	₹ 35.80
Nominal value per Equity Share	₹ 10.00	₹ 10.00

9.8 ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

The major components of DTA (Deferred Tax Assets) / DTL (Deferred Tax Liabilities) are as follows:

DTA / DTL components

₹ in Crore

Components	31.03.2014	31.03.2013
Deferred Tax Assets		
1. Liabilities provision allowable on payment /crystallization	160.76	131.55
2. Provision for unutilized leave	0.24	0.21
3. Unclaimed allowance for doubtful debts in prior years	0.00	0.82
TOTAL- DTA	161.00	132.58
Deferred Tax Liabilities		
1. Depreciation on Fixed Assets	46.75	41.50
2. Interest on Government securities	271.74	218.00
3. Provision for Written-off Accounts	452.38	414.64
4. Staff Welfare Retrieval	5.71	5.71
5. DTL on Special Reserves u/s 36(i)(viii) of Income Tax Act, 1961*.	188.64	0.00
TOTAL – DTL	965.22	679.85
NET DTA/ (DTL)	(804.22)	(547.27)

*In accordance with RBI Circular No.DBOD.No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20.12.2013, the Bank has provided Deferred Tax Liability (DTL) of ₹ 20.39 crores on account of Special Reserve created under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 for the Financial Year 2013-14. Further, in terms of aforesaid circular, DTL of ₹ 168.25 crores for the Special Reserve created upto 31.03.2013 has been made directly from Revenue Reserve.

9.9 Impairment of Assets (AS 28)

Fixed Assets being the non-financial assets possessed by the Bank are treated as "Corporate Assets" and not as Cash generating units, as such there is no impairment of assets and consequently no impairment loss has been recognized.

10. Dividend

Equity Shares: Provision for Equity Dividend includes interim dividend at 30% amounting to ₹ 128.93 crore (previous year – NIL) and proposed final dividend at 17% amounting to ₹ 70.02 crore (Dividend for 2012-13 at 66% amounting to ₹ 283.65 crore)

Perpetual Non-Cumulative Preference Shares: The Preference Dividend proposed for the year is ₹ 26.21 crore at 9.00% p.a. from April 01, 2013 to September 30, 2013 and at 8.50% p.a. from October 01, 2013 to February 28, 2014 (Previous year ₹ 36.50 crore at 9.25% p.a. from April 01, 2012 to September 30, 2012 and at 9.00% p.a. from October 01, 2012 to March 31, 2013).

11. Miscellaneous income includes:

i) a sum of ₹ 102.71 Crore (previous year ₹ 194.80 Crore) being recovery in written-off accounts

ii) ₹ 122.92 Crore (previous year ₹ 132.84 Crore) being recovery of processing charges during the year.

12. There is no outstanding dues payable by the bank to MSME units pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 as on 31.03.2014.

13. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

इंडियन बैंक, प्रधान कार्यालय, चेन्नै
मार्च 31, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

ए. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह	31.03.2014 को समाप्त (₹ in 000)	31.03.2013 को समाप्त (₹ in 000)
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	**1158 94 50**	**1581 13 60**
निम्नलिखित हेतु समायोजन		
प्रावधान व आकस्मिकताएं	1741 65 50	1480 20 95
मूल्यह्रास	104 56 82	90 93 56
आस्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	2 24 34	8 13 37
भुगतान किए गए आय कर	-544 85 54	(136 47 48)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ(i)	**2462 55 62**	**3023 94 00**
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में वृद्धि	-5579 36 77	(3848 23 79)
अग्रिमों में वृद्धि	-17087 83 30	(15965 66 23)
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी)	-193 83 72	(1233 89 36)
(ii)	**-22861 03 79**	**21047 79 38**
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि	20294 66 43	21176 35 55
अन्य देयताओं में वृद्धि	-624 46 81	283 70 66
(iii)	**19670 19 62**	**21460 06 21**
परिचालनगत गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (i) + (ii) + (iii)	**-728 28 55**	**-3436 20 83**
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	-171 21 18	(193 53 21)
अचल आस्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ	24 59 94	4 19 79
अनुषंगी कंपनी से प्राप्त लाभांश		
01.04.2011 को बैंक के साथ विलयन किये गये मेसर्स इंडफंड मेनेजमेंट लि. का राजस्व रिज़र्व		9 85 68
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी	**-146 61 24**	**179 47 74**
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
अदा किया गया लाभांश	(320 14 82)	(362 32 75)
अदा किया गया लाभांश वितरण कर	(54 40 92)	(58 77 86)
उधार में वृद्धि	2101 31 19	-(2010 30 43)
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी	**1726 75 45**	**-2431 41 04**
नकदी और नकदी समतुल्य आस्तियों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए + बी + सी)	**851 85 66**	**825 32 05**

Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2014

A. Cash flow from operating Activities	Year ended 31.03.2014 (₹ in 000)	Year ended 31.03.2013 (₹ in 000)
Net Profit as per Profit & Loss Account	**1158 94 50**	**1581 13 60**
Adjustments for :		
Provisions & Contingencies	1741 65 50	1480 20 95
Depreciation	104 56 82	90 93 56
Loss/(Profit) on Sale of Assets	2 24 34	8 13 37
Income Taxes paid	-544 85 54	(136 47 48)
Operating Profit before working capital changes (i)	**2462 55 62**	**3023 94 00**
INCREASE/DECREASE IN OPERATING ASSETS		
Increase in Investments	-5579 36 77	(3848 23 79)
Increase in Advances	-17087 83 30	(15965 66 23)
Increase/(Decrease) in Other Assets	-193 83 72	(1233 89 36)
(ii)	**-22861 03 79**	**21047 79 38**
INCREASE/DECREASE IN OPERATING LIABILITIES		
Increase in Deposits	20294 66 43	21176 35 55
Increase in Other Liabilities	-624 46 81	283 70 66
(iii)	**19670 19 62**	**21460 06 21**
Net cash generated from operating Activities (i) + (ii) + (iii)	**-728 28 55**	**-3436 20 83**
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of Fixed Assets	-171 21 18	(193 53 21)
Sale proceeds of Fixed Assets	24 59 94	4 19 79
Dividends received from subsidiary company		
Revenue Reserve M/s Indfund Management Ltd merged with the Bank as on 01.04.2011.		9 85 68
Net cash generated from Investing Activities	**-146 61 24**	**179 47 74**
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Dividends paid	(320 14 82)	(362 32 75)
Dividend distribution tax paid	(54 40 92)	(58 77 86)
Increase in borrowings	2101 31 19	-(2010 30 43)
Net cash generated from Financing Activities	**1726 75 45**	**-2431 41 04**
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A + B + C)	**851 85 66**	**825 32 05**

वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य आस्तियाँ				
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष				
हाथ में नकदी	435 91 29		300 16 95	
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	6628 33 06		6018 70 25	
बैंकों में शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां				
बैंकों में शेष				
(क) चालू खातों में	25 36 52		68 52 62	
(ख) अन्य जमा खातों में	275 89 74		27 86	
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां (बैंकों में)	**1149 88 09**		**645 26 13**	
भारत के बाहर				
i) चालू खातों में	1033 41 63		568 50 22	
ii) अन्य जमा खातों में	74 49 66		1180 40 22	
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	15 38 31		31 52 00	
		9638 68 30		**8813 36 25**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य राशियाँ				
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष				
हाथ में नकदी	260 17 06		435 91 29	
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	7497 50 96		6628 33 06	
बैंकों में शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां				
बैंकों में शेष				
(क) चालू खातों में	13 91 18		25 36 52	
(ख) अन्य जमा खातों में	275 98 84		275 89 74	
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां (बैंकों में)			1149 88 09	
भारत के बाहर				
i) चालू खातों में	2434 47 61		1033 41 63	
ii) अन्य जमा खातों में	8 11 61		74 49 66	
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	36 71		15 38 31	
		10490 53 97		**9638 68 30**

टी एम भसीन
T M BHASIN
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

के श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
महा प्रबंधक
GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**

सुधा कृष्णन SUDHA KRISHNAN, डॉ सत्यन डेविड **Dr. SATHYAN DAVID,** दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT,**
पी वेंकट कृष्ण राव **P VENKATA KRISHNA RAO,** अमरजीत चोपडा **AMARJIT CHOPRA,** संजय माकन **SANJAY MAKEN,**
एम बुच्चि रामि रेड्डी **M BUTCHI RAMI REDDY,** चिंतामन महादेव दीक्षित **CHINTAMAN MAHADEO DIXIT**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते शार्प एण्ड टण्णन
For SHARP & TANNAN
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W
अश्विन बी चोपडा
ASHWIN B. CHOPRA
साझेदार Partner
(एम.सं.038159) (M. No.038159)

कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी
For BHATTACHARYA DAS & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E
ए के दास
A.K.DAS
साझेदार Partner
(एम.सं.011913) (M. No.011913)

कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
नीरज पोद्दार
NIRAJ PODDAR
साझेदार Partner
(एम.सं.401067) (M. No.401067)

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S.P.PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N
विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम.सं.090163) (M. No.090163)

कृते सी के पृस्टी एण्ड एसोसियेट्स
For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
सी के पृस्टी
C.K.PRUSTY
साझेदार Partner
(एम.सं.057318) (M. No.057318)

स्थान : Place : चेन्नै Chennai
दिनांक : Date : मई May 12, 2014

CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR				
Cash and balances with RBI				
Cash in hand	435 91 29		300 16 95	
Balances with RBI in current account	6628 33 06		6018 70 25	
Balances with Banks and Money at call and short notice				
Balances with Banks				
(a) in current accounts	25 36 52		68 52 62	
(b) in other deposit accounts	275 89 74		27 86	
Money at call and short notice (with Banks)	**1149 88 09**		**645 26 13**	
Outside India				
i) in Current Accounts	1033 41 63		568 50 22	
ii) in other deposit accounts	74 49 66		1180 40 22	
iii) Money at call and short notice	15 38 31		31 52 00	
		9638 68 30		**8813 36 25**
CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR				
Cash and balances with RBI				
Cash in hand	260 17 06		435 91 29	
Balances with RBI in current account	7497 50 96		6628 33 06	
Balances with Banks and Money at call and short notice				
Balances with Banks				
(a) in current accounts	13 91 18		25 36 52	
(b) in other deposit accounts	275 98 84		275 89 74	
Money at call and short notice (with Banks)			1149 88 09	
Outside India				
i) in Current Accounts	2434 47 61		1033 41 63	
ii) in other deposit accounts	8 11 61		74 49 66	
iii) Money at call and short notice	36 71		15 38 31	
		10490 53 97		**9638 68 30**

टी एम भसीन
T M BHASIN
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

के श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
महा प्रबंधक
GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**

सुधा कृष्णन **SUDHA KRISHNAN**, डॉ सत्यन डेविड **Dr. SATHYAN DAVID**, दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT**,
पी वेंकट कृष्ण राव **P VENKATA KRISHNA RAO**, अमरजीत चोपडा **AMARJIT CHOPRA**, संजय माकन **SANJAY MAKEN**,
एम बुच्चि रामि रेड्डी **M BUTCHI RAMI REDDY**, चिंतामन महादेव दीक्षित **CHINTAMAN MAHADEO DIXIT**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

कृते शार्प एण्ड टण्णन
For SHARP & TANNAN
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W
अश्विन बी चोपडा
ASHWIN B. CHOPRA
साझेदार Partner
(एम.सं.038159) (M. No.038159)

कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी
For BHATTACHARYA DAS & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E
ए के दास
A.K.DAS
साझेदार Partner
(एम.सं.011913) (M. No.011913)

कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
नीरज पोद्दार
NIRAJ PODDAR
साझेदार Partner
(एम.सं.401067) (M. No.401067)

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S.P.PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N
विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम.सं.090163) (M. No.090163)

कृते सी के पृस्टी एण्ड एसोसियेट्स
For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
सी के पृस्टी
C.K.PRUSTY
साझेदार Partner
(एम.सं.057318) (M. No.057318)

स्थान : Place : चेन्नै Chennai
दिनांक : Date : मई May 12, 2014

31.03.2014 तक पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण

(₹ in Crore)

	पुनर्संरचना का प्रकार			सीडीआर मेकानिजम के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण			मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
क्रमांक	विवरण																						
1	वित्तीय वर्ष 2014 में अप्रैल 1 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकडे)'	1	उधारकर्ताओं की संख्या	12		2		14	288	313	1051		1652	3403	4911	4099		12413	3703	5224	5152	0	14079
		2	बकाया राशि	931.58		116.50		1048.08	147.90	31.56	57.65		237.11	7494.00	587.42	341.25		8422.67	8573.48	618.98	515.40	0	9707.86
		3	उन पर प्रावधान	34.82		2.37		37.19	1.56	0.21	1.09		2.86	235.69	4.74	6.33		246.76	272.07	4.95	9.79	0.00	286.81
2	अप्रैल – मार्च 2014 के दौरान नई पुनर्संरचना	4	उधारकर्ताओं की संख्या	9		1		10	51	24			75	614	183	1		798	674	207	2	0	883
		5	बकाया राशि	791.78		54.62		846.40	60.86	7.08			67.94	2753.14	204.60	19.41		2977.15	3605.78	211.68	74.03	0.00	3891.49
		6	उन पर प्रावधान	16.52		0.00		16.52	0.91	0.03			0.94	134.72	0.50	1.32		136.54	152.15	0.53	1.32	0.00	154.00
3	अप्रैल – मार्च 2014 के दौरान पुनर्संरचित मानक संवर्ग में उन्नयन	7	उधारकर्ताओं की संख्या					0	9	-5	-4		0	148	-102	-46		0	157	-107	-50	0	0.00
		8	बकाया राशि					0.00	6.58	-0.23	-6.35		0.00	85.79	-58.96	-26.83		0.00	92.37	-59.19	-33.18	0	0.00
		9	उन पर प्रावधान					0.00	0.09	0.00	-0.09		0.00	0.93	-0.90	-0.03		0.00	1.02	-0.9	-0.12	0	0.00
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए उच्चतर स्तर का प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार नहीं रहा जिससे उसे अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की जरूरत नहीं है।	10	उधारकर्ताओं की संख्या	1				1	59				59	989				989	1049				1049
		11	बकाया राशि	52.09				52.09	54.12				54.12	1263.38				1263.38	1369.59				1369.59
		12	उन पर प्रावधान	2.26				2.26	0.43				0.43	22.94				22.94	25.63				25.63
5	अप्रैल – मार्च 2014 के दौरान पुनर्संरचित खातों की कोटि में गिरावट	13	उधारकर्ताओं की संख्या	-2		2		0	-346	331	15		0	-2419	2327	92	0	0	-2767	2658	109	0	0
		14	बकाया राशि	-309.45		309.45		0.00	-42.67	18.35	36.73		12.41	-185.71	-101.52	274.82	0.00	-12.41	-537.83	-83.17	621	0	0.00
		15	उन पर प्रावधान	0.00		0.00		0.00	-0.47	0.44	0.03		0.00	-2.18	0.15	2.03	0.00	0.00	-2.65	0.59	2.06	0	0.00
6	अप्रैल – मार्च 2014 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते लिखा जाना	16	उधारकर्ताओं की संख्या					0		0	27	1	28		2	143	6	151	0	2	170	7	179
		17	बकाया राशि					0.00		0.00	13.23	0.00	13.23		0.05	10.12	42.29	52.46	0	0.05	23.35	42.29	65.69
		18	उन पर प्रावधान					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7	वित्तीय वर्ष 2014 के मार्च 31 को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकडे) *	19	उधारकर्ताओं की संख्या	18		5		23	144	365	21		530	2318	2565	155		5038	2480	2930	181	0	5591
		20	बकाया राशि	1391.74		555.97		1947.71	121.62	49.26	55.09		225.97	6637.21	362.76	490.27		7490.24	8150.57	412.02	1101.33	0	9663.92
		21	उन पर प्रावधान	42.18		2.90		45.08	1.60	0.37	0.12		2.09	251.24	2.29	4.47		258.00	295.02	2.66	7.49	0.00	305.17

* उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो) की आवश्यकता जिन पुनसंरचित मानक अग्रिमों के लिए नहीं है, उन आंकडों को छोडकर

DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS - AS ON 31-03-2014

(₹ in Crore)

	Type of Restructuring			Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring					Others					Total				
	Asset Classification			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
Sl No	Details																						
1	Restructured Accounts as on April 1of the FY 2014 (opening figure) *	1	Number Of Borrowers	12		2		14	288	313	1051		1652	3403	4911	4099		12413	3703	5224	5152	0	14079
		2	Amount Outstanding	931.58		116.50		1048.08	147.90	31.56	57.65		237.11	7494.00	587.42	341.25		8422.67	8573.48	618.98	515.40	0	9707.86
		3	Provision thereon	34.82		2.37		37.19	1.56	0.21	1.09		2.86	235.69	4.74	6.33		246.76	272.07	4.95	9.79	0.00	286.81
2	Fresh restructuring during Apr-Mar 2014	4	Number Of Borrowers	9		1		10	51	24			75	614	183	1		798	674	207	2	0	883
		5	Amount Outstanding	791.78		54.62		846.40	60.86	7.08			67.94	2753.14	204.60	19.41		2977.15	3605.78	211.68	74.03	0.00	3891.49
		6	Provision thereon	16.52		0.00		16.52	0.91	0.03			0.94	134.72	0.50	1.32		136.54	152.15	0.53	1.32	0.00	154.00
3	Upgradation to restructured standard category during Apr-Mar 2014	7	Number Of Borrowers					0	9	-5	-4		0	148	-102	-46		0	157	-107	-50	0	0.00
		8	Amount Outstanding					0.00	6.58	-0.23	-6.35		0.00	85.79	-58.96	-26.83		0.00	92.37	-59.19	-33.18	0	0.00
		9	Provision thereon					0.00	0.09	0.00	-0.09		0.00	0.93	-0.90	-0.03		0.00	1.02	-0.9	-0.12	0	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	10	Number Of Borrowers	1				1	59				59	989				989	1049				1049
		11	Amount Outstanding	52.09				52.09	54.12				54.12	1263.38				1263.38	1369.59				1369.59
		12	Provision thereon	2.26				2.26	0.43				0.43	22.94				22.94	25.63				25.63
5	Downgradations of restructured accounts during Apr-Mar 2014	13	Number Of Borrowers	-2		2		0	-346	331	15		0	-2419	2327	92	0	0	-2767	2658	109	0	0
		14	Amount Outstanding	-309.45		309.45		0.00	-42.67	18.35	36.73		12.41	-185.71	-101.52	274.82	0.00	-12.41	-537.83	-83.17	621	0	0.00
		15	Provision thereon	0.00		0.00		0.00	-0.47	0.44	0.03		0.00	-2.18	0.15	2.03	0.00	0.00	-2.65	0.59	2.06	0	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during Apr-Mar 2014	16	Number Of Borrowers					0		0	27	1	28		2	143	6	151	0	2	170	7	179
		17	Amount Outstanding					0.00		0.00	13.23	0.00	13.23		0.05	10.12	42.29	52.46	0	0.05	23.35	42.29	65.69
		18	Provision thereon					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
7	Restructured Accounts as on Mar31 of the FY 2014 (closing figure) *	19	Number Of Borrowers	18		5		23	144	365	21		530	2318	2565	155		5038	2480	2930	181	0	5591
		20	Amount Outstanding	1391.74		555.97		1947.71	121.62	49.26	55.09		225.97	6637.21	362.76	490.27		7490.24	8150.57	412.02	1101.33	0	9663.92
		21	Provision thereon	42.18		2.90		45.08	1.60	0.37	0.12		2.09	251.24	2.29	4.47		258.00	295.02	2.66	7.49	0.00	305.17

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति
वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

हमने इंडियन बैंक की, 31 मार्च 2014 तक की संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इनमें 31 मार्च 2014 का तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा, तब समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकारक सूचना शामिल है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं की विवरणियाँ, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1244 शाखाओं की विवरणियाँ, और स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3 विदेशी शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। तुलन–पत्र और लाभ हानि लेखे में ऐसी 986 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं, जिनकी लेखा–परीक्षा नहीं की गई है। इन लेखा परीक्षा न की गई शाखाओं के पास बैंक के 5.47 प्रतिशत अग्रिम हिस्सा, 22. 70 प्रतिशत जमा हिस्सा, 3.89 प्रतिशत ब्याज आय हिस्सा और 21.81 प्रतिशत ब्याज व्यय हिस्सा है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्वः

2. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं और लागू लेखा मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रबंधन जिम्मेदार है। इस उत्तरदायित्व में इन वित्तीय विवरणों को बनाने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जोकि तात्विक गलत कथनों से, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो, मुक्त हैं।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारीः

3. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षण पर जारी मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और इस अपनी लेखा परीक्षा को इस तरह आयोजित एवं निष्पादित करते हैं ताकि यह सुसंगत आश्वासन मिल जाए कि ये वित्तीय विवरण, तात्विक गलत कथनों से मुक्त हैं।
4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं पर कार्य करना अन्तर्विष्ट है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण करना भी शामिल है, चाहे वे धोखाधड़ी से हो या गलती से हो। इन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक बैंक द्वारा वित्तीय विवरणों को बनाने और उचित प्रस्तुतीकरण पर विचार करता है जिससे कि वह लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं को डिज़ाइन कर सके जो परिस्थितियों के समीचीन हो। लेकिन इसका उद्देश्य बैंक के आंतरिक नियंत्रण की कारीगरता पर राय व्यक्त करना नहीं है। प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तियुक्तता, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी लेखा–परीक्षा में शामिल है।
5. हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार हेतु उपर्युक्त हैं।

रायः

6. हमारी राय में, बैंक की बहियों में दिए गए अनुसार और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

   i. भारत में, सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण नीतियों के अनुपालन में, टिप्पणियों के साथ पठित तुलन – पत्र पूर्ण और सही तुलन–पत्र है जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार उचित रूप से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च 2014 के कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।

   ii. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखों पर दिए गए नोट के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा, कवर किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्यत स्वीकार्य लेखाकरण नीतियों के अनुपालन में लेखे द्वारा लाभ का सही शेष दर्शाता है और

   iii. नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों का सत्य और उचित विवरण दर्शाता है

विषय पर जोर

7. हमारी राय अर्हकारी **हुए बिना हम निम्नलिखित टिप्पणियों की तरफ ध्यान आकर्षित करते** हैं :

ए. वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की टिप्पणी 9.2 में भारतीय रिजर्व बैंक के दि. 09.02.2011 के परिपत्र के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को लेखाकरण मानक (एएस) 15, कर्मचारी लाभ के प्रावधानों को लागू करने से दी गई छूट के अनुसार रू.195.84 करोड की राशि की पेंशन देयता और ग्रैच्युइटी देयता को आस्थगित करने संबंधी ब्योरा है।

बी. अनूसूची 18 की टिप्पणी सं.9.8 में लाभ व हानि खाते के जरिए वर्ष 2013–14 के वित्तीय वर्ष के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन निर्मित स्पेशल रिजर्व के कारण रू.20.39 करोड की आस्थगित कर देयता के प्रावधान का संदर्भ है। भारिबैं के दि. 20.12.2013 के परिपत्र के अनुसरण में राजस्व रिजर्व से सीधे 31.03.2013 तक निर्मित विशेष रिजर्व के लिए रू.168.25 करोड की आस्थगित कर दायित्व है।

सी. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने दि. 07.02.1914 के परिपत्र के जरिए दी गई अनुमति के अनुसार गैर निष्पादक आस्तियों के लिए चल प्रावधान से विशिष्ट प्रावधान की ओर रू.46.06 करोड के उपयोग के संबंध में अनुसूची 18 की टिप्पणी सं.8.6

डी. बैंक की ओवरसीज शाखा से इसकी भारतीय शाखा में अंतरित रू.144 करोड के पुनःसंचरित अग्रिम के लिए आईआरएसी के भारिबैं के विवेकी मानदंडों के अधीन पुनःवर्गीकरण संबंधी अनुसूची 18 की टिप्पणी सं.8.19

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ''ए'' और ''बी'' में क्रमशः तुलन पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बनाए गए हैं।
9. उपर्युक्त 1 से 5 तक के पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास में हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

   (बी) बैंक के लेनदेन जोकि हमारी सूचना में आए हैं, बैंक के अधिकारों के भीतर ही है।

   (सी) कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।

10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते शार्प एण्ड टण्णन
For SHARP & TANNAN
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W
अश्विन बी चोपडा
ASHWIN B. CHOPRA
साझेदार Partner
(एम.सं.038159) (M. No.038159)

कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी
For BHATTACHARYA DAS & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.307077ई Firm's Registration No. 307077E
ए के दास
A.K.DAS
साझेदार Partner
(एम.सं.011913) (M. No.011913)

कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
नीरज पोद्दार
NIRAJ PODDAR
साझेदार Partner
(एम.सं.401067) (M. No.401067)

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S.P.PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N
विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम.सं.090163) (M. No.090163)

कृते सी के पृस्टी एण्ड एसोसियेट्स
For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
सी के पृस्टी
C.K.PRUSTY
साझेदार Partner
(एम.सं.057318) (M. No.057318)

स्थान : चेन्नै
दिनांकः मई 12, 2014

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The President of India

Report on Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Indian Bank as at March 31, 2014, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 1244 branches audited by Branch Auditors and 3 foreign branches audited by local auditors. The Branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit & Loss Account are the returns from 986 branches, which have not been subjected to audit. These un-audited branches account for 5.47 per cent of advances, 22.70 per cent of deposits, 3.89 per cent of interest income and 21.81 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements:

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, requirements of Reserve Bank of India and applicable Accounting Standards. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility:

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purposes of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2014, in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account ; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to :

a. Note 9.2 of Schedule 18 to the financial statements, which describes deferment of pension liability and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹ 195.84 Crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, vide its circular dated 09.02.2011.

b. Note No.9.8 of Schedule 18 referring to provision of Deferred Tax Liability (DTL) of ₹ 20.39 Crores on account of Special Reserve created under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 for the Financial Year 2013-14 through Profit and Loss Account. DTL of ₹ 168.25 Crores for the Special Reserve created up to 31.03.2013 made directly from Revenue Reserve pursuant to RBI Circular dated 20.12.2013.

c. Note No. 8.6 of Schedule 18 regarding utilisation of a sum of ₹ 46.06 Crores from Floating Provisions towards specific provision for Non Performing Assets as permitted by Reserve Bank of India vide its circular dated 07.02.2014 and also pursuant to Bank's Board approved policy.

d. Note No.8.19 of Schedule 18 regarding reclassification under RBI's prudential norms of IRAC for a restructured advance of ₹ 144 Crores transferred from Bank's overseas branch to its Indian branch.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosures required therein, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For SHARP & TANNAN
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 109982W

ASHWIN B. CHOPRA
Partner
(M. No.038159)

For BHATTACHARYA DAS & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 307077E

A.K.DAS
Partner
(M. No. 011913)

For DEOKI BIJAY & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 313105E

NIRAJ PODDAR
Partner
(M. No.401067)

For S.P.PURI & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 001152N

VIDUR PURI
Partner (M. No .090163)

For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm's Registration No.323220E

C.K.PRUSTY
Partner (M. No. 057318)

Place : Chennai
Date : 12.05.2014

यह पृष्ठ जानबूझ कर खाली छोड़ा गया है
This page is intentionally left blank

समेकित तुलन पत्र
लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ

CONSOLIDATED BALANCE SHEET,
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

31 मार्च 2014 को इंडियन बैंक तथा उसकी अनुषंगियों का समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2014

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
पूँजी व देयताएं **CAPITAL & LIABILITIES**			
पूंजी Capital	1	464.85	829.77
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	13558.79	11263.05
अल्पसंख्यक हित Minority Interest	2A	14.66	14.56
जमाएं Deposits	3	162255.18	141967.73
उधार Borrowings	4	4963.87	2862.56
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6230.84	6015.75
कुल **TOTAL**		**187488.19**	**162953.42**
आस्तियां **ASSETS**			
नकद और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष Cash & Balances with R B I	6	7757.68	7064.24
बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	2736.59	2575.09
निवेश Investments	8	47035.28	41899.19
अग्रिम Advances	9	122212.49	105647.07
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	2937.87	1697.02
अन्य आस्तियां Other Assets	11	4808.28	4070.81
कुल **TOTAL**		**187488.19**	**162953.42**
आकस्मिक देयताएं **Contingent Liabilities**	12	**43909.34**	**36337.05**
संग्रहण के लिए बिल **Bills for Collection**	-	**2828.24**	**2980.42**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17

लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी एम भसीन
T M BHASIN
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

के श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
महा प्रबंधक
GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**

सुधा कृष्णन **SUDHA KRISHNAN**, डॉ सत्यन डेविड **Dr. SATHYAN DAVID**, दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT**,
पी वेंकट कृष्ण राव **P VENKATA KRISHNA RAO**, अमरजीत चोपडा **AMARJIT CHOPRA**, संजय माकन **SANJAY MAKEN**,
एम बुच्चि रामि रेड्डी **M BUTCHI RAMI REDDY**, चिंतामन महादेव दीक्षित **CHINTAMAN MAHADEO DIXIT**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

कृते शार्प एण्ड टण्णन
For SHARP & TANNAN
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W
अश्विन बी चोपडा
ASHWIN B. CHOPRA
साझेदार Partner
(एम.सं.038159) (M. No.038159)

कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी
For BHATTACHARYA DAS & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E
ए के दास
A.K.DAS
साझेदार Partner
(एम.सं.011913) (M. No.011913)

कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
नीरज पोद्दार
NIRAJ PODDAR
साझेदार Partner
(एम.सं.401067) (M. No.401067)

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S.P.PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N
विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम.सं.090163) (M. No.090163)

कृते सी के पृस्टी एण्ड एसोसियेट्स
For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
सी के पृस्टी
C.K.PRUSTY
साझेदार Partner
(एम.सं.057318) (M. No.057318)

स्थान : Place : चेन्नै Chennai
दिनांक : Date : मई May 12, 2014

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2014 को Y E 31.03.2014	31.03.2013 को Y E 31.03.2013
I. आय : INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	15249.43	13897.58
अन्य आय Other Income	14	1378.03	1289.79
कुल **TOTAL**		**16627.46**	**15187.37**
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	10887.47	9367.35
परिचालनगत व्यय Operating expenses	16	2837.94	2758.22
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions & Contingencies	-	1742.44	1479.95
कुल **TOTAL**		**15467.85**	**13605.52**
III. वर्ष के लिए समूह से संबंधित समेकित निवल लाभ / (हानि)			
Consolidated Profit/(loss) for the year attributable to the group		1159.61	1581.85
सहयोगियों में कमाई की हिस्सेदारी Share of earnings in Associates		29.74	27.78
अल्प संख्यक हित Minority Interest		-0.10	-0.26
		1189.25	1609.37
अग्रानीत लाभ / (हानि) Profit/(Loss) brought forward		168.92	139.60
कुल निवल लाभ **Total Net Profit**		**1358.17**	**1748.97**
IV. विनियोजन APPROPRIATIONS			
निम्नलिखित को अंतरित : **Transfer to :**			
सांविधिक प्रारक्षित निधि Statutory Reserves		290.00	396.00
पूँजी रिज़र्व Capital Reserves- Others		2.36	29.49
धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Spl.Reserve u/s 36(1)(viii) of I T Act		60.00	100.00
राजस्व रिज़र्व Revenue Reserves		510.00	665.00
स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund		20.00	15.00
प्रस्तावित ईक्विटी लाभांश Proposed Equity Dividend		207.95	283.65
प्रस्तावित अधिमान्य लाभांश Proposed Preference Dividend		26.20	36.50
लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		39.80	54.41
समेकित तुलन पत्र को ले जाया गया अधिशेष Balance carried over to consolidated Balance Sheet		201.86	168.92
कुल विनियोजन **Total Appropriations**		**1358.17**	**1748.97**
प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया गया)			
Earnings per Share in Rs. (Basic & diluted)		26.87	36.45

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी एम भसीन
T M BHASIN
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

के श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
महा प्रबंधक
GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**
सुधा कृष्णन SUDHA KRISHNAN, डॉ सत्यन डेविड Dr. SATHYAN DAVID, दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT,**
पी वेंकट कृष्ण राव P VENKATA KRISHNA RAO, अमरजीत चोपडा AMARJIT CHOPRA, संजय माकन SANJAY MAKEN,
एम बुच्चि रामि रेड्डी M BUTCHI RAMI REDDY, चिंतामन महादेव दीक्षित **CHINTAMAN MAHADEO DIXIT**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते शार्प एण्ड टण्णन
For SHARP & TANNAN
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W
अश्विन बी चोपडा
ASHWIN B. CHOPRA
साझेदार Partner
(एम.सं.038159) (M. No.038159)

कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी
For BHATTACHARYA DAS & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E
ए के दास
A.K.DAS
साझेदार Partner
(एम.सं.011913) (M. No.011913)

कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
नीरज पोद्दार
NIRAJ PODDAR
साझेदार Partner
(एम.सं.401067) (M. No.401067)

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S.P.PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N
विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम.सं.090163) (M. No.090163)

कृते सी के पृस्टी एण्ड एसोसियेट्स
For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
सी के पृस्टी
C.K.PRUSTY
साझेदार Partner
(एम.सं.057318) (M. No.057318)

स्थान : Place : चेन्नै Chennai
दिनांक : Date : मई May 12, 2014

अनुसूची 1 – पूँजी
SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. प्राधिकृत पूँजी **Authorised Capital**		
प्रत्येक ₹ 10/– के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
प्रत्येक ₹100/– के 4,00,00,000 स्थायी गैर–संचयी अधिमान्य शेयर 4,00,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of Rs.100/- each	400.00	400.00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी **Issued, Subscribed and Paid up:**		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक ₹10/– के 37,88,98,488 ईक्विटी शेयर (जिसमें वर्ष के दौरान पीएनसीपीएस के अधिमान्य आधार पर परिवर्तित किए जाने पर जारी 3,50,78,488 ईक्विटी शेयर शामिल हैं) (पिछला वर्ष– प्रत्येक ₹ 10/– के 34,38,20,000 ईक्विटी शेयर a. 37,88,98,488 (including 3,50,78,488 Equity shares issued during the year upon conversion of PNCPS on preferential basis) Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y.-34,38,20,000 Equity shares of Rs. 10/- each)	378.90	343.82
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक ₹ 10/– के 8,59,50,000 ईक्विटी शेयर b. 8,59,50,000 Equity shares of Rs.10/- each held by Public	85.95	85.95
कुल **Total**	**464.85**	**429.77**
अधिमान्य शेयर **Preference Shares :** शून्य वर्ष के दौरान पीएनसीपीएस को ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने पर. (पिछला वर्ष भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 100/– के 4,00,00,000 – स्थायी गैर संचयी अधिमान्य शेयर) NIL upon conversion of PNCPS into Equity shares during the year (PY : 400,00,000 - Perpetual Non Cumulative Preference Shares of Rs.100/- each held by Government of India)	0.00	400.00
कुल **TOTAL**	**464.85**	**829.77**

अनुसूची 2 – प्रारक्षित निधि व अधिशेष
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
सांविधिक आरक्षितियां Statutory Reserves	3329.76	3039.76
पूँजीगत आरक्षितियां – पुनर्मूल्यांकन Capital Reserves-Revaluation	2335.46	1133.59
पूँजीगत आरक्षितियां – अन्य Capital Reserve -Others	95.34	92.98
शेयर प्रीमियम Share Premium	1061.12	696.20
निवेश रिज़र्व Investment Reserve	39.92	39.92
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधियाँ Revenue and other Reserves	5882.13	5538.48
आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl. Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	555.00	495.00
आयकर अधिनियम 36(1) (viii a) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl. Reserve u/s 36(1)(viii a) of Income Tax Act	58.20	58.20
लाभ एवं हानि खाता Profit & Loss account	201.86	168.92
कुल **Total**	**13558.79**	**11263.05**

अनुसूची 2ए – अल्पसंख्यक हित
SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
मूल उद्यम – अनुषंगी का संबंध उद्भव होने की तारीख पर अल्प संख्यक हित Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	3.27	3.27
परवर्ती वृद्धि / घटाव Subsequent increase/decrease	11.39	11.29
तुलन पत्र की तारीख पर अल्प संख्यक हित Minority interest on the date of balance sheet	14.66	14.56

अनुसूची 3 – जमाएँ
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
(ए) I. मांग जमाराशियां A.I. Demand Deposits		
(i) बैंकों से From Banks	50.08	48.09
(ii) अन्यों से From others	7109.42	6797.94
II. बचत बैंक जमाराशियाँ Savings Bank Deposits	36900.65	32340.35
III. सावधि जमाराशियाँ Term Deposits	0.00	0.00
(i) बैंकों से From Banks	4309.08	3592.67
(ii) अन्यों से From others	113885.95	99188.68
कुल (I, II & III) **Total A (I,II & III)**	**162255.18**	**141967.73**
(बी) (i) भारत में शाखाओं की जमाएं B.(i) Deposits of branches in India	153497.21	134791.95
(ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं (ii) Deposits of branches outside India	8757.97	7175.78
कुल बी (i & ii) **Total B (i & ii)**	**162255.18**	**141967.73**

अनुसूची 4 – उधार
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. भारत में उधार Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	440.00	184.00
(ii) अन्य बैंक Other Banks	0.91	0.01
(iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण Other Institutions and Agencies	3041.33	1191.56
II. भारत के बाहर उधार Borrowings outside India	1481.63	1486.99
कुल (I & II) **Total (I & II)**	**4963.87**	**2862.56**
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above	NIL	NIL

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. देय बिल Bills Payable	795.26	814.94
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office adjustments(net)	0.00	305.43
III. उपचित ब्याज Interest Accrued	954.03	903.97
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) Others(including provisions)	4481.55	3991.41
कुल **Total**	**6230.84**	**6015.75**

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) I. Cash in hand (including foreign currency notes)	260.17	435.91
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष – चालू खाते में II.Balances with Reserve Bank of India - in Current Account	7497.51	6628.33
कुल (I & II) **Total (I & II)**	**7757.68**	**7064.24**

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. भारत में In India		
(i) बैंकों में शेष Balances with Banks		
(ए) चालू खातों में (a) in Current Accounts	17.64	26.01
(बी) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	275.99	275.90
(ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर धनराशि Money at call and short notice		
(ए) बैंकों में (a) with Banks	0.00	1149.88
कुल I (i & ii) Total I (i & ii)	**293.63**	**1451.79**
II. भारत के बाहर Outside India		
(i) चालू खाते में in Current Account	1194.11	1033.42
(ii) अन्य जमा खातों में in Other Deposit Accounts	1248.48	74.50
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at call and short notice	0.37	15.38
कुल II Total II	**2442.96**	**1123.30**
कुल योग (I&II) Grand Total (I&II)	**2736.59**	**2575.09**

अनुसूची 8 – निवेश

SCHEDULE 8 - INVESTMENT

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. भारत में निवेश Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	38052.84	31095.79
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities	36.27	36.27
(iii) शेयर Shares	428.00	415.30
(iv) डिबेंचर और बॉंड Debentures and Bonds	3529.66	1546.14
(v) सहयोगी संस्थाओं में निवेश Investment in Associates	158.93	129.44
(vi) अन्य Others	2870.31	7005.09
कुल Total	**45076.01**	**40228.03**
II. भारत के बाहर निम्न में निवेश Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)		
(i) Government securities (including local authorities)	1864.70	1586.38
(ii) सहयोगी संस्थाओं में निवेश Investments in Associates	0.00	0.00
(iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करना है) Other investments(to be specified)	0.00	0.00
ए शेयर (a) Shares	1.43	2.79
बी ऋण प्रतिभूतियाँ (b) Debt Securities	93.14	81.99
कुल Total	**1959.27**	**1671.16**
कुल योग (I&II) Grand Total (I&II)	**47035.28**	**41899.19**
III. भारत में निवेश Investments in India		
(i) निवेशों का सकल मूल्य Gross value of Investments	45822.57	40499.74
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का योग Aggregate of Provisions for Depreciation	746.56	271.71
(iii) निवल निवेश Net Investment	**45076.01**	**40228.03**
(IV) भारत के बाहर निवेश Investments outside India		
निवेशों का सकल / निवल मूल्य Gross/Net value of Investments	1959.27	1671.16
कुल Total	**47035.28**	**41899.19**

अनुसूची 9 – अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
ए. i) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल A. (i) Bills Purchased and discounted	2760.65	1985.88
(ii) नकद उधार, आवेर ड्राफ़्ट और मांग पर देय उधार		
(ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	58203.67	45382.05
(iii) सावधि उधार Term Loans	61247.93	58278.90
(iv) अन्य Others	0.24	0.24
कुल (ए) Total (A)	**122212.49**	**105647.07**
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)		
B. (i) Secured by tangible assets(includes advances against book debts)	92802.27	81489.39
(ii) बैंक / सरकार गारंटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank / Government Guarantees	7423.67	7935.69
(iii) अप्रतिभूत Unsecured	21986.55	16221.99
कुल (बी) Total (B)	**122212.49**	**105647.07**
सी. I भारत में अग्रिम C. I. Advances in India		
(I) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	40826.69	36103.32
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	22693.83	18556.00
(iii) बैंक Banks	0.00	0.00
(iv) अन्य Others	51339.55	45050.74
कुल (सी–I) Total (C-I)	**114860.07**	**99710.06**
सी (II) भारत के बाहर अग्रिम C. II.Advances outside India		
(i) बैंकों से देय Due from Banks	467.58	413.73
(ii) अन्यों से देय Due from Others		
(ए) क्रेत एवं बट्टाकृत बिल (a) Bills Purchased & discounted	1807.71	993.16
(बी) सामूहिक ऋण (b) Syndicated Loans	2977.75	2500.30
(सी) अन्य (c) Others	2099.38	2029.82
कुल (सी – II) Total (C-II)	**7352.42**	**5937.01**
कुल योग (सी I + सी II) Total (C-I+CII)	**122212.49**	**105647.07**

अनुसूची 10 – स्थाई आस्तियाँ
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. परिसर Premises		
पूर्ववर्ती तुलन–पत्रानुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन पर At cost/revaluation as per last Balance Sheet	1594.66	1551.42
वर्ष के दौरान जोड / समायोजन Additions / adjustments during the year	1251.39	43.24
वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year	0.00	0.00
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	325.68	274.37
निवल मूल्य Net Value	**2520.37**	**1320.29**
Iए. निर्माणाधीन परिसर IA.Premises under Construction	**2.78**	**0.52**
II. अन्य अचल आस्तियां (फ़र्निचर / फ़िक्सचर सहित) Other Fixed Assets(including furniture & fixtures)		
पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	1126.71	996.03
वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	150.85	156.29
वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year	29.54	25.62
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	833.30	750.49
निवल मूल्य Net Value	**414.72**	**376.21**
II(ए) पट्टाकृत आस्तियाँ IIA.Leased Assets		
पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	19.79	19.79
वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	0.00	0.00
प्रावधान को सम्मिलित करते हुए वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year including provisions	0.00	0.00
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	19.79	19.79
निवल मूल्य Net Value	**0.00**	**0.00**
कुल : (I, I(ए), IIव II(ए)) **Total (I,IA,II,&IIA)**	**2937.87**	**1697.02**

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustment (net)	450.57	0
II. उपचित ब्याज Interest accrued	844.98	707.86
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर		
III. Tax paid in advance/tax deducted at source	1997.78	1452.34
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप Stationery and stamps	16.15	15.07
V. दावों की संतुष्टि से प्राप्त की गयी ग़ैर बैंककारी आस्तियाँ		
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	21.41	21.41
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) Deferred Tax assets (Net)	166.08	137.59
अन्य VI.Others	1311.31	1736.54
कुल **Total**	**4808.28**	**4070.81**

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण (निवल) के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts (Net)	669.39	637.51
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid Investments	30.03	31.85
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व		
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	27809.39	20434.51
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
ए. भारत में (a)In India	10145.30	10329.11
बी. भारत के बाहर (b)Outside India	80.74	133.78
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व		
V. Acceptances, endorsements and other obligations	3675.54	3363.43
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
VI.Other items for which the bank is contingently liable	1498.95	1406.86
कुल **Total**	**43909.34**	**36337.05**

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज /बट्टा Interest/discount on advances/bills	11417.30	10583.47
II. निवेशों पर आय Income on Investments	3728.19	3238.42
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अतिशेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज		
III.Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	103.94	75.69
IV. अन्य Others	0.00	0.00
कुल **Total**	**15249.43**	**13897.58**

अनुसूची 14 – अन्य आय
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission , exchange and brokerage	259.11	257.01
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल) Profit on sale of Investments(net)	377.41	213.29
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल) Profit on Revaluation of Investments (net)	0.00	0.00
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ(निवल)		
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets(Net)	-2.39	-8.27
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल) Profit on exchange transactions(net)	154.58	88.46
VI.ए) पट्टा–वित्त / किराया खरीद से आय a)Lease finance / Hire Purchase inome	0.19	0.22
बी) विदेश / भारत में आनुषंगियों / कंपनियों तथा / या सह उद्यमों से लाभांश आदि के ज़रिए अर्जित आय		
b)Income earned by way of dividends etc. from companies and/ or joint ventures abroad/ in India	14.69	12.01
VII. विविध आय Miscellaneous Income	574.44	727.07
कुल **Total**	**1378.03**	**1289.79**

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. जमाओं पर ब्याज I. Interest on deposits	10617.24	9021.54
भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज		
II.Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	255.60	334.42
अन्य III.Others	14.63	11.39
कुल **Total**	**10887.47**	**9367.35**

अनुसूची 16 – प्रचालन व्यय
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2014 को As on 31.03.2014	31.03.2013 को As on 31.03.2013
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान		
I. Payments to and provisions for employees	1930.31	1977.50
II. किराया, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	202.28	174.64
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	25.20	22.50
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	9.19	8.34
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों से अन्य बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास		
V. (a)Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	105.25	91.65
बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास (b) Depreciation on Leased Assets	0.19	0.22
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	0.78	0.89
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)		
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	26.47	19.24
VIII. विधि प्रभार Law charges	8.96	6.08
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, telegrams, telephones, etc.	15.56	14.00
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	65.19	59.71
XI. बीमा Insurance	125.57	111.02
XII. अन्य व्यय Other expenditure	322.99	272.43
कुल **Total**	**2837.94**	**2758.22**

अनुसूची –17
मुख्य लेखांकन नीतियाँ
(समेकित लेखे 2013–14)

1 लेखांकन प्रथा :

1.1 वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत प्रथा पर तथा चालू संस्था संकल्पना के आधार पर तैयार किए जाते हैं तथा भारतीय शाखाओं के संबंध में भारत में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के अनुरूप हैं तथा विदेशी शाखाओं के संबंध में अन्यथा न बताये जाने पर संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के अनुरूप है।

2 समेकन की प्रक्रिया :

2.1 बैंक के (मूल संस्था एवं उसकी अनुषंगियां) समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगियां, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड, के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, अंतर समूह लेनदेनों को एवं प्राप्त न किए गए लाभ /हानियों को छोड़ने के बाद यथावश्यक समायोजन करके तैयार किये गये हैं। मूल संस्था की रिपोर्टिंग तारीख तक अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भी बनाए गए हैं।

2.2 अनुषंगियां और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों के मद्देनजर, अधिदेश/सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

2.3 मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तारीख को अनुषंगी संस्था में मूल संस्था की ईक्विटी में अंतर को वित्तीय विवरण में पूंजी रिज़र्व/गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ/हानियों में मूल संस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिज़र्व के साथ किया जाता है ।

2.4 परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की संपत्ति में अल्प संख्यक के हक से लाभ एवं निवल संपत्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है।

2.5 एसोसियेट्स में निवेश का हिसाब, एसोसियेट्स के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक–23 (एएस–23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसियेट्स में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है।

3 विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

मूल संस्था

3.1 भारतीय परिचालनों और ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया जाता है।

3.2 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

3.2.1. विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ़ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।

3.2.2. विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।

3.2.3. विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।

3.2.4. वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जब वे उत्पन्न होते हैं।

3.2.5. बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फ़ेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के ज़रिए किया जाता है।

3.3 ग़ैर– समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन (मूल संस्था)

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नवत् किया जाता है :

3.3.1. आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।

3.3.2. आय एवं व्यय का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।

3.3.3. निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को ''विनिमय उतार–चढ़ाव निधि'' नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

SCHEDULE - 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Consolidated Accounts 2013-14)

1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1. The financial statements are prepared on an accrual basis by following the going concern concept on historical cost convention and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India unless otherwise stated and in respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. CONSOLIDATION PROCEDURE

2.1. Consolidated financial statements of the "Bank" (parent and its subsidiaries) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd, (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd. after eliminating intra group transactions and unrealised profit/losses and making necessary adjustments. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date of the parent.

2.2. The Subsidiaries and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.

2.3. The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognised in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent's share in the post acquisition profits/losses is adjusted against the Revenue Reserve.

2.4. The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.

2.5. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard -23 (AS - 23) - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

PARENT

3.1. Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.2. Translation in respect of Indian operations.

3.2.1. Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).

3.2.2. Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

3.2.3. Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

3.2.4. Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.

3.2.5. Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.3. Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

3.3.1. Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

3.3.2. Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.

3.3.3. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Exchange Fluctuation Fund" till the disposal of the net investments.

4. निवेश

मूल संस्था :

4.1.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- ➢ परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- ➢ बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- ➢ व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''एचटीएम'' प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''एचएफटी'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, ''एएफएस'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद / अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेयरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यह्रास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों और एसोसियेट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.1.2 एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है :

4.1.3 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) ''एचटीएम'' प्रवर्ग में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामले में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की बकाया अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की जाती है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जा रहा है। 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते हैं एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) ''एएफस'' प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रवर्ग में बाज़ार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) ''एचएफटी'' प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाज़ार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) ''एएफएस'' एवं ''एचएफटी'' प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है :

i) प्राइमेरी डीलर्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (पीडीएआई) और फ़िक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (एफ़आईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

ii) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीएआई/एफ़आईएमएमडीए द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफ़ल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

iii) कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

iv) कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

v) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

vi) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागज़ातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

vii) कोट होने पर म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक–इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य/बाज़ार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

4. INVESTMENTS

PARENT

4.1.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short–term price / interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

4.1.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

4.1.3 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in AFS category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scrips in the HFT category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

e) Securities in AFS and HFT categories are valued as under:

i. Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

ii. State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.

iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.

iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.

v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.

viii) 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भा.रि.बैं.के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

4.1.4. विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाएगा। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारिबैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

4.1.5. भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश (एनपीआइ) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है :

ए) प्रतिभूतियां / गैर संचयी अधिमान्य शेयर जहाँ ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियाँ सहित) देय हैं और 90 दिन से ज्यादा अवधि के लिए अदत्त है।

बी) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से लाभ उठायी गयी कोई क्रेडिट सुविधा अनर्जक अग्रिम है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई माना जाएगा।

4.1.6 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

4.1.7 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाज़ार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4.1.8 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती हैं।

4.1.9 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारिबैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

4.1.10 केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।

4.1.11. यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि ''माने गए अग्रिमों' के रूप में हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन रखा जाता है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

4.2 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

कंपनी के पास रखे सभी निवेश दीर्घकालिक निवेश हैं तथा अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा दीर्घकालिक निवेशों को ह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर लाया गया है। कंपनी ने कोट किए गए शेयरों के बाज़ार मूल्य पर भरोसा करते हुए शेयरों/ड़िबेंचरों के मूल्य में ह्रास को स्थायी प्रकृति के रूप में माना है तथा कोट न किए गए शेयरों के मामले में बही मूल्य/उचित मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, को माना गया है।

4.3 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग–अलग रूप से, उनके लागत अथवा बाज़ार मूल्य से निम्नतर दरों में किया गया है ।

5. आस्ति वसूली कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियां (एआरसी)

मूल संस्था :

5.1 एआरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीद (एसआर) का मूल्यांकन, प्रतिभूति रसीद के प्रतिदान मूल्य या वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास कोई हो तो, उसके लिए प्रावधान किया जाता है और मूल्य वृद्धि हो तो निरस्कृत किया जाता है।

5.2 यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (अर्थात् प्रावधान को घटाने के बाद बही मूल्य), तो भारिबैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कमी को लाभ/हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखे हुए अस्थायी प्रावधान के उपयोग से समायोजित किया जाएगा।

यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो अतिरिक्त प्रावधान को, जिस वर्ष के दौरान राशि प्राप्त की जाती है, लाभ व हानि लेखे में प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

6 अग्रिम

6.1 मूल संस्था

6.1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, भारत में अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानिवाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

4.1.4 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

4.1.5 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance, investment in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI.

4.1.6 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

4.1.7 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.

4.1.8 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

4.1.9 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

4.1.10 Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.

4.1.11 Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

SUBSIDIARY COMPANIES:

4.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd:

The investments held are all long-term investments and are carried at cost less provision for diminution, other than temporary in nature. The Diminution in value of shares / debentures is reckoned as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value/ fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

4.3 Ind Bank Housing Ltd:

Investments are classified into current investments and long-term investments. Investments are valued at lower of cost or Market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

5 FINANCIAL ASSETS SOLD TO ASSET RECOVERY COMPANIES (ARC)

PARENT

5.1 Security Receipts (SR) issued by ARCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at Net Asset Value declared by ARCs on the Balance Sheet date and depreciation , if any, is provided for and appreciation is ignored.

5.2 If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall will be debited to the Profit and Loss account or will be met out of utilization of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.

If the sale is for value higher than the Net Book Value,the excess provision will be reversed to the Profit & Loss Account in the year the amounts are received

6 ADVANCES

6.1 PARENT

6.1.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets borrower-wise.

6.1.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं –

ए) अवमानक संवर्ग – रक्षित एवं अरक्षित, दोनों संवर्गों के लिए 25 प्रतिशत

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

i) 01.07.2011 के पहले वर्गीकृत और / या संवर्गीकृत रक्षित एवं अरक्षित के लिए 100 प्रतिशत

ii) 30.06.2011 के बाद वर्गीकृत और / या संवर्गीकृत रक्षित के लिए 25 प्रतिशत

iii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

i) 01.07.2011 के पहले वर्गीकृत और / या संवर्गीकृत रक्षित एवं अरक्षित के लिए 100 प्रतिशत

ii) 30.06.2011 के बाद वर्गीकृत और / या संवर्गीकृत रक्षित के लिए 40 प्रतिशत

iii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध संवर्ग – 3 और हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

6.1.3 भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार पुनःसंरचित मानक अग्रिम सहित सभी मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है।

6.1.4 विदेशी शाखाओं के संबंध में, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा ऋण हानियों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिकतर सख्त है, उसके अनुसार प्रावधान किए जाते हैं।

आगे यदि भारिबैंक द्वारा जारी किये गए विनियमनों के अनुसार किसी भी समय बैंक की विदेशी बहियों में रही किसी आस्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना होता है, तब बैंक द्वारा उस उधारकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं और उधारकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

फिर भी, वसूली के रिकॉर्ड के अलावा अन्य कारणों से मेजबान देश के विनियामकों द्वारा खाता अनर्जक / हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है, तो भारत में वित्तीय विवरणों को समेकित करते समय उन्हें एपीए के रूप में वर्गीकृत करेंगे और उनके लिए यथावश्यक प्रावधान किया जाएगा; तथापि उन्हीं प्रतिपक्षियों को अन्य अधिकार क्षेत्रों (भारत को मिलाकर) में प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजरों पर आस्ति वर्गीकरण, तत्संबंधित अधिकार क्षेत्रों में लागू विद्यमान दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा।

6.1.5 प्रकटीकृत अग्रिम, गैर–निष्पादक आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी /सीजीटीएमएसआई से प्राप्त दावों तथा लंबित समायोजन हेतु रखे, प्राप्त पुनर्भुगतान तथा विविध खातों में रखे, सहभागिता प्रमाण पत्रों एवं पुनः कटौती वाले मीयादी बिलों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनः संरचित खातों के उचित मूल्य में घटाव के एवज में किए गए प्रावधानों को घटाने के बाद निवल हैं।

7 अचल आस्तियां / मूल्यह्रास

7.1. मूल संस्था :

7.1.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों का हिसाब उनकी परंपरागत लागत / पुनर्मूल्यांकित राशि के आधार पर लगाया गया है।

7.1.2 भारत में भवन (जहाँ कहीं अलग नहीं किया जा सकता है / अलग नहीं किया गया है, ज़मीन की लागत सहित) तथा अन्य अचल आस्तियों (7.13 से 7.15 में उल्लिखित मदों को छोडते हुए) पर मूल्यह्रास का प्रावधान, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली से किया गया है और ''पुनर्मूल्यांकित आस्तियों'' के मामले में उनके शेष जीवनकाल के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर किया गया है। पुनर्मूल्यांकित घटक से संबंधित मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में प्रभारित किया जाता है।

7.1.3 कंप्यूटरों (हार्डवेयर और साफ्टवेयर) और निर्बाध बिजली आपूर्ति सिस्टमों (यूपीएस) पर मूल्यह्रास की गणना सीधी कटौती पद्धति में बही मूल्य पर 33.33% प्रतिवर्ष के हिसाब से की जाती है।

7.1.4 मोटर कार पर मूल्यह्रास की दर सीधी कटौती पद्धति में 20 प्रतिशत है।

7.1.5 सेल फोनों और ₹ 5000 /– मूल्य तक की अल्प लागतवाली मदों पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास का प्रावधान है।

7.1.6 वर्ष के दौरान अर्जित नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास, 30 सितंबर को या उसके पूर्व अर्जित आस्तियों पर 100 प्रतिशत दर से तथा उसके बाद अर्जित आस्तियों पर आधी दर पर प्रभारित किया जाता है। बिक्री / निपटारे के वर्ष के लिए अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता।

7.1.7 पट्टे की ज़मीन पर प्रीमियम अधिग्रहण वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है।

7.1.8 विदेशी शाखाओं की आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति के अनुसार किया जाता है।

7.1.9 गैर बैंकिंग आस्तियों (एनबीए) के मामले में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

6.1.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Substandard category – 25 % both secured and unsecured category.

b) Doubtful category-1 :

i) 100 % for secured and unsecured classified and / or categorized before 01.07.2011.

ii) 25 % for secured classified and / or categorized after 30.06.2011.

iii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

i) 100 % for secured and unsecured classified and / or categorized before 01.07.2011.

ii) 40 % for secured classified and / or categorized after 30.06.2011.

iii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

6.1.3 Provision is made for standard advances including restructured standard advances as per RBI directives.

6.1.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further,if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However,accounts classified as Non-performing/Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

6.1.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates , usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

7 FIXED ASSETS / DEPRECIATION

7.1 PARENT

7.1.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at revalued amount in respect of assets revalued.

7.1.2 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets (excluding items mentioned in 7.1.3 to 7.1.5) in India is provided for on the straight-line method at rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 and at the Bank determined rates based on Residual Life in the case of 'Revalued Assets'. Depreciation relatable to revalued component is charged against revaluation reserve.

7.1.3 Depreciation on computers (hardware and software) and Uninterrupted Power Supply Systems (UPS) is provided at the rate of 33.33% per annum on Straight Line Method (SLM).

7.1.4 The rate of depreciation on motor car is 20 % on straight line method.

7.1.5 100% depreciation is provided on all cell phones and on small value items costing upto Rs.5000/-.

7.1.6 Depreciation on fixed assets acquired on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired thereafter. No depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal.

7.1.7 Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

7.1.8 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.

7.1.9 In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

7.2. अनुषंगी कंपनियाँ :

7.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड :

अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यह्रास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर बताया जाता है। पट्टे पर ली गई आस्तियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन खाते में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

मूल्यह्रास

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर कंपनी, सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) यथानुपात आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। साफ़्टवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

बन्द परिचालनों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टेदारी आस्तियों पर :–

परिचालन बन्द करने के तहत पट्टेदारी आस्तियों पर घटते मूल्य पद्धति पर यथानुपात आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों का लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है। सांविधिक मूल्यह्रास और वार्षिक पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के ज़रिए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

7.2.2 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

अचल संपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यह्रास घटाकर दिखाया जाता है। मूल्यह्रास का परिकलन कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में दी गई दरों पर मूल्यह्रासित पद्धति से किया जाता है।

8 राजस्व अभिज्ञान

8.1 मूल संस्था

8.1.1 आय और व्यय मदों को, जब तक अन्यथा नहीं बताया जाए, सामान्यतः उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

8.1.2 ग़ैर निष्पादक आस्तियों से आय, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जहां वह 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय रहा हो), लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों /गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से संबंधित को छोडकर अन्य), बैंक एश्यूरेंस उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, लॉकर किराया, क्रेडिट कार्डों पर वित्त प्रभार, पुनः क्षतिपूर्ति के बैंक के अधिकार पर आय, आदि से आय को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है।

8.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ेडाय) के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रिस्टलाईज़ेशन की तारीख़ तक माना जाता है।

8.2 अनुषंगी कंपनियाँ :

8.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

ए) इश्यू प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क – समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।

बी) वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हामीदारी कमीशन और दलाली – अंशदान ब्यौरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है।

सी) स्टॉक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।

डी) अतिदेय पट्टा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है।

इ) लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

8.2.2. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

ए) आय की पहचान और गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान के लिए एनएचबी के विवेकी मानदंडों का पालन किया जाता है।

बी) आवास ऋणों की, पुनर्अदायगी समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए, की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल हैं। संबंधित अर्ध–वर्ष/वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध–वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के वितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती हैं। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई–पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

9. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार पाइंट : –

कार्ड सुविधा के प्रयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार पाइंटों को ऐसे प्रयोग के लिए व्यय के रूप में समझा जाता है।

7.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

7.2.1 **Indbank Merchant Banking Services Ltd**

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for the balance in Lease adjustment account.

DEPRECIATION

On Assets other than given on lease

In respect of assets other than assets given on lease, it is provided under Straight Line Method (SLM) at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956, on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.

On Assets given on lease under discontinuing operations:

In respect of Assets given on lease under discontinuing operation, depreciation is provided under WDV method at the rates prescribed in schedule XIV to the Companies Act 1956 on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Assets given on lease are amortised fully during the Lease period in accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the ICAI. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

7.2.2 Ind Bank Housing Ltd

Fixed Assets are capitalised at cost and are stated at cost less depreciation. Depreciation is calculated on Written Down Value method at the rates prescribed in schedule XIV to the Companies Act, 1956.

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 PARENT

8.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

8.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, locker rent, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, etc., are accounted for on realisation.

8.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

8.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

8.2.1 **Indbank Merchant Banking Services Ltd.**

a. Issue Management Fee and fees for other managerial services - Considered on the completion of assignment.

b. Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products - Considered on receipt of subscription particulars.

c. Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contract.

d. Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments are accounted for on receipt basis.

e. Dividend income is recognized when the right to receive is established.

8.2.2 IND Bank Housing Ltd.

a. National Housing Bank's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non Performing Assets are followed.

b. Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMI) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month.

9. CREDIT CARD REWARD POINTS:

Reward points earned by card members on use of card facility is recognized as expenditure on such use.

10 निवल लाभ / हानि

लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् है

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / या निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान
- स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- सामान्य और / या अन्य आवश्यक प्रावधान

11 स्टाफ को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होनेवाले लाभ

11.1 मूल संस्था

11.1.1 पेंशन निधि व ग्रेच्युटी निधि में वार्षिक अंशदानों का निर्धारण एवं प्रावधान किया जाता है :

- बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर
- विदेशी शाखाओं के संबंध में वहां के स्थानीय कानूनों के अनुसार

11.1.2 कर्मचारियों के लिए छुट्‌टी की भुनाई का लाभ, बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।

11.1.3 बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित कर्मचारी लाभ से संबंधित संक्रमणकालीन देयता को आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखाकरण मानक 15 (एएस 15) ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार पांच वर्षों की अवधि में बट्‌टे खाते में डाला जाता है।

11.1.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान कर्मचारियों के लिए द्वितीय पेंशन (दूसरा विकल्प) के संबंध में परिकलित देयता और उपदान राशि को पांच वर्षों की अवधि के लिए एक समान राशियों में परिशोधित किया जाता है।

11.2 अनुषंगी कंपनियाँ

11.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं लि. :

अल्प कालिक कर्मचारी हितों / बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया ।

ग्रेच्युइटी – ग्रेच्युइटी जोकि अर्ह कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ आयोजना है, के प्रति अनुषंगी का दायित्व है। आयोजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि देने का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित ग्रेच्युइटी निधि को अनुषंगी, भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रेच्युइटी पॉलिसी के ज़रिए वार्षिक अंशदान देती है। ग्रेच्युइटी के प्रति अनुषंगी की देयता का बीमांकिक निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकिक लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

भविष्य निधि – अनुषंगी के अर्ह कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान आयोजना है के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हक़दार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्‌टी की भुनाई : इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ़ से अन्य कर्मचारियों की छुट्‌टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्‌टी के दिनों के आधार पर बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता, योग्य भविष्य निधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

11.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड :

भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

ग्रूप ग्रेच्युइटी योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा ग्रेच्युइटी देयता कवर किया जाता है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युइटी पॉलिसी खरीदी है और वार्षिक प्रीमियम, न्यास के ज़रिए अदा किया जाता है।

छुट्‌टी की भुनाई की देयता के लिए बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

10 NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non Performing Advances and/ or Investments
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes .
- Usual or/ and other necessary provisions

11 STAFF RETIREMENT BENEFITS

11.1 PARENT

11.1.1 Annual contributions to Pension Fund and Gratuity Fund are determined and provided for:

- on the basis of actuarial valuation
- as per the local laws in respect of foreign branches

11.1.2 Leave encashment benefit for employees is accounted for on actuarial basis.

11.1.3 Transitional liability relating to employee benefits determined as per actuarial valuation is written off over a period of five years in terms of Revised Accounting Standard 15 (AS -15) - "Employee Benefits", issued by ICAI.

11.1.4 Liability determined in respect of pension (second option) for existing employees and gratuity is amortised equally over a period of five years in accordance with RBI Guidelines.

11.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

11.2.1 Indbank Merchant Banking Services Ltd.

Short Term employee benefits/ obligations are estimated and provided for.

Gratuity – The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days' salary payable for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Subsidiary's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

Provident Fund – The eligible employees are entitled to receive benefits under Provident Fund, a defined contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the Law are paid to the Provident fund and pension fund with the provident fund authorities.

Leave encashment - The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days un-utilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

11.2.2 Indbank Housing Ltd.

Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust. Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

12. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान :

I. आकस्मिक देयताएं : निम्नलिखित मामलों में, जहाँ

ए) ऐसी बाध्यताओं के मौजूद रहने की बात पुष्टिकृत नहीं की गई है

बी) ऐसी बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक नहीं है

सी) बाध्यताओं की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता

डी) ऐसी राशियां भौतिक नहीं हैं,

विगत घटनाएं, जिनसे वर्तमान या संभावित बाध्यताएं हो सकती हैं, को आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है।

II. वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में तब प्रावधान को माना जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें बहुत छोटे दावों को छोडकर शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड सकें। बाजार जोखिमों, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों अंनुसार किए जाते हैं। बैंक प्रबंधन द्वारा अभिपहचान किए गए अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है।

i) गैर–निष्पादक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना

ii) गैर–निष्पादक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

13. आस्तियों की क्षति :

13.1 आस्तियों की क्षति (यदि हो), की पहचान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा इस संबंध में जारी लेखाकरण मानक– 28 (एएस– 28) के अनुरूप की जाती है।

14. आय पर कर :

14.1 कर हेतु प्रावधान, चालू कर तथा आस्थगित कर दोनों के लिए किया जाता है।

14.2 प्रयोज्य कर दरें, कर नियम और अनुकूल न्यायिक निर्णय / विधिक मत का उपयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को देय आकलित राशि के आधार पर वर्तमान कर का आकलन किया जाता है।

14.3 समय के अंतर् के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं जोकि बाद के वर्षों में प्रत्यावर्तन की क्षमता रखती हैं, को तुलन पत्र की तारीख तक अथवा बाद में तैयार किए गए कर दरों व कर कानूनों का प्रयोग करके अभिपहचानित किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को तब तक अभिपहचानित नही किया जाता है जब तक कि ''असली निश्चितता'' हो जाए कि पर्याप्त भावी कर–योग्य आय उत्पन्न होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की उगाही जा सके।

15. परिचालनों को बन्द करना :

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस लि. के संबंध में परिचालनों को बन्द करने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियाँ, परिचालनों को जारी रखने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियों के समनुरूप हैं।

टी एम भसीन **T M BHASIN** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	बी राजकुमार **B RAJ KUMAR** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	महेश कुमार जैन **MAHESH KUMAR JAIN** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	के श्रीनिवास राघवन **K SRINIVASA RAGHAVAN** महा प्रबंधक GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**

सुधा कृष्णन SUDHA KRISHNAN, डॉ सत्यन डेविड Dr. SATHYAN DAVID, दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT,**
पी वेंकट कृष्ण राव P VENKATA KRISHNA RAO, अमरजीत चोपडा AMARJIT CHOPRA, संजय माकन SANJAY MAKEN,
एम बुच्चि रामि रेड्डी M BUTCHI RAMI REDDY, चिंतामन महादेव दीक्षित **CHINTAMAN MAHADEO DIXIT**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते शार्प एण्ड टण्णन **For SHARP & TANNAN** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W	कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी **For BHATTACHARYA DAS & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E	कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी **For DEOKI BIJAY & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
अश्विन बी चोपडा **ASHWIN B. CHOPRA** साझेदार Partner (एम.सं.038159) (M. No.038159)	ए के दास **A.K.DAS** साझेदार Partner (एम.सं.011913) (M. No.011913)	नीरज पोद्दार **NIRAJ PODDAR** साझेदार Partner (एम.सं.401067) (M. No.401067)

	कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी **For S.P.PURI & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N	कृते सी के पृस्टी एण्ड एसोसियेट्स **For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
स्थान : Place : चेन्नै Chennai दिनांक : Date : मई May 12, 2014	विदुर पुरी **VIDUR PURI** साझेदार Partner (एम.सं.090163) (M. No.090163)	सी के पृस्टी **C.K.PRUSTY** साझेदार Partner (एम.सं.057318) (M. No.057318)

12 CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

I. Contingent liability : Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where :

(a) The existence of such obligations has not been confirmed
(b) no outflow of resources are required to settle such obligations
(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made
(d) such amounts are not material

II. Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.. Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI. Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

i) Making specific provisions for non-performing assets;
(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

13 IMPAIRMENT OF ASSETS

13.1 Impairment losses if any, are recognised in accordance with the Accounting Standard -28 (AS -28) issued in this regard by the ICAI.

14 TAXES ON INCOME

14.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

14.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

14.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

15 DISCONTINUING OPERATIONS

In respect of Indbank Merchant Banking Services Limited accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

टी एम भसीन **T M BHASIN** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	बी राजकुमार **B RAJ KUMAR** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	महेश कुमार जैन **MAHESH KUMAR JAIN** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	के श्रीनिवास राघवन **K SRINIVASA RAGHAVAN** महा प्रबंधक GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**

सुधा कृष्णन SUDHA KRISHNAN, डॉ सत्यन डेविड Dr. SATHYAN DAVID, दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT,**
पी वेंकट कृष्ण राव P VENKATA KRISHNA RAO, अमरजीत चोपडा AMARJIT CHOPRA, संजय माकन SANJAY MAKEN,
एम बुच्चि रामि रेड्डी M BUTCHI RAMI REDDY, चिंतामन महादेव दीक्षित **CHINTAMAN MAHADEO DIXIT**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते शार्प एण्ड टण्णन **For SHARP & TANNAN** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W	कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी **For BHATTACHARYA DAS & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E	कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी **For DEOKI BIJAY & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
अश्विन बी चोपडा **ASHWIN B. CHOPRA** साझेदार Partner (एम.सं.038159) (M. No.038159)	ए के दास **A.K.DAS** साझेदार Partner (एम.सं.011913) (M. No.011913)	नीरज पोद्दार **NIRAJ PODDAR** साझेदार Partner (एम.सं.401067) (M. No.401067)

	कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी **For S.P.PURI & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N	कृते सी के प्रुस्टी एण्ड एसोसियेट्स **For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES** सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
स्थान : Place : चेन्नै Chennai दिनांक : Date : मई May 12, 2014	विदुर पुरी **VIDUR PURI** साझेदार Partner (एम.सं.090163) (M. No.090163)	सी के प्रुस्टी **C.K.PRUSTY** साझेदार Partner (एम.सं.057318) (M. No.057318)

अनुसूची –18

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए लेखों पर टिप्पणियां (2013–14)

1. अनुषंगियां

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	संस्थापना का देश	स्वामित्व का अनुपात
ए	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	51.00%
इ	इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि.	भारत	64.84%

2. सहयोगी

	सहयोगियों का नाम	शेयरधारिता का ढांचा
1.	पल्लवन ग्राम बैंक	35 %
2.	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	35 %
3.	पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक''	35 %

**भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनः पूंजीकरण योजना के अनुसार बैंक ने 4.375 करोड रुपए मूल बैंक से प्राप्त किए हैं और उसे वर्तमान में शेयर पूंजी जमा खाते में रखा गया है।

3. लेखा समाधान एवं समायोजन

मूल संस्था

3.1.1 अंतर शाखा मदों का लेखा समाधान 31.03.2014 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक ने विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा पुरानी बकाया प्रविष्टियों /आईबीजीए के स्तर में कमी लाई है। शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबन्धन के अनुसार ₹ 6.33 करोड के कुल मूल्य की 8213 आईबीजीए जमा प्रविष्टियाँ बकाया हैं।

3.1.2 31.03.2014 तक 6 महीनों से अधिक के लिए बकाया अंतर शाखा लेखों में असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को घ्यान में रखते हुए प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

3.1.3 देय ड्राफ़्ट, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित पुनरीक्षा की जाती है।

3.1.4 कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

4. अचल आस्तियां

मूल संस्था

4.1.1 परिसर में ₹ 10.80 करोड लागत वाली परिसंपत्तियां शामिल हैं (गत वर्ष क्रमशः10.80 करोड रुपए) जिनका बही मूल्य ₹ 192.98 करोड़ (गत वर्ष 58.05 करोड़ रुपए) जिनके लिए पंजीकरण की औपचारिकताएं जारी हैं।

4.1.2 वर्ष 2013–14 में बैंक ने मूल संस्था के कुछ परिसरों का पुनर्मूल्यन किया तथा परिणामस्वरूप ₹ 1247.06 करोड़ की मूल्यवृद्धि की राशि को ''पूनर्मूल्यन रिजर्व खाते'' में जमा की। पुनर्मूल्यन किए गए अंश पर अतिरिक्त मूल्यह्रास ₹ 45.19 करोड़ (विगत वर्ष में ₹ 32.24 करोड़) को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित कर दिया गया तथा उसकी सममूल्य राशि का आहरण ''पुनर्मूल्यन रिजर्व खाते'' से कर दिया गया है।

संपत्तियों के पुनर्मल्यन हेतु अपनायी गयी पद्धति :

1. संपत्तियों का मूल्य भूमि व इमारत पद्धति से प्राक्कलन किया जाता है तथा संपत्तियों के मामले में जैसे आवासीय फ्लैट/वाणिज्यिक जगह, जहाँ अविभक्त भूमि के भाग हैं, उसका मूल्यांकन सम्मिश्र पद्धति से किया गया है।
2. मूल्यांकन रिपोर्ट में भूमि, इमारत, सुख–सुविधाओं के मूल्य, उसके प्रकार तथा निर्माण की प्रकृति के आधार पर शामिल हैं।
3. इमारत के संबंध में, मूल्य का प्राक्कलन चबूतर/निर्माण क्षेत्र तथा विशेष विवरण के आधार पर प्रति इकाई दर से किया जाता है तथा इमारत के जीवनकाल सुस्पष्ट रूप से बताया गया है।
4. भूमि के उचित बाजार मूल्य चालू बाजार मूल्य के आधार पर निश्चय किया जाता है।

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2013-14)

1. SUBSIDIARIES:

Sl.No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
a	Ind Bank Housing Ltd	India	51.00%
b	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	64.84%

2. ASSOCIATES:

	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a	Pallavan Grama Bank	35%
b	Saptagiri Grameena Bank	35%
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank**	35%

** As per recapitalization plan approved by Government of India, the Bank has received ₹ 4.375 crore from the Parent Bank and the same is kept in Share Capital Deposit Account for the present.

3. RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

3.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2014. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries IBGA. Adjustment of the remaining outstanding entries is in progress. As per the Management, 8213 IBGA credit entries aggregating to ₹ 6.33 crore are outstanding.

3.1.2 In view of net credit position in respect of unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2014, no provision is required.

3.1.3 Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

3.1.4 Balancing of subsidiary ledgers/registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant

4. FIXED ASSETS

PARENT

4.1.1 Premises include properties costing ₹ 10.80 Crore (previous year – ₹10.80 crore), the book value of which is ₹ 192.98 Crore (previous year - ₹ 58.05 Crore), for which registration formalities are in progress.

4.1.2 Bank revalued its immovable properties during the year 2013-14 at fair market value as determined by approved valuers and the resultant appreciation of ₹ 1247.06 Crore was credited to "Revaluation Reserve Account". Additional depreciation on the revalued portion amounting to ₹ 45.19 Crore (previous year ₹ 32.24 Crore) has been charged to Profit & Loss A/c and an equivalent withdrawal is made from the "Revaluation Reserve Account".

Methodology adopted for Revaluation of Properties:

1. The value of the properties are estimated by Land and Building method and in case of properties like Residential flats / commercial space where there is undivided share of land, the valuation was done by Composite Method.
2. The valuation report indicated the value of land, building, amenities, etc. along with the type and nature of construction.
3. As regards the building, the value is estimated by adopting plinth / built up area and rates per unit area depending on specification and the future life of the building is clearly stated.
4. The fair market value of land is determined on the basis of current market value.

5. कराधान

5.1 मूल संस्था

वर्तमान वर्ष के लिए कराधान (आईटी) के लिए प्रावधान ₹ 316.73 करोड है। (पिछले वर्ष ₹ 245.09 करोड़)

31.03.2014 को विवादित आयकर मांग का बकाया शेष ₹ 1166.33 करोड़ (गत वर्ष ₹1122.45 करोड़) था। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंक के स्वीय वादों में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

5.2 अनुषंगी कंपनियां

5.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

ए. हानियों (आय कर के अनुसार) तथा बही हानियों (एमएटी अभिकलन के अनुसार) को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए कर प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

बी. विषयों पर न्यायिक निर्णयों और/या विधिक राय को ध्यान में रखते हुए आयकर की विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

सी. इस वर्ष के लिए आस्थगित कर (निवल) हेतु प्रावधान ₹ 1.37 लाख है (पिछले वर्ष ₹ 29.35 लाख) तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

5.2.2 इंड बैंक हाऊसिंग लिमिटेड

ए. विवेक के आधार पर अनवशोषित मूल्यह्रास और भावी कर–योग्य आय के विरुद्ध समंजन के लिए पात्र अग्रानीत हानियों को आस्थगित कर आस्ति के रूप में नहीं माना गया है।

बी. आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 1999–00 के लिए ब्याज सहित ₹ 4.32 करोड के लिए एक मांग नोटिस भेजी है। यह मांग प्रोद्भवन आधार पर गैर निष्पादक आस्तियों पर आय को ध्यान में लेते हुए भेजी गई है जिसे एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आय के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। कंपनी ने इस मांग के विरुद्ध विवाद करते हुए माननीय मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष अपील दायर किया है।

सी. आकलन वर्ष 2005–06 के लिए आयकर विभाग ने ₹ 19.02 लाख के लिए मांग की है तथा इसके लिए कंपनी ने आयकर आयुक्त के समक्ष अपील दायर किया है और अपील के सफल होने की आशा रहने के कारण कर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

डी. कंपनी की बहियों के अनुसार प्राप्य धन वापसी ₹ 2.85 करोड है।

लेखाकरण मानकों के संबंध में प्रकटीकरण

6. नकदी प्रवाह विवरण (एएस3)

वर्ष 2013–14 के लिए नकदी प्रवाह विवरण पृथक रूप से संलग्न है।

7. कर्मचारी लाभ (एएस 15)

मूल संस्था

7.1.1 वर्ष 2010–11 के दौरान बैंक ने ऐसे कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प पुनः उपलब्ध कराया था, जिन्होंने पहले पेंशन योजना का विकल्प नहीं दिया था तथा बैंक के कर्मचारियों को देय उपदान राशि की सीमा भी, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के संशोधन के उपरांत बढ़ायी गयी है। परिणामस्वरूप बीमांकिक मूल्यन के अनुसार वर्तमान कर्मचारियों के संबंध में पेंशन देयता ₹ 813.22 करोड रही और उपदान देयता में वृद्धि ₹ 166.00 करोड थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. डीबीओडीः बीपीःबीसी/80/ 21.04.018/2010–11 दिनांक 09.02.2011 के जरिए बैंकों को इस देयता का पांचवाँ भाग प्रत्येक वर्ष में प्रभारित करने की अनुमति प्रदान की। तदनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान पेंशन के लिए ₹ 162.65 करोड की राशि और उपदान के लिए रुपए ₹ 33.20 करोड की राशि लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित की गई है। शेष अवधि के दौरान परिशोधन के लिए लंबित पहचानी न गई देयता, पेंशन के लिए रुपए ₹ 162.64 करोड और उपदान के लिए रुपए ₹ 33.20 करोड की राशि है।

7.1.2 लेखा मानक 15 (संशोधित) के तदनुरूप लाभ व हानि लेखा और तुलनपत्र में मान्यता दिए गए, नियोजनोत्तर हित और दीर्घकालीन कर्मचारी हित की सारांश स्थिति निम्नानुसार है–

5. TAXATION

5.1 PARENT

Provision for Taxation (IT) during current year is ₹ 316.73 crore (Previous year ₹ 245.09 crore)

The disputed Income Tax paid as at 31 03 2014 was ₹ 1166.33 Crore (previous year ₹ 1122.45 Crore). No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

5.2 SUBSIDIARY COMPANIES

5.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

a) In view of losses (as per Income tax) as well as book losses (as per MAT computation) no provision for tax is required for the year.

b) No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.

c) The provision for deferred tax (net) for the year is ₹ 1.37 lakhs (Previous Year ₹ 29.35 lakhs) which has been charged to Profit & Loss Account.

5.2.2 INDBANK HOUSING LTD

a. The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered as deferred tax asset on the ground of prudence

b. The Income Tax Department has sent a demand notice for ₹ 4.32 crores for the assessment year 1999-00 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognised as income. The Company has contested the demand and filed an appeal before the Hon'ble Madras High Court.

c. In respect of the Assessment year 2005-06 Income Tax department has raised a demand of ₹ 19.02 Lakhs for which the company has filed appeal before the commissioner of Income Tax and is hopeful of succeeding in the appeal and hence no provision for tax has been considered necessary.

d. The refund receivable as per books of the Company is ₹ 2.85 crores.

DISCLOSURES IN RESPECT OF ACCOUNTING STANDARDS

6. CASH FLOW STATEMENT (AS 3)

The cash flow statement for the year 2013-14 is annexed separately.

7. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

PARENT

7.1.1 During the year 2010-11, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier and the limit of gratuity payable to the employees of the bank was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result, the pension liability in respect of existing employees was ₹ 813.22 crore and the increase in gratuity liability was ₹ 166.00 crore as per actuarial valuation. RBI, vide circular No.DBOD:BP:BC/80 /21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, permitted Banks to charge 1/5th of such liability every year. Accordingly, during the current year, a sum of ₹ 162.65 crore towards pension and ₹ 33.20 crore towards gratuity is charged to Profit and Loss account. The unrecognized liability pending for amortization over the remaining period is ₹ 162.64 crore towards pension and ₹ 33.20 crore towards gratuity.

7.1.2 The summarised position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

I. मूल बीमांकन अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2014	31/03/2013
बट्टे की दर	पेन्शन के लिए 9.32 % 15 वर्ष जी –सेक पत्र और उपदान के लिए 9.03 % 10 वर्ष जी–सेक पत्र	8.37%
वेतन बढोत्तरी की दर	5.50% (वेतन संशोधन के लिए 0.50% के साथ)	4.00%
पदत्याग की दर	1.00% पेंशन के लिए और 2.00% उपदान के लिए	1.00% पेंशन के लिए और 2.00% उपदान के लिए
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर *	9.00%	9.00%
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई ऋण (पीयूसी) बीमांकक तरीका	

* प्लान आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर, छुट्टी भुनाई हेतु प्रयोज्य नहीं

भावी वेतनवृद्धियों के आकलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित घटक जैसे नियोजन बाज़ार में आपूर्ति एवं मांग को हिसाब में लेकर किये जाते हैं।

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोड़ों में

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**4521.26**	**810.57**	**236.22**
ब्याज लागत	406.55	67.34	20.99
वर्तमान सेवा लागत	57.07	36.16	22.16
विगत सेवा लागत – पहचाने गए/निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचाने न गए/गैर–निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(318.32)	(129.59)	(74.29)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि/(लाभ) (संतुलन आंकडा)	263.75	113.34	(4.39)
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**4930.31**	**897.83**	**200.69**

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोड़ों में

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**3863.80**	**755.05**	**218.06**
ब्याज लागत	313.05	58.46	15.78
वर्तमान में सेवा लागत	62.24	34.40	63.56
विगत सेवा लागत – पहचाने गए/निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचाने न गए/गैर–निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(251.30)	(113.23)	(58.95)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ) (संतुलन आंकडा)	533.47	75.89	(2.23)
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**4521.26**	**810.57**	**236.22**

I.PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2014	31/03/2013
Discount Rate	9.32% for Pension-15 year G-sec paper and 9.03% for Gratuity-10 year G-sec paper	8.37%
Salary escalation rate	5.50%(includes 0.50% for wage revision)	4.00%
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Gratuity	1.00% for Pension and 2.00% for Gratuity
Expected rate of return on Plan Assets *	9.00%	9.00%
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.

Current Year 2013-14

₹ in Crore

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**4521.26**	**810.57**	**236.22**
Interest Cost	406.55	67.34	20.99
Current service cost	57.07	36.16	22.16
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(318.32)	(129.59)	(74.29)
Actuarial (gain)/loss on obligation (balancing figure)	263.75	113.34	(4.39)
PVO as at the end of the year	**4930.31**	**897.83**	**200.69**

Previous year 2012-13

₹ in Crore

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**3863.80**	**755.05**	**218.06**
Interest Cost	313.05	58.46	15.78
Current service cost	62.24	34.40	63.56
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(251.30)	(113.23)	(58.95)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	533.47	75.89	(2.23)
PVO as at the end of the year	**4521.26**	**810.57**	**236.22**

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोडों में

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4195.97	744.17	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	418.96	66.32	0.00
अंशदान	492.93	184.38	35.53
प्रदत्त लाभ	(318.32)	(129.59)	(35.53)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) (संतुलन आंकडा)	(21.88)	(0.65)	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4767.66	864.63	0.00

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोडों में

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3375.87	655.45	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	294.92	55.79	0.00
अंशदान	752.13	146.16	58.95
प्रदत्त लाभ	(251.30)	(113.23)	(58.95)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) (संतुलन आंकडा)	24.35	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4195.97	744.17	0.00

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोडों में

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	418.96	66.32	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ /(हानि)	(21.88)	(0.65)	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	397.08	65.67	0.00

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोडों में

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	294.92	55.79	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ /(हानि)	24.35	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	319.27	55.79	0.00

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोडों में

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – बाध्यता	263.75	(113.35)	4.39
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि–योजना आस्तियां	(21.88)	0.65	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ / (हानि)	(285.63)	(112.70)	4.39
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकक लाभ/(हानि)	(285.63)	(112.70)	4.39
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	0.00

Current Year 2013-14

₹ in Crore

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	4195.97	744.17	0.00
Expected return on plan assets	418.96	66.32	0.00
Contributions	492.93	184.38	35.53
Benefits paid	(318.32)	(129.59)	(35.53)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(21.88)	(0.65)	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	4767.66	864.63	0.00

Previous year 2012-13

₹ in Crore

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	3375.87	655.45	0.00
Expected return on plan assets	294.92	55.79	0.00
Contributions	752.13	146.16	58.95
Benefits paid	(251.30)	(113.23)	(58.95)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	24.35	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	4195.97	744.17	0.00

Current Year 2013-14

₹ in Crore

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	418.96	66.32	0.00
Actuarial gain/ (loss) on plan assets	(21.88)	(0.65)	0.00
Actual return on plan assets	397.08	65.67	0.00

Previous Year 2012-13

₹ in Crore

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	294.92	55.79	0.00
Actuarial gain/ (loss) on plan assets	24.35	0.00	0.00
Actual return on plan assets	319.27	55.79	0.00

Current Year 2013-14

₹ in Crore

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial (gain) / loss for the year - Obligation	263.75	(113.35)	4.39
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(21.88)	0.65	0.00
Total gain / (loss) for the year	(285.63)	(112.70)	4.39
Actuarial gain /(loss) recognized in the year	(285.63)	(112.70)	4.39
Unrecognized actuarial gain /(loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोडों में

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ / हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि) – बाध्यता	(533.47)	(75.89)	2.23
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)–योजना आस्तियां	24.35	0.00	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ / (हानि)	(509.12)	(75.89)	2.23
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक लाभ / (हानि)	(509.12)	(75.89)	2.23
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.00	0.00	0.00

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोडों में

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4930.31	897.83	200.69
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4767.66	864.63	0.00
अन्तर	162.65	33.20	200.69
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	162.65	33.20	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी आस्ति / (देयता)	0.00	0.00	200.69

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोडों में

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4521.26	810.57	236.22
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4195.97	744.17	0.00
अन्तर	325.29	66.40	236.22
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	325.29	66.40	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी आस्ति / (देयता)	0.00	0.00	(236.22)

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोडों में

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	57.07	36.16	22.16
ब्याज लागत	406.55	67.34	20.99
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(418.96)	(66.32)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	285.63	114.00	(4.39)
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	162.65	33.20	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	492.93	184.38	38.76

Previous Year 2012-13

₹ in Crore

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(533.47)	(75.89)	2.23
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	24.35	0.00	0.00
Total gain /(loss) for the year	(509.12)	(75.89)	2.23
Actuarial gain /(loss) recognized in the year	(509.12)	(75.89)	2.23
Unrecognized actuarial gain /(loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00

Current Year 2013-14

₹ in Crore

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	4930.31	897.83	200.69
Fair value of plan assets	4767.66	864.63	0.00
Difference	162.65	33.20	200.69
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	162.65	33.20	0.00
Asset/(Liability) recognized in the balance sheet	0.00	0.00	200.69

Previous Year 2012-13

₹ in Crore

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	4521.26	810.57	236.22
Fair value of plan assets	4195.97	744.17	0.00
Difference	325.29	66.40	236.22
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	325.29	66.40	0.00
Asset/(Liability) recognized in the balance sheet	0.00	0.00	(236.22)

Current Year 2013-14

₹ in Crore

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	57.07	36.16	22.16
Interest Cost	406.55	67.34	20.99
Expected return on plan assets	(418.96)	(66.32)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	285.63	114.00	(4.39)
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	162.65	33.20	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	492.93	184.38	38.76

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोडों में

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	62.24	34.40	63.56
ब्याज लागत	313.05	58.46	15.78
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(294.93)	(55.79)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	509.12	75.89	(2.23)
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	162.65	33.20	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	752.13	146.16	77.11

चालू वर्ष 2013–14

₹ करोडों में

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभ शेष	0.01	0.00	236.22
उपर्युक्तानुसार व्यय	492.92	184.38	38.76
प्रदत्त अंशदान	(492.93)	(184.38)	(74.29)
निवल देयता का अंतशेष	0.00	0.00	200.69

पिछले वर्ष 2012–13

₹ करोडों में

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभ शेष	(0.01)	0.00	218.06
उपर्युक्तानुसार व्यय	752.13	146.16	77.11
प्रदत्त अंशदान	(752.13)	(146.16)	(58.95)
निवल देयता का अंतशेष	(0.01)	0.00	236.22

₹ करोडों में

IX. चालू वर्ष 2013–14	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4930.31	897.83	200.69
योजना आस्तियां	4767.66	795.17	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(162.65)	(102.66)	(200.69)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – लाभ / (हानि)	(263.75)	113.35	(4.39)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन – लाभ / (हानि)	(21.88)	0.65	0.00

₹ करोडों में

IX. पिछले वर्ष 2012–13	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4521.26	810.57	236.22
योजना आस्तियां	4195.97	744.17	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(325.29)	(66.40)	(236.22)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – लाभ / (हानि)	(533.47)	(75.89)	2.23
योजना आस्तयों पर अनुभव समयोजन – लाभ / (हानि)	24.35	0.00	0.00

Previous Year 2012-13

₹ in Crore

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	62.24	34.40	63.56
Interest Cost	313.05	58.46	15.78
Expected return on plan assets	(294.93)	(55.79)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	509.12	75.89	(2.23)
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	162.65	33.20	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	752.13	146.16	77.11

Current Year 2013-14

₹ in Crore

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	0.01	0.00	236.22
Expense as above	492.92	184.38	38.76
Contribution paid	(492.93)	(184.38)	(74.29)
Closing net liability	0.00	0.00	200.69

Previous Year 2012-13

₹ in Crore

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	(0.01)	0.00	218.06
Expense as above	752.13	146.16	77.11
Contribution paid	(752.13)	(146.16)	(58.95)
Closing net liability	(0.01)	0.00	236.22

₹ in Crore

IX. Current Year 2013-14	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	4930.31	897.83	200.69
Plan Assets	4767.66	795.17	0.00
Surplus/ (Deficit)	(162.65)	(102.66)	(200.69)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(263.75)	113.35	(4.39)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(21.88)	0.65	0.00

₹ in Crore

IX. Previous Year 2012-13	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	4521.26	810.57	236.22
Plan Assets	4195.97	744.17	0.00
Surplus /(Deficit)	(325.29)	(66.40)	(236.22)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(533.47)	(75.89)	2.23
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	24.35	0.00	0.00

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2013-14		2012-13	
भारत सरकार प्रतिभूतियां और राज्य सरकार प्रतिभूतियां	37.00%	50.00%	55.00%	51.91%
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	26.91%	30.00%	40.00%	46.65%
विशेष जमा योजना	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियां	32.73%	18.00%	0.00%	0.00%
निजी क्षेत्र बांड	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
अन्य (पीएसयू)	3.36%	1.00%	5.00%	1.44%
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

₹ करोड़ों में

	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2013-14		2012-13	
XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	493.00	184.00	704.00	146.00

योजना में अधिशेष / घाटा **पेंशन**

₹ करोड़ों में

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	को समाप्त वर्ष **31.03.2010**	को समाप्त वर्ष **31.03.2011**	को समाप्त वर्ष **31.03.2012**	को समाप्त वर्ष **31.03.2013**	को समाप्त वर्ष **31.03.2014**
वर्ष की समाप्ति पर देयता	1939.00	3563.00	3863.80	4521.26	4930.31
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1815.80	2851.00	3375.87	4195.96	4767.66
अंतर	123.20	712.60	487.93	325.30	162.65
पहचान न की गई विगत सेवा लागत	123.20	712.60	487.93	325.30	162.65
पहचान न की गई संक्रमण देयता	123.20	61.60	NIL	NIL	NIL
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	61.60	224.25	162.65	162.65	162.65

अनुभव समायोजन

₹ करोड़ों में

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	को समाप्त वर्ष **31.03.2010**	को समाप्त वर्ष **31.03.2011**	को समाप्त वर्ष **31.03.2012**	को समाप्त वर्ष **31.03.2013**	को समाप्त वर्ष **31.03.2014**
योजना देयता पर (लाभ) / हानि	(41.96)	959.99	(346.33)	(533.47)	(263.75)
योजना आस्ति पर (हानि) / लाभ	(31.03)	(25.60)	9.18	24.35	(21.88)

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2013-14		2012-13	
Government of India Securities and State Government Securities	37.00%	50.00%	55.00%	51.91%
High Quality Corporate Bonds	26.91%	30.00%	40.00%	46.65%
Special Deposit Scheme	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	32.73%	18.00%	0.00%	0.00%
Private Sector Bonds	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Others (PSUs)	3.36%	1.00%	5.00%	1.44%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

₹ in Crore

CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2013-14		2012-13	
XI. ENTERPRISE'S BEST ESTIMATE OF CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	493.00	184.00	704.00	146.00

Surplus / Deficit in the Plan **Pension**

₹ in Crore

Amount recognised in the Balance Sheet	Year ended 31.03.2010	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014
Liability at the end of the year	1939.00	3563.00	3863.80	4521.26	4930.31
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1815.80	2851.00	3375.87	4195.96	4767.66
Difference	123.20	712.60	487.93	325.30	162.65
Unrecognised Past Service Cost	123.20	712.60	487.93	325.30	162.65
Unrecognised Transition Liability	123.20	61.60	NIL	NIL	NIL
Amount Recognised in the Balance Sheet	61.60	224.25	162.65	162.65	162.65

Experience Adjustment

₹ in Crore

Amount recognised in the Balance Sheet	Year ended 31.03.2010	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014
On Plan Liability (Gain) / Loss	(41.96)	959.99	(346.33)	(533.47)	(263.75)
On Plan Asset (Loss) / Gain	(31.03)	(25.60)	9.18	24.35	(21.88)

योजना में अधिशेष / घाटा उपदान

₹ करोडों में

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	को समाप्त वर्ष **31.03.2010**	को समाप्त वर्ष **31.03.2011**	को समाप्त वर्ष **31.03.2012**	को समाप्त वर्ष **31.03.2013**	को समाप्त वर्ष **31.03.2014**
वर्ष की समाप्ति पर देयता	572.00	757.00	755.05	810.57	897.83
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	561.60	619.00	655.45	744.18	864.63
अंतर	10.40	138.00	99.60	66.40	33.20
पहचान न की गई विगत सेवा लागत	10.40	138.00	99.60	66.40	33.20
पहचान न की गई संक्रमण देयता	10.40	5.20	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	5.20	38.40	33.20	33.20	33.20

अनुभव समायोजन

₹ करोडों में

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	को समाप्त वर्ष **31.03.2010**	को समाप्त वर्ष **31.03.2011**	को समाप्त वर्ष **31.03.2012**	को समाप्त वर्ष **31.03.2013**	को समाप्त वर्ष **31.03.2014**
योजना देयता पर (लाभ) / हानि	27.13	17.83	(78.52)	(75.89)	(113.33)
योजना आस्ति पर (हानि) / लाभ	(7.83)	5.42	(1.72)	0.00	0.65

7.2 अनुषंगी कंपनियां

7.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड –

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जिसे वर्ष के लिए व्यय माना गया, निम्नप्रकार प्रस्तुत है :

₹

विवरण	2013-14	2012-13
भविष्य निधि को नियोक्ता का अंशदान	2608686	2749762
कर्मचारी जमा से जुडी बीमा योजना हेतु एलआईसी को अंशदान	33755	35219

परिभाषित लाभ योजना

I. परिभाषित लाभ बाध्यता के अथशेष व इतिशेष का लेखा समाधान

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	4821242	5747698	6144273	6917235
वर्तमान सेवा लागत	524332	634967	698510	90130
ब्याज लागत	385699	459816	559129	553379
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(1195793)	209669	(1486532)	(1416471)
प्रदत्त लाभ	-	2230908	-	-
निपटान लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	4535480	4821242	5915380	6144273

Surplus / Deficit in the Plan **Gratuity**

₹ in Crore

Amount recognised in the Balance Sheet	Year ended 31.03.2010	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014
Liability at the end of the year	572.00	757.00	755.05	810.57	897.83
Fair value of Plan Assets at the end of the year	561.60	619.00	655.45	744.18	864.63
Difference	10.40	138.00	99.60	66.40	33.20
Unrecognised Past Service Cost	10.40	138.00	99.60	66.40	33.20
Unrecognised Transition Liability	10.40	5.20	NIL	NIL	NIL
Amount Recognised in the Balance Sheet	5.20	38.40	33.20	33.20	33.20

Experience Adjustment

₹ in Crore

Amount recognised in the Balance Sheet	Year ended 31.03.2010	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014
On Plan Liability (Gain) / Loss	27.13	17.83	(78.52)	(75.89)	(113.33)
On Plan Asset (Loss) / Gain	(7.83)	5.42	(1.72)	0.00	0.65

7.2 SUBSIDIARY COMPANIES

7.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under: ₹

Details	2013-14	2012-13
Employer's contribution to Provident Fund	2608686	2749762
Employees Deposit Linked Insurance Scheme contribution to LIC	33755	35219

Defined Benefit Plan

I Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Defined benefit obligation at the beginning of the year	4821242	5747698	6144273	6917235
Current service cost	524332	634967	698510	90130
Interest cost	385699	459816	559129	553379
Actuarial (gain)/ loss	(1195793)	209669	(1486532)	(1416471)
Benefits paid	-	2230908	-	-
Settlement cost	-	-	-	-
Defined benefit obligation at the year end	4535480	4821242	5915380	6144273

II. योजना आस्तियों के अथशेष व इतिशेष के उचित मूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2013-14	2012-13
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5270514	6180698
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	-830993	449272
अंशदान	-	871452
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-
प्रदत्त लाभ	-	2230908
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4439521	5270514
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	-830993	449272

III. आस्तियों व बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4439521	5270514	5915380	6144273
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4535480	4821242	6144273	6917235
तुलन–पत्र में अभिज्ञात राशि	-95959	449272	-228893	-772962

IV वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
वर्तमान सेवा लागत	524332	634967	698510	90130
ब्याज लागत	385699	459816	559129	553379
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	-830993	449272	-	-
बीमांकक (लाभ) /हानि	(1195793)	209669	-1486532	-1416471
निवल लागत	545231	855180	-228893	-772962

V बीमांकिक अनुमान

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
मृत्यु संख्या सारणी (जीबीनि)	1994-96	1994-96	1994-96	1994-96
	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)
बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	8%	8%	9.10%	8%
प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर (प्रतिवर्ष)	8%	8%	--	--
वेतन में वृद्धि की दर (प्रतिवर्ष)	5%	5%	7%	5%
सेवात्याग दर	1% to 3%	1% to 3%	12%	1% to 3%

II Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

₹

Details	Gratuity (Funded)	
	2013-14	2012-13
Fair value of plan assets at the beginning of the year	5270514	6180698
Expected return on plan assets	-830993	449272
Contributions	-	871452
Actuarial (gain)/ loss	-	-
Benefits paid	-	2230908
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	4439521	5270514
Actual return on plan assets	-830993	449272

III Reconciliation of fair value of assets and obligations

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Fair value of plan assets	4439521	5270514	5915380	6144273
Present value of obligation	4535480	4821242	6144273	6917235
Amount recognized in Balance Sheet	-95959	449272	-228893	-772962

IV Expense recognized during the year

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Current Service Cost	524332	634967	698510	90130
Interest Cost	385699	459816	559129	553379
Expected return on plan assets	-830993	449272	-	-
Actuarial (gain) / loss	(1195793)	209669	-1486532	-1416471
Net Cost	545231	855180	-228893	-772962

V Actuarial assumptions

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Mortality Table (LIC)	1994-96	1994-96	1994-96	1994-96
	(Ultimate)	(Ultimate)	(Ultimate)	(Ultimate)
Discount rate (per annum)	8%	8%	9.10%	8%
Expected rate of return (per annum)	8%	8%	--	--
Rate of escalation of salary (per annum)	5%	5%	7%	5%
Attrition Rate	1% to 3%	1% to 3%	12%	1% to 3%

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और माँग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। मूल कंपनी से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में निवृत्ति लाभ देयता का वहन मूल कंपनी द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने वर्ष 2013–14 में उपदान देयता की ओर ₹ 5.18 लाख (पिछले वर्ष ₹ 8.98 लाख) का अंशदान दिया है।

7.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लि.

उपदान निधि की ओर कंपनी की बाध्यता एवं बीमांकिक मूल्यांकन के ब्यौरे :

₹ लाखों में

i	कुल विगत सेवा उपदान एवं बीमांकिक मूल्य	9.79
ii	जीवन बीमा निगम को देय शेष अंशदान, यदि हो	शून्य
iii	अनुमान बट्टा दर	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि
	वेतन में वृद्धि के प्रक्षेपण	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि

8. सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस 17)

लेखाकरण मानकों संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल कंपनी के परिचालनों को अर्थात 'ट्रेशरी' अंतर्विष्ट कारोबार सेगमेंट, कार्पोरेट /थोक बैंकिंग, फुटकर बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक सेगमेंट में और देशी और अंतर राष्ट्रीय अंतर्विष्ट भौगोलिक सेगमेंट को गौण सेगमेंट में वर्गीकृत किया गया है। अनुषंगियों के परिचालनों को कारोबार सेगमेंट में ''अन्य बैंकिंग परिचालनों'' के अधीन और भौगोलिक सेगमेंट में ''देशी'' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Parent is borne by Parent.

The company has contributed ₹5.18 Lakhs (P Y ₹ 8.98 lakhs) towards Gratuity liability in the year 2013-14.

7.2.2 INDBANK HOUSING LTD

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation:

₹ lakhs

i	Total past service gratuity and Actuarial value	9.79
ii	Balance Contribution payable to LIC, if any	Nil
iii	Assumptions Discounting rate	 8% p.a. compound
	Projections of salary increase	8% p.a. compound

8. SEGMENT REPORTING (AS 17)

As per the Reserve Bank of India guidelines on Accounting Standards, the Parent's operations are classified into Primary segment i.e., the business segment comprising of 'Treasury', 'Corporate/Wholesale Banking', Retail Banking' and 'Other Banking Operations' and Secondary segment being the geographical segment comprising of 'Domestic' and 'International'. The operations of the Subsidiaries are classified under 'Other banking Operations' in Business segment and under 'Domestic' in Geographic segment.

सेगमेंट रिपोर्टिंग

₹ करोड़ों में

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
राजस्व	4200.11	3511.09	6483.69	6360.88	5437.92	5101.99	145.74	212.24	16627.46	15186.20
परिणाम	847.53	640.04	1099.56	1275.22	814.78	939.46	140.18	205.91	2902.05	3060.63
अनाबंटित व्यय									1425.70	1234.58
परिचालनगत लाभ									1476.35	1826.05
अल्पसंख्यक हित									-0.11	-0.26
अन्य अनाबंटनीय आय									29.74	27.78
आय कर									316.73	245.37
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	1.17
निवल लाभ									1189.25	1609.37
अन्य जानकारी										0.00
खण्डीय आस्तियां	48784.94	44286.70	79065.27	66504.41	59483.43	51558.13	146.71	174.90	187480.35	162524.14
अनाबंटित आस्तियां									7.84	429.28
कुल आस्तियां									187488.19	162953.42
खण्डीय देयताएं	49535.14	42774.36	69494.11	59570.63	51783.18	46170.72	0.00	10.42	170812.43	148526.14
अनाबंटित देयताएं									16675.76	14427.28
कुल देयताएं									187488.19	162953.42

		भाग बी – भौगोलिक खण्ड			
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2013-14	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**
राजस्व	16293.19	14882.21	334.27	303.99	16627.46	15186.20
आस्तियां	178306.93	154520.20	9181.26	8433.22	187488.19	162953.42

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व और व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है। जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकडों को पुनःसमूहित किया गया है।

Segment Reporting

₹ in Crore

Part A Business Segments	**Treasury**		**Corporate/ Wholesale Banking**		**Retail Banking**		**Other Banking operations**		**Total**	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Revenue	4200.11	3511.09	6483.69	6360.88	5437.92	5101.99	145.74	212.24	16627.46	15186.20
Result	847.53	640.04	1099.56	1275.22	814.78	939.46	140.18	205.91	2902.05	3060.63
Unallocated expenses									1425.70	1234.58
Operating Profit									1476.35	1826.05
Minority Interest									-0.11	-0.26
Other unallocable income									29.74	27.78
Income Taxes									316.73	245.37
Exceptional Item									0.00	1.17
Net Profit									1189.25	1609.37
Other information										0.00
Segment Assets	48784.94	44286.70	79065.27	66504.41	59483.43	51558.13	146.71	174.90	187480.35	162524.14
Unallocated assets									7.84	429.28
Total assets									187488.19	162953.42
Segment Liabilities	49535.14	42774.36	69494.11	59570.63	51783.18	46170.72	0.00	10.42	170812.43	148526.14
Unallocated liabilities									16675.76	14427.28
Total liabilities									187488.19	162953.42

	Part B Geographic Segments					
	Domestic		**International**		**Total**	
	2013-14	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**
Revenue	16293.19	14882.21	334.27	303.99	16627.46	15186.20
Assets	178306.93	154520.20	9181.26	8433.22	187488.19	162953.42

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segmental assets, wherever direct allocation is not possible. Previous year figures have been re-grouped wherever necessary.

9. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

9.1 मूल संस्था

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री टी.एम भसीन – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री बी राज कुमार – कार्यपालक निदेशक

श्री महेश कुमार जैन – कार्यपालक निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान ₹ 62.96 लाख के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष ₹ 62.36 लाख)

9.2 अनुषंगी कंपनी :

9.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री बनबिहारी पंडा, प्रेसिडेंट एवं पूर्णकालिक निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को वर्ष के दौरान ₹ 14.25 लाख के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष ₹ 12.89 लाख)

9.3 अन्य संबंधित पार्टियाँ सरकार नियंत्रित उद्यम हैं और इस कारण एएस–18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। आगे, एएस–18 के पेराग्राफ 5 के अनुसार बैंकर–ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।

10. पट्टे (एएस 19)

11.1 मूल संस्था

पट्टे/किराए के आधार पर ली गई सम्पत्तियाँ, बैंक की इच्छानुसार नवीकृत/रद्द करने योग्य हैं। अतिरिक्त किराए/पट्टा किराए के विवादों के संबंध में बैंक की देयताओं को निपटान अथवा नवीकरण पर माना जाता है।

11.2 अनुषंगी कंपनियां

11.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि

पट्टे पर लिए गए आस्तियों के संबंध में

पट्टे पर लिए गए आस्तियों के संबंध में, कंपनी, मूल संस्था के साथ विभिन्न कार्यालय परिसरों के लिए परिचालनात्मक पट्टे रखता है। वर्ष की समाप्ति पर, रद्द नहीं किए जा सकनेवाले परिचालनात्मक पट्टे के तहत, आवश्यक भावी न्यूनतम भुगतान निम्नवत् हैं–

₹ लाखों में

	As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
वर्ष के लिए पट्टा भुगतान	20.63	21.50
न्यूनतम पट्टा भुगतान		
एक साल के बाद का नहीं	0.00	0.00
एक साल के बाद परंतु पांच साल से ज्यादा नहीं	0.00	0.00
पांच साल के बाद	0.00	0.00

12 प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2013-14	2012-13
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	1189.26	1609.37
ईक्विटी शेयरों की संख्या	464848488	429770000
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	432844383	429770000
मूल अर्जन प्रति शेयर	₹ 26.87	₹ 36.45
प्रति शेयर कम किया गया अर्जन	₹ 26.87	₹ 36.45
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

9. RELATED PARTY DISCLOUSRES (AS 18)

9.1 PARENT

Key Managerial Personnel:

Shri T M Bhasin	Chairman & Managing Director
Shri B Raj Kumar	Executive Director
Shri Mahesh Kumar Jain	Executive Director

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 62.96 lakhs (previous year is ₹ 62.36 lakhs)

9.2 SUBSIDIARY COMPANIES

9.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Key Managerial Personnel:

Mr.Banabihari Panda, President & Wholetime Director

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year is ₹ 14.25 lakhs (previous year is ₹ 12.89 lakhs)

9.3 Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

10. LEASES (AS 19)

11.1 PARENT

The properties taken on lease/rental basis are renewable/ cancelable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent/ lease rent are recognized on settlement or on renewal.

11.2 SUBSIDIARY COMPANIES

11.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

In case of assets taken on lease

The company has operating leases for office premises at various locations with the Parent. The future minimum payments required under non-cancellable operating leases at year-end are as follows:

₹ lakhs

	As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
Lease payments for the year	20.63	21.50
Minimum Lease payments:		
Not later than one year	0.00	0.00
Later than one year but not later than five years	0.00	0.00
Later than five years	0.00	0.00

12. EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars	2013-14	2012-13
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	1189.26	1609.37
Number of Equity Shares	464848488	429770000
Weighted Number of equity shares	432844383	429770000
Basic Earning Per Share	₹ 26.87	₹ 36.45
Diluted Earning Per Share	₹ 26.87	₹ 36.45
Nominal value per Equity Share	₹ 10.00	₹ 10.00

13. समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

समेकित वित्तीय विवरणों को लेखकरण मानक (ए एस 21) के अनुसार तैयार किए गये हैं। **समेकित वित्तीय विवरण्को भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी "समेकित वित्तीय विवरणों" और समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समनुरूप किए गए हैं।**

14. आय पर करों के लिए लेखाकरण (एएस 22)

14.1 मूल संस्था

डीटीए (आस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (आस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं :

डीटीए / डीटीएल संघटक

₹ करोडों में

घटक	31.03.2014	31.03.2013
आस्थगित कर आस्तियां		
1. भुगतान/क्रिस्टालाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	160.76	131.55
2. अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0.24	0.21
3. विगत वर्षों में संदिग्ध ऋणों के लिए दावा नहीं किये गए भत्ते	0.00	0.82
कुल–डीटीए	**161.00**	**132.58**
आस्थगित कर देयताएं		
1. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	46.75	41.50
2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	271.74	218.00
3. बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों हेतु प्रावधान	452.38	414.64
4. स्टाफ कल्याण व्यय	5.71	5.71
5. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अधीन विशेष आरक्षितियों पर डीटीएल	188.64	
कुल – डीटीएल	**965.22**	**679.85**
निवल डीटीए / डीटीएल	**(804.22)**	**(547.27)**

भारतीय रिज़र्व बैंक के उनके दिनांक 07.02.2014 के परिपत्र संख्या डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013–14 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के तहत बनाई गई विशेष आरक्षित निधि के कारण, लाभ तथा हानि खातों के माध्यम से बैंक ने ₹ 20.39 करोड़ (31.03.2014 को समाप्त तिमाही के लिए ₹ 20.39 करोड़) की आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का प्रावधान किया है। इसके अलावा, उपरोक्त परिपत्र के संदर्भ में, विशेष आरक्षित निधि के लिए 31.03.2013 तक बनाई गई ₹ 168.25 करोड़ की आस्थगित कर देयता सीधें राजस्व आरक्षित निधि से बनायी गयी है।

14.2 अनुषंगी कंपनियां

14.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता के मुख्य घटक निम्न प्रकार है।

	आस्थगित कर ₹			
	31.3.2014 को		31.3.2013 को	
	आस्ति	देयताएं	आस्ति	देयताएं
i) मूल्य ह्रास–योग्य आस्तियों में समय का अंतर		38790042		38797180
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	89819530		89797499	
iii) अन्य	2124519		2290664	
कुल	53154007		56226454	

13. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21). "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

14. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

14.1 PARENT

The major components of DTA (Deferred Tax Assets) / DTL (Deferred Tax Liabilities) are as follows:

DTA / DTL components

₹ in Crore

Components	31.03.2014	31.03.2013
Deferred Tax Assets		
1. Liabilities provision allowable on payment / crystallization	160.76	131.55
2. Provision for unutilized leave	0.24	0.21
3. Unclaimed allowance for doubtful debts in prior years	0.00	0.82
TOTAL- DTA	**161.00**	**132.58**
Deferred Tax Liabilities		
1. Depreciation on Fixed Assets	46.75	41.50
2. Interest on Government securities	271.74	218.00
3. Provision for Written-off Accounts	452.38	414.64
4. Staff Welfare Retrieval	5.71	5.71
5. DTL on Special Reserves u/s 36(i)(viii) of Income Tax Act, 1961*.	188.64	
TOTAL – DTL	**965.22**	**679.85**
NET DTA/ (DTL)	**(804.22)**	**(547.27)**

*In accordance with RBI Circular No.DBOD.No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20.12.2013, the Bank has provided Deferred Tax Liability (DTL) of ₹20.39 crores on account of Special Reserve created under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 for the Financial Year 2013-14 (₹20.39 crores for the QE 31.03.2014) through Profit and Loss Account. Further, in terms of aforesaid circular, DTL of ₹168.25 crores for the Special Reserve created upto 31.03.2013 has been made directly from Revenue Reserve.

14.2 SUBSIDIARY COMPANIES

14.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The major components of deferred tax asset/liability are as below:

	Deferred Tax ₹			
	As on 31.3.2014		As on 31.3.2013	
	Asset	Liability	Asset	Liability
i) Timing difference in depreciable assets		38790042		38797180
ii) Provision for Bad debts and NPAs	89819530		89797499	
iii) Others	2124519		2290664	
Total	53154007		56226454	

15. एएस 24 के अन्तर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं – बंद परिचालन

इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

कंपनी आनुषंगिक संस्था ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को लेने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एकसपोज़र उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनरदायगी और दावा न की गई स्थायी जमाओं को जब कभी उनका दावा किया जाता है, उनकी पुनरदायगी करने के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एस्क्रो खाते में अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। अब कंपनी केवल सेबी विनियमनों द्वारा नियंत्रित है।

व्यापार घटकों को सेवा का स्वरूप संगठनात्मक संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक खंड के रूप में पहचाना गया है। रिपोर्ट की गई व्यापार सेवा का वर्गीकरण ''बंद किये जा रहे परिचालन'' (निधि आधारित) और ''जारी परिचालन (शुल्क आधारित) के रूप में किया गया है। बंद किये जा रहे परिचालनों में पट्टे पर देना, भाडा खरीदी, अंतर कॉर्पोरेट जमाएं एवं निवेश आदि हैं। जारी रखे जानेवाले परिचालनों में मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, निक्षेपागार प्रतिभागी सेवाएं, वित्तीय उत्पादों का वितरण और उससे संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं। रिपोर्ट करने योग्य कोई गौण खंड नहीं है।

16. मूल संस्था बैंक ने कंपनी को शेष 8.97 करोड़ रुपए 30.09.2013 तक मुआवजे के अधिकार के तहत भुगतान करने की अनुमति दे दी है। इस राशि के अधित्याग के लिए कंपनी ने इंडियन बैंक को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

17. मूल संस्था

विविध आय में

i. वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली गई ₹ 102.71 करोड की राशि शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 194.80 करोड)

ii. ₹ 122.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 132.84 करोड़) वर्ष के दौरान संसाधन प्रभार की वसूली है।

18. बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों की बिक्री / विपणन से, बैंक ने इस वर्ष के दौरान ₹ 8.90 करोड का आढ़त कमाया (पिछले वर्ष यह ₹ 16.31 करोड़) था।

₹ करोडों में

क्रमांक	आय का वर्गीकरण	2013-14	2012-13
1	जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	4.84	12.43
2	गैर–जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	3.62	3.22
3	अन्य – म्युचुअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	0.44	0.66
	कुल	**8.90**	**16.31**

19. तिमाही के दौरान, भारत सरकार की दिनांक 06.01.2014 की अनुमोदन संसूचना के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा रखे गए ₹ 400 करोड़ के स्थायी गैर–संचयी अधिमानी शेयरों (पीएनसीपीसी) को ₹ 114.03 (104.03 रुपये के प्रीमियम सहित) के रूपांतरण मूल्य पर 10 रुपये प्रत्येक के 3,50,78,488 ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया है तथा इसे अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को जारी कर दिया गया है। फलस्वरूप, बैंक की ईक्विटी पूँजी में भारत सरकार की जमापूँजी 80 प्रतिशत से बढ़कर 81.51 प्रतिशत हो गयी है।

20. पुनः संरचना के कारण वसूली के रिकार्ड से अन्य कारणों से मेजबान देश के मानदंडों के कारण बैंक के ओवरसीज शाखा में, एक खाते को अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मेजबान देश में पुनर्संरचित खाते में वसूली में किसी चूक के निरपेक्ष अवमानक के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। वर्ष के दौरान एफसीएनआर संस्थानों के प्रयोग द्वारा यह सुविधा इंडियन शाखा को स्थानान्तरित कर दी गयी। 31.03.2014 तक बकाया जमा ₹144.50 करोड़ है।

बैंक की दृष्टि से, पुनर्संरचना की तारीख पर यह खाता एक मानक आस्ति होता यदि वह भारत में होता। । अब भारत में स्थानान्तरण के बाद भूतपूर्व मेजबान देश के मानदंड लागू नहीं होंगे तथा अब भारत में पुनर्संरचित खाता के लिए लागू आईआरएसी मानदंडों के द्वारा शासित होगा । इसलिए, खाता अब – पुर्नसंरचित मानक आस्ति के रूप में माना जाय। उपरोक्त की पुष्टि भारतीय रिज़र्व बैंक से मांगी जा रही है।

21. **भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07.02.2014 के परिपत्र सं. भारिबैं / 2013–14 / 485 / डीबीओडी सं.बीपी.95 / 21.04.048 / 2013–14 की अनुमति पर तथा बैंक के बोर्ड की अनुमोदित पॉलिसी के अनुरूप वर्ष के दौरान बैंक ने, गैर निष्पादक आस्तियों के लिए किए गए विशेष प्रावधान के तहत अस्थायी प्रावधान से ₹ 46.06 करोड की राशि का उपयोग किया है।**

22. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल संस्था

31.03.2014 को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में निर्धारित समय सीमा के बाद भी बैंक से एमएसएमई इकाइयों को देय कोई बकाया राशियां नहीं हैं।

23. **जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडे के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित / पुनःवर्गीकृत किया गया है।**

15. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24 – DISCONTINUED OPERATIONS

INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD:

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to an escrow account with a nationalised bank for repayment as and when claimed. The Company is now governed only by SEBI regulations.

The business segments have been identified as the Primary Segment considering the nature of service, organisational structure and internal financial reporting system. The services of the reported domestic business segments are classified as "Discontinuing operations" (Fund Based) and "Continuing Operations" (Fee Based). Discontinuing operations consists of Leasing, Hire purchase, Intercorporate deposits and Investments. Continuing operations include Merchant Banking, Stock Broking, Depository Participant services, Distribution of Financial Products and allied activities. There is no Secondary Reportable Segment.

16. The parent Bank has permitted the company to pay the balance of ₹ 8.97 crores payable under Right to Recompense on or before 30.09.2013. The company has represented to Indian Bank for waiver of this amount.

17. PARENT

Miscellaneous income includes:

i) a sum of ₹ 102.71 Crore (previous year ₹ 194.80 Crore) being recovery in written-off accounts

ii) ₹ 122.92 Crore (previous year ₹ 132.84 Crore) being recovery of processing charges during the year

18. BANCASSURANCE BUSINESS

During the current year, the Bank has earned commission etc, to the extent of ₹ 8.90 Crore on sale/ marketing of various Bancassurance products (previous year ₹ 16.31 Crore). ₹ in Crore

Sl No.	Nature of Income	2013-14	2012-13
1	For Selling Life Insurance Policies	4.84	12.43
2	For selling Non-life insurance policies	3.62	3.22
3	Others – For selling Mutual Fund Products	0.44	0.66
	Total	**8.90**	**16.31**

19. During the quarter, pursuant to Government of India approval communication dated 06.01.2014, the entire Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) of ₹ 400 crores held by Government of India has been converted into 3,50,78,488 equity shares of ₹ 10/- each at a conversion price of ₹ 114.03 (including a premium of ₹ 104.03) per share and issued to Government of India, on preferential basis. Consequently, the Government of India's holding in Bank's equity capital has increased from 80% to 81.51%.

20. An account in Bank's Overseas branch was classified as Sub-standard due to Host country's norms for reasons other than record of recovery on account of re-structuring. In the Host country, a restructured account is to be classified as sub-standard irrespective of any default in recovery. During the year, the facility was transferred to Indian branch of the Bank by utilizing the FCNR resources. The balance outstanding as on 31.03.2014 is ₹ 144.00 crores.

The Bank is of the view, the account on the date of restructuring was Standard asset had the same been in India. Now, after being transferred to India, the erstwhile Host country norms no longer apply and would now be governed by IRAC norms applicable to a restructured account in India, therefore the account is now considered as Restructured Standard Asset. Confirmation of the above is also being sought from the Reserve Bank of India.

21. As permitted by Reserve Bank of India vide its circular no.RBI/2013-14/485/DBOD No.BP.95/21.04.048/2013-14 dated 07.02.2014 and also pursuant to Bank's Board approved policy, the Bank has during the year utilized a sum of ₹ 46.06 crores from Floating Provisions towards specific provision for Non Performing Assets.

22. ADDITIONAL DISCLOSURES

PARENT

There is no outstanding dues payable by the bank to MSME units pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 as on 31.03.2014.

23. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

₹ करोड़ में

	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष
लाभ व हानि लेखे के अनुसार निवल लाभ	**1189.35**	**1 609.63**
निम्नलिखित हेतु समायोजन		
प्रावधान व आकस्मिकताएं	1742.44	1 479.95
मूल्यह्रास	105.44	91.88
भूमि एवं भवन की बिक्री पर हानि/(लाभ)	2.39	8.27
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	**3039.62**	**3 189.73**
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में (वृद्धि)/ कमी	(5136.09)	(3 903.40)
अग्रिमों में वृद्धि	(16565.42)	(15 316.68)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(737.46)	(1 358.98)
	(22438.97)	**(20 579.05)**
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि	20287.45	21 252.03
अन्य देयताओं में वृद्धि/कमी	(1613.09)	(415.70)
	18674.36	**20 836.33**
परिचालनों से सृजित कुल नकदी (ए)	**(724.99)**	**3 447.01**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(171.25)	(194.78)
अचल आस्तियों की बिक्री	24.43	3.83
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	**(146.82)**	**(190.95)**
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	(320.15)	(362.33)
वितरण कर का भुगतान	(54.41)	(58.78)
उधार में वृद्धि/कमी	2101.31	(2 010.30)
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी(सी)	**1726.75**	**(2 431.41)**
नकदी और नकदी समतुल्य आस्तियों में निवल वृद्धि/ (कमी) (ए) + (बी) + (सी)	**854.94**	**824.65**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य आस्तियाँ		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	435.91	300.18
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष – चालू खाते में	6 628.33	6 018.70
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	26.02	69.85
(बी) अन्य जमा खातों में	275.90	.28
बैंकों के साथ मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	1 149.88	645.26
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	1 033.42	568.50
(बी) अन्य जमा खातों में	74.50	1 180.40
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	15.38	31.52
	9 639.34	**8 814.69**

Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2014

₹ in crore

	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2013
Net Profit as per Profit and Loss Account	**1189.35**	**1 609.63**
Adjustments for :		
Provisions and Contingencies	1742.44	1 479.95
Depreciation	105.44	91.88
Loss/(profit) on sale of land and buildings	2.39	8.27
Operating Profit before working Capital Changes	**3039.62**	**3 189.73**
Increase/Decrease in Operating Assets		
Decrease/(Increase) in Investments	(5136.09)	(3 903.40)
Increase in advances	(16565.42)	(15 316.68)
Decrease/(increase) in other assets	(737.46)	(1 358.98)
	(22438.97)	**(20 579.05)**
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase in Deposits	20287.45	21 252.03
Increase/Decrease in other liabilities	(1613.09)	(415.70)
	18674.36	**20 836.33**
Net cash generated from operations (A)	**(724.99)**	**3 447.01**
Cash flow from investing activities		
Purchase of fixed assets	(171.25)	(194.78)
Sale of fixed assets	24.43	3.83
Net cash generated from Investing Activities (B)	**(146.82)**	**(190.95)**
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(320.15)	(362.33)
Payment of distribution tax	(54.41)	(58.78)
Increase/decrease in borrowings	2101.31	(2 010.30)
Net cash generated from financing activities (C)	**1726.75**	**(2 431.41)**
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	**854.94**	**824.65**
cash and cash equivalents at the beginning of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	435.91	300.18
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	6 628.33	6 018.70
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	26.02	69.85
(b) in other deposit accounts	275.90	.28
Money at Call and short notice with Banks	1 149.88	645.26
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	1 033.42	568.50
(b) in other deposit accounts	74.50	1 180.40
Money at call and short notice	15.38	31.52
	9 639.34	**8 814.69**

₹ करोड़ में

	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य आस्तियाँ		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	260.17	435.91
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष – चालू खाते में	7497.51	6 628.33
बैंकों में नकदी		
(ए) चालू खातों में	17.65	26.02
(बी) अन्य जमा खातों में	275.99	275.90
बैंकों में शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां		1 149.88
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	1194.11	1 033.42
(बी) अन्य जमा खातों में	1248.48	74.50
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	0.37	15.38
	10494.28	**9 639.34**

टी एम भसीन
T M BHASIN
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

के श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
महा प्रबंधक
GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**
सुधा कृष्णन SUDHA KRISHNAN, **डॉ सत्यन डेविड Dr. SATHYAN DAVID,** दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT,**
पी वेंकट कृष्ण राव P VENKATA KRISHNA RAO, **अमरजीत चोपडा AMARJIT CHOPRA,** **संजय माकन SANJAY MAKEN,**
एम बुच्चि रामि रेड्डी M BUTCHI RAMI REDDY, चिंतामन महादेव दीक्षित **CHINTAMAN MAHADEO DIXIT**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते शार्प एण्ड टण्णन
For SHARP & TANNAN
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W
अश्विन बी चोपडा
ASHWIN B. CHOPRA
साझेदार Partner
(एम.सं.038159) (M. No.038159)

कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी
For BHATTACHARYA DAS & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E
ए के दास
A.K.DAS
साझेदार Partner
(एम.सं.011913) (M. No.011913)

कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
नीरज पोद्दार
NIRAJ PODDAR
साझेदार Partner
(एम.सं.401067) (M. No.401067)

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S.P.PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N
विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम.सं.090163) (M. No.090163)

कृते सी के पृस्टी एण्ड एसोसियेट्स
For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
सी के पृस्टी
C.K.PRUSTY
साझेदार Partner
(एम.सं.057318) (M. No.057318)

स्थान : Place : चेन्नै Chennai
दिनांक : Date : मई May 12, 2014

₹ in crore

	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2013
Cash & Cash equivalents at the end of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	260.17	435.91
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	7497.51	6 628.33
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	17.65	26.02
(b) in other deposit accounts	275.99	275.90
Money at Call and short notice with Banks		1 149.88
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	1194.11	1 033.42
(b) in other deposit accounts	1248.48	74.50
Money at call and short notice	0.37	15.38
	10494.28	**9 639.34**

टी एम भसीन
T M BHASIN
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

बी राजकुमार
B RAJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

के श्रीनिवास राघवन
K SRINIVASA RAGHAVAN
महा प्रबंधक
GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**

सुधा कृष्णन SUDHA KRISHNAN, डॉ सत्यन डेविड Dr. SATHYAN DAVID, दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT,**
पी वेंकट कृष्ण राव P VENKATA KRISHNA RAO, अमरजीत चोपडा AMARJIT CHOPRA, संजय माकन SANJAY MAKEN,
एम बुच्चि रामि रेड्डी M BUTCHI RAMI REDDY, चिंतामन महादेव दीक्षित **CHINTAMAN MAHADEO DIXIT**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते शार्प एण्ड टण्णन
For SHARP & TANNAN
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W
अश्विन बी चोपडा
ASHWIN B. CHOPRA
साझेदार Partner
(एम.सं.038159) (M. No.038159)

कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी
For BHATTACHARYA DAS & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E
ए के दास
A.K.DAS
साझेदार Partner
(एम.सं.011913) (M. No.011913)

कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
नीरज पोद्दार
NIRAJ PODDAR
साझेदार Partner
(एम.सं.401067) (M. No.401067)

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S.P.PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N
विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम.सं.090163) (M. No.090163)

कृते सी के प्रुस्टी एण्ड एसोसियेट्स
For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
सी के प्रुस्टी
C.K.PRUSTY
साझेदार Partner
(एम.सं.057318) (M. No.057318)

स्थान : Place : चेन्नै Chennai
दिनांक : Date : मई May 12, 2014

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

1. हमने इंडियन बैंक और इसकी अनुषंगियों और सहयोगी संस्थाओं की, जिन्हें सामूहिक रूप से इसके बाद समूह के रूप में संदर्भित किया गया है, संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है और समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2014 तक समेकित तुलनपत्र, वर्ष हेतु समेकित लाभ तथा हानि लेखा समेकित नकदी प्रवाह विवरण इसके बाद मुख्य लेखा नीतियों का सार और अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

   समेकित वित्तीय विवरण निम्नपर आधारित है।

   ए) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित बैंक के वित्तीय विवरण

   बी) दूसरे लेखा परीक्षक द्वारा दो लेखा परीक्षित अनुषंगियों के वित्तीय विवरण और

   सी) दूसरे लेखा परीक्षक द्वारा तीन लेखा परीक्षित सहयोगियों का वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्वः

2. इन समेकित वित्तीय विवरणों को जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण तत्वों के अनुसार, समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित रूप दर्शाते हैं, तैयार करने हेतु प्रबंधन जिम्मेदार है। इस उत्तरदायित्व में इन समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने एवं प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो सही और निष्पक्ष रूप दिखाते हैं, जोकि तात्विक गलत कथनों से, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो, मुक्त हैं।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारीः

3. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षण पर जारी मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और इस युक्तियुक्त आश्वासन की प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षण की आयोजना और लेखापरीक्षण करते हैं कि ये वित्तीय विवरण तात्विक गलत कथनों से मुक्त हैं।

4. लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं पर कार्य करना है। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण करना है, चाहे वे धोखाधड़ी से हो या गलती से हो। इन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने और उचित प्रस्तुतीकरण पर विचार करता है जिससे कि वह लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं को डिज़ाइन कर सके जो परिस्थितियों के समीचीन हो, लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण के विचार की अभिव्यक्ति के प्रभावशील उद्देश्य के लिए नहीं है। प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों का मूल्यांकन, प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तियुक्तता, साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी लेखा–परीक्षा में शामिल है।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार हेतु उपयुक्त हैं।

6. हमारी राय में, और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमे दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अनुषंगियों के दूसरे लेखा परीक्षकों के वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखकर नीचे दिए गए, समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा प्रणालियों के समनुरूप सही एवं वास्तविक चित्र प्रकट करता है।

   ए) समेकित तुलन पत्र के मामले में यह 31 मार्च 2014 को समूह के कार्यों का

   बी) समेकित लाभ व हानि लेखे के मामले में उस तारीख को बैंक का लाभ और

   सी) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को बैंक का नकदी प्रवाह

विषय पर जोर

7. हमारी राय अर्हकारी हुए बिना हम ध्यान आकर्षित करते हैंः–

ए) वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट 7.1.1 जिसमें बैंक की 195.84 करोड़ रुपए की पेंशन और उपदान (ग्रेच्युटी) की देनदारी को आस्थगित करने के विषय में बताया गया है, सम्बन्धी लेखांकन मानक (एस) 15, कर्मचारी लाभ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दी गई छूट के अनुसरण में जारी किए गए दिनांक 09.02.2011 के उसके परिपत्र के अनुसार है ।

बी) अनुसूची 18 के नोट 14.1 जिसमें वित्तीय वर्ष 2013–14 के लाभ हानि खाते के माध्यम से आयकर अधिनियम धारा 36 (1) (viii) के तहत बनाये गये विशेष रिज़र्व के कारण ₹ 20.39 करोड़ की आस्थगित कर देयता के प्रावधान को संदर्भित करता है। 31.03.2013 तक बनाये गये विशेष रिज़र्व के लिए ₹ 168.25 करोड़ का डीटीएल सीधे ही राजस्व रिज़र्व से भारतीय रिज़र्व बैंक के 20.12.2013 के परिपत्र के अनुसार बनाया गया ।

सी) अनुसूची 18 की नोट संख्या 19 सी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 07.02.2014 और बैंक के बोर्ड की अनुमोदित नीति के द्वारा अनुमति अनर्जक आस्तियों के लिए 46.06 करोड रुपए की राशि के अस्थायी प्रावधान से विशेष प्रावधान के उपयोग से संबंधित है।

डी) अनुसूची 18 के नोट संख्या 20 आईआरएसी के भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के तहत पुनसंरचित अग्रिम ₹ 144 करोड बैंक के विदेशी शाखा से भारतीय बैंक के अंतरण करने के संबंध में पुनःवर्गीकरण किया गया है।

अन्य विषय वस्तु

8. हमने वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण नहीं किये हैंः

ए) अनुषंगियों जिसका वित्तीय विवरण 31 मार्च 2014 तक ₹ 15.73 करोड़ के कुल अस्तियों (निवल), ₹ 6.57 करोड़ का कुल राजस्व, और निवल नकदी बहीप्रवाह राशि वर्ष की समाप्ति पर शून्य दर्शाता है।

बी) वर्ष की समाप्ति पर समूह का निवल लाभ का सहयोगियों का परावर्ती शेयर ₹ 29.74 करोड़ रुपए हैं।

इन वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गयी है और हमारी राय पूर्णतः अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते शार्प एण्ड टण्णन
For SHARP & TANNAN
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.109982डब्ल्यू Firm's Registration No. 109982W
अश्विन बी चोपडा
ASHWIN B. CHOPRA
साझेदार Partner
(एम.सं.038159) (M. No.038159)

कृते भट्टाचार्य दास एण्ड कंपनी
For BHATTACHARYA DAS & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.307077इ Firm's Registration No. 307077E
ए के दास
A.K.DAS
साझेदार Partner
(एम.सं.011913) (M. No.011913)

कृते देवकी बिजय एण्ड कंपनी
For DEOKI BIJAY & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.313105ई Firm's Registration No. 313105E
नीरज पोद्दार
NIRAJ PODDAR
साझेदार Partner
(एम.सं.401067) (M. No.401067)

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S.P.PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.001152एन Firm's Registration No. 001152N
विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम.सं.090163) (M. No.090163)

कृते सी के पृस्टी एण्ड एसोसियेट्स
For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.323220ई Firm's Registration No. 323220E
सी के पृस्टी
C.K.PRUSTY
साझेदार Partner
(एम.सं.057318) (M. No.057318)

स्थान : चेन्नै
दिनांकः मई 12, 2014

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TO
THE BOARD OF DIRECTORS
INDIAN BANK

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Indian Bank ("the Bank") and its subsidiaries and associates collectively hereinafter referred to as "the Group" and the consolidated financial statements comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2014, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended together with a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The consolidated financial statements are based on –

(a) Financial statements of the Bank audited by us;

(b) Financial statements of two subsidiaries audited by other auditors; and

(c) Financial statements of three Associates audited by other auditors.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with accounting principles generally accepted in India; this includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Group's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purposes of expressing an opinion on effectiveness of the Group's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the considerations of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March 2014;

(b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on the date; and

(c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to :

a. Note 7.1.1 of Schedule 18 to the financial statements, which describes deferment of pension liability and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹ 195.84 Crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, vide its circular dated 09.02.2011.

b. Note No.14.1 of Schedule 18 referring to provision of Deferred Tax Liability (DTL) of ` 20.39 Crores on

account of Special Reserve created under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 for the Financial Year 2013-14 through Profit and Loss Account. DTL of ₹ 168.25 Crores for the Special Reserve created up to 31.03.2013 made directly from Revenue Reserve pursuant to RBI Circular dated 20.12.2013.

c. Note No. 19 of Schedule 18 regarding utilisation of a sum of ` 46.06 Crores from Floating Provisions towards specific provision for Non Performing Assets as permitted by Reserve Bank of India vide its circular dated 07.02.2014 and also pursuant to Bank's Board approved policy.

d. Note No.20 of Schedule 18 regarding reclassification under RBI's prudential norms of IRAC for a restructured advance of ₹ 144 Crores transferred from Bank's overseas branch to its Indian branch.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements of-

a. Two subsidiaries, whose financial statements reflect total assets (net) of ₹ 15.73 Crores as at 31st March 2014, total revenues of ₹ 6.57 Crores and net cash outflows amounting to. NIL for the year then ended;

b. Three associates reflecting share of net profit of the Group of ₹ 29.74 Crores for the year then ended.

These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors.

For SHARP & TANNAN
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 109982W

ASHWIN B. CHOPRA
Partner
(M. No.038159)

For BHATTACHARYA DAS & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 307077E

A.K.DAS
Partner
(M. No. 011913)

For DEOKI BIJAY & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 313105E

NIRAJ PODDAR
Partner
(M. No.401067)

For S.P.PURI & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 001152N

VIDUR PURI
Partner (M. No .090163)

For C.K.PRUSTY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm's Registration No.323220E

C.K.PRUSTY
Partner (M. No. 057318)

Place : Chennai
Date : 12.05.2014

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार बेसल III अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण

सारणी डी एफ – 1
अनुप्रयोग का क्षेत्राधिकार

बैंकिंग ग्रूप के प्रमुख का नाम, जिसपर यह ढाँचा लागू होता है : इंडियन बैंक

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण :

ए. समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों की सूची पर विचार किया जाता है

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	क्या उपक्रम को लेखाकरण के समेकन के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उपक्रम को समेकन के विनियामक क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीकों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि क्षेत्राधिकारों की पहुँच में से एक के अधीन ही समेकन किया गया है तो उसके कारणों को स्पष्ट करें
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. (अनुषंगी)	**हाँ**	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**हाँ**	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
इंडबैंक हाउसिंग लि. (अनुषंगी)	**हाँ**	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**हाँ**	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
पल्लवन ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	**हाँ**	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	**नहीं**	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (एसोसिएट्स)	**हाँ**	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	**हाँ**	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	**हाँ**	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	**हाँ**	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित

Basel III-Pillar III Disclosures

March 31,2014

ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF COMPLIANCE OF BASEL III REQUIREMENTS AS STIPULATED BY RBI

Table DF – 1

Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Indian Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
IndBank Merchant Banking Services Ltd. (Subsidiary)	**Yes**	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	**Yes**	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	**Not Applicable**	**Not Applicable**
Ind Bank Housing Ltd (Subsidiary)	**Yes**	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	**Yes**	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	**Not Applicable**	**Not Applicable**
Pallavan Grama Bank (Associates)	**Yes**	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23-Consolidated Financial Statement	**No**	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Saptagiri Grameena Bank (Associates)	**Yes**	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23-Consolidated Financial Statement	**No**	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Puduvai Bharathiar Grama Bank (Associates)	**Yes**	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23-Consolidated Financial Statement	**Yes**	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes

बी, समेकन के लेखाकरण और विनियामक मानक, दोनों के अंतर्गत समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों पर विचार नहीं किया गया है :

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारित का %	उपक्रम की पूँजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों का विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
शून्य					

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी) समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों पर विचार किया गया है : (₹ मिलियन में)

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है (ऊपर (i) ए में दिखाए अनुसार)	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. (भारत)	मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं	443.78	513.09
इंडबैंक हाउसिंग लि. (भारत)	आवास वित्त	100.00	1178.60

डी. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की कुल राशि, जिन्हें समेकन के विनियामक दायरे में नहीं लाया गया है, अर्थात, जिनकी कटौती की गई है :

उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी कमियाँ
शून्य				

ई. बीमा उपक्रमों में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं :

बीमा उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का % / मतदान अधिकार का अनुपात	पूर्ण कटौती पद्धति की तुलना में जोखिम भारित पद्धति के प्रयोग से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

एफ. बैंकिंग समूह के अंदर ही निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं :

बैंकिंग समूह के अंदर ही निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation:

Name of the entity / country of incorporation	Principal activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation: (₹ in Million)

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
IndBank Merchant Banking Services Ltd (India)	Merchant Banking services	443.78	513.09
Ind Bank Housing Ltd (India)	Housing Finance	100.00	1178.60

d. **The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:**

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principal activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. **The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:**

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principal activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NOT APPLICABLE				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital with in the banking group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

सारणी डीएफ – 2 : पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(ए) बैंक 9 प्रतिशत से अधिक का सीआरएआर तथा 5.5 प्रतिशत से अधिक का एक समान ईक्विटी टियर I सीआरएआर रखता है।

(बी) पिल्लर I आवश्यकता के अधीन सीआरएआर की गणना करने के अलावा, बैंक विभिन्न जोखिम क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता, तरलता, ब्याज दर, डेरिवेटिव तथा फोरेक्स की लाभप्रदता तथा पूँजी पर्याप्तता में तनावग्रस्त माहौल के असर या कपटपूर्ण संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक तौर पर तनाव परीक्षण करता है।

(सी) बैंक, पिल्लर I तथा II, दोनों के अधीन भावी पूँजी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रासेस (आईसीएएपी) रखता है। बैंक, व्यापार प्रक्षेपणों तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए पूँजी का प्रक्षेपण करता है।

(डी) पिल्लर II के अधीन बैंक पूँजी का मूल्यांकन / योजना बनाते समय निम्नलिखित को जोखिम समझता है :

- ➢ तरलता जोखिम
- ➢ ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
- ➢ जमा केन्द्रीकरण जोखिम
- ➢ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
- ➢ पेंशन बाध्यता जोखिम
- ➢ मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम का कमतर प्राक्कलन
- ➢ रणनीतिगत जोखिम
- ➢ साख जोखिम
- ➢ निपटारा जोखिम

(ई) बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण ढाँचे को कार्यान्वित किया है जोकि बैंक के आईसीएएपी का प्रमुख अंग बनता है। अत्यधिक तनाव ग्रस्त परिस्थितियों में बैंक की संभाव्य अतिसंवेदनशीलता के आकलन के लिए तनाव परीक्षण करने में विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

बैंक, तनाव परीक्षण के अंग के रूप में निम्नलिखित जोखिमों पर असर का मूल्यांकन करेगा :

- ➢ ऋण जोखिम
- ➢ बाजार जोखिम
- ➢ ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
- ➢ तरलता जोखिम
- ➢ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

बैंक, तिमाही तौर पर तनाव परीक्षण का आयोजन करता है तथा उसके परिणाम बोर्ड की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) / जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को प्रस्तुत किये जाते हैं।

संगठन की संरचना

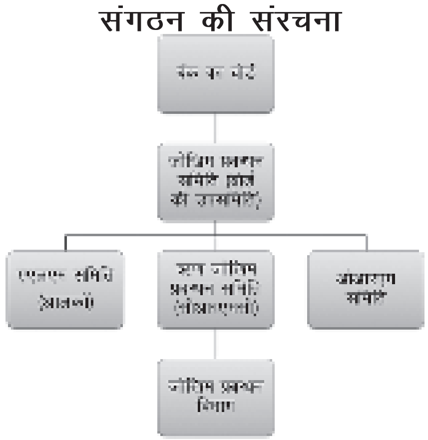

जोखिम प्रबंधन तंत्र के सृजन के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। संपूर्ण उद्यम में प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

(i) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

(ii) आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (आलको) तथा

(iii) परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अधीन काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबन्धन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम–स्तरीय जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, तरलता प्रबन्धन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, स्ट्रेस परीक्षण नीति, संपाशिर्वक प्रबन्धन नीति, प्रकटीकरण नीति और एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति शामिल हैं।

Table DF – 2: Capital Adequacy

Qualitative Disclosures:

(a) Bank maintains CRAR of more than 9% and Common Equity Tier 1 CRAR of more than 5.5%.

(b) Besides computing CRAR under the Pillar I requirement, the Bank also periodically undertakes stress testing in various risk areas to assess the impact of stressed scenario or plausible events on asset quality, liquidity, interest rate, derivatives and forex on its profitability and capital adequacy.

(c) Bank has Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy to assess future capital requirements both under Pillar I and Pillar II. Bank projects capital for the next 3 financial year based on business projections and risk profile.

(d) Under Pillar II Bank considers the following as risks while assessing / planning capital:

- Liquidity Risk
- Credit Concentration Risk
- Deposit Concentration Risk
- Interest Rate Risk in Banking Book
- Pension Obligation Risk
- Under estimation of Credit risk under Standardized approach
- Strategic Risk
- Reputation Risk
- Settlement Risk

(e) The Bank has implemented a Board approved Stress Testing Framework which forms an integral part of the Bank's ICAAP. Stress Testing involves the use of various techniques to assess the Bank's potential vulnerability to extreme but plausible stressed business conditions.

The Bank will assess the impact on the following risks, as part of Stress Test:

- Credit Risk
- Market Risk
- Credit Concentration Risk
- Liquidity Risk
- Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Bank is conducting the Stress Test on quarterly basis and the result of the same is placed to Credit Risk Management Committee (CRMC)/Risk Management Committee (RMC) of the Board.

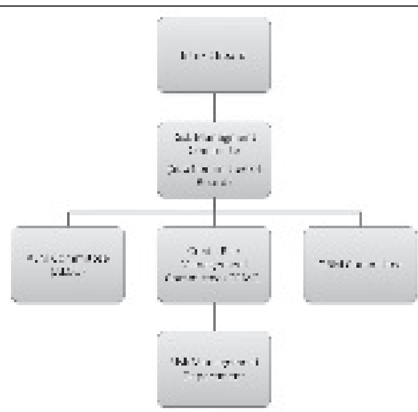

The Bank has complied with all the guidelines of the Reserve Bank of India on creation of Risk Management architecture. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management. All the risks, the Bank is exposed to, are managed through following three Apex level committees viz.,

(i) Credit Risk Management Committee (CRMC)

(ii) Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)

(iii) Operational Risk Management Committee (ORMC).

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board and Risk Management Committee of the Board.

The Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Liquidity Management Policy, Market risk management policy Operational Risk

जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच में परिचालित की गई हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अलावा ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए साफ़्टवेयर से कराया जानेवाला रेटिंग मेकानिजम स्थापित किया गया है।

बैंक के ऋण प्रशासन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए तथा बृहत मूल्य खातों की आवधिक समीक्षा/लेखा परीक्षा के लिए ऋण समीक्षा मेकानिजम तथा ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली उपलब्ध है। इसके अलावा मानक आस्ति मानिटरिंग समिति विशेष उल्लेख खातों की आवधिक तौर पर समीक्षा करती है ताकि मानक आस्तियों की गैर निष्पादित आस्तियों में गिरावट से बचने के लिए समय पर कार्य कर सकें। मॉनिटरिंग मेकानिज़म के अंग के रूप में, खाते जिन्हें निवेश योग्य वर्ग से अवनत किया गया है की पहचान की जाती है तथा त्रैमासिक आधार पर इन्हें नज़दीकी से मॉनिटर किया जाता है।

बाज़ार जोखिम

निधि एवं निवेश समिति में संरचनागत तरलता के अध्ययन के जरिए तरलता जोखिम का प्रबंधन दैनिक आधार पर किया जाता है और बोर्ड/आल्को द्वारा पाक्षिक रूप से (प्रत्येक महीने के प्रथम एवं तृतीय बुधवार को) इसपर विचार विमर्श एवं पुनरीक्षण किया जाता है। मासिक ब्याज दर सुग्राह्यता विवरणों के जरिए ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है तथा आलको/बोर्ड द्वारा इसकी पुनरीक्षा की जाती है। सीधे जोखिम प्रबन्धन विभाग को रिपोर्ट करनेवाला मिड–आफ़िस, स्वतंत्र रूप से ट्रेशरी लेनदेनों को मानिटर करता है। आवधिक रूप से विवेकपूर्ण तरलता अनुपातों को मानिटर कर उसकी रिपोर्ट आलको को दी जाती है।

परिचालनगत जोखिम

दैनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण सिस्टमों के प्रयोग से और विभिन्न जोखिम शमन की रणनीतियों को अपनाकर परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में निहित जोखिम बोध का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है और आवश्यकता पडने पर निवारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की पहचान और हानि डेटा विश्लेषण के माध्यम से जोखिम मापन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए बैंक ने जोखिम नियंत्रण और स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) के प्रयोजनार्थ बैंक ने परिचालनगत जोखिम सॉफ्टवेयर स्थापित किया है। बैंक ने विगत 5 वर्षों के लिए आंतरिक हानि डेटा का निर्माण किया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार)

(ए) ऋण जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ :

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मानकीकृत अभिगम के अध्यधीन संविभाग	85094.12	85238.65
प्रतिभूतिकरण ऋण	Nil	Nil

(बी) बाज़ार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
ब्याज दर जोखिम	3747.81	3747.81
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	72.00	72.00
ईक्विटी जोखिम	2068.54	2068.54

(सी) परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मूल संकेतक अभिगम	7952.55	7970.98

(डी) सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी1), टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात (बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार)

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	112589.67	114115.68
टियर 1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	10.24%	10.36%
कुल पूँजी पर्याप्तता अनुपात	12.64%	12.76%

टियर 1 और कुल पूंजी अनुपात (बेसल II दिशानिर्देशों के अनुसार)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
टियर 1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	10.51%	10.63%
कुल पूँजी पर्याप्तता अनुपात	13.10%	13.22%

Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Stress Testing Policy, Collateral Management Policy, Disclosure Policy & Integrated Risk Management Policy.

All the policies are reviewed on annual basis by Risk Management Committee (RMC)/ Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitise the field level functionaries, the relevant policies are circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training colleges.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at the early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.

Software driven rating mechanism is in place to assign the rating to ensure credit quality besides an entry level scoring system.

Loan review mechanism and Credit audit system are in place for the periodical review/audit of the large value accounts and bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to nonperforming assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely on quarterly basis.

Market Risk:

The liquidity risk is managed through studying structural liquidity on a daily basis, which is being discussed in the Funds and Investments Committee and reviewed every fortnight (first & third Wednesdays of every month) by ALCO/ Board. The interest rate risk is managed through monthly interest rate sensitivity statements reviewed by ALCO/ Board. The mid office, directly reporting to Risk Management Department, monitors treasury transactions independently. Prudential liquidity ratios are monitored periodically and reported to ALCO.

Operational Risk:

Operational risk is managed by using well established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / procedures are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

The bank has put in place an Operational Risk software to take forward the risk measurement process through Risk Control and Self Assessment (RCSA), identification of Key Risk Indicators (KRI) and loss data analysis. Bank has built up internal loss data for the last 5 years

Quantitative disclosures (as per Basel III guidelines)

(a) Capital requirements for credit risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Portfolios subject to standardized approach	85094.12	85238.65
Securitization exposures	Nil	Nil

b) Capital requirements for market risk: Standardized duration approach (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Interest Rate Risk	3747.81	3747.81
Foreign Exchange Risk (including gold)	72.00	72.00
Equity Risk	2068.54	2068.54

(c)Capital requirements for operational risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Basic Indicator Approach	7952.55	7970.98

(d)Common Equity Tier 1 (CET 1), Tier 1 and Total capital ratio (as per Basel III guidelines): (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Common Equity Tier 1 (CET 1),	112589.67	114115.68
Tier 1 Capital Adequacy Ratio	10.24%	10.36%
Total Capital Adequacy Ratio	12.64%	12.76%

Tier 1 and Total capital ratio (as per Basel II guidelines):

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Tier 1 Capital Adequacy Ratio	10.51%	10.63%
Total Capital Adequacy Ratio	13.10%	13.22%

बेसल III – पिल्लर III प्रकटीकरण मार्च 31, 2014
सारणी डीएफ – 3
ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(ए) बैंक ने आय अभिज्ञान तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों हेतु विनियामक द्वारा परिभाषित अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त की परिभाषाओं को (लेखाकरण के प्रयोजनार्थ) अपनाया है।

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है और इसे सभी शाखाओं को परिचालित किया गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिचालन प्रबंधन की प्रत्याशा के अनुरूप हैं तथा उच्च प्रबंधन की रणनीतियों को परिचालन स्तर पर सार्थक निदेशों के रूप में पहुँचाया गया है। यह नीति बृहत ऋण एक्स्पोज़र पर विवेकपूर्ण सीमाएं, ऋण संपार्श्विक, फोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम सकेंद्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा विनियामक / विधिक अनुपालन हेतु मानक को निर्धारित करती है।

बैंक उन जोखिमों की पहचान करता है जो उनको प्रभावित करते हैं तथा इन जोखिमों के माप, निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उचित तकनीकों का प्रयोग करता है।

जबकि बोर्ड / बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नीति तैयार करती है तथा विभिन्न ऋण जोखिमों को निर्धारित करती है, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित इन नीतियों एवं रणनीतियों को कार्यान्वित करती है, बैंक व्यापक आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी करता है तथा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

बैंक (ए) एकल तथा सामूहिक उधारकर्ताओं हेतु एक्सपोज़र सीमा निर्धारण (बी) ग्रेड सीमा रेटिंग (सी) उद्योगवार एक्सपोज़र सीमा तथा (डी) पूरे अंचलों में ऋणों के भौगोलिक संवितरण के विश्लेषण द्वारा जोखिम संकेंद्रीकरण का अध्ययन करता है। सभी अंचलों को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, यथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम।

बैंक किसी भी उधारकर्ता से संबंधित ऋण जोखिम का माप करने के लिए उधार खाते की रेटिंग को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है और तदनुसार बैंक में सभी शाखाओं/अंचल कार्यालयों के लिए साफ्टवेयर चालित रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल कार्यान्वित किए गए हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(बी) कुल सकल ऋण जोखिम (समेकित), अलग अलग से निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित

(₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
सकल ऋण जोखिम एक्स्पोज़र		
निधि आधारित		
ऋण एवं अग्रिम	1243586.55	1243621.59
निवेश	342227.52	343459.07
अन्य आस्तियां	182072.99	182404.17
कुल निधि आधारित	1767887.06	1769484.83
गैर निधि आधारित जिस में आकस्मिक क्रेडिट, संविदाएं तथा व्युत्पन्न शामिल हैं	633461.59	633700.85
कुल ऋण जोखिम एक्स्पोज़र	2401348.65	2403185.68

इसमें व्युत्पन्न एक्स्पोज़र के अनुमानित सिद्धान्त, लाभ नहीं उठाई गई सीमाएं, स्वीकृत बिल, एलसी स्वीकृतियां, गारंटी शामिल है।

(सी) एक्सपोज़र का भौगोलिक वितरण (समेकित), अलग अलग से निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित : (₹ मिलियन में)

भौगोलिक क्षेत्र	निधि आधारित	आकस्मिक ऋण, संविदाएं तथा व्युत्पन्न सहित गैर–निधि आधारित	कुल
ओवरसीज़	92765.95	17279.44	110045.39
देशी	1675121.11	616182.15	2291303.26
कुल	1767887.06	633461.59	2401348.65

Table DF-3

Credit Risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures:

(a) Bank has adopted the definitions of the past due and impaired (for accounting purposes) as defined by the regulator for Income Recognition and Asset Classification norms.

The Bank has put in place the Credit Risk Management Policy and the same has been circulated to all the branches. The main objective of the policy is to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The Policy stipulates prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank identifies the risks to which it is exposed and applies suitable techniques to measure, monitor and control these risks.

While the Board / Risk Management Committee of the Board devises the policy and fixes various credit risk exposures, Credit Risk Management Committee implements these policies and strategies approved by the Board / RMC, monitors credit risks on a bank wide basis and ensures compliance of risk limits.

The Bank studies the concentration risk by (a) fixing exposure limits for single and group borrowers (b) rating grade limits (c) industry wise exposure limits and (d) analyzing the geographical distribution of credit across the Zones. All the Zones are categorized under four segments namely North, South, East and West.

Bank considers rating of a borrowal account as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly implemented software driven rating/scoring models across all Branches/ Zonal Offices.

Quantitative Disclosures

(b) Total gross credit risk exposures, Fund Based and Non-fund based separately.

(₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	1243586.55	1243621.59
Investments	342227.52	343459.07
Other Assets	182072.99	182404.17
Total Fund Based	1767887.06	1769484.83
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives*	633461.59	633700.85
Total Credit Risk Exposure	2401348.65	2403185.68

*includes notional principles of derivatives exposures, unavailed limits, LC, acceptances Guarantees

(c) Geographic distribution of exposures Fund based and Non-fund based separately

(₹ in Million)

Geographical Region	Fund Based	Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	Total
Overseas	92765.95	17279.44	110045.39
Domestic	1675121.11	616182.15	2291303.26
Total	1767887.06	633461.59	2401348.65

(डी) 31 03 2014 तक एक्सपोज़र का उद्योगवार वितरण

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	उद्योग का नाम	बकाया		प्रतिबद्ध ऋण
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित	
1	रत्न और जेवर हीरा सहित	1012.66	0.00	1297.05
2	आधारिक संरचना			
2.1	बिजली	138271.62	7932.74	164508.43
2.2	पोर्ट / सडक	38382.05	1080.31	56985.27
2.3	टेलीकॉम	15684.27	1026.66	17984.25
2.4	अन्य आधारिक संरचना	13522.28	5297.85	31126.86
2.5	शैक्षिक संस्था	28975.38	1265.36	38922.52
2.6	अस्पताल	4144.10	782.41	5722.76
2.7	होटल	8905.39	436.51	10681.99
3	पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद	61106.63	20618.92	121527.15
4	वस्त्र	39391.25	2617.48	54392.32
5	चीनी	7491.11	716.64	10561.54
6	लोहा एवं इस्पात	39947.05	5464.09	57338.87
7	सभी इंजीनियरिंग	19485.77	20062.25	53517.82
8	औषधीय एवं रसायन	7460.78	1249.56	10337.75
9	खाद्य संसाधन (काजू, खाद्य तेल एवं वनस्पति सहित)	16134.74	3681.57	28331.36
10	कोल्यरी एवं मैनिंग	2754.20	218.39	3398.26
11	उर्वरक	5094.28	389.63	6056.75
12	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	13509.33	1565.23	22279.78
13	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	1393.25	481.91	2901.40
14	इलेक्ट्रानिक एवं कंप्यूटर (हार्डवेयर एवं साफ़्टवेयर)	7021.26	5583.44	14206.77
15	चाय / काफी	910.79	0.00	1328.26
16	कंस्ट्रक्शन कान्ट्राक्टर्स	15214.19	29962.68	61709.50
17	रबड, प्लैस्टि्क्स एवं अन्य उत्पाद (टायर सहित)	7185.10	1152.92	11161.71
18	आटोमोबाइल (वाहन, वाहन पुर्जे और परिवहन उपस्कर)	8424.82	7769.15	18999.12
19	पेय एवं तम्बाकू	2721.61	0.00	3729.06
20	लकडी एवं लकडी उत्पाद	1266.89	458.44	2198.49
21	कागज एवं कागज उत्पाद	4419.25	164.52	7336.02
22	ग्लैस एवं ग्लैसवेयर	2701.00	325.04	3683.94
23	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	7992.96	312.95	12278.99
24	मुद्रण एवं प्रकाशन	2558.78	679.16	3947.55
25	विमानन	5674.55	0.00	5674.55
26	मीडिया एवं मनोरंजन	5353.76	4352.71	10967.06
27	लाजिस्टिक्स	4920.35	2533.51	8357.28
28	जहाज निर्माण	1247.49	1942.03	8254.32
29	व्यापार (फुटकर व्यापार के अलावा)	105323.30	10032.39	166051.17
30	एनबीएफसी	129299.04	492.64	151082.91

(d) Industry-wise distribution of exposures as on 31.03.2014

(₹ in Million)

S.No.	Name of the industry	Outstanding		Committed Exposure
		Fund Based	Non Fund Based	
1	Gems and Jewellery including Diamond	1012.66	0.00	1297.05
2	Infrastructure			
2.1	Power	138271.62	7932.74	164508.43
2.2	Ports / Roads	38382.05	1080.31	56985.27
2.3	Telecom	15684.27	1026.66	17984.25
2.4	Other infrastructure	13522.28	5297.85	31126.86
2.5	Educational Institution	28975.38	1265.36	38922.52
2.6	Hospital	4144.10	782.41	5722.76
2.7	Hotel	8905.39	436.51	10681.99
3	Petroleum and Petroleum Products	61106.63	20618.92	121527.15
4	Textiles	39391.25	2617.48	54392.32
5	Sugar	7491.11	716.64	10561.54
6	Iron & Steel	39947.05	5464.09	57338.87
7	All Engineering	19485.77	20062.25	53517.82
8	Pharmaceuticals & Chemicals	7460.78	1249.56	10337.75
9	Food Processing (including Cashew, Edible Oils & Vanaspati)	16134.74	3681.57	28331.36
10	Colliery & Mining	2754.20	218.39	3398.26
11	Fertilizer	5094.28	389.63	6056.75
12	Cement & Cement Products	13509.33	1565.23	22279.78
13	Leather & leather products	1393.25	481.91	2901.40
14	Electronics & Computers (Hardware & software)	7021.26	5583.44	14206.77
15	Tea / Coffee	910.79	0.00	1328.26
16	Construction contractors	15214.19	29962.68	61709.50
17	Rubber, Plastics and their products (including tyre)	7185.10	1152.92	11161.71
18	Automobiles (Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipments)	8424.82	7769.15	18999.12
19	Beverages and Tobacco	2721.61	0.00	3729.06
20	Wood and Wood Products	1266.89	458.44	2198.49
21	Paper and Paper Products	4419.25	164.52	7336.02
22	Glass and Glassware	2701.00	325.04	3683.94
23	Other metal and metal products	7992.96	312.95	12278.99
24	Printing and Publishing	2558.78	679.16	3947.55
25	Aviation	5674.55	0.00	5674.55
26	Media and Entertainment	5353.76	4352.71	10967.06
27	Logistics	4920.35	2533.51	8357.28
28	Ship Building	1247.49	1942.03	8254.32
29	Trade (Other than retail trade)	105323.30	10032.39	166051.17
30	NBFC	129299.04	492.64	151082.91

31 मार्च 2014 को निम्नलिखित उद्योगों में बैंक का एक्स्पोशर कुल सकल ऋण एक्स्पोशर के 5 प्रतिशत से अधिक था।

क्र.सं	उद्योग का वर्गीकरण	कुल सकल ऋण एक्स्पोजर का प्रतिशत
1	बिजली	9.55
2	एनबीएफसी	8.77
3	पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद	7.06

(ई) अग्रिमों एवं निवेशों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग अलग आंकडे

(₹ मिलियन में)

विवरण	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-28 दिन	29दिन- 3 माह	3 माह से अधिक 6 माह तक	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
अग्रिम	7812.4	21956.2	57776.5	43038.2	135006.2	87780.2	211922.3	368535.5	131379.3	156883.1	1222089.9
निवेश*	1844.7	47714.2	8176.8	6865.9	57072.2	40398.3	51863.0	161570.3	82796.2	26663.3	484964.9

*इनमें ₹ 7522.80 मिलियन की रेपो (एलएएफ) प्रतिभूतियाँ शामिल हैं और ₹ 2261.5 मिलियन की सूचीबद्ध ईक्विटियों का 50 प्रतिशत शामिल नहीं है।

(₹ मिलियन में)

(एफ)	एनपीए की राशि (सकल) – (एकल सार्वभौमिक)	45621.98
	➢ अवमानक	21033.92
	➢ संदिग्ध 1	13804.44
	➢ संदिग्ध 2	10491.79
	➢ संदिग्ध 3	159.93
	➢ हानि	131.90
(जी)	निवल एनपीए	27636.47
(एच)	एनपीए अनुपात	
	➢ सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	3.67%
	➢ निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	2.26%
(आई)	एनपीए का आवागमन (सकल)	
	➢ अथशेष	35654.80
	➢ जोड	28323.20
	➢ घटाव	18356.00
	➢ अंतशेष	45622.00
(जे)	एनपीए के प्रावधान का आवागमन	
	➢ अथशेष	9485.60
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	11880.40
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि	0.00
	➢ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	6496.90
	➢ अंतशेष	14869.10
(के)	गैर निष्पादक निवेशों की राशि	89.27
(एल)	गैर निष्पादक निवेश हेतु धारित प्रावधान राशि	89.27
(एम)	निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का आवागमन	
	➢ अथशेष	2329.04
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2718.28
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि	0.00
	➢ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	2759.19
	➢ अंतशेष	2288.13

As on 31st March 2014, the Bank's exposure to the industries stated below was more than 5% of the total gross credit exposure:

Sl.No	Industry Classification	Percentage of the total gross credit exposure
1	Power	9.55
2	NBFC	8.77
3	Petroleum and Petroleum Products	7.06

(e) Residual contractual maturity break-up of advances and investments

(₹ in Million)

Details	1 Day	2-7 Days	8-14 Days	15-28 Days	29Days-3 M	>3M - 6 M	>6 M - 1 Year	>1 Y – 3Years	>3 Y - 5Years	>5 Years	Total
Advances	7812.4	21956.2	57776.5	43038.2	135006.2	87780.2	211922.3	368535.5	131379.3	156883.1	1222089.9
Investments*	1844.7	47714.2	8176.8	6865.9	57072.2	40398.3	51863.0	161570.3	82796.2	26663.3	484964.9

*Includes Repo(LAF) securities of ₹ 18122.40 Million and excludes 50% of listed equities of ₹ 2261.5 Million

(₹ in Million)

(f)	Amount of NPAs (Gross) – (Solo-Global)	45621.98
	➢ Substandard	21033.92
	➢ Doubtful 1	13804.44
	➢ Doubtful 2	10491.79
	➢ Doubtful 3	159.93
	➢ Loss	131.90
(g)	Net NPAs	27636.47
(h)	NPA Ratios	
	➢ Gross NPAs to gross advances	3.67%
	➢ Net NPAs to net advances	2.26%
(i)	Movement of NPAs (Gross)	
	➢ Opening Balance	35654.80
	➢ Additions	28323.20
	➢ Reductions	18356.00
	➢ Closing Balance	45622.00
(j)	Movement of provisions for NPAs	
	➢ Opening Balance	9485.60
	➢ Provisions made during the period	11880.40
	➢ Write Off	0.00
	➢ Write-back of excess provisions	6496.90
	➢ Closing balance	14869.10
(k)	Amount of Non-Performing investments	89.27
(l)	Amount of Provisions held for non-performing investments	89.27
(m)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	➢ Opening balance	2329.04
	➢ Provisions made during the period	2718.28
	➢ Write-off	0.00
	➢ Write-back of excess provisions	2759.19
	➢ Closing balance	2288.13

सारणी डीएफ –4

ऋण जोखिम : मानकीकृत अभिगम के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(ए) बेसल (III) दाँचे के अनुसार अर्ह एक्स्पाज़रों जैसे कार्पोरेट, पूंजी बाज़ार एक्स्पोज़र आदि के लिए बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित छह दर निर्धारण अभिकरणों यथा ए) क्राइसिल बी) इक्रा सी) केयर और डी) इंडिया रेटिंग ई) ब्रिकवर्क्स एवं एफ) स्मेरा द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग का प्रयोग करता है। इसके ऊपर व उनके अतिरिक्त विनियामक दिशानिर्देशों में अनुमत किए गए अनुसार, बैंक इश्यू आधारित बाहरी दर – निर्धारण के मेपिंग पर भी निर्भर रहता है। कार्पोरेट पर शेष दावे ''गैर दर – निर्धारित'' माने जाते हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(बी) मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्स्पोज़र (एकल – सार्वभौमिक) निम्नानुसार हैं :

(₹ मिलियन में)

एकल (सार्वभौमिक)	बही मूल्य	जोखिम भारित कीमत / मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	1589389.55	292336.45
100% जोखिम भार	555003.50	426342.15
100% से अधिक जोखिम भार	256955.60	226811.65
कुल	2401348.65	945490.24

पूंजी से कटौतीः अनुषंगियों में निवेशः 242.56

मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्स्पोज़र (समेकित) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

समेकित	बही मूल्य	जोखिम भारित कीमत / मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	1589628.22	292343.92
100% जोखिम भार	556601.86	427940.51
100% से अधिक जोखिम भार	256955.60	226811.65
कुल	**2403185.68**	**947096.08**

पूंजी से कटौतीः अनुषंगियों में निवेश : 242.56

सारणी डीएफ – 5

ऋण जोखिम निवारण – मानकीकृत अभिगमों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने (क) ऋण जोखिम निवारण तथा बेसल ।। / ।।।/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को सही अर्थों में ध्यान में रखते हुए उचित संपार्श्विक की पहचान पर जागरुकता बढ़ाने तथा (ख) बेसल।।/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित अभिगम के अनुसार पूँजी प्रभार के परिकलन में ऋण जोखिम निवारण लाभ को इष्टतम बनाने के प्राथमिक उद्देश्य से ऋण जोखिम निवारण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति लागू की है।

बैंक साधारणतः ऋण सहभागिता, एक्स्पोज़र की उच्चतम सीमा, एस्क्रो तंत्र, वायदा कवर, उच्चतर मार्जिन, ऋण प्रसंविदाओं, संपार्श्विक तथा बीमा कवर जैसे ऋण निवारण तकनीकों पर भरोसा करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में मूल्यांकन पद्धतियों को विस्तृत रूप से बताया गया है।

पूँजी प्रभार के अभिकलन हेतु पात्र संपार्श्विक जिसके लिए सीआरएम लाभ लिया गया है :

पूँजी प्रभार के अभिकलन हेतु सीआरएम की उपलब्धता हेतु निम्नलिखित संपार्श्विकों को पहचाना जाता है।

i) उस बैंक के साथ जमा नकदी (जमा प्रमाणपत्रों अथवा तुलनात्मक लिखतों के साथ साथ ऋणदाता बैंक द्वारा जारी की गई सावधि जमा रसीदों को मिलाकर) जोकि काउंटर पार्टी एक्पोज़र की जोखिम उठा रहा है।

ii) सोनाः सोना, सोना–चाँदी तथा जेवर को सम्मिलत करेगा। यद्यपि संपार्श्विक जेवर की कीमत 99.99 शुद्धता के लिए बेंचमार्क होनी चाहिए।

iii) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा ज़ारी प्रतिभूतियाँ।

iv) किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, बशर्ते कि उनमें अवरुद्धता अवधि नहीं है और उन्हें धारण अवधि के अंदर भुनाया जा सकता है।

Table DF – 4

Credit Risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures:

(a)The Bank uses ratings assigned by the six Rating Agencies approved by the Reserve Bank of India namely a) CRISIL, b) ICRA, c) CARE, d) India Ratings, e)BRICKWORKS and f) SMERA for the eligible exposures such as Corporate, Capital Market Exposures etc. according to the Basel III framework. Over and above the same, the Bank also relies on mapping of issue based external ratings as permitted in the regulatory guidelines. The rest of the claims on corporates are treated as 'unrated'.

Quantitative Disclosures:

(b)The total credit risk exposure (Solo-Global) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Solo (Global)	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	1589389.55	292336.45
100% Risk weight	555003.50	426342.15
Above 100% Risk weight	256955.60	226811.65
Total	2401348.65	945490.24

Deduction from Capital: Investment in Subsidiaries: 242.56

The total credit risk exposure (Consolidated) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Consolidated	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	1589628.22	292343.92
100% Risk weight	556601.86	427940.51
Above 100% Risk weight	256955.60	226811.65
Total	**2403185.68**	**947096.08**

Deduction from Capital: Investment in Subsidiaries: 242.56

Table DF – 5

Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures:

The Bank has put in place Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel II/III / RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel II / RBI guidelines.

The Bank generally relies on Risk Mitigation techniques like Loan participation, Ceiling on Exposures, Escrow mechanism, Forward cover, higher margins, loan covenants, Collateral and insurance cover.

Valuation methodologies are detailed in the Credit Risk Management Policy.

Eligible collateral for which CRM benefit taken for Computation of Capital Charge:

The following collaterals are recognized for availing CRM benefit for Computation of Capital Charge:

i) Cash (as well as certificates of deposit or comparable instruments, including fixed deposit receipts, issued by the lending bank) on deposit with the bank, which is incurring the counterparty exposure.

ii) Gold: Gold would include both bullion and jewellery. However, the value of the collateralized jewellery should be benchmarked to 99.99 purity.

iii) Securities issued by Central and State Governments

iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates provided no lock-in period is operational and if they can be encashed within the holding period

v) एक बीमा कंपनी जोकि बीमा क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित की जाती है, की घोषित सरेंडर कीमत के साथ बीमा पॉलिसियाँ।

गारंटीदाता काउंटरपार्टी और उनकी उधार पात्रता के मुख्य प्रकार

बैंक, ऋण सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी गारंटियों पर विचार करता है, जोकि प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट, अविकल्पी और निर्बंध हों। बैंक पूँजी आवश्यकता के अभिकलन के दौरान इस प्रकार की ऋण सुरक्षा को ध्यान में रखता है।

काउंटर पार्टी के तुलना में निम्नतर जोखिम भारवाले उपक्रमों द्वारा जारी गारंटियां ही पूँजी प्रभार को कम करने में मुख्य भूमिका निभायेंगी क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोज़र का सुरक्षित हिस्सा गारंटीदाता के जोखिम भार को निर्दिष्ट करता है, जबकि अरक्षित हिस्सा उसी काउँटर पार्टी के ऋण भार को बनाये रखता है।

निम्नलिखित उपक्रमों द्वारा दी गई ऋण सुरक्षा काउंटर पार्टी गारंटीदाता के रूप में पहचानी जाती है :

(i) शासन (केन्द्र और राज्य सरकार)

(ii) सरकारी उपक्रम (ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई को मिलाकर)

(iii) काउंटर पार्टी की तुलना में निम्नतर जोखिम भार प्राप्त बैंक

ऋण जोखिम को न्यून बनाने में संकेंद्रीकरण जोखिम : आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियां, जोखिम को न्यून बनाने हेतु पात्र प्रतिभूतियां हैं। वर्तमान में बैंक द्वारा मान्यता दिए गए ऋण जोखिम को न्यून बनानेवाले तत्वों में संकेंद्रीकरण जोखिम को कम करने के लिए कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रत्येक प्रकटित अलग ऋण जोखिम संविभाग हेतु, (एकल – सार्वभौमिक / समेकित) कुल ऋण (यथा लागू तुलन–पत्र में या उसके बाहर नेटिंग के बाद) जोकि मार्जिन लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया जाता है :

(₹ मिलियन में)

ऋण (एक्सपोज़र) का प्रकार	अर्ह वित्तीय संपार्श्विक	गारंटियां
सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र		
निधि आधारित		
ऋण और अग्रिम	193847.96	45995.35
निवेश	0.00	362.71
अन्य आस्तियाँ0	3939.71	0.00
कुल निधि आधारित	197787.68	46358.06
गैर निधि आधारित जिस में प्रासंगिक क्रेडिट, संविदाएं और व्युत्पन्न शामिल हैं	18618.23	2466.59
कुल	**216405.91**	**48824.65**

सारणी डीएफ – 6
प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत अभिगम हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण : बैंक ने कोई प्रतिभूतिकरण क्रियाकलाप नहीं किया है।	
मात्रात्मक प्रकटीकरण : शून्य	

सारणी डीएफ – 7
व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक) में बाज़ार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

व्यापार बही में बाज़ार जोखिम का मूल्यांकन मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा किया जाता है। एचएफटी और एएफ़एस हेतु पूंजी प्रभार की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकी दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

निम्न हेतु पूंजी आवश्यकताएं (एकल सार्वभौमिक / समेकित) :

(₹ मिलियन में)

ब्याज दर जोखिम		3747.81
विदेशी विनिमय जोखिम		72.00
ईक्विटी स्थिति जोखिम		2068.54

v) Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by an insurance sector regulator

Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements

Only guarantees issued by entities with a lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges, since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty

Credit protection given by the following entities is recognised as counterparty Guarantor:

(i) Sovereigns (Central and State Governments)

(ii) Sovereign entities (including ECGC and CGTMSE)

(iii) Banks with a lower risk weight than the counterparty

Concentration Risk in Credit Risk Mitigation: All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

Quantitative Disclosures

For each separately disclosed credit risk portfolio (Solo-Global / Consolidated), the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts:

(₹ in Million)

Type of Exposure	Eligible financial Collateral	Guarantees
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	193847.96	45995.35
Investments	0.00	362.71
Other Assets	3939.71	0.00
Total Fund Based	197787.68	46358.06
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	18618.23	2466.59
Total	**216405.91**	**48824.65**

Table DF – 6
Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures: The Bank has not undertaken any securitization activity.	
Quantitative Disclosures:	NIL

Table DF – 7
Market risk in trading book

Qualitative Disclosures

Market Risk in trading book is assessed as per the Standardized duration method. The capital charge for HFT and AFS is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Quantitative Disclosures:

The capital requirements (Solo-Global / Consolidated) for:

(₹ in Million)

Interest rate risk		3747.81
Foreign exchange risk		72.00
Equity position risk		2068.54

सारणी डीएफ – 8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनात्मक जोखिम हेतु पूंजी प्रभार की गणना मूल संकेतक अभिगम के आधार पर की जाती है। नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे संबंधी दिशानिर्देशों में परिभाषित किए गए अनुसार सकल आय की औसत में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2012–13, 2011–12 एवं 2010–11 को पूंजी प्रभार की गणना हेतु हिसाब में लिया गया है। आवश्यक पूंजी रु.7952.55 मिलियन् (एकल – सार्वभौमिक) और रु.7970.98 मिलियन (समेकित) है।

सारणी डीएफ – 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

अंतःस्थापित वैकल्पिक जोखिम का अध्ययन किया जाता है और ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण में फैक्टर किया जाता है। ब्याज दर संवेदनशीलता के आधार पर बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अध्ययन त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। जोखिम पर अर्जन की गणना स्थिर स्थिति में पारंपरिक गैप विश्लेषण के आधार पर की जाती है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) की गणना, अवधि गैप विश्लेषण को अपनाकर की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी (एकल – सार्वाभौमिक) को मापने हेतु प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार ऊर्ध्वगामी व अधोगामी रेट शाक्स हेतु, अर्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबंधित माप) में वृद्धि (गिरावट)।

i) 30.09.2014 तक ब्याज दर में 25 बीपीएस की वृद्धि हेतु अर्जन पर जोखिम ₹ (–) 1193.30 मिलियन हैं।

ii) ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में 200 बीपीएस के परिवर्तन से ब्याज दर पर असर ₹ 2956.00 मिलियन हैं (दूसरे समय वाले बकेट में बीपीएलआर का पुनर्मूल्यनिर्धारण)।

डीएफ10 : प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबन्धित एक्स्पोज़रों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

बैंक, व्युत्पन्नों को मिलाकर दोनों निधि और गैर निधि आधारित सुविधाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत एक्सपोज़र के मानदण्डों के अनुसार सीमायें निर्धारित करता है। सीमायें पूँजी निधियों के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती हैं और नियमित आधार पर उनकी निगरानी की जाती है। विनिर्दिष्ट सीमाओं के सम्मुख उपयोग की रिपोर्ट नियमित अंतरालों पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति / जोखिम प्रबंधन समिति / बोर्ड को की जाती है। बैंक वर्तमान के अपने प्रतिपक्ष ऋण एक्सपोज़र हेतु आर्थिक पूंजी को निर्धारित नहीं करता है।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संपार्श्विक हेतु व्यापक अभिगम को अपनाया है जोकि संपार्श्विक से संबंधित कीमत के द्वारा एक्सपोज़र राशि को घटाते हुए, एक्स्पोज़र के सम्मुख संपार्श्विक के पूर्णतर आफसेट / समायोजन को अनुमत करता है। इस अभिगम के अंतर्गत बैंक एक प्रतिपक्ष के ऋण एक्सपोज़र को घटाने के लिए संपार्श्विक के जोखिम को न्यूनतम बनाने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित पूंजी की गणना करने के दौरान पात्र संपार्श्विक जैसे सावधि जमा, एनएससी, एलआईसी पॉलिसी, जेवर आदि पर विचार करता है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण को मात्र प्रत्येक खाता–विशेष के आधार पर अनुमत किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति के माध्यम से एक नीतिगत ढाँचा है जो कि पात्र ऋण जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों और प्रबंधन को निर्धारित करता है।

प्रतिपक्षी के साथ किये गये सभी व्युत्पन्न लेन–देनों को बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न नीति के माध्यम से मूल्यांकित किया जाता है।

बैंक द्विपक्षीय नेट्टिंग को नहीं पहचानता। व्युत्पन्न एक्सपोज़र की गणना, वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति (सीईएम) का प्रयोग करते हुए की जाती है और 31 मार्च 2014 को बकाया शेष निम्ननुसार है :

(₹ मिलियन में)

व्युत्पन्न	आनुमानिक सिद्धांत	वर्तमान में ऋण की मात्रा	वर्तमान ऋण
वायदा संविदाएं	267661.43	5844.13	11312.71
आईआरएस	0.00	0.00	0.00

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative Disclosures

Capital charge for Operational Risk is computed as per the Basic Indicator Approach. The average of the gross income, as defined in the New Capital Adequacy Framework guidelines, for the previous 3 years i.e. 2012-13, 2011-12 and 2010-11 is considered for computing the capital charge. The required capital is ₹ 7952.55 Million (Solo-global) and ₹ 7970.98 Million (Consolidated).

Table DF – 9

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Embedded Option Risk is studied and factored in the interest rate sensitivity analysis. Based on the interest rate sensitivity, interest rate risk in the Banking Book is studied on a quarterly basis. Earnings at Risk are computed based on the Traditional Gap Analysis on a static position. Market Value of Equity (MVE) is computed adopting the Duration Gap Analysis.

Quantitative Disclosures:

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB (Solo-Global).

i) Earnings at Risk for 25 bps interest rate Increase as on 31.03.2014 for one year time horizon is ₹ (-) 1193.30 Million

ii) Change in Market Value of Equity for 200 bps interest rate shock is ₹ 2956.00 Million (Repricing of BPLR/Base Rate in the 2nd time bucket)

DF-10: General Disclosure for exposures related to Counterparty Credit Risk:

The Bank sets limits as per the norms on exposure stipulated by RBI for both fund and non fund based facilities including derivatives. Limits are set as a percentage of the capital funds and are monitored on regular basis. The utilisation against specified limits is reported to the Credit Risk Management Committee/Risk Management Committee/Board on regular interval. The Bank currently does not assign economic capital for its counterparty credit exposures.

Bank has adopted Comprehensive Approach for collateral as per RBI guidelines, which allows fuller offset of collateral against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. Under this approach, Bank takes eligible collateral like fixed deposits, NSc, LIC policy, Jewels into account to reduce the credit exposure to a counterparty when calculating the capital requirements to take account of the risk mitigating effect of collateral. Credit risk mitigation is allowed only on an account-by account basis. The Bank has a policy framework through Credit Risk Management policy and Collateral Management Policy which stipulates the eligible credit risk mitigants and management.

All the Derivative transactions with the Counterparty are evaluated as per Board approved Derivative Policy of the Bank.

The Bank does not recognize bilateral netting. The derivative exposure is calculated using Current Exposure Method (CEM) and the balance out standing as on March 31,2014 is given below:

(₹ in Million)

Derivatives	Notional Principle	Current Credit Exposure	Current Exposure
FORWARD CONTRACTS	267661.43	5844.13	11312.71
IRS	0.00	0.00	0.00

	डी एफ–11: 31.03.2014 को पूंजी की संरचना			(₹ मिलियन में)
	विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किये जाने वाले बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)		बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट	संदर्भ संख्या
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां			
1	सीधे जारी की गई अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	15259.64		ए=ए1+ए2
2	प्रतिधारित आय (लाभ–हानि लेखे को अग्रानीत)	2018.60		बी 5
3	संचित अन्य व्यापक आय (अन्य प्रारक्षित निधियां)	99204.34		बी1+बी2+बी3+बी4
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध तरीके से घटाई जानेवाली सीधे जारी की गई सामान्य शेयर पूंजी (केवल गैर–संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	0.00		
	सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लायी गई अतिरिक्त पूंजी, जो 01 जनवरी 2018 तक पुराने नियम के अनुसार मान्य रहेगी	0.00		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी की गई और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	0.00		
6	विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	116482.59		
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0		
8	गुडविल (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0		
9	मॉर्टगेज–सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0		
10	आस्थिगत कर संपत्ति	0	0	
11	नकदी–प्रवाह बचाव रिजर्व	0		
12	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों में कमी	0		
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0		
14	उचित मूल्यन की गई देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	0		
15	परिभाषित–लाभ पेंशन निधि की निवल संपत्ति	0		
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	0		
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रॉस–होल्डिंग	238.72		डी
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0		
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन को घटाने के बाद निवल (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0		
20	मार्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0		
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थिगत कर संपत्ति (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि, सम्बंधित कर देयता का निवल)	0		
22	15 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0		
23	जिनमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	0		

	DF-11: Composition of Capital as on 31.03.2014			(₹ in Million)
	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	15259.64		A=A1+A2
2	Retained earnings (carried over to P&L)	2018.60		B5
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	99204.34		B1+B2+B3+B4
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0.00		
	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	0.00		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	116482.59		
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0		
8	Goodwill (net of related tax liability)	0		
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0		
10	Deferred tax assets	0	0	
11	Cash-flow hedge reserve	0		
12	Shortfall of provisions to expected losses	0		
13	Securitisation gain on sale	0		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	238.72		D
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0		
22	Amount exceeding the 15% threshold	0		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0		

24.	जिनमें से : मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार	0		
25.	जिनमें से : अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थिगत कर आस्तियां	0		
26.	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए + 26बी + 26सी + 26डी)	0		
26ए	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0		
26बी	जिसमें से : असमेकित गैर–वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0		
26सी	जिसमें से : बैंक के साथ असमेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी	0		
26डी	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	1958.4	0	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	97.03	145.54	
	जिनमें से : अन्य वित्तीय संस्थानों में कुल ईक्विटी निवेश	97.03	145.54	
27.	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	72.77		
28.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	2366.92		
29.	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 में पूंजी (सीईटी 1)**	**114115.67**		
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत			
30.	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष (31 + 32)	0		
31.	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर–संचयी अधिमानी शेयर)	0		
32.	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	0		
33.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से (फेज आउट) समाप्त करने के अधीन सीधे जारी की गई पूंजी लिखतें	0		
34.	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं की गई सीईटी 1 लिखतें)	0		
35.	जिसमें से : चरणबद्ध रूप से समाप्त करने (फेज आउट) के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी की गई लिखतें	0		
36.	**विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**0**		
	अतिरिक्त टियर पूंजी 1 : विनियामक समायोजन			
37.	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	0		
38.	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स	0		
39.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	0		
40.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल)	0		
41.	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41 ए + 41 बी)	0		
41ए	गैर–समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0		

24	of which: mortgage servicing rights	0		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)			
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0		
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0		
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0		
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	1958.4	0	
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	97.03	145.54	
	of which: Total equity investment in other financial subsidiaries	97.03	145.54	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	72.77		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	2366.92		
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**114115.67**		
	Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0		
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**0**		
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0		

41बी	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।			
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशियों के सम्बंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लागू किए गए विनियामक समायोजन			
	जिसमें से : ए टी आई से बाहर			
	जिसमें से : विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 1 में से 50 प्रतिशत पर कटौती की गई है			
	जिसमें से : डीटीए			
42.	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन			
43.	अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन			
44.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)			
44ए	पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी			
45.	टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (29 + 44 ए)	**114115.67**		
	टियर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान			
46.	सीधे जारी किए गए पात्र टियर 2 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष			
47.	टियर 2 से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी की गई पूंजी लिखतें	10000		सी1 + सी2
48.	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं की गई सीईटी 1 और एटी 1 लिखतें)			
49.	जिनमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी की गई लिखतें			
50.	प्रावधान	18498.15		सी3 + सी4 + सी5
51.	विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी	**28498.15**		
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			
52.	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश			
53.	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स			
54.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में निवेश, पात्र शॉर्टपोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्थान द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक पर स्वामित्व नहीं है।			
55.	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्टपोजिशन निवल)			
56.	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 ए + 56 बी)			
56ए	जिसमें से : गैर–समेकित सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश			
56बी	जिसमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया।			
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	2072.77		
	जिसमें से : 50 प्रतिशत पर टियर 2 से कटौती किए गए वर्तमान समायोजन	72.77		
	जिसमें से : टियर 2 बॉण्ड से हटाए गए	2000		

41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0		
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment of which: Phase out form ATI	0 0		
	of which: existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%	0		
	of which:DTA	0		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	0		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy11	0		
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**114115.67**		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	10000		C1+C2
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0		
50	Provisions	18498.15		C3+C4+C5
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**28498.15**		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0		
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	2072.77		
	of which: existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%	72.77		
	of which: Phase out from Tier 2 Bonds	2000		

57.	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	2072.77		
58.	**टियर 2 पूंजी (टी – 2)**	26425.38		
58ए	**पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त टियर 2 पूंजी**	26425.38		
58बी	**टियर 2 पूंजी के रूप में मान्य एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	0		
58सी	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58ए +58बी)**	26425.38		
59.	**कुल पूंजी (टीसी = टी1+टी2) (45+58सी)**	140541.05		
60.	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए+60बी+60सी)**	**1101088.61**		
60ए	जिसमें से : कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	947096.06		
60बी	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	65426.09		
60सी	जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	88566.46		
	पूंजी अनुपात			
61.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.36%		
62.	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.36%		
63.	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.76%		
63.	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.76 :		
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	5.00%		
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	0.00%		
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	0.00%		
67	जिसमें से: जी–एसआईबी बफर आवश्यकता			
68	बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	5.36%		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल ।।। से पृथक है)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल।।। न्यूनतम से अलग है)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल ।।। के न्यूनतम से अलग है)	7.00%		
71	कुल राष्ट्रीय पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल ।।। के न्यूनतम से अलग है)	9.00%		
	सीमा से कम मात्रा में कटौती के लिए राशियाँ (जोखिम भार से पहले)			
72	दूसरी वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0		
75	अस्थायी अन्तर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	0		
	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू कैप्स			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन प्रदत्त ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	7988.59		सी 4 + सी 5
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों का समावेश (ऋण जोखिम आरडबल्यूए के 1.25:) पर कैप	11838.70		

57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	2072.77		
58	**Tier 2 capital (T2)**	26425.38		
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	26425.38		
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	0		
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	26425.38		
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	140541.05		
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**1101088.61**		
60a	of which: total credit risk weighted assets	947096.06		
60b	of which: total market risk weighted assets	65426.09		
60c	of which: total operational risk weighted assets	88566.46		
	Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.36%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.36%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	12.76%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.00%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	0.00%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	5.36%		
	National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	7988.59		C4+C5
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach (1.25% of Credit Risk RWA)	11838.70		

78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	लागू नहीं		
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने के लिए कैप	लागू नहीं		
	फेस–आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखतें (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	फेस–आउट व्यवस्था के तहत सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	लागू नहीं		
81	कैप की वजह से के सीईटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	लागू नहीं		
82	फेस–आउट व्यवस्था के तहत एटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	लागू नहीं		
83	कैप के कारण एटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	लागू नहीं		
84	फेस–आउट व्यवस्था के तहत टी 2 लिखतों पर वर्तमान कैप	लागू नहीं		
85	कैप की वजह से टी 2 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	लागू नहीं		

	टेम्पलेट पर नोट	
टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	**विवरण**	**रुपए (मिलियन में)**
10	संचित हानियों के साथ जुड़ी हुई आस्थगित कर आस्तियाँ आस्थगित कर आस्तियाँ (उनको छोड़ कर जो संचित हानियों से जुड़ी हुई हैं) आस्थगित कर देयताओं का निवल	0.00
	पंक्ति 10 में वर्णित के अनुसार कुल योग	0.00
19	अगर सहायक बीमा कंपनियों में निवेश पूंजी से पूर्णतः नहीं काटा जाता है और उसके एवज में कटौती हेतु 10 प्रतिशत न्यूनतम सीमा के अंतर्गत लिहाज में लिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें सेः सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें सेः अतिरिक्त ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें सेः अतिरिक्त ईक्विटी टियर 2 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
26 बी	गैर समेकित गैर वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश नहीं काटा जाता है और परिणामतः जोखिम भारित किया जाता है, तो	लागू नहीं
	(1) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	(2) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	लागू नहीं
44 ए	अन्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, जिसका परिकलन पूंजी पर्याप्तता के लिए नहीं किया गया है (पंक्ति 44 में रीपोर्ट की गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और पंक्ति 44ए में रीपोर्ट की गई अतिरिक्त अनुमेय टियर 1 पूंजी के बीच का अंतर)	लागू नहीं
	जिसमें सेः अतिरिक्त अन्य टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58बी के तहत अब टियर 2 पूंजी माना गया है	लागू नहीं
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	7988.59
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां	10509.56
	पंक्ति 50 का कुल योग	18498.15
58ए	पूंजी पर्याप्तता के लिए परिकलित न की गई अतिरिक्त टियर 2 पूंजी (पंक्ति 58 में रीपोर्ट की गई टियर 2 पूंजी और पंक्ति 58 ए में रीपोर्ट की गई टियर 2 पूंजी के बीच का अंतर)	0

78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	Not Applicable		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	Not Applicable		
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	Not Applicable		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Not Applicable		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	Not Applicable		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Not Applicable		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	Not Applicable		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Not Applicable		

	Notes to the Template	
Row No. of the template	**Particular**	**(₹ in million)**
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	0.00
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	Not Applicable
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	Not Applicable
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	Not Applicable
	of which: Increase in Tier 2 capital	Not Applicable
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	Not Applicable
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	Not Applicable
	(ii) Increase in risk weighted assets	Not Applicable
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	Not Applicable
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	Not Applicable
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	7988.59
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	10509.56
	Total of row 50	18498.15
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना – लेखा समाधान आवश्यकताएं – चरण 1		रुपए (मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (एकल) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		31.03.2014 को	31.03.2014 को
ए	**पूंजी और देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	4648.48	4648.48
	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	134061.89	135587.90
	अल्पसंख्यक के हित	0.00	146.59
	कुल पूंजी	**138710.37**	**140236.38**
ii	**जमाराशियां**	1622748.19	1622551.76
	जिसमें से: बैंकों से जमा	43591.63	43591.63
	जिसमें से: ग्राहकों की जमा राशि	1579156.57	1578960.13
	जिसमें से: अन्य जमा (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00
iii	**उधार राशियां**	**49638.72**	**49638.72**
	जिसमें से: भारतीय रिजर्व बैंक से	4400.00	4400.00
	जिसमें से: बैंकों से	12480.06	12480.06
	जिसमें से: दूसरे संस्थाओं और अभिकरणों से	19503.30	19503.30
	जिसमें से: अन्य (कृपया दर्शाएँ)	2345.30	2345.30
	जिसमें से: पूंजी लिखतें	10910.06	10910.06
iv	**अन्य देयताएँ एवं प्रावधान**	**62169.71**	**62308.44**
	कुल देयताएँ	**1873266.99**	**1874881.87**
बी	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष	77576.80	77576.84
	बैंकों में शेष और मांग और अल्पावधि पर धनराशि	27328.59	27365.93
ii	निवेश :	469104.16	470352.81
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियों में	399175.45	399175.45
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	362.71	362.71
	जिसमें से: शेयरों में	4259.99	4294.30
	जिसमें से: ऋण पत्र और बांड में	36227.96	36227.96
	जिसमें से: अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम / सहयोगियों में	374.96	1589.30
	जिसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंडों आदि) में	28703.09	28703.09
iii	ऋण और अग्रिम	1222089.86	1222124.89
	जिसमें से: बैंकों को ऋण और अग्रिम	4703.00	4703.00
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1217386.86	1217421.89
iv	अचल आस्तियाँ	29321.82	29378.68
v	अन्य आस्तियां	47845.77	48082.72
	जिसमें से: गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	1607.66	1607.66
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	0
	कुल आस्तियां	**1873266.99**	**1874881.87**

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements -STEP 1		(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation**
		As on 31.03.2014	As on 31.03.2014
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	4648.48	4648.48
	Reserves & Surplus	134061.89	135587.90
	Minority Interest	0.00	146.59
	Total Capital	**138710.37**	**140236.38**
ii	**Deposits**	1622748.19	1622551.76
	of which: Deposits from banks	43591.63	43591.63
	of which: Customer deposits	1579156.57	1578960.13
	of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00
iii	**Borrowings**	**49638.72**	**49638.72**
	of which: From RBI	4400.00	4400.00
	of which: From banks	12480.06	12480.06
	of which: From other institutions & agencies	19503.30	19503.30
	of which: Others (pl. specify)	2345.30	2345.30
	of which: Capital instruments	10910.06	10910.06
iv	**Other liabilities & provisions**	**62169.71**	**62308.44**
	Total Liabilities	**1873266.99**	**1874881.87**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	77576.80	77576.84
	Balance with banks and money at call and short notice	27328.59	27365.93
ii	Investments:	469104.16	470352.81
	of which: Government securities	399175.45	399175.45
	of which: Other approved securities	362.71	362.71
	of which: Shares	4259.99	4294.30
	of which: Debentures & Bonds	36227.96	36227.96
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	374.96	1589.30
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	28703.09	28703.09
iii	Loans and advances	1222089.86	1222124.89
	of which: Loans and advances to banks	4703.00	4703.00
	of which: Loans and advances to customers	1217386.86	1217421.89
iv	Fixed assets	29321.82	29378.68
v	Other assets	47845.77	48082.72
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	of which: Deferred tax assets	1607.66	1607.66
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0
	Total Assets	**1873266.99**	**1874881.87**

	डीएफ - 12 पूंजी की संरचना - लेखा समाधान आवश्यकताएं चरण 2			रुपए (मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र (एकल)	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र	
		31.03.2014 को	**31.03.2014 को**	**संदर्भ**
ए	पूँजी तथा देयताएँ			
प	प्रदत्त पूँजी	4648.48	4648.48	
	जिनमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	4648.48	4648.48	ए1
	जिनमें से : एटी 1 के लिए पात्र राशि	0.00	0.00	ई
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	134061.89	135587.90	
	शेयर प्रीमियम	10611.16	10611.16	ए2
	सांविधिक आरक्षितियां	33297.58	33297.58	बी1
	आरक्षित पूंजी	953.46	953.46	बी 2
	विशेष आरक्षितियां	6132.00	6132.00	
	जिनमें से कर का निवल विशेष आरक्षितियां	6132.00	6132.00	बी 3
	राजस्व आरक्षितियां	58385.11	58821.30	बी 4
	डीटीए की निवल राजस्व आरक्षितियां	58385.11	58821.30	
	लाभ एवं हानि लेखा	928.78	2018.60	बी 5
	अल्प संख्यक के हित	0.00	146.59	
	जिनमें से पूँजी निधि के लिए समझा गया	0.00	0.00	
	पुनर्मूल्यन आरक्षितियां	23354.58	23354.58	
	पुनर्मूल्यन आरक्षितियां (टियर 2 पूंजी का भाग / 55% छूट)	10509.56	10509.56	सी 3
	निवेश आरक्षितियां	399.22	399.22	सी 4
	सामान्य प्रावधान	7589.37	7589.37	सी 5
	कुल पूंजी	138710.37	140236.38	
	जमा राशियां	1622748.19	1622551.76	
	जिनमें से : बैंकों से जमा राशियां	43591.63	43591.63	
ii	जिनमें से : ग्राहक जमाएं	1579156.57	1578960.13	
	जिनमें से : अन्य जमाएं			
	उधार	49638.72	49638.72	
	जिनमें से : भारतीय रिज़र्व बैंक से	4400.00	4400.00	
iii	जिनमें से : बैंकों से	12480.06	12480.06	
	जिनमें से : अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	19503.30	19503.30	
	जिनमें से : अन्य (मिरर खाता नोस्ट्रो जमा में क्रेडिट शेष)	2345.30	2345.30	
	जिनमें से : पूंजी लिखत	10910.06	10910.06	
	अप्पर टियर II लिखत	5000.00	5000.00	सी 1
	लोयर टियर II लिखत	5000.00	5000.00	सी 2
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	62169.71	62308.44	
	जिनमें से : डीटीएल	9649.78	9649.78	
	कुल	1873266.99	1874881.87	

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2			(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		As on 31.03.2014	As on 31.03.2014	Reference
A	Capital & Liabilities			
i	Paid-up Capital	4648.48	4648.48	
	of which: Amount eligible for CET1	4648.48	4648.48	A1
	of which: Amount eligible for AT1	0.00	0.00	E
	Reserves & Surplus	134061.89	135587.90	
	Share Premium	10611.16	10611.16	A2
	Statutory Reserves	33297.58	33297.58	B1
	Capital Reserves	953.46	953.46	B2
	Special Reserves	6132.00	6132.00	
	of which special reserve net of Tax	6132.00	6132.00	B3
	Revenue Reserves	58385.11	58821.30	B4
	Revenue Reserves net of DTA	58385.11	58821.30	
	Profit and Loss account	928.78	2018.60	B5
	Minority Interest	0.00	146.59	
	Of which considered for Capital funds	0.00	0.00	
	Revaluation Reserve	23354.58	23354.58	
	Revaluation Reserve (Part of Tier 2 capital @ discount of 55%)	10509.56	10509.56	C3
	Investment Reserve	399.22	399.22	C4
	General Provisions	7589.37	7589.37	C5
	Total Capital	138710.37	140236.38	
	Deposits	1622748.19	1622551.76	
	of which: Deposits from banks	43591.63	43591.63	
ii	of which: Customer deposits	1579156.57	1578960.13	
	of which: Other deposits			
	Borrowings	49638.72	49638.72	
	of which: From RBI	4400.00	4400.00	
iii	of which: From banks	12480.06	12480.06	
	of which: From other institutions & agencies	19503.30	19503.30	
	of which: Others (Cr balance in Mirror a/c Nostro Cr)	2345.30	2345.30	
	of which: Capital instruments	10910.06	10910.06	
	Upper Tier II Instruments	5000.00	5000.00	C1
	Lower Tier II Instruments	5000.00	5000.00	C2
iv	Other liabilities & provisions	62169.71	62308.44	
	of which: DTL	9649.78	9649.78	
	Total	1873266.99	1874881.87	

बी	आस्तियां			
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद एवं शेष	**77576.80**	**77576.84**	
	बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**27328.59**	**27365.93**	
ii	निवेश	**469104.16**	**470352.81**	
	जिनमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	399175.45	399175.45	
	जिनमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	362.71	362.71	
	जिनमें से : शेयर	4259.99	4294.30	
	जिनमें से : डिबेंचर एवं बांड	36227.96	36227.96	
	जिनमें से : अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं	374.96	1589.30	
	जिनमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागजात, म्यूचुअल फंड, इत्यादि)	28703.09	28703.09	
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**1222089.86**	**1222124.89**	
	जिनमें से : बैंकों को ऋण और अग्रिम	4703.00	4703.00	
	जिनमें से : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1217386.86	1217421.89	
iv	**अचल आस्तियां**	**29321.82**	**29378.68**	
v	**अन्य आस्तियां**	**47845.77**	**48082.72**	
	जिनमें से : गुडविल और अमूर्त आस्तियां			
	जिनमें से	1607.66	1607.66	
	गुडविल	0.00	0.00	
	अन्य अमूर्त मदें (एमएसआर को छोड़कर)	0.00	0.00	
	जिनमें से : आस्थगित कर आस्तियां	1607.66	1607.66	
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0.00	
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्तियां	**1873267.00**	**1874881.87**	

	बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का उद्धरण – सारणी डीएफ – 11 चरण 3		(₹ मिलियन में)
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 : लिखत तथा आरक्षितियां		
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूँजी के घटक	**चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ में संख्या / पत्रों पर आधारित स्रोत**
		31.03.2014 को	**31.03.2014 को**
1	सीधे निर्गमित की गई अर्हक सामान्य शेयर (तथा गैर – संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष का जोड	15259.64	ए 1 + ए2
2	प्रतिधारित आय	2018.60	बी 5
3	संचयित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षित निधियां)	99204.34	बी 1 + बी 2 + बी 3 + बी 4
4	सीईटी1 से हटाये जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूँजी (केवल गैर - संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी तथा तृतीय पक्षकारों द्वारा धारित (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)	0	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	116482.58	
7	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	0	

B	Assets			
	Cash and balances with Reserve Bank of India	**77576.80**	**77576.84**	
	Balance with banks and money at call and short notice	**27328.59**	**27365.93**	
ii	**Investments**	**469104.16**	**470352.81**	
	of which: Government securities	399175.45	399175.45	
	of which: Other approved securities	362.71	362.71	
	of which: Shares	4259.99	4294.30	
	of which: Debentures & Bonds	36227.96	36227.96	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	374.96	1589.30	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	28703.09	28703.09	
iii	**Loans and advances**	**1222089.86**	**1222124.89**	
	of which: Loans and advances to banks	4703.00	4703.00	
	of which: Loans and advances to customers	1217386.86	1217421.89	
iv	**Fixed assets**	**29321.82**	**29378.68**	
v	**Other assets**	**47845.77**	**48082.72**	
	of which: Goodwill and intangible assets			
	Out of which:	1607.66	1607.66	
	Goodwill	0.00	0.00	
	Other intangibles (excluding MSRs)	0.00	0.00	
	Deferred tax assets	1607.66	1607.66	
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	**1873267.00**	**1874881.87**	

	Extract of Basel III common disclosure template – Table DF-11 STEP 3		(₹ in Million)
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
		As on 31.03.2014	**As on 31.03.2014**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	15259.64	A1+A2
2	Retained earnings	2018.60	B5
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	99204.34	B1+B2+B3+B4
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	116482.58	
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं हेतु प्रकटिकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी अबंटन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए01011	आईएनई562ए09030
3	लिखतों को अधिशासित करनेवाले नियम	लागू भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताएँ पर	लागू भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताएँ
	विनियामक ट्रीट्मेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	टियर 2
5	संक्रमणकालिन उत्तर बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत प्रकार	कामन शेयर	निम्न टियर II (सीरीज़ II)
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2014 को रुपए मिलियन में)	4648.48	4000
9	लिखत का सममूल्य	लागू नहीं	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	शेयर धारक का ईक्विटी	देयताएं
11	जारी करने की मूल तिथि	भिन्न तिथि	28/06/2010
12	सतत अथवा दिनांकित	शाश्वत	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं	28/06/2020
14	पर्यवेक्षी अनुमोदन के पूर्व जारीकर्ता काल के तहत	नहीं	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	लागू नहीं	वैकल्पिक कॉल दिनांक : लागू नहीं मोचन राशि : 5000
16	अनुवर्ती कॉल की तारीखें, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	लाभांश	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	8.53% प्रति वर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूरी तरह विवेकाधीन	अनिवार्य
21	स्टेप अप का अस्तित्व अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि भुनाने के लिए	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: अथवा अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हैं, तो अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हैं, तो परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन है, तो उसके ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता पदक्रम की स्थिति (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत का प्रकार उल्लेख करें)	लागू नहीं	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	गैर अनुपालन संक्रमण विशेषताएं	नहीं	हाँ
37	यदि हाँ, तो गैर अनुपालन विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	बिना हानि की अवशेषी विशेषताएँ

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A01011	INE562A09030
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Common Shares	Lower Tier II (series II)
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of 31.03.2014)	4648.48	4000
9	Par value of instrument	Not Applicable	5000
10	Accounting classification	Share holder's equity	Liability
11	Original date of issuance	various dates	28/06/2010
12	Perpetual or dated	Perpetual	Dated
13	Original maturity date	Not Applicable	28/06/2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (r In Millions)	Not Applicable	Call Option Date:Not Applicable Redemption Amount: 5000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Dividend	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable	8.53% pa
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Not Applicable	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	No loss absorbency features

इंडियन बैंक
Indian Bank

सारणी डीएफ–13 विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ

विनियामक पूंजी लिखत की विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी आाबंटन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए09048	आईएनई562ए09022
3	लिखतों को नियंत्रित करने वाले नियम	लागू भारतीय विधि और विनियामक आवश्यकताएँ	लागू भारतीय विधि और विनियामक आवश्यकताएँ
	विनियामक ट्रीटमेंट		
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टियर–2	टियर–2
5	संक्रमणकालीन उत्तर बेसल III के नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी टियर II (श्रृंखला III)	टियर [illegible] (श्रृंखला [illegible] विकल्प [illegible])
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2014 को, रुपए मिलियन में)	4000	0.00
9	लिखत का सम मूल्य	5000	901.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तिथि	16/07/2010	12/07/2004
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	16/07/2025	12/07/2014
14	पर्यवेक्षी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक: 16/07/2020 आकस्मिक कॉल दिनांक : लागू नहीं मोचन राशि : 5000	वैकल्पिक दिनांक : लागू नहीं कॉल मोचन राशि : 901.00
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	लाभांश / कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	पहले 10 साल के लिए 8.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष : 9.17 प्रतिशत	अगर माल का प्रयोजन नहीं किया जाता है, तो 6.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	स्टेप अप का अस्तित्व अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि भुनाने के लिए	हाँ 50 बीपीएस तक स्टेप अप	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तोए राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता में पदक्रम की स्थिति (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	गैर अनुपालन संक्रमण विशेषताएं	हाँ	हाँ
37	यदि हाँ, गैर अनुपालन विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करें	बिना हानि की अवशेषी विशेषताएँ	बिना हानि की अवशेषी विशेषताएँ

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A09048	INE562A09022
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Upper Tier II (series III)	Tier II (series I Option II)
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of 31.03.2014)	4000	0.00
9	Par value of instrument	5000	901.00
10	Accounting classification	Liability	Liability
11	Original date of issuance	16/07/2010	12/07/2004
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	16/07/2025	12/07/2014
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (r In Millions)	Optional Call date:16/07/2020 Contingent Call dates: Not applicable Redemption amount:5000	Call Option Date: Not Applicable Redemption Amount:901.00
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.67% pa for first 10 years, 9.17%	If call not exercised: 6.25% pa
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes step up by 50bps	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No loss absorbency features	No loss absorbency features

सारणी डीएफ–14 विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण निबंधन और शर्तें

अप्पर टियर II बॉन्ड के लिए पूर्ण निबंधन और शर्तें

प्रतिभूति का विवरण	8.67 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण अप्पर टियर II बांड (ऋण पूंजी लिखत) प्रत्येक 10,00,000 रुपये के वचनपत्र की प्रकृति में (श्रृंखला तृतीय) कुल 500 करोड़ रुपये तक)
.... द्वारा प्रतिभूति प्रदान किया गया	निजी आाबंटन
कर की स्थिति	कर से छूट नहीं
निर्गम प्रारंभ करने की तारीख	16/07/2010
निर्गम बंद करने होने की तारीख	16/07/2010
श्रृंखला	श्रृंखला III
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09048
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 500 करोड़
आवंटन की तिथि	16/07/2010
परिपक्वता की तिथि	16/07/2025
परिपक्वता की राशि	रुपय 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	पहले 10 वर्ष के लिए 8.67 प्रतिशत । अगर कॉल ऑप्शन आबंटन की तिथि से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है तो 50 बेसिस पॉइंट्स दरपर स्टेप अप होगा, परिणामतः, बॉन्ड्स पर कूपन दर 11 वें वर्ष से 9.17 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।
ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर वर्ष 16 जुलाई को
ब्याज भुगतान करने की पहली तिथि	16 जुलाई 2011
कॉल ऑप्शन	बाण्डों पर कॉल ऑप्शन उपलब्ध है, बैंक द्वारा जिसका प्रयोग उनके आबंटन की तारीख से दसवें वर्ष के अंत में किया जाना चाहिए, परंतु कॉल ऑप्शन के पूर्णतः न कि अंशतः प्रयोग के समय तथा प्रयोग के बाद बैंक की पूँजी पर्याप्तता स्थिति तथा अन्य बातों संबंधी उस समय प्रभावी लागू विधि एवं विनियम के अनुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा कॉल ऑप्शन के प्रयोग की स्थिति में, नियत तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले बाण्ड धारकों को पंजीकृत डाक / कुरियर से नोटिस भेजकर कॉल ऑप्शन के प्रयोग के अपने उद्देश्य को अधिसूचित किया जाना चाहिए। बाण्डों के लिए स्टेप–अप ऑप्शन रहेगा जिसका प्रयोग आबंटन मानी गई आबंटन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद कॉल ऑप्शन के साथ संयुक्त रूप से बाण्डों की संपूर्ण अवधि में केवल एक बार किया जाएगा। यह स्टेप अप 50 बीपीएस का होगा, प्रभावतः यदि उन बाण्डों की आबंटन की तारीख से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अनुवर्ती वर्षों के लिए 9.17 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से कूपन रेट बढाया जाएगा।

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Terms and conditions for Upper Tier II Bond

Security Description	8.67% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series III) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	16/07/2010
Date of closing of the issue	16/07/2010
Series	Series III
ISIN Code	INE562A09048
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	16/07/2010
Date of maturity	16/07/2025
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.67% for the first 10 years. The rate will be stepped up by 50 basis points, in effect, the coupon rate on Bonds shall be 9.17% p.a from 11th year onwards, if call option not exercised by the Bank at the end of the 10th year from the date of allotment
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	16th July every year
First Interest Payment date	16th July 2011
Call Option	Call Option is available on bonds which may be exercised by the Bank at the end of 10th year from the date of allotment, subject to prior approval of RBI and in accordance with the applicable laws and regulation in effect at the time relating to among other things, Capital adequacy position of the Bank both at the time of and after exercise of the Call option, in whole but not in part. In case of exercise of Call option by the Bank, the Bank shall notify its intention to do so through a notice sent by registered post/ courier to the Bond holders, at least 30(thirty) days prior to the due date. The bonds shall a step-up options which shall be exercised only once during the whole life of the bonds, in conjunction with the Call option, after the lapse of 10 years from the deemed date of allotment. The step-up shall be 50 bps, in effect, the coupon rate on bonds shall be stepped up to 9.17% p.a for subsequent years if call option is not exercised by the bank at the end of 10th year from the date of allotment.

लोअर टियर II बॉन्ड के लिए पूर्ण निबंधन और शर्तें

प्रतिभूति का विवरण	8.53 प्रतिशत अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण लोअर टियर II बॉन्ड्स 10,00,000 रुपये प्रत्येक के वचन पत्र की श्रेणी में (ऋण पूंजी लिखत) (श्रृंखला II), कुल 500 करोड़ रुपये तक)
...... द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति	निजी आबंटन
कर की स्थिति	कर से छूट नहीं
निर्गम प्रारंभ होने की तारीख	28/06/2010
निर्गम बंद होने की तारीख	28/06/2010
श्रृंखला	श्रृंखला II
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09030
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 500 करोड़
आबंटन की तिथि	28/06/2010
परिपक्वता की तारीख	28/06/2020
परिपक्वता की राशि	रुपये 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.53 प्रतिशत
ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर वर्ष 28 जून को
ब्याज भुगतान करनें की पहली तिथि	28 जून 2011

टियर II बॉन्ड श्रृंखला I ऑप्शन II के लिए निबंधन और शर्तें

प्रतिभूति का विवरण	वचनपत्र के रूप में 6.25 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बॉन्ड्स श्रृंखला I ऑप्शन II
.... द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति	निजी आबंटन
कर की स्थिति	कर से छूट नहीं
निर्गम प्रारंभ होने की तारीख	12/07/2004
निर्गम बंद होने की तारीख	12/07/2004
श्रृंखला	श्रृंखला I
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09022
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 90.10 करोड़
आवंटन की तिथि	12/07/2004
परिपक्वता की तिथि	12/07/2014
परिपक्वता की राशि	रुपये 90.10 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	6.25 प्रतिशत
ब्याज की आवृत्ति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 01 अप्रैल को
ब्याज करने की पहली तिथि	01 अप्रैल 2005

Terms and conditions for Lower Tier II Bond

Security Description	8.53% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series II) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	28/06/2010
Date of closing of the issue	28/06/2010
Series	Series II
ISIN Code	INE562A09030
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	28/06/2010
Date of maturity	28/06/2020
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.53%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	28th June every year
First Interest Payment date	28th June 2011

Terms and conditions for Tier II Bond Series I Option II

Security Description	6.25% Unsecured Redeemable Non-Convertible subordinated bonds in the form of promissory notes. Series I. Option II.
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	12/07/2004
Date of closing of the issue	12/07/2004
Series	Series I
ISIN Code	INE562A09022
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.90.10 Crore
Date of allotment	12/07/2004
Date of maturity	12/07/2014
Amount to be matured	Rs.90.10 Crore
Coupon rate (fixed)	6.25%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	1st April Every Year
First Interest Payment date	1st April 2005

टिप्पणियां NOTES

His Excellency Dr K Rosaiah, Hon' ble Governor of Tamilnadu, unveiling the statue of Shri V Krishnaswami Iyer, Founder of Indian Bank on the eve of 150th Birth Anniversary Celebrations of Shri Iyer in the presence of Shri T M Bhasin, CMD Indian Bank

Shri T M Bhasin, CMD Indian Bank handing over the first prize award to Shri Stanislas Wawrinka of Switzerland, Winner of Singles AIRCEL Chennai ATP Tournament 2014

Shri T M Bhasin, CMD Indian Bank inaugurating the ISACA India Conference 2013 held at Chennai on 28.11.2013 on IT Governance, Risk and Compliance.

Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai - 600 014.
E-mail : indmail@indianbank.co.in
Toll Free : 1800 425 00 000
Visit us at : www.indianbank.in

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका प्रौद्योगिकी हितैषी बैंक
Your Tech-Friendly Bank

इंडियन बैंक
Indian Bank

FORM A

Format of covering letter of the annual audit report to be filed with the Stock Exchanges

1.	Name of the Company	**INDIAN BANK**
2.	Annual Financial Statements for the year ended	March 31, 2014
3.	Type of Audit observation	Un-qualified
4.	Frequency of observation	Not applicable

(K Srinivasa Raghavan)
General Manager & CFO

(Amarjit Chopra)
Audit Committee Chairman

(T M Bhasin)
Chairman and Managing Director & CEO

For SHARP & TANNAN
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 109982W

ASHWIN B. CHOPRA
Partner
(M. No.038159)

For BHATTACHARYA DAS & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 307077E

A. K. DAS
Partner
(M. No.011913)

For DEOKI BIJAY & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.313105E

NIRAJ PODDAR
Partner
(M. No.401067)

For S. P. PURI & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 001152N

VIDUR PURI
Partner
(M. No.090163)

For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 323220E

C. K. PRUSTY
Partner
(M. No.057318)

Place : Chennai
Date : May 12, 2014